खण्ड-416, अंक-6
गुरुवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1917
(27 जुलाई, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	1–88
नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखे जाने की मांग (जारी)	88–89
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	89
नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखे जाने की मांग	89–90
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हो रही गंभीर अनियमितताओं की सतर्कता विभाग से जांच कराने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद अल्मोड़ा के कतिपय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन से जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने तथा बीमारी फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90–91
उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग तथा जिला स्तर उपभोक्ता संरक्षण फोरम को वित्तीय तथा स्टाफ अविलंब उपलब्ध कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
श्रम मूल्यांकन के आधार पर वेतन पारिश्रमिक निश्चित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	91–92
ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
आगरा जनपद में वर्षा की कमी होने से भरपूर सिंचाई व्यवस्था किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
आगरा महानगर के पश्चिम (आरक्षित क्षेत्र) की विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने क संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों को न सुनने तथा मंत्रियों द्वारा कहे गये कार्यों को, अधिकारियों को न सुनने का निदेश दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	93–99
प्रदेश के सभी नगरपालिकाओं/नगर निगमों को भंग किये जाने किन्तु लखनऊ/इलाहाबाद नगर निगम का कार्यकाल बढ़ाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	99–106
दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन (यू०पी० निवास) में विधायकों को ठहरने हेतु आवास न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	107–109
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	109
बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	109
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	109
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखा अनुदान) विधेयक, 1995 (राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	109–110
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित किया गया)	110
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित किया गया)	110
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	110–135
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	135–162
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	162
गाजियाबाद में गंभीर पेयजल संकट के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना एवं नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य (जारी)	162–164

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
समाज कल्याण विभाग का बजट साहित्य समय से न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	164–165
गाजियाबाद में गंभीर पेयजल संकट के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा नियम 51 के अंतर्गत दी गई सूचना एवं नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)	165
जनपद सिद्धार्थनगर की विस्कोहर कस्बे में पानी की निकासी एवं पेयजल संकट के संबंध में श्री स्वयंवर चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना एवं नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य	166
पूरे प्रदेश में भयंकर रुप से फैली आन्त्रशोथ की जानलेवा बीमारी के संबंध में श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा० स्वास्थ्य राज्यमंत्री का वक्तव्य	167–168
जनपद बांदा में व्याप्त पेयजल संकट संबंधी श्री राज कुमार शिवहरे द्वारा नियम 51 के अंतर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य	168–169
जनपद गोण्डा के शुगर फैक्ट्री नवाबगंज के वर्तमान सत्र में बंद हो जाने से गन्ना किसानों एवं श्रमिकों की समस्या के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन।	169
नत्थियां------	170–179

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अखलाख, श्री	मेरठ	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अखिलेश, श्री	महराजगंज	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जयराम कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्रीगोरखपुर	
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अम्बिका सिंह, श्री	बलिया	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
अ०रईस, श्री	सुल्तानपुर	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	दीना नाथ चौधरी, श्री	बलिया
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
अशोक कुमार सिंह		धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	धीरेन्द्र बहादुर सिंह	खीरी
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
आर०के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	पुत्त सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद	बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	बाबू खां, श्री	हरदोई
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती

बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूँ
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजबहादुर, श्री	गाजीपुर
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश यादव, श्री	बदायूँ
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सज्जन पाल सिंह	

उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा	मुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सतीश कुमार, श्री	बिजनार	सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सत्येन्द्र सिंह, श्री	मुरादाबाद	सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ	स्वयंवर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली	हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी	रामपुर
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर	हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद
सियाराम सागर, डा०	बरेली		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री बी०आर० वर्मा की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही दो मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दस करोड़ से ज्यादा घाटे पर चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र में दिये जाने की जानकारी

श्री श्याम देव राय चौधरी––

**1– क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दस करोड़ रुपये से अधिक घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र में दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)––

जून, 1994 में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सामाजिक उपादेयता और जनकल्याण का कार्य करने वाले उपक्रमों को छोड़ कर निजीकरण हेतु उन सभी उद्यमों की समीक्षा की जाय जिनका वार्षिक घाटा 10 करोड़ से अधिक है तथा जिसका निबल मूल्य आधा या आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है। जिन इकाइयों में पूर्ण निजीकरण सम्भव नहीं है वहां पर विकल्प के रुप में संयुक्त क्षेत्र में प्रबन्धन एवं पट्टाकरण पर भी विचार किया जाये।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, कि समीक्षा का निर्णय लिये हुये एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, कि यह जो लगातार 10 करोड़ से अधिक का घाटा जिन उपक्रमों ने उठाया, उसके कारण क्या हैं और इन उद्यमों के लगातार घाटे में जाने से रोकने हेतु सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये और यह जो समीक्षा की गयी है इसमें कौन से उद्यम ऐसे हैं जिनको निजी क्षेत्र में देने का निर्णय लिया गया है?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, ये घाटे के कारण जिन निगमों के हैं, उनकी सामाजिक उपादेयता तथा विकासात्मक कार्य प्रकृति, उपयोगिता, कार्यकुशलता का अपेक्षित स्तर न होना, शासन की वित्तीय स्थिति की संकुचन के कारण उपक्रमों के उपलब्ध कार्य में कमी और कर्मियों की अधिकता, वित्तीय संसाधनों की कमी, विपणन सम्बन्धी समस्या के कारण माल की कीमत न मिलना तथा उत्पादन मूल्य का पूर्ण रुप से वापस न होना है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दूसरे अंश का उत्तर नहीं आया, मैं यह जानना चाहता था कि इस समीक्षा के अन्तर्गत कौन से उद्यम ऐसे हैं जिनको निजी क्षेत्र में लेने का निर्णय लिया गया है या दे दिया गया हैं?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जैसा कि पहले पूछा गया था कि कौन से निगम हैं जो निजी क्षेत्र की परिधि में आये हैं और जो घाटे में हैं, मैं श्रीमन्, उनकी सूची सूचना में देना चाहता हूं सीमेंट निगम, उ०प्र० जल निगम, राज्य वस्त्र निगम और जो घाटा कम करने की बात की जाती है इसमें क्या-क्या उपाय किये गये। प्रशासनिक व्यय में कटौती की जाय, जो जनशक्ति नियोजन है इस दृष्टि से अगर कोई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदि जैसी योजनाएं लागू करना, आदि ऐसे अनेक उपाय किये गये और इस पर समीक्षा की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन–कौन उद्योग हैं जिनको निजी क्षेत्र में या संयुक्त क्षेत्र में देने के लिए मेमोरण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और क्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछली सरकार ने इन निगमों को औने-पौने दाम में बेचने के लिए बड़ा भ्रष्ट तरीका अपनाया। इस सदन में भी जब यह बात उठी कि पूंजीपतियों से साठ गांठ करके उनका मूल्यांकन कराने में बहुत ही घपला किया गया था तो क्या सरकार ने कोई यह भी नीति बनाई है कि सभी मामलों का पुनरीक्षण करके जिन मामलों में घपला प्रकाश में आ रहा है, बेचने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। जानकारी प्राप्त होने के बाद शिकायतों के बारे में भी क्या वर्तमान सरकार ने कोई नीति बनाई है? यदि नीति बनाई है तो वह क्या है? दूसरी बात यह है कि जो निगम घाटे करोड़ से कम घाटे में हैं अर्थात् इम्प्रूवमेंट की कोई गुजांइश है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई कार्य योजना सरकार के पास है?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, यह जो औने-पौने दाम में बेचने की बात कही गयी है या निजीकरण के मापदण्डों का जो प्रश्न है इसके लिए निजीकरण समिति का गठन हुआ है जिसमें विशेषज्ञों को रखा गया है सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और भ्रष्टाचार की समस्या शून्य है ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें औने-पौने दाम में पिछली सरकार द्वारा जो बेचने की बात है वर्तमान में मनमाने ढंग से निर्णय नहीं लिया जायेगा और निजी क्षेत्र में देने का निर्णय देने के लिए शासन को निजी क्षेत्र से जो आफर मिलते हैं, उसकी समीक्षा करके ही उसे हम स्वीकार करते हैं।

श्री ऊदल–

जितने उपक्रम थे, राज्य सरकार के उनमें परामर्श देने के लिए, सहायता देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए एक ब्यूरो बनया गया था सरकार की तरफ से, तो उसने कब-कब दिये? क्या कोई कार्य योजना सरकार के सामने उपस्थित की? यदि हां तो वह क्या है, सुधारने के लिए तथा घाटे को दूर करने के लिए, वह क्या है, अगर नहीं बनाया गया तो वह ब्यूरो जो बनाया गया उसकी क्या आवश्यकता थी?

श्री श्याम लाल यादव–

महोदय, अभी इस सम्बन्ध में समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद तय किया जायेगा।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह ऐसा ब्यूरो बनाया गया था जो सहायता देने के लिए, परामर्श देन के लिए घाटा न हो, पहले से ही एक ब्यूरो बना हुआ था तो क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि ऐसा कोई ब्यूरो बनाया गया था, यदि मेरी जानकारी में बनाया गया था तो यदि हां तो उस ब्यूरो में क्या कोई कार्य योजना कोई राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत की गयी जिससे उपक्रमों में घाटा व अनियमितता न हो?

श्री श्याम लाल यादव–

जी हां, जो बोर्ड आफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकान्सट्रक्शन है, उसे रुग्ण इकाइयों को पुर्नरावीसित करने हेतु निर्णय लेने का अधिकार है। इस बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। जो सामाजिक उपादेयता वाले उपक्रम नहीं हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो सभी लोग जानते हैं कि निजी क्षेत्र में जो इकाइयां लग रही हैं, वह तो फायदे में जा रही है परन्तु सरकारी क्षेत्र की इकाइयां घाटे में जा रही हैं। जैसा कि श्री ऊदल जी ने प्रश्न के माध्यम से पूछा था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि ब्यूरो का गठन किस तारीख को हुआ

और तब से अब तक उसकी कितनी बैठक हुई हैं तथा उन बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं? दूसरा, यह एक गम्भीर प्रश्न है और जनता के सामने में भी यह बात है कि पिछली सरकार ने तमाम मिलों को औने-पौने दामों में बेच दिया। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछली सरकार ने किन-किन मिलों को बेचने का निर्णय लिया, क्या यह सरकार उस निर्णय पर अडिग है या उस निर्णय को बदल रही है?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, 1 जून, 1994 को इस ब्यूरो का गठन हुआ था।

श्री नरेश अग्रवाल–

एक साल में इस ब्यूरों की कितनी बैठकें हुई और कितने मिलों को बेचा गया?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, इस दौरान में कोई मिल नहीं बेची गई है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपको विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मिलें बेची ही नहीं गई हैं।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, 13 निगमों को बंद किये जाने का निर्णय लिया गया, शेष अभी तक विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष–

कितने मिलों को बेचा गया, उसका जवाब तो मंत्री जी ने दे दिया है।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बुढ़वल चीनी मिल जो घाटे में चल रही थी, क्या उसके घाटे में कमी आई है साथ ही वहां का जो प्रबंध तंत्र था, क्या उसमें भी सुधार हुआ है, यदि हां तो क्या शासन द्वारा इस परिपेक्ष्य में कोई ऐसी नीति तय की है कि इस चीनी मिल को नहीं बेचा जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

आप इस संबंध में अलग से प्रश्न पूछ सकती हैं। जो प्रश्न पूछ रही हैं, उसका इस मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जैसा कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री नरेश अग्रवाल जी ने पूछा, बड़ा स्पष्ट प्रश्न है। पिछली सरकार द्वारा औने-पौने दामों पर मिलों को बेंचकर, निजीकरण के नाम पर जेबीकरण किया जा रहा था। उस पर उच्च-नयायालय ने स्थगनादेश भी दिया और उत्तर प्रदेश में जनता आन्दोलित भी हुई। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मिलें घाटे में थी और बेची जा रही थी औने-पौने दामों पर, उनकी पुनर्समीक्षा की गई? यदि नहीं तो क्या शासन कोई ऐसी नीति तय करेगा कि जिन टर्मस् एण्ड कंडीशन्स पर पिछली सरकार मिलों को बेच रही थी, उन पर इन्हें नहीं बेचा जायेगा?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा मिलों को औने-पौने दामों पर बेचने का जो आरोप लगाया जा रहा है, उस

संबंध में में यह कहना चाहता हूं कि न्यायालय के जो निर्देश हैं, उसके अनुपालन में उन्हें नहीं बेचा रहा है। वर्तमान सरकार उनकी पुनर्समीक्षा करेगी कि किन परिस्थितियों में उन्हें बेचा जा रहा था। इसकी स्पष्ट जानकारी लेने के बाद ही इसमें कोई निर्णय लिया जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो सार्वजनिक उद्योग लगाये जाते हैं उनमें से कुछ को अपवाद स्वरुप छोड़ कर शेष घाटे पर होते हैं। इसके पहले किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी इसके लिये तय करने की परम्परा नहीं रही है। तो क्या वर्तमान सरकार इस प्रकार के सार्वजनिक जो उद्यम है उनमें घाटे की जिम्मेदारी तय करने की पालिसी बनायेगी?

श्री अध्यक्ष–

इसका तो इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, हां माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसलिये उनको बेचने की नौबत आई है तो उसके लिये जिम्मेदारी तय करने की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था कि अगर माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें।

(कोई उत्तर नहीं आने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अगर मुझे आप संरक्षण दे देंगे और अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिलवा देंगे जैसा कि सभी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है वह शांत हो जायेगी। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो भी निगम है उनके घाटे के संबंध में विचार करने के लिये ब्यूरो बना है, उसके द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा। पिछली सरकारों के संबंध में जैसा माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, भाई नरेश अग्रवाल तथा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पिछली सरकार ने औने पौने दामों में बेचने का निर्णय लिया था। तो वर्तमान सरकार द्वारा निर्णय लेने पर एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विचारोपरांत निर्णय लेंगे और इस संबंध में समीक्षा चल रही है। दूसरी तरफ चीनी निगम की 16 मिलों को उसी तरह से बेचने का निर्णय लिया है जिसकी विज्ञप्ति भी हो गयी है उसकी कापी मैं आपको भेज दूंगा तो उन पर 16 चीनी मिलों को उ०प्र० चीनी निगम की है उनको किन मानक के आधार पर बेचने का फैसला लिया गया है। यह किस आधार पर लिया गया है, उनकी पारदर्शी स्थिति क्या होगी, क्या नीति होगी?

अगर अभी विचार कर रही है तो उन 16 मिलों को बेचने का निर्णय जो लिया गया है उसे स्थगित करेंगे। बिना वैल्यूवेशन के किस ढंग से उनको बेचने का निर्णय लिया गया है, किस दबाव में उनको बेचने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

क्या 16 चीनी मिलों को बेचने का सरकार ने निर्णय ले लिया है?

श्री श्याम लाल यादव–

यह निजीकरण समिति गठित है उसमें जो विशेषज्ञ हैं (व्यवधान) एक मिनट हमें बोलने दें। उस संबंध में जो निर्णय आया है उसके परिपेक्ष्य में ही यह निर्णय लिया गया होगा।

श्री जगम्बिका पाल–

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर दिलवा दें। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि निर्णय लिया गया होगा। इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दे दें या फिर स्पष्ट उत्तर दिलवा दें। मंत्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी 164 (2) में होती है माननीय मंत्री जी इस हल्के ढंग से जवाब देंगे तो माननीय सदस्य कैसे संतुष्ट होंगे? माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने में गंभीरता से लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

काफी समय इस पर हो चुका है, आखिरी सवाल पूछने की इजाजत माननीय श्याम देव राय चौधरी जी को दे रहा हूं। (व्यवधान) 20 मिनट का समय अल्पसूचित के लिये निर्धारित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पूरे आदरणीय सदन की भावना को देखते हुये इस गंभीर प्रश्न पर माननीय सदस्यों ने जिज्ञाशा दर्शाई है, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं मंत्री जी ने पूरा अध्ययन पत्रावली का नहीं किया है।

..चूंकि बड़ा वैलिड सवाल है। जिस तरह से पिछली सरकार ने गड़बड़ी करके चीनी मिलों को बेचने की नीयत बनाई और बेचीं भी। इस पर शासन की नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है। मंत्री जी, ने कहा है कि शासन उन सब का परीक्षण करवायेगा। मेरा यह व्यक्तिगत अनुरोध है कि इस सवाल को स्थगित करा दें। आज इस सवाल का उत्तर जो समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने जायेगा उसमें सही तथ्य जनता के सामने नहीं आयेंगे और शंका की सुई जरुर सदन पर होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संगत नियमों में लिखकर दे दें, मैं विचार कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो आपका अधिकार है। आप अपनी व्यवस्था दें। यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मिलें बेचे जाने के सम्बन्ध में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं आ रही है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मिल मालिकों के साथ सांठ गांठ करके मिलों को बेचने का कार्य हो रहा है। यह सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। हम और हमारा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल, नरेश अग्रवाल और कांग्रेस दल के अन्य सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम स्वरुप सिंह–

मान्यवर, यह गम्भीर सवाल है। पिछली सरकार की तरह ही यह सरकार भी अपने लोगों को मिलें बेचना चाहती है। मेरा खुला आरोप है कि बी०जे०पी० का इसमें हाथ है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम स्वरुप सिंह तथा श्री ऊदल सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं।

पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेन्स एवं वीडियो फिल्म बनाने विषयक जानकारी

श्री हरेन्द्र सिंह (अनु०)–

**2– क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 जून 1995 को पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेन्स तथा वीडियो फिल्म बनाने एवं उसके प्रदर्शन करने के मामले की मजिस्ट्रीरियल जांच कराई गयी थी? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है? दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

शासन द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिये गये थे कि इस प्रकरण की जांच अपर जिला मैजिस्ट्रेट से कराकर शासन को अवगत कराया जाय। जिला मैजिस्ट्रेट से आख्या प्रतीक्षित है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अनाथ एवं लावारिस शिशुओं को गोद लिये जाने की नीति की जानकारी

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

*1– क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लावारिस तथा अनाथ शिशुओं को गोद लेने के बारे में सरकार में किसी व्यवस्था का प्राविधान है? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम पाल)–

जी हां। गोद एवं गार्जियनशिप में दिये जाने की व्यवस्था हिन्दू एडाप्सन ऐक्ट एण्ड मेंटेनैन्स ऐक्ट, 1956 तथा गार्जियन एण्ड वार्डस ऐक्ट 1890 के अधीन है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल-गृहों के आवासीय बच्चों को परिरक्षा में देने की नियमावली 1967 के अधीन परिरक्षा पर भी दिये जाने की व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आये दिन समाचार पत्रों के माध्यम से शासन के सामने यह शिकायत आती है कि उत्तर प्रदेश से विदेशी नागरिक बच्चों को ले जाते हैं। हिन्दूत्तर ये जातियों में उनके यहां गार्जियनशिप में बच्चों को रखने की व्यवस्था है लेकिन गोद नहीं लेते हैं। जब गार्जियनशिप में बच्चों को रखते हैं तो किस प्रकार उनके साथ कुकर्म और दुर्व्यवहार

किया जाता है। ऐसे मामले शासन के संज्ञान में आये होगें। यह गोद और गार्जियनशिप ऐक्ट हिन्दुओं के लिये बना हुआ है। अनाथ और बेसहारा बच्चों का उत्पीड़न हो रहा हैं। इसकी रोकथाम के लिये शासन ने विचार किया है तो क्या?

श्री राम पाल–

मान्यवर, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल गृह चलाये जा रहे हैं वह आवासीय बाल गृह हैं, उनमें परित्यक्त और अनाथ बच्चे रखे जाते हैं और उन बच्चों का पालन पोषण होता है। 1967 में जो नियमावली बनी थी उसके अन्तर्गत परिरक्षा पर बच्चे दिये जाते हैं, गोद नहीं दिये जाते। गोद लेने की प्रक्रिया एडाप्सन ऐक्ट में है और जो गार्जियन बने हैं वह एडाप्सन की जो नियमावली है उसके माध्यम से ही गोद ले सकते हैं। जो बाल गृह हैं वह गोद नहीं देते हैं। न्यायालय से गोद दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं शायद आपको अपनी बात समझा नहीं पाया मंत्री जी विज्ञ हैं कमजोरी मेरी ही हो सकती है। श्रीमन् हिन्दू एडाप्सन ऐक्ट है। विदेशी नागरिक गोद के नाम पर बच्चों को ले जाते हैं लेकिन गोद के नाम पर बच्चे नहीं दिए जाते हैं बल्कि परिरक्षा में दिए जाते हैं उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे बे–सहारा बच्चे जिनके पिता नहीं होते हैं मां उनको छोड़कर चली जाती है ऐसे बच्चों के बारे में कोई कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा? सरकार इस संबंध में क्या करेगी?

श्री राम पाल–

श्रीमन् 1967 की नियमावली में यह व्यवस्था है कि यदि विश्वास हो जाए कि बच्चे के साथ निर्दयता या उपेक्षा का व्यवहार किया गया है या उसे अनैतिक या अपराधी जीवन व्यतीत करने को प्रोत्साहित किया गया है या उसको ऐसा अवसर दिया गया है कि वह अपराधी जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो तो निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश संबंधित सदन के अधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा कि वे बच्चे को अपनी मूल परिरक्षा में वापिस ले लें।" तो यदि इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उन बच्चों को मूल रुप से बालगृहों में वापस ले लिया जाता है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई अपराध कराए या उसका दुरुपयोग करे तो मूल परिरक्षा में वापस ले लिया जाता है ऐसा कहा गया, श्रीमन् कोई बच्चा लिया जाता है कोर्ट का आदेश लेकर, किसी तरह से वह दुबई या लन्दन चला जाता है और वहां पर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? क्या कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी एजेंसी है जो उस बालक से सम्पर्क रखती हो और उससे बालक के बारे में प्रतिमाह कोई आख्या या रिपोर्ट प्राप्त होती हो? जो बालक के बारे में पूरी जानकारी कर सके? यदि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है तो क्या ऐसी सरकार व्यवस्था करेगी?

श्री राम पाल–

नियमावली में पूर्ण व्यवस्था है कि इस तरह की कोई सूचना आती है और बच्चे को किसी परिरक्षा में लिया है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो पुनः मूल गृह में बुला लेते हैं। यदि ऐसी कोई घटना गुप्ता जी या द्विवेदी जी की जानकारी में हो तो बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विदेशी नागरिक ने किसी लड़की को परिरक्षा में ले लिया, वह उसको लेकर दुबई या लन्दन चला गया, तो क्या विदेशों में कोई एजेंसी है जहां वह उनकी खोज-खबर लेती हो? यदि कोई एजेंसी है तो सरकार उस अधिकारी

का नाम बताए जिसको कान्ट्रैक्ट रखना होता है। अगर हिन्दुएत्तर जाति ने गोद लिया है तो उनकी सम्पत्ति में क्लेम हो जाएगा वरना अत्याचार होता रहेगा। विदेशों में उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी एजेंसी हो तो नाम बता दें?

श्री राम पाल–

इसका सवाल से संबंध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक लड़का अस्पताल में किसी पाप की वजह से गया उसको संरक्षण गृह से कोई ले गया।

..यहां से बच्चा ले जाकर दुबई में उसका उत्पीड़न करते हैं। उसके सम्बन्ध में कोई सूचना रहती है कि नहीं?

श्री राम पाल–

माननीय गुप्त जी के पास इस तरह की कोई सूचना हो, तो वह दे दें। उसको हम दिखवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमें अफसोस है कि मंत्री जी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। समाचार पत्रों में इस तरह के सैकड़ों मामले आते रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सम्बन्ध में जजमेंट दिया है। पचासों मामले हैं जहां लड़कियों को ले जाकर दुबई में वैश्यावृत्ति कराते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की कोई एजेंसी डेवलप की गई है जो उनके बारे में जानकारी रख सके। इस समय अगर उत्तर न हो तो फिर बता दें?

श्री राम पाल–

मैं बताना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो बाल गृह चलाए जाते हैं उसके अलावा अनेक स्वयं सेवी संस्थानों द्वारा बाल गृह चलाए जाते हैं। तो स्पेशिफिक मामला अगर कोई है तो वह समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया गया बाल गृह है या स्वयं सेवी संस्थान द्वारा चलाए गए बाल गृह का मामला है, विदेशों से सम्बंधित कोई मामला अगर होता है तो वह कोर्ट के माध्यम से हल किया जाता है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर अब काफी हो चुका है अब अगला प्रश्न लेते हैं।

[गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[विस्तीर्णिता के आधार पर निरस्त]

ग्राम केड़वर विकास खण्ड हलिया जनपद मिर्जापुर के कुछ ग्रामवासियों के भूमि का अधिग्रहण कर लिये जाने के बाद भी लगान वसूली की नोटिस

डा० सरजीत सिंह डंग–

*2– क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम केड़वर विकास खण्ड हलिया जनपद मिर्जापुर के कुछ ग्राम वासियों की जमीन का अधिग्रहण सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1962 में कर लिया गया था? क्या वहां ददरी बांध का

निर्माण हो चुका है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा मिल जाने के बाद भी इन ग्राम वासियों को लगान वसूली की नोटिस भेजी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त वसूली तत्काल समाप्त करने का आदेश देगी?

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

जी हां। ग्राम केड़वर विकास खण्ड हलिया जिला मिर्जापुर में मेजा जलाशय के निर्माणार्थ सिंचाई विभाग द्वारा ग्रामवासियों की 253 बीघा 4 विस्वा भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

जी हां। ददरी बांध का दूसरा नाम मेजा जलाशय भी है।

जी हां। भूमि अधिग्रहण के बाद तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा परवाना अमलदरामद जारी किया गया जिस पर यह अंकित है कि अमलदरामद किया गया। कागजात की जांच से पता चला कि अमलदरामद केवल 44 बीघा 10 विस्वा भूमि का हुआ है। रिकर्ड आपरेशन के दौरान सिंचाई विभाग के पक्ष में अधिग्रहीत शेष भूमि भी संबंधित कृषकों के नाम ही दर्ज रह गई। सिंचाई विभाग एवं संबंधित कृषकों द्वारा प्रयास के अभाव में राजस्व अभिलेखों में कृषकों का नाम अब तक अंकित चला आ रहा था। इसी त्रुटि के कारण इन कृषकों पर भू-राजस्व का बकाया चला आ रहा है। यह त्रुटि वर्तमान में प्रकाश में आ गई है। अतः अब इसका निराकरण कर दिया गया है। अधिग्रहीत भूमि से कृषकों का नाम खारिज करके सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन, मेजा जलाशय का नाम दर्ज कर लिया गया है। परिणामतः भू-राजस्व की वूसली समाप्त कर दी गई है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह प्रकरण है ग्राम केड़वर, विकास खण्ड हलिया जनपद मिर्जापुर का। जहां अनपढ़ और गरीब लोगों की 253 बीघे 4 बिस्वा जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। जिस पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लिखा जाता है कि सारी जमीन का अमल दरामद हो चुका है जबकि वास्तव में 44 बीघे 10 बिस्वा का अमल दरामद किया गया। इस तरह से पिछले 33 वर्षों से इस अधिकारी की लापरवाही के कारण गरीब कृषकों को तहसील के चक्कर लगाने पड़े व उनका उत्पीड़न हुआ है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? जो कृषकों का उत्पीड़न हुआ, उसके लिए सरकार उनको कोई मुआवजा देगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

भू अर्जन के पश्चात किसी काश्तकार से कोई वसूली नहीं की गई है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह वास्तविकता से छिपाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि बकायदा नोटिसें इशू की गई हैं। आर०सी० गई है और कृषकों को तहसील की हवालात में बंद किया गया है। जिस विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की वजह से इतने सालों तक कृषकों को धोखे में रखा गया। सारी भूमि को अमल दरामद न होकर केवल 44 बीघे 10 बिस्वे का अमल दरामद हुआ है तो जिन अधिकारियों के कारण यह अमल दरामद नहीं हुआ है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? या पीड़ित कृषकों को मुआवजा देने के बारे में कोई विचार किया गया है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

इसमें किसी प्रकार कोई उत्पीड़न नहीं किया गया है।

..जैसे इस बात की सूचना मिली तुरन्त उसको रोक दिया गया। इसमें साफ साफ है कि काश्तकारों का नाम भू-राजस्व अर्जित भूमि से खारिज करके अर्जित भूमि पर मेजा जलाशय का नाम अंकित कर दिया गया है। भू-राजस्व संग्रह की दृष्टि से क्षेत्रीय अमीन श्री ओंकार नाथ दुबे द्वारा नोटिस दी गयी थी, कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की गयी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह तो स्वीकार कर रहे हैं कि नोटिस दी गयी थी तो जब आर०सी० जाती है तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि किसानों की क्या हालत होती है। मैंने साफ साफ पूछा है कि जिस विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने 33 साल तक सारे शासन को अंधेरे में रखा और कृषकों का उत्पीड़न किया और झूठी रिपोर्ट दी कि वह जमीन अमलदरामद हो गयी है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हुआ है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? मेरी जानकारी में है कि प्रश्न लगने के बाद अमलदरामद की कार्यवाही की गयी है और तभी कृषकों की आर०सी० वापस ली गयी है उसके पहले कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो जिन कृषकों का मानसिक उत्पीड़न हुआ है उनको मुआवजा देंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो चुकी है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या कार्यवाही हुई है, यह सामने आ जाय कि कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और किन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और उत्पीड़न के लिए क्या किसानों को मुआवजा देंगे?

(व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, ऐसा भी होता है कि अमीन लोग पैसा ले लेते हैं और किसानों को रसीद तक नहीं देते हैं तो इसके लिए कोई नियम बनायेंगे इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं साफ साफ जानना चाहता हूं कि जो किसानों का मानसिक उत्पीड़न हुआ है जो तहसील के उन्होंने चक्कर लगाये हैं उनको गिरफ्तार करके हवालात में रखा गया है इस तरह से जो उनका मानसिक उत्पीड़न हुआ है तो इसमें किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है इससे मालूम हो जायेगा कि यह सरकार किसानों की कितनी हितैषी है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न के उत्तर में आ चुकी है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अगर यह मूल प्रश्न में आया होता तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का मुझे कोई शौक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सवाल पूछा है, माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है। जो पहले 253 बीघा 4 विस्वा भूमि अधिग्रहीत की गयी थी परन्तु यह किन्हीं कारणों से 44 बीघा 4 विस्वा ही अभिलेखों में दर्ज हो पाया था, जो अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाया था वह दर्ज करा दिया गया।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जिन अधिकारियों ने झूठ बोला और शासन को गलत सूचना दी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और जो मानसिक उत्पीड़न हुआ है उसके लिए किसानों को मुआवजा देंगे या नहीं अगर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है तो क्या कार्यवाही हुई है?

श्री अध्यक्ष–

जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भूमि अध्याप्ति की गयी थी और अमलदरामद नहीं हो पाया था उसके लिए कोई अधिकारी दोषी है या नहीं और इसमें कोई जांच हुई है या नहीं इस पर कुछ कहना चाहते तो बता दें?

श्री राजेन्द्र कुमार–

अगर ऐसा है तो इसको दिखवा लेंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, इस सम्बन्ध में 23.8.94 को अधिगृहीत भूमि से कृषकों का नाम खारिज करके मेजा जलाशय का नाम दर्ज कर दिया गया है और भू-राजस्व की वसूली समाप्त कर दी गयी है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपके निर्देश के बावजूद माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं इनको जांच कराने में क्या दिक्कत है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है इनको सुनाई नहीं पड़ा होगा। इन्होंने अपने उत्तर में कह दिया है कि अगर कहीं कोई दोषी होगा तो उसको दिखवा लिया जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुआवजा का जवाब दिलवा दीजिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, दिलवा लेने का आश्वासन है। माननीय डंग जी तो नियमावली के जानकार हैं इसमें तो साफ दिखवा लेने का आश्वासन है।

वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कतिपय समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

*3– क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 14–9–94 को अथवा उसके आसपास किसी दिन मिला? यदि हां, तो संक्षेप में किन समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है? उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री रामलखन वर्मा)–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र सीतापुर वन प्रभाग से सम्बन्धित है।

निम्न समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि:–

1– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान न होना।
2– पुराने तथा कुशल श्रमिकों को कार्य से हटाया जाना।
3– पूरे माह का कार्य लेकर 26 दिन का भुगतान किया जाना।
4– वर्ष 92–93 हेतु शासन द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस का भुगतान न किया जाना।

5- नये शासनादेश के अनुसार मजदूरी का भुगतान न किया जाना।
6- रिक्त पदों को न भरा जाना।
7- न्यायालय के आदेशों की अवमानना किया जाना। उपरोक्त बिन्दुओं पर निम्नवत कार्यवाही की गयी है:-
1- दैनिक श्रमिकों को बजट उपलब्ध होने के पश्चात मार्च, 95 में पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है।
2- श्रमिकों का कार्य असंतोषजनक होने अथवा कार्य उपलब्ध न होने की दशा में हटा दिया जाता है।
3- श्रम विभाग के शासनादेश दिनांक 30-4-94 के अनुसार पूरे माह कार्य करने वाले श्रमिकों की 850/- रु० प्रतिमाह से भुगतान किया जाता है इस प्रकार अनुमन्य मासिक भुगतान केवल 26 दिनों के दैनिक पारिश्रमिक के समतुल्य है।
4- वर्ष 1992-93 हेतु शासन द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस का भुगतान 43 पात्र कर्मियों को किया गया।
5- वर्तमान शासकीय आदेशों के अनुरुप दैनिक वेतन कर्मियों को भुगतान किया जा रहा है।
6- विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों की नियुक्तियां नहीं की जा सकीं।
7- सीतापुर वन प्रभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों द्वारा स्थाई नियुक्तियों के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में दायर चार वादों पर निर्गत अंतरिम आदेशों के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो चुके हैं। अतः मा० न्यायालय के आदेशों की अवमानना का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यह जो इनका उत्तर है इसकी कार्यवाही के नम्बर एक को देखें। इसमें हैं कि दैनिक श्रमिकों को बजट उपलब्ध होने के पश्चात मार्च, 95 में पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है लेकिन परिश्रमिक का न भुगतान किया गया और न अब हो रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि उनके जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके द्वारा पैसा तो आहरित हो गया लेकिन वितरित नहीं हुआ। चौथे नम्बर पर देखें- वर्ष 1992-93 हेतु शासन द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस का भुगतान 43 पात्र कर्मियों को किया गया जबकि लेबरलाज में इनके यह है कि बोनस पाने के सभी पात्र हैं और अगर पात्र नहीं हैं तो नौकरी में क्यों हैं जो शासनादेश है उसके अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी मुख्यालय से किसी को भेजकर इस बात को सुनिश्चित करा लेंगे कि उस पर समाधान कारक काम हुआ है?

श्री राम लखन वर्मा-

श्रीमन्, माननीय गुप्त जी ने जो चिन्ता जताई है उसके सम्बन्ध में प्रश्न के उत्तर में आ चुका है। उस समय बजट आया नहीं था इसलिए भुगतान नहीं किया गया। 102 लोगों को 10-12 माह बाद पुराने पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान की धनराशि 2 लाख 48 हजार 781 रुपये है।

मान्यवर, उस समय बजट नहीं था और ज्यों ही बजट आ गया, भुगतान कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसको मैं गलत नहीं कहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरों को भुगतान सीधे नहीं मिलता है। पैसा पहले रेंजर को दिया जाता है और फिर रेंजर द्वारा पैसा मजदूरों को दिया जाता है। इस सम्बन्ध में शिकायत हुई, आप मुख्यालय से किसी अधिकारी को भिजवाकर जांच करा लें। आपने आश्वा मांगी है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है और मजदूरों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो इसको दिलवा लेने में क्या बात है?

श्री राम लखन वर्मा–

माननीय, उत्तर में दिया हुआ है कि 102 श्रमिकों को भुगतान कर दिया गया है। यह बात सही है कि बजट न होने के कारण लेट भुगतान हुआ है। दूसरी बात यह है कि पात्र व्यक्तियों को बोनस दिया गया है। जो पात्रता निर्धारित की जाती है, वह 11 नवम्बर, 1993 के शासनादेश द्वारा निर्धारित की जाती है, और उसके अनुसार केवल 45 व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आये हैं और उनको बोनस का भुगतान भी कर दिया गया है। इन 45 के अलावा बाकी लोग पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उनको भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बोनस पाने के लिये पात्रता क्या है और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? जब एक स्थान पर बोनस बंटता है तो उस के सभी मजदूरों को बोनस मिलना चाहिये, वह परसेंट के अनुसार होता है तो कम या ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को मिले और किसी को न मिले। मैं जानना चाहता हूं कि पात्रता की शर्तें क्या हैं और जिन लोगों को बोनस नहीं मिला है, उनमें कौन कौन सी शर्तें कम थीं जिनके कारण उनको बोनस नहीं प्राप्त हो सका है?

श्री राम लखन वर्मा–

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को काम करते हुये कम से कम 3 वर्ष हो गये हों और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन उसने काम किया हो, तो वह पात्रता की सूची में आ जाता है और उसी के अनुसार 45 व्यक्ति पात्रता की सूची में आये और उनको बोनस का भुगतान किया गया।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनको नियमित नहीं किया गया है। मेरी जानकारी में है कि वहां पर जो वाचर होते हैं वह कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं परन्तु उनको नियमित नहीं किया गया है मान्यवर, मैं गोंडा जनपद की बात बता रहा हूं, वहां पर ऐसा हो रहा है, माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन दें कि उनको नियमित किया जायेगा अथवा नहीं किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न तो बोनस देने से सम्बन्धित है, नियमितीकरण से सम्बन्धित नहीं है और अगर आप इसके सम्बन्ध में जानना ही चाहते हैं तो एक सवाल, डाल दें, सूचना आ जायेगी। अगर सूचना माननीय मंत्री जी के पास हो तो वह बता दें।

श्री राम लखन वर्मा–

गोंडा में वन कटान बहुत होता है। प्रश्न करने के पहले ही शुक्ल जी को मिल लेना चाहिये था और अपना नाम भी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की चिट्ठी में जुड़वा लेना चाहिये था। गुप्ता जी की चिट्ठी सीतापुर की थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

जिला अधिकारी सोनभद्र द्वारा पिपरी के विस्थापित और रिहन्द कालोनी के किरायेदारों को उजाड़े जाने की शिकायत

श्री तीरथ राज–

*4– क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र का मुख्यालय पिपरी स्थापित किये जाने के

उद्देश्य से पिपरी के विस्थापित और रिहन्द कालोनी के किरायेदारों को जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा बलपूर्वक उजाड़ा जा रहा है? क्या सरकार उक्त कार्यवाही पर रोक लगायेगी और जनपद का मुख्यालय पूर्ववत राबर्ट्सगंज में ही बनाये रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता। जनपद मुख्यालय स्थायी रुप से पिपरी में घोषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री द्वारा उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, उत्तर सुनाई नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, इस पर आश्वासन 20 तारीख को दिया जा चुका है।

श्री तीरथ राज–

मान्यवर, इसमें आश्वासन हो चुका है। मैं सहमत हूं आगे भी चर्चा का अवसर मिलेगा।

ग्राम सभा बढ़या विकास खण्ड निचलौल जनपद महाराजगंज में अपात्र व्यक्तियों को पट्टा किये जाने की शिकायत

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

*5– क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि विकास खण्ड निचलौल, जनपद महाराजगंज के ग्राम सभा बढ़या में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत घोषित 79 एकड़ अतिरिक्त भूमि में 50 एकड़ भूमि दुर्गा पयोनिधि एवं दुर्गा एग्रीकल्चर फार्म के नाम कर दी गयी है? क्या प्रश्नकर्ता की सूचना के अनुसार भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों में से दलित, भूमिहीन जनजातियों को पात्रता के आधार पर न करके जिला प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी के आधार पर उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नाम भूमि कर दी गयी है? क्या अवशेष 29 एकड़ भूमि को पात्र भूमिहीनों, खेतीहर मजदूरों को आवंटित न करके पुनः उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नाम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं। ग्राम सभा बढ़या में 175.36 एकड़ भूमि अंततः अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से 163.41 एकड़ भूमि का आवंटन 223 पात्र परिवारों को कर दिया गया है। शेष 11.95 एकड़ अकृषिक भूमि का निहितन ग्राम सभा में करने के लिए प्रस्तावित है। इस सम्बंध में जांच कराई जा रही है तथा इस बीच क्षेत्रीय लेखपाल श्री छोटेलाल को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था 79 एकड़ अतिरिक्त भूमि में 50 एकड़ भूमि दुर्गा पयोनिधि एवं दुर्गा एग्रीकल्चर

फार्म के नाम कर दी गयी है। जो उत्तर है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि यह छुड़ाई गयी है। छोटे लाल को निलम्बित किया है वह किस आरोप में किया गया है। जितनी जमीन निकली है उसमें पट्टे दिये गये। आज भी अभिलेखों में नाम हैं किस अधिकारी के आदेश पर नाम दर्ज हुए हैं। लेखपाल, भू-निरीक्षकों द्वारा भूमि स्वामियों के साथ इसमें सांठगांठ की गयी, उसमें से कई 12 साल से ज्यादा से वहां कार्यरत् है। मान्यवर, इसमें फर्जी कार्य हुआ है हेराफेरी हुई है। क्या उसकों दिखवायेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने इच्छा जाहिर की है इस सम्बन्ध में जो जमीन पट्टे में दी गयी है...

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि क्या इस संस्था के नाम से जमीन दी गयी है या नहीं?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, उक्त संस्था उस परिवार से संबंधित है। खातेदार की 42.62 एकड़ भूमि पर 4 काबिजों के नाम अंकित है जो सम्बंधित फार्म के परिवार से संबंद्ध हैं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विरोधाभास है। मान्यवर इसमें कुछ अभिलेखों में हेराफेरी हुई है। सीलिंग का उद्देश्य जो है वह है बचत की भूमि को दलितों और गरीबों में बांटना। वह भूमि जो दर्ज है वह किस रुप में दर्ज हुई है जो 79 एकड़ भूमि सीलिंग में आई उसका वितरण कैसे हुआ लेखपाल को जो निलम्बित किया है तो उससे यह ध्वनि निकलती है कि इसमें कुछ हेरा फेरी हुई है। यह बताया गया कि 42.62 एकड़ भूमि पर चार लोगों के नाम हैं। मान्यवर इसमें खातों में हेरा फेरी करके यह कार्यवाही हुई है।

....तो सारे प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही सुनिचित करेंगें?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, लेखपाल द्वारा 42.62 एकड़ भूमि की अमल दरामद की प्रक्रिया पर नियम विरुद्ध कार्यवाही करने पर उप जिलाधिकारी निचलौल द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। चकबन्दी करवाने की अमलदरामद सहायक चकबन्दी अधिकारी तहसील मुख्यालय आकर अमलदरामद की कार्यवाई अभिलेखों में करते हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं आपने स्वीकार कर लिया कि गलत हुआ और आपने लेखपाल को सस्पेन्ड कर दिया। प्रक्रिया में तो यह है कि लेखपाल प्रस्ताव भेजेगा और उसका परिवाद उप जिलाधिकारी करेगा। उप जिलाधिकारी ने गलत काम को एप्रूव्ड कर दिया तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाई करेंगे? जो जमीन गरीबों को नहीं मिली और सरप्लस घोषित कर दी, तो वह गरीबों में कब तक बांट दी जायेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, सीलिंग की प्रक्रिया के अन्तर्गत एक परिवार को 18 एकड़ जमीन उसके पास रखने का प्राविधान है। उसमें यह भी है कि अगर व्यस्क परिवार है तो उसको उसके अंतर्गत रखने का प्राविधान है। जो 54 एकड़ जमीन दर्शायी गयी है वह इसी से संबंधित है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने यह जानना चाहा है कि आवंटन की प्रक्रिया में जो प्रस्ताव तैयार

करता है उसका अनुमोदन एस०डी०एम० द्वारा होता है तो उन्होंने यह जानना चाहा है कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गयी? जो मूल उत्तर है उसके अंत में देखें उसमें यह कहा गया है कि इस संबंध में जांच चल रही है और इस बीच लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया। जब जांच चल रही है और स्पष्ट आश्वासन आ गया है तो जो भी इसमें दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाई की जायेगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

जब लेखपाल को दोषी पा लिया गया तो फिर जांच का क्या औचित्य रह जाता है?

श्री अध्यक्ष–

जांच के दौरान निलम्बित कर दिया गया। अभी जांच चल रही है और जांच सुचारु रुप से चले इसके लिए उन्हें निलम्बित किया गया।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक आरोप नहीं लगाया जाये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में आखिर में यह निवेदन किया गया है कि इस सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है और यह स्पष्ट आश्वासन बन गया। जांच के दौरान लेखपाल को निलम्बित किया गया। जांच चल रही है यह स्पष्ट आश्वासन हो गया इस जांच के दौरान जो भी दोषी आगे पाये जायेंगे चाहे वह कोई अधिकारी ही क्यों न हो, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यह मूल प्रश्न की मंशा भी है और मैं कहे भी देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ में लाइब्रेरियन के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

*6– श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि (अनु०)–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ में लाइब्रेरियन का एक पद स्वीकृत है? क्या यह भी सही है कि श्री जी०आर० गौतम पुस्तकालय का कार्य कई वर्षों से देख रहे हैं और लाइब्रेरियन की पूरी अर्हता रखते हुए भी उनकी उक्त पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या श्री गौतम ने इस पद पर अपनी नियुक्ति हेतु कई बार अनुरोध किया है किन्तु नियुक्ति नहीं की गयी है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है? इसमें विलम्ब के लिये कौन दोषी है? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्या श्री गौतम की उक्त पद पर पूर्व से जब से उनकी अर्हता पूरी है नियुक्ति देकर उनके वेतन का एरियर का भुगतान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम पाल–

जी हां।

जी हां। श्री जी०आर० गौतम मूलतः कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त रहते हुए पुस्तकालय का कार्य देख रहे हैं। चूंकि यह कनिष्ठ लिपिक हैं अतएव लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

इस पालीटेक्निक में पुस्तकालयाध्यक्ष का जो पद स्वीकृत है उसका वेतनमान भी रु० 950-1500 है तथा श्री गौतम द्वारा धारित पद का वेतनमान भी रु० 950-1500 है अतएव प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां की मछुवा समुदाय के लोगों को दिये गये तालाबों के पट्टे की जानकारी

* 7 - श्री अक्षयवर भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर, तह० पुवायां में मछुवा समुदाय के लोगों को कितने तालाबों के पट्टे दिये गये हैं तथा कितने तालाब अवशेष हैं? पट्टा देने में स्थिरता क्यों है? क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर मछुआरों को पट्टा देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत ग्राम में मछुआ समुदाय के लोगों को 365 तालाबों के पट्टे किये गये तथा 29 तालाबों के पट्टे होने शेष हैं।

पात्र व्यक्तियों के समयानुसार पट्टा देने की कार्यवाही की जाती है।

जुलाई, 1995 में विशेष अभियान चलाकर 16 व्यक्तियों को 19 तालाबों का आवंटन किया गया जिसमें 14 आवंटी मछुवा समुदाय के तथा 2 आवंटी अनुसूचित जाति के हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाता हूं कि यह जो उत्तर मिला है, इसमें अत्यन्त विरोधाभास है। एक ग्राम में 365 पट्टे दिये गये हैं और पूरे जिले में विशेष अभियान चलाकर 16 पट्टे दिये गये हैं...

श्री अध्यक्ष–

यदि माननीय सदस्य को विरोधाभास या गलती नजर आती है तो संगत नियमों के तहत लिखकर दे दें, मैं दिखवा लूंगा।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, जो उत्तर आया है, वह पता नहीं, पूरे जिले का है या संबंधित ग्रामों का। किसी ग्राम में 365 तालाब हो ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भारती जी, प्रश्नगत ग्राम में मछुवा समुदाय के लोगों को 365 पट्टे दिये गये हैं, आप तहसील और जिला कैसे समझ रहे हैं?

श्री अक्षयवर भारती–

मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि यह शासन की तरफ से लापरवाही की जा रही है, मछुवारों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। मेरा उद्देश्य पूरे प्रदेश से है।

श्री राजेन्द्र कुमार–

आप अलग से सवाल पूछ लीजियेगा, मैं परीक्षण करा लूंगा।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, लगता है, आप इस प्रश्न की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यदि जवाब देने में त्रुटि बरती गई है या गलत उत्तर दिया गया है तो आप संगत नियमों के तहत लिखकर दे दें।

श्री अक्षयवर भारती–

वह तो हम करेंगे, लेकिन लापरवाही क्यों की जा रही है और उत्तर तोड़-मरोड़कर क्यों दिये जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वह लिखकर दे दें, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, कई रिम कागज खर्च हो गये, बंडल के बंडल पड़े हैं, मछुवारों की भीड़ लगी है और शासन की मंशा के अनुरुप पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं, लगता है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है या तो मंत्री जी की पकड़ नहीं है, या शासन की पकड़ नहीं है, मछुवारे मार खाते जा रहे हैं, मंत्री जी, कृपया मछली खा कर आया करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, यदि इस सवाल से संबंधित कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो, तो वह पूछें।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, सरकार ने नियम बना दिया कि उससे संबंधित अधिकारी कहते हैं कि पूर्व से पट्टा है, जब समाप्त होगा, तब मछुआरों को मिलेगा, क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष–

आपने जो पूछा है वह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है, यदि माननीय मंत्री जी जबाव देना चाहें तो दे दें।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि तहसील पुवायां, शाहजहांपुर में अब तक 8–10 पट्टे मछुआरों को दिये गये हैं और कई सौ आवेदन पत्र पड़े हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मछुआरों के कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और उन पर कब तक कार्यवाही कर उनको पट्टे दे दिये जायेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जैसा कि माननीय सदस्य जी ने इच्छा जाहिर की है, मेरा साफ कहना है कि अगर इस तरह का प्रकरण प्रकाश में आता है तो जांच करवाकर यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि मछुआरों को पट्टे दिये जाने के संबंध में कितने आवेदन लंबित हैं और उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अब तक पुवायां तहसील में 365 तालाबों के पट्टे किये गये हैं और 29 पट्टे होने शेष हैं। श्रीमन् माननीय सदस्य को संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह बात सही है कि माननीय सदस्य के एक गांव में 365 तालाब नहीं हो सकते और इसमें कहीं छपाई की त्रुटि है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। श्रीमन्, पूरे तहसील का उत्तर दिया गया है। माननीय सदस्य उसी क्षेत्र के हैं और अपने क्षेत्र में बारे में सतर्क रहते हैं, अब मात्र 29 पट्टे शेष हैं लेकिन माननीय सदस्य को अगर कोई ऐसी जानकारी है और वे पात्रता की श्रेणी में हैं, तो उनको भी पट्टा दिया जायेगा।

श्री मन्नू लाल कुरील–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि मछुआरों को पट्टा दिये जाने में विलम्ब किया गया है और जिन अधिकारियों ने विलम्ब किया उनको दोषी ठहराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय सदस्य पुवायां तहसील के बारे में ही प्रश्न कर रहे हैं?

श्री मन्नू लाल कुरील–

जी, मान्यवर। पुवायां तहसील के बारे में ही पूछ रहा हूं। मान्यवर, दूसरा क्या एक विशेष अभियान चलाकर मछुआरों को पट्टे दिये जायेंगे, क्योंकि काफी विलम्ब हो गया है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, विशेष अभियान चलाकर पट्टा देने हेतु 5, 12, 18 व 20 जुलाई को एक शिविर लगाया गया था, जिसमें कुल 19 तालाबों को आवंटन 16 व्यक्तियों के नाम हुआ जिसमें 14 मछुआ समुदाय के और 2 अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। श्रीमन्, विलम्ब की सूचना इस प्रश्न के उत्तर में नहीं आती है। जो यह प्रश्न आपने पूछा है कि कितने आवेदन रहे हैं और उसमें कितना विलम्ब रहा है तो माननीय सदस्य बता देंगे, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

वन संरक्षक प्रसार एवं जनसम्पर्क उ०प्र० लखनऊ द्वारा वन महोत्सव 1994 का किराया एवं संदेश प्रसारण न करने की शिकायत

* 8– श्री जगरनाथ चौधरी (अनु०)–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन महोत्सव 1994 के लिये मुख्य मंत्री, वन मंत्री, सचिव, वन द्वारा प्रदेश वासियों के नाम प्राप्त संदेश प्रसार एवं जनसम्पर्क उ०प्र० लखनऊ द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित क्यों नहीं कराया गया? क्या सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० द्वारा इसका कारण बजट संबंधी अभाव लिखित रुप में स्वीकार किया गया है? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान वन संरक्षक, प्रसार एवं जनसम्पर्क की कार्यशिथिलता, कर्तव्यहीनता और लापरवाही के कारण एक महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य मंत्री, वन मंत्री, सचिव, वन का प्रदेशवासियों को संदेश प्रसारित नहीं हो सका है? क्या शासन उक्त अधिकारी द्वारा की गयी लापरवाही पर कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम लखन वर्मा–

वन संरक्षक, प्रसार एवं जन सम्पर्क, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वन महोत्सव 1994 के लिए संदेश व विज्ञापन निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को भेजे गये थे। इन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का दायित्व सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का है।

जी नहीं। परन्तु वन संरक्षक, प्रसार एवं जन सम्पर्क, उ०प्र० लखनऊ द्वारा व्यक्तिगत रुप से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि धनाभाव के कारण विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की दी जाने वाले सहायता राशि की जानकारी

* 9- श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनु०)-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार/विश्व बैंक से प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वितरण हेतु सहायता/अनुदान धनराशि के रुप में लगभग तीन करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसे राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा माह मार्च, 1995 में कोषागार से आहरित भी कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि के वितरण हेतु विद्यालयों को चयनित किये जाने के मानक क्या हैं? क्या उक्त सहायता/अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 1994-95 में वितरित कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सहायता/अनुदान राशि प्राप्त करने वाले विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे? उक्त धन निर्धारित समय के अन्दर वितरित न किये जाने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर सरकार उन्हें दण्डित करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल-

जी नहीं। भारत सरकार/विश्व बैंक से इस विभाग के लिए कथित मद हेतु 1994-95 में कोई धनराशि समाज कल्याण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

* 10- श्री बालेश्वर त्यागी-

[14वें शुक्रवार में तारा० प्र० सं०-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराये जाने की मांग

* 11- श्री बदन सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव कब तक करवा दिये जायेंगे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों को क्षेत्रीय पंचायतें गठन करने में अधिकार प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इसकी रुपरेखा क्या होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

प्रदेश के मैदानी जनपदों में ग्राम पंचायतों के चुनाव अप्रैल, 1995 में कराये जा चुके हैं।

पर्वतीय जनपदों में ग्राम पंचायतों के चुनाव यथा शीघ्र कराये जायेंगे।

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज, अधिनियम 1947 (यथा संशोधित) में इस हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

श्री बदन सिंह–

प्रदेश के मैदानी जनपदों में पंचायतों के चुनाव अप्रैल, 1995 में कराये गये थे उस समय मान्यवर, पुराना शासन था। उस शासन ने अपने मनमाने ढंग से इसका परिसीमन करवाया था। अधिकारियों पर जबरदस्ती से दबाव डालकर के यह चुनाव के परिणाम हेराफेरी करके बदलवाये गये। इस हेराफेरी से जीतने वाले हार गये और हारने वाले जीत गये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन चुनावों को, अब तक पर्वतीय क्षेत्रों में चुनाव हुए नहीं हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों के साथ-साथ इन चुनावों की धांधलीबाजी को दूर करने के लिए पूरे प्रदेश के चुनाव फिर से करवाये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

फिर से चुनाव कराने की माननीय सदस्य की जिज्ञासा है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय सदस्य को जानकारी है कि विधि द्वारा किसी उम्मीदवार के निर्वाचित घोषित हो जाने के बाद किसी चुनाव को निरस्त करने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय को है जहां कहीं चुनाव में सरकारी तंत्र की कोई खामी है और बाहुबल का प्रयोग किया गया है उसकी बाबत अलग से ऐसे कई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हो रहे हैं। यह देखने के लिए कि कहां कहां सरकार के अधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनमें हम कार्यवाही करेंगे उन लोगों पर, जो दोषी हैं। लेकिन श्रीमन्, जहां तक दुबारा चुनाव कराये जाने का प्रश्न है, चुनाव में धांधलियां हुई हैं यह तो सक्षम न्यायाल ही पहले संस्तुति करेगा और अगर वह सक्षम न्यायालय चुनाव निरस्त करेगा उसके बाद श्रीमन्, चुनाव कराये जायेंगे। अलग से सरकार का चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने पुनः चुनाव कराने के लिए मना कर दिया हालांकि पुनः चुनाव कराने का औचित्य बनता है। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने चुनाव में हेराफेरी की है उनके खिलाफ शिकायत करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस चुनाव में जनता तथा जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि जिन-जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें आई हैं ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध शासन के द्वारा कार्यवाही कर दी गई है और किस प्रकार की कार्यवाही की गई है क्या उनका निलम्बन किया गया है या फिर उनका मात्र स्थानान्तरण किया गया है? यदि उनका निलम्बन नहीं किया गया है तो वह क्यों नहीं किया गया है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस प्रकार की जहां कहीं गलतियां बताई जाती हैं उनकी शिकायतें जनप्रतिनिधि और आम जनता से भी प्राप्त हो रही हैं और उन शिकायतों के बारे में प्रार्थना–पत्र जिलाधिकारी जो भी लिखा गया है। जहां कहीं जिलाधिकारी से नीचे के स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें हैं उनकी जांच के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया है और अगर जिलाधिकारी के विरुद्ध है तो वहां के आयुक्त को जांच हेतु लिखा गया है। परन्तु अभी तक अंतिम रुप से किसी भी मामले में सरकार के पास रिपोर्ट नहीं आयी है। सरकार के गठन के तुरन्त बाद ही इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी उनकी जांच चल रही है। अब तक निश्चित रुप से यह कहना कठिन है कि कौन दोषी पाया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में कहा है कि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, शासन उसको स्वीकार कर लेगा। मान्यवर, मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार स्वयं वादीगण है। वादी के रुप में उत्तर प्रदेश शासन वहां खड़ी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश शासन की नयी सरकार जो बनी है मायावती जी की। यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह महसूस करती है कि पंचायत चुनाव में धांधली हुई है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो उसने याचिका दायर कर रखी है उसे वापस लेने के लिए पेटीशन फाइल करेगी, सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जसवन्त सिंह धवन जी का जो फैसला है उसे स्वीकार कर उसके अनुरुप कार्य करेगी?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में मा० उच्चतम न्यायालय का कहीं भी जिक्र नहीं किया था। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उसमें उन्होंने पूछा कि पंचायती राज चुनावों में जहां-जहां धांधलियां हुई हैं, उन्हें देखते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के चुनावों को निरस्त कर नये चुनाव कराये जायेंगे। मैंने अपने उत्तर में कहा था कि अगर कहीं किसी क्षेत्र विशेष में, पंचायत विशेष में या किसी जिला विशेष में कहीं कोई धांधली हुई हो और हारे हुए उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया हो तो प्रभावित व्यक्ति सक्षम न्यायालय जायेगा। अगर सक्षम न्यायालय उस क्षेत्र विशेष के चुनाव को निरस्त कर देता है तो उसका चुनाव कराने का अधिकार हमको है परन्तु अधिनियम में उत्तर प्रदेश शासन को दुबारा चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर काफी स्पष्ट है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पंचायतों के गठन तथा उनका जो स्वरुप था, उसके बारे में 400–500 याचिकायें सम्मानित उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने पूछा था कि जस्टिस धवन का जो निर्णय हुआ था कि जो गांव सभाओं का स्वरुप है, उसके पुराने स्वरुप को ही रखा जाय। जो स्वरुप इस समय रखा गया है, उससे तो हम पंचायतों के बुनियादी स्वरुप की रक्षा नहीं कर पायेंगे और जो उसका उद्देश्य है, उसकी डिफीट हो जायेगी। इसलिए क्या सरकार इस परिपेक्ष्य में, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीसन फाइल की गई है, उसे वापस लेकर जस्टिस धवन द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री पाल जी, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, क्या उस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सरोकार है?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बिल्कुल संबंध है। पंचायतों के स्वरुप की बात मूल प्रश्न में कही गई है। मैं भी पंचायतों के स्वरुप की ही बात कर रहा हूं। पंचायती राज चुनावों में व्यापक रुप से धांधलियां हुई हैं और उनकी शिकायतें भी प्रकाश में आ रही हैं। चुनावों को निरस्त करने की बात आप न्यायालय पर छोड़ दे रहे हैं। आपकी बात भी ठीक है। जो अनियमिततायें हुई हैं और जो उसमें दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध आप कार्यवाही भी करेंगे परन्तु पंचायती राज की जो मूल व्यवस्था थी और जो उद्देश्य था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक धरातल पर पहुंचाया जाय, आज उसका स्वरुप बिगड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो। एक गांव को तीन-तीन किलोमीटर दूर के गांवों से जोड़ दिया गया है। जस्टिस धवन ने तत्कालीन सरकार को जो निर्देश दिये थे, उन निर्देशों का तत्कालीन सरकार ने पालन नहीं किया तो क्या वर्तमान सरकार सम्मानित उच्च न्यायालय द्वारा दिये

गये उस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई फैसला सरकार करेगी या फिर नये सिरे से इस पर पुनः विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष–

वैसे यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, श्री पाल जी ने जो बात कही है, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जिस फैसले का उन्होंने जिक्र किया है उसको बगैर सम्यक रुप से पढ़े, यहां पर इस समय कोई उत्तर देना समीचीन नहीं होगा।

श्री राजा राम त्यागी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि पिछली सरकार में पंचायती राज चुनावों में धांधलियां हुई थी और यह भी कहा कि जिलाधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायत पर हम संबंधित आयुक्त से जांच करा रहे हैं और जिलाधिकारी से नीचे के अधिकारी के विरुद्ध अगर शिकायत है तो उसकी जांच जिलाधिकारी से करा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जांच होती रहेगी और अगला चुनाव आ जायेगा। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि इस समायावधि तक जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिये ताकि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, शासन के विचार में यह था कि कोई समय सीमा निर्धारित की जाय। परन्तु सम्मानित जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसलिए इसमें समय सीमा निर्धारित करना शासन ने उचित नहीं समझा। अभी भी शिकायतें आ रही हैं और संबंधित अधिकारियों से उनकी जांचें करायी जा रही हैं।

....माननीय सदस्य सहमत होंगे अतिशीघ्र उस सीमा को निर्धारित करने और आगे प्रार्थना-पत्र नहीं लिये जाएं कदाचित यह उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल माननीय बदन सिंह जी का है तो आखिरी सवाल वह कर लें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, सवाल के दूसरे अंश में मैंने पूछा है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों को क्षेत्रीय पंचायतें गठन करने में अधिकार प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी जिसका उत्तर दे दिया कि नहीं करेगी? तो मैं

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आखिरी सवाल पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

आखिरी प्रश्न कर लें।

श्री बदन सिंह–

ग्राम पंचायत का प्रधान क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकेगा। तो क्या उसे बी०डी०सी० के अन्य सदस्यों की तरह से उसकी कार्यवाही को प्रभावित करने और मतदान करने का अधिकार होगा?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243–ग के खण्ड– 5 के उपखण्ड (ख) में यह प्राविधान है–"मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा इसके अनुसार क्षेत्र पंचायत का प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जा सकता है। वैसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन खण्ड (ब्लौक) में समाविष्ट सभी ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं।"

संविधान के उपबंधों को देखते हुए राज्य सरकार को कोई भिन्न व्यवस्था करने का अधिकार नहीं है। अतः ग्राम प्रधानों को क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों को चुनने या हटाने का अधिकार नहीं है। क्षेत्र समिति की बैठक में उनके परामर्शों से लाभ मिलेगा लेकिन प्रमुख हटाने का अधिकार नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त।

उत्तर प्रदेश राज्य में कश्मीर से आये विस्थापितों की संख्या की जानकारी

*12 श्री राजीव कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कश्मीर से आये हुए कुल विस्थापितों की संख्या कितनी है? क्या शासन स्तर से उक्त विस्थापितों को जीवन यापन की कोई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

श्री श्रीराम पाल–

60 जनपदों की प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कश्मीर से आये कुल विस्थापित परिवारों की संख्या–807 है।

जो परिवार जम्मू कश्मीर से 1 जनवरी, 1990 या उसके बाद विस्थापित होकर प्रदेश में आये हैं, उनके भरण–पोषण, आवास, चिकित्सा वस्त्र तथा औषधि प्रयोजन के लिए 750/– रु० प्रति परिवार प्रतिमाह सहायता उपलब्ध कराने का नियम है। उक्त के अतिरिक्त इनके रोजमर्रा वस्तुओं को क्रय करने के लिए एकमुश्त 1500/– रु० की सहायता एक बार अलग से दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं द्वारा चलाये जो रहे शिक्षा संस्थाओं को, ग्राम सभाओं की भूमि आवंटित करने की मांग

*13 श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये गैर सरकारी

नोट:– नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे या प्रस्तावित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक या महाविद्यालयों को ग्राम सभाओं की भूमि उपलब्ध कराने के लिए उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198 में संशोधन करके ग्राम सभा की भूमि विद्यालयों को आवंटित करने में प्रथम वरीयता देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं। विद्यालयों को भूमि देने के लिए धारा–198 (1) में संशोधन करने का औचित्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा–117 (6) के अन्तर्गत उन्हें पुनर्ग्रहण करके भूमि देने की व्यवस्था विद्यमान है।

काशी विद्यापीठ मण्डल, वाराणसी के लालबत्ती क्षेत्र की अनाथ एवं उपेक्षित महिलाओं के कल्याण हेतु योजनाओं की जानकारी

*14 श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी विद्यापीठ मण्डल, वाराणसी के लालबत्ती क्षेत्र से पिछले एक वर्ष में कितनी महिलाओं का उद्धार किया गया? उनके पुनर्वास के लिये क्या व्यवस्था की गयी? इन क्षेत्रों में रहने वाली असहाय एवं उपेक्षित इन महिलाओं के रोजगार तथा कल्याण हेतु सरकार के पास क्या कोई योजना है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? वह कब तक लागू हो जायेगी?

श्री श्रीराम पाल–

काशी विद्यापीठ मण्डल, वाराणसी के क्षेत्र में लालबत्ती क्षेत्र ग्राम शिवदासपुर आता है जिसमें पिछले एक वर्ष में 4 छापे डालकर 20 महिलाओं का उद्धार किया गया।

इन महिलाओं को बहुत अल्प अवधि में ही न्यायालय द्वारा जमानत/मुचलके पर सशर्त मुक्त कर दिया गया, अतः इनके पुनर्वासन की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी।

जी हां।

असहाय एवं निराश्रित/उपेक्षित महिलाओं को स्वालम्बी तथा रोजगार प्राप्त कराने हेतु विभाग द्वारा 5 निराश्रित महिला कर्म-शालायें संचालित है जिनमें इन महिलाओं को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भोजन एवं आवास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

योजना लागू है।

ग्राम पंचायत गौरा विकास खण्ड बदलापुर जनपद जौनपुर में स्वीकार की गयी किसान पेंशन

*15–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर में किन किसानों को माह फरवरी, 1995 तक किसान पेंशन स्वीकार की गयी है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त गांव का सर्वेक्षण कराकर किसानों को पेंशन स्वीकार कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्रीराम पाल–

प्रश्नगत ग्राम सभा में फरवरी, 1995 तक एक व्यक्ति को वृद्धावस्था/किसान पेंशन स्वीकार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वेक्षण/जांचोपरांत किसान पेंशन की पात्रता परिधि में पाये गये तीन अवशेष व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति प्रक्रियान्तर्गत है।

अतारांकित प्रश्न

वन विभाग द्वारा 26 जनवरी, 1995 को गणतंत्र दिवस पर निकाली गई झांकी पर व्यय का विवरण

1-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1995 को निकाली गयी लखनऊ की झांकी पर कुल कितना धन व्यय किया गया? गत पांच गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा लखनऊ में निकाली गयी प्रत्येक झांकियों का व्यय क्या था? क्या शासन वर्ष 1995 में गणतन्त्र दिवस पर निकाली गयी झांकी पर किये गये भारी व्यय की जांच करायेगी? क्या सरकार दोषी पाये जाने पर अधिकारी वन संरक्षक, प्रसार एवं जनसम्पर्क के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा-

वन विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1995 को लखनऊ में निकाली गई झांकी पर रु० 43,700 मात्र व्यय किया गया।

गत पांच गणतंत्र दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा लखनऊ में निकाली गयी प्रत्येक झांकियों का व्यय इस प्रकार है:-

1- वर्ष 1990-91 रु० 22,900.00
2- वर्ष 1991-92 रु० 23,500.00
3- वर्ष 1992-93 रु० 16,286.00
4- वर्ष 1993-94 में झांकी नहीं निकाली गई।
5- वर्ष 1994-95 रु० 43,700.00

स्वतंत्रता दिवस पर झांकी का आयोजन नहीं किया जाता है।

झांकी वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कोटेशन प्राप्त कर बनवायी गई थी, अत: जांच की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है, अत: उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक प्रसार एवं जनसम्पर्क उत्तर प्रदेश के कार्यालय में उर्दू भाषा में कार्यालय बोर्ड न लगाये जाने की शिकायत

2-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समस्त सरकारी विभागों के मुख्यालयों पर उर्दू भाषा में कार्यालय बोर्ड लगाये जाने का शासन ने निर्देश दिया है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी अवगत हैं कि वन विभाग के वर्तमान वन संरक्षक प्रसार एवं जनसम्पर्क उ०प्र०, लखनऊ ने अपने कार्यालय बोर्ड को उर्दू भाषा में नहीं लिखने का मौखिक निर्देश दे रखा है? क्या मुख्य मंत्री जी मामले का भौतिक सत्यापन कराकर इस तथ्य की जानकारी करायेंगे कि वन मुख्यालय स्थित सभी कार्यालयों की नाम तख्तियां, उर्दू भाषा में लिखी गयी? किन कारणों से मुख्यालय स्थित वन संरक्षक, प्रसार एवं जनसम्पर्क कार्यालय को छोड़ दिया गया? क्या शासनादेश की जानबूझकर अवहेलना कर रहे उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

इस प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये।

शासन के निर्देशानुसार वन विभाग मुख्यालय स्थित सभी कार्यालयों पर नाम तख्तियां उर्दू व हिन्दी भाषा में लिखी गई हैं जिनका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

वन संरक्षक, प्रसार एवं जनसम्पर्क कार्यालय पर भी बोर्ड हिन्दी व उर्दू में लिखा गया है।

वन संरक्षक, प्रसार एवं जन सम्पर्क द्वारा शासनादेश की अवहेलना नहीं की गयी है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

3–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

4–श्री राम अचल राजभर–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद सुल्तानपुर निवासी ग्राम कचनाव के श्री मंहगू दास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण स्व० गुरुचरन की उनकी पैत्रिक भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

5–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मंहगू दास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण स्व० गुरुचरन, निवासी ग्राम कचनाव, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर का अपनी पैतृक भूमि पर कब्जा दिलवाने विषयक रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की संस्तुति के साथ दिनांक 11-3-92 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश शासन और पत्रांक 398/भा०ज०पा०/92/31/3/92/3/4/92/4/4/92 को सन्त श्री राम द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र मा० राजस्व मंत्री, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कब्जा दिया गया? अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मामले में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा विस्तृत जांच कराई जा रही है।

होली व ईद के त्योहार हेतु अग्रिम व्यवस्था को वन विभाग में लागू न किये जाने की शिकायत

6–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में प्रमुख सचिव, वित्त के द्वारा जारी शासनादेश द्वारा राज्य के समस्त स्थायी राज्य कर्मचारियों को होली व ईद हेतु त्योहार अग्रिम की व्यवस्था की गयी थी? यदि हां, तो क्या वे अवगत हैं कि वन विभाग के कार्यालय प्रसार एवं जनसम्पर्क, उ०प्र० लखनऊ में त्योहार अग्रिम संबंधी उक्त शासनादेश ईद पूर्व प्राप्त हो जाने के बावजूद इस कार्यालय के समस्त अल्पसंख्यक स्थायी कर्मचारियों को ईद पूर्व त्योहार अग्रिम नहीं दिया गया? क्या यह सही है कि उक्त वन संरक्षक प्रसार एवं जनसम्पर्क, उ०प्र० लखनऊ ने जानबूझकर शासनादेशों का पालन ईद के पूर्व नहीं किया? शासन इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

जी नहीं। वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क कार्यालय लखनऊ में त्योहार अग्रिम अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र दि० 4.3.95 को प्राप्त हुये तथा दिनांक 5.3.95 को रविवार होने के कारण दिनांक 6.3.95 को त्योहार अग्रिम स्वीकृत करके भुगतान किया गया है। ईद का त्योहार दिनांक 3-3-95 को था।

जी नहीं। प्रार्थना-पत्र समाप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही करके भुगतान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० के शासनादेश का अनुपालन न होने के सम्बंध में जानकारी

7–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० के पत्रांक–ई–1622/10-30-1, दिनांक 25-11-94 के प्रस्तर तीन में उल्लिखित विवरण शासनादेश संख्या 3822/14-3-94 वन अनुभाग–3 दिनांक 5-5-94 के प्रस्तर 3, 5 व 14 का अनुपालन न होने का कारण क्या है? क्या चालू वर्ष में वन विभाग मुख्यालय स्थित सभी कार्यालयों में उसका अनुपालन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

शासनादेश सं०–3822/14-3-94- वन–3, दिनांक 5.5.94 का अनुपालन किया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

8–श्री मित्रसेन यादव–

[दि० 20.7.95 को अता०प्र०सं०–163 द्वारा उत्तरित]

ग्राम सभा सफे परगना जामो जिला सुल्तानपुर द्वारा अनियमित पट्टा करने की शिकायत

9–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी को संबोधित सीताराम पासी व शिवकुमार मौर्य ग्राम सभा सफे परगना जामो, सुल्तानपुर का दिनांक 27-8-93 का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र सहित जिसमें ग्राम में हुए आवासीय व कृषि भूमि पट्टे में पात्रता सूची न बनाने, ग्राम सभा के सदस्यों प्रधान के पारिवारिक संबंधियों व मृतक अपात्रों को पट्टा देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है जिसकी जांच इससे पूर्व नायब तहसीलदार ने की थी? क्या उक्त रिपोर्ट के बावजूद भी पट्टे का कार्य पूरा कर दिया गया? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा की गयी? जांचोपरान्त क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

किन्तु अन्य प्रार्थना पत्र पर जांचोपरान्त 16 व्यक्तियों के पट्टे निरस्त करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दोषी लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है।

जनपद बांदा के ग्यारह गांवों में हुए पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

10–श्री मुरलीधर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अनुभाग–2 द्वारा दिनांक 16–3–94 को जनपद बांदा में 11 गांव के पट्टेदारों को कब्जा दिलाने संबंधी आदेश भेजे गये थे? यदि हां, तो जिलाधिकारी बांदा ने दि० 31–3–94 को विशेष पत्रवाहक द्वारा कोई कब्जा दिलाये जाने संबंधी पत्र शासन को भेजा है? यदि हां, तो क्या शासन ने दि० 27 व 28 अगस्त, 1994 को उक्त 11 गांव की स्थानीय जांच करायी है? क्या उसमें जिलाधिकारी की रिपोर्ट असत्य पायी गयी है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।
जी हां।
जी हां।
अंशतः त्रुटिपूर्ण पाई गई।

जनपद बांदा के प्रश्नगत 11 गांवों में आवंटन/कब्जा के सम्बन्ध में कराई गई जांच के उपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। उक्त 11 गांवों में 2277 आवंटियों में से अब केवल 38 को कब्जे दिलाने का कार्य अवशेष है जिनके मामले न्यायालयों में विवादित है।

वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क कार्यालय लखनऊ में हिन्दी भाषा में कार्य न करने की शिकायत

11–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा हिन्दी में समस्त राजकीय कार्य करने संबंधी शासनादेश उ०प्र० के सभी विभागाध्यक्षों को निर्गत किया गया है? यदि हां, तो वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क कार्यालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा राजकीय कार्यों हेतु अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का क्रय शासकीय धन द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्या शासन की भाषायी नीति को क्षति पहुंचा रहे संबंधित अधिकारी के विरुद्ध शासन को कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन अपनी भारतीय भाषा विकास नीति के अन्तर्गत अंग्रेजी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों पर राजकीय धन व्यय कर शासकीय कार्य किये जाने हेतु कार्यालय प्रसार एवं जनसम्पर्क, वन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को निर्देश देगा?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

वन विभाग के प्रसार एवं जन सम्पर्क कार्यालय, उ०प्र० द्वारा पत्र एवं पत्रिकाओं का क्रय वानिकी से संबंधित एवं अन्य विषयों की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये किया जाता है। वानिकी विषय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है, उससे संबंधित नवीनतम जानकारी हेतु अंग्रेजी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का क्रय किया जाना आवश्यक है। शासन की भाषायी नीति को क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की वानिकी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रिकायें अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं अतः कार्यालय प्रसार एवं जन सम्पर्क को सामान्य उपयोग के लिये इन पत्रिकाओं को क्रय करना पड़ता है। इनके आधार पर जनोपयोगी प्रचार सामग्री हिन्दी में बनाकर प्रचारित/प्रसारित की जाती है।

वन विभाग में तृतीय श्रेणी के कतिपय पदों की सेवा नियमावली एवं सेवा संवर्ग न बनाये जाने तथा उनके नियमित न होने की शिकायत

12-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में तृतीय श्रेणी के ऐसे कौन-कौन से पद हैं, जिनकी सेवा नियमावलियां तथा सेवा संवर्ग अब तक नहीं बनाया गया है? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वन विभाग में ऐसे अनेक तृतीय श्रेणी के पद हैं जिनकी सेवा नियमावलियां व सेवा संवर्ग न बनने के कारण वे लगभग 25 वर्ष की सेवा के बाद उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? क्या शासन वन विभाग को यह निर्देश देगा कि वह अपने विभाग में उपलब्ध प्रोन्नति के अवसरों में ऐसे सेवा संवर्ग के कर्मचारियों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे उनकी भी पदोन्नति वन विभाग के उपलब्ध कैडर में हो सके? यदि हां, तो कब तक?

श्री रामलखन वर्मा-

तृतीय श्रेणी के ऐसे 44 पद हैं जिनकी सूची संलग्न हैं।

जी हां।

शासनादेश सं०-वे०आ० 1-166/दस-12 (ए म)/95, दि० 8.3.95 के अनुसार 8 वर्ष तथा 20 वर्ष पर उसी वेतनमान में एक वेतनवृद्धि तथा 14 वर्ष व 26 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान अनुमन्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' के आगे पृष्ठ 170 पर)

ग्राम सभा बढ़या रहतमाली, जनपद महराजगंज की मतरुफ भूमि को पांच लोगों को आवंटित किये जाने की मांग

13-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बढ़या रहतमाली, जनपद महाराजगंज में रकबा नं० 797 जो राजस्व अभिलेखों के खतौनी में है उसमें किसी के नाम से अंकित नहीं है? क्या ऐसी भूमि मतरुफ की श्रेणी में आती है जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि ग्रामीण पात्र भूमिहीनों, दलितों, अनुसूचितों में आवंटन कराने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम भमौरी तथा भारत खण्ड परगना बिलपुर तहसील निचलौल जनपद महराजगंज में भूमि सम्बंधी शिकायत देने की जानकारी

14-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वार्षिक खतौनी, ग्राम भमौरी तप्पा भारत, खण्ड परगना बिलपुर, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज के खाता सं० का सन् 1395 फसली से सन् 1400 तक का जो हल्का लेखपाल द्वारा वार्षिक खतौनी जारी किया गया है, में कुल 92 खाते में 173=006 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खाता सं० 3 में भिन्न-भिन्न परिवार/जाति अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, अग्रवाल, लाला, बनिया, मारवाड़ी आदि लोगों के नाम

अंकित करके, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम साठ का उल्लंघन करते हुए भूमि को बचाया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नम्बरान में अधिक से अधिक खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है? क्या राजस्व विभाग द्वारा पड़ताल करते समय आज तक मृतकों का नाम काटकर भूमि को मतरुख नहीं किया गया है? क्या सरकार ऐसी फर्जी बैनामी भूमि को अपने कब्जे में लेकर दलितों/भूमिहीनों में बंटवाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां। भू-स्वामी श्री पुरुषोत्तमदास पुत्र गब्बूदास (मृतक) के उत्तराधिकारियों श्रीमती मन्जुलारानी पत्नी कमलेस रमणदास (पुत्र-वधू) व इन्दिरा रमणदास पुत्र राधारमणदास व बृजरमणदास व रेवतीरमणदास पुत्री पुरुषोत्तमदास निवासी ग्राम अलीनगर शहर गोरखपुर की भूमि अतिरिक्त घोषित करने हेतु पत्रावली वर्ष 85-86 में जिलाधिकारी, गोरखपुर को भेजी जा चुकी है जो वर्तमान समय में नियत प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी, गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

जी हां। भूलेख निरीक्षक द्वारा परताल के समय जिन व्यक्तियों को मृत पाया गया, उनके स्थान पर उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिये गये हैं।

सक्षम न्यायालय के आदेशोपरान्त राज्य सरकार द्वारा कब्जे में ली गई भूमि का आवंटन नियमानुसार पात्र व्यक्तियों में करने की कार्यवाही की जायेगी।

15-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[चौथे बुधवार में अता० प्र० सं०–152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम पंचायत खेतरारी महराजगंज में भूमि आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतें

16-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत खेतरारी, महराजगंज में वर्ष 1993-94 में कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि को दलितों मजदूरों में बांटने हेतु लेखपाल द्वारा तीन पत्रावलियां बनायी गयी थी? यदि हां, तो क्या उन पत्रावलियों में कृषि योग्य भूमि को 103 व्यक्तियों को आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था और दूसरी पत्रावली में 18 नसबन्दी परिवारों को आवास हेतु प्रस्ताव भूमि आवंटन हेतु किया गया था? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में भू-निरीक्षक द्वारा उपरोक्त दोनों पत्रावलियों की स्वीकृति लम्बित करते हुए चुनाव आयोग की घोषणा में भू-आवंटन में प्रतिबन्ध 12-9-94 को लगाये जाने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के परिवार एवं भू प्रबन्ध समिति के सदस्यों 15 व्यक्तियों के नाम भू आवंटन की नयी पत्रावली बनाकर 14-9-94 को स्वीकृत कर भूमि आवंटित कर दी गयी है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित न करने में पाये गये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, ता क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों एवं लोक निर्माण विभाग के सड़कों के किनारे लगे फलदार वृक्षों की नीलामी की मांग

17-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्ग एवं लोक निर्माण विभाग के सड़कों के किनारे

स्थित फलदार पेड़ों के फलों की नीलामी से वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 में कितनी आय हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे लगे फलदार पेड़ों के फलों की नीलामी से प्रश्नगत वर्षों में वर्षवार निम्नलिखित आय हुयी:–

वर्ष	नीलामी से प्राप्त आय
1992-93	8,52,353.70
1993-94	12,91,451.10
1994-95	10,14,876.00
योग:–	31,58,680.80

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख सड़कों के किनारे लगे पेड़ों के काटने एवं नीलामी की मांग

18–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्गों एवं प्रमुख सड़कों पर स्थित पेड़ों के खराब होने के कारण काटने एवं नीलामी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी नहीं।

इसके लिये पहले से ही व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक ट्रक भार से कम प्रश्नगत पेड़ों का निस्तारण वन विभाग द्वारा किया जाता है तथा उससे अधिक पेड़ों का निस्तारण वन निगम के माध्यम से किया जाता है।

तहसील प्रांगण बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में भारतीय यूनियन द्वारा किये गये आमरण अनशन एवं मांगों के संबंध में विवरण

19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील प्रांगण बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात में भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 1994 से आमरण अनशन तथा 30 दिसम्बर, 1994 को किसान पंचायत की गयी? यदि हां, तो उनकी समस्यायें क्या थीं? उनका निदान सरकार द्वारा किस स्तर तक किया गया? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत अवधि में केवल आमरण अनशन किया गया किन्तु किसान पंचायत नहीं की गई।

उक्त अनशनकारियों ने कोई ज्ञापन या मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम सुकरहट के जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर अवैध कब्जे की प्रश्नकर्ता की शिकायत

20-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के ग्राम सुकरहट से जंगल की तरफ जाने वाले परिषद् मार्ग पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 8-4-94 को लिखित शिकायत अवैध कब्जा हटाने के संबंध में दी गयी है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में शिकायत के पश्चात् परगनाधिकारी, निचलौल, जनपद महराजगंज द्वारा स्थगन आदेश के पश्चात् ही परिषद् मार्ग पर कब्जादारों द्वारा भवन निर्माण करा लिया गया है? क्या सरकार परिषद् मार्ग पर हुए अवैध भवन हटवाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत का नहीं है, बल्कि ग्राम सभा का है। परगनाधिकारी निचलौल द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। मार्ग पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है।

परगनाधिकारी द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में वाद लम्बित है।

उत्तरी वन प्रभाग गोरखपुर के निचलौल रेंज के गेडहरुया बीट के रखरखाव के लिए वन रक्षकों की नियुक्ति की मांग

21-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी वन प्रभाग गोरखपुर के निचलौल रेंज के गेडहरुया बीट के रखरखाव के लिये वन रक्षकों की नियुक्ति एवं आवासीय व्यवस्था स्थाई है? क्या उसके बावजूद ही गेडहरुया बीट के पुरानी खैरा कीमती पेड़ों की अवैध कटान करके जंगल समाप्त कर दिया गया है? क्या खैरा के पेड़ जंगल में न रह जाने के कारण, तस्करों द्वारा वन विभाग के रक्षकों की मिली भगत से कीमती सागोन व पुराने जामुन के पड़ों की कटान अवैध रुप से जोरों पर किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश स्तर से रात्रि में जंगल तस्करों को पकड़ने हेतु छापा डलवाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

पुराने खैर के कीमती पेड़ों के अवैध पातन के मामले प्रकाश में नहीं आये, परन्तु छिटपुट रुप से सागौन, शीशम, गुटैल, सैमल आदि प्रजातियों के अवैध पातन के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं।

उत्तर गोरखपुर वन विभाग में राजपत्रित वनाधिकारियों के अधीन शस्त्र पुलिस बल तथा भूतपूर्व सैनिकों का बल जंगल तस्करों को पकड़ने हेतु प्रभावी गश्त करने एवं छापा डलवाने के लिये तैनात कर दिया गया है।

प्रश्नगत कार्यवाही कर दी गयी है।

महराजगंज जनपद के विकास खण्ड निचलौल एवं सिसवा में सीलिंग की भूमि का पट्टा किये जाने एवं कब्जा दिलाये जाने की मांग

22-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिसवा विधान सभा क्षेत्र, जनपद महराजगंज में विकास खण्ड-निचलौल एवं सिसवा में सीलिंग में कितनी एकड़ अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी है? घोषित भूमि में से कितनी एकड़ भूमि का आवंटन पात्रता के आधार पर किया गया है? क्या आवंटित भूमि का पट्टा जारी किया गया है? यदि हां, तो क्या पट्टाधारकों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया गया है? यदि नहीं, तो आज तक पट्टा धारकों को कब्जा न दिलाने का कारण क्या है?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्रश्नगत अतिरिक्त घोषित भूमि 2317-88 एकड़ है।

उपरोक्त अतिरिक्त घोषित सीलिंग भूमि में से 1179-97 एकड़ भूमि पात्रता के आधार पर 2266 पात्र परिवारों में आवंटित की गई है।

जी हां।

2199 आवंटियों को कब्जा दिलाया जा चुका है।

67 आवंटियों को 33.18 एकड़ भूमि पर न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका।

ग्राम सभा सबयां सिसवां बुजुर्ग खुर्द तथा कस्बा सिसवा की सीलिंग की भूमि को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम साठ के उल्लंघन की शिकायत।

23-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा सबयां सिसवा बुजुर्ग खुर्द तथा कस्बा सिसवा की सीलिंग की भूमि जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 60 के अन्तर्गत मानवेन्द्र सिंह आदि की फालतू घोषित की गयी थी और उस सीलिंग की भूमि के विरुद्ध वर्ष 90-91 में पूर्व विधान सभा सदस्य श्री जगदीश लाल ने लिखित शिकायत शासन में की थी तथा जिसकी जांच राजस्व परिषद् के अनुभाग 15 द्वारा करायी जा रही है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी महराजगंज को निरन्तर लिखा गया है, इसके बावजूद भी जांच आख्या जिलाधिकारी द्वारा न भेजे जाने पर आयुक्त राजस्व परिषद् के सीलिंग अनुभाग 15 ने आयुक्त मण्डल गोरखपुर को अपने पत्रांक दिनांक 61-71/92 सी० 55/92-93, दिनांक 18-3-94 को भेजकर जांच आख्या की मांग की है? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायती-पत्र की जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां। सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी के आदेश दिनांक 26.6.76 द्वारा श्री मानवेन्द्र सिंह की 3.05 एकड़ श्री शिवेन्द्र सिंह की 5.25 एकड़ श्री धर्मेन्द्र सिंह की 7.06 एकड़ भूमि सिंचित अर्थों में अतिरिक्त घोषित हुई थी, जिसके विरुद्ध खातेदारों ने अपील घोषित किया जो निरस्त हो गई। पुनः खातेदारों ने मा०उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। राज्य सरकार की ओर से दिनांक 24.5.88 को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है। रिट याचिका अभी लम्बित है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

उत्तरी वन प्रभाग गोरखपुर के निचलौल रेंज गेड़हरुया (गेड़हरुया जंगल) जंगल के सेन्चुरी के घोषणा के समय पेड़ों की संख्या का विवरण

24–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी वन प्रभाग गोरखपुर के निचलौल रेंज के गेड़हरुया (गेड़हरुया जंगल) जंगल के सेन्चुरी के घोषणा के समय कुल कितने पेड़ वन विभाग के अभिलेखों में अंकित किये गये हैं? वर्तमान समय में कुल कितने पेड़ जंगल में खड़े है? वन विभाग के अभिलेख में सेन्चुरी के समय कितने पेड़ अंकित थे? क्या वर्तमान समय में उतने पेड़ गेड़हरुया बीट के जंगल में खड़े हैं? यदि नहीं, तो खैरा, सागौन, जामुन कीमती वृक्षों का कटान किसके आदेश से किया गया है? यदि वृक्ष का कटान शासन की जानकारी में नहीं कराया गया है, तो क्यों? उक्त पेड़ जंगल में आज न पाये जाने का कारण क्या है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

सेन्चुरी घोषित करते समय क्षेत्र की विज्ञप्ति जारी की जाती है। वृक्षों की गणना नहीं की जाती है। अतः पेड़ों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

चूंकि सेन्चुरी घोषित करने के समय पेड़ों की गणना नहीं की जाती है, अतः पेड़ों की संख्या की पुष्टि सम्भव नहीं है।

जंगल की कुम्बिंग कराने पर कुल 130 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया, जिसमें से 22 पेड़ों के सम्बन्ध में अपराध-पत्र निर्गत हो गये थे, 4 पेड़ शवदाह हेतु काटा जाना पाया गया, जो इस हेतु अनुमन्य कुकाठ प्रजाति के थे। शेष 104 वृक्षों के अवैध पातन के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति में है। इन वृक्षों का कटान शासन के आदेशों से नहीं किया गया है।

अवैध कटान छुट-पुट तथा लघु प्रकृति का होने के कारण शासन को संसूचित नहीं किया गया।

शेष पेड़ जंगल में उपलब्ध है।

इसकी जांच पूर्व में ही करायी जा चुकी है।

मिर्जापुर जनपद के चकबन्दी से वंचित गांवों में चकबन्दी कराये जाने की मांग

25–डा० सुरजीत सिंह डंग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी क्षेत्र में चकबन्दी कराने का नया मानक/कारक हैं? मीर्जापुर जनपद के कोन (चील्ह) तथा लालगंज विकास खण्ड में किन-किन ग्रामों में चकबन्दी नहीं हुई है और क्यों? कब तक इन ग्रामों की चकबन्दी करा दी जायेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

किसी क्षेत्र में चकबन्दी कराने का विभागीय मापदण्ड यह है कि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लिये जाने वाले क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–3(2) से सम्बद्ध स्पष्टीकरण में वर्णित भूमि को पृथक करने के बाद चकबंदी मैनुअल के प्रस्तर–9–क के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 40% उपलब्ध होने पर ग्राम को चकबन्दी में सम्मिलित किया जाता है। कृषको की विशेष मांग पर 30% क्षेत्र उपलब्ध होने पर भी उसे चकबन्दी में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

विकास खण्ड कोन (चील्ह) के 20 ग्रामों में तथा लालगंज के 53 ग्रामों में चकबन्दी नहीं हुई है। इन ग्रामों की

नामवार सूची संलग्न है। इन ग्रामों मे विभागीय मापदण्ड के अनुरुप क्षेत्रफल न होने के कारण इनमें चकबन्दी प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकी।

कृषकों के पुनः अनुरोध किये जाने पर स्थल के सर्वेक्षण करने के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित मानक के अनुसार चकबन्दी के योग्य पाये जाने की दशा में इन ग्रामों में चकबन्दी प्रसार करने पर विचार किया जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ---173--- पर)

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् राजपत्रित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के विवरण आदि एवं शासनादेश की जानकारी

26-श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ०प्र० राजस्व परिषद् में राजपत्रित पदों पर कुल कितने अधिकारी कितने वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर है? प्रतिनियुक्ति संबंधी शासनादेश में वर्णित अधिकतम अवधि के उपरान्त भी उन्हें रोके रखने के कारण क्या हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार–

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश में केवल एक अधिकारी राजपत्रित पद पर दिनांक 20.3.1993 से प्रतिनियुक्ति पर है।

प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित शासनादेश में अधिकतम अवधि 5 वर्ष निर्धारित है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

उप जिलाधिकारी गौरीगंज सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 1.4.95 के बारे में जानकारी

27-श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री रतन नरायन ग्राम–नरौली, तह० गौरीगंज जिला सुल्तानपुर का दि० 1-4-95 का प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा की गयी? क्या जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र की जांच नायब तहसीलदार, गौरीगंज द्वारा की गयी है।

जी हां।

ग्राम सभा की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को पुलिस बल द्वारा ध्वस्त करा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

खेतिहर व्यक्ति के पुत्र को भूमिहीन मानकर पट्टा किये जाने के प्राविधान की जानकारी

28-श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम बनाया गया है कि यदि पिता जिन्दा है और

सारी सम्पत्ति उसके नाम है तो उसके लड़कों को भूमिहीन मानकर जमीन का पट्टा दिया जा सकता है? यदि हां, तो वह नियम क्या है? क्या सरकार उक्त नियम की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 इस बात का प्राविधान करती है कि ग्रामवासी भूमिहीन कृषक, मजदूर जो धारा 198 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता रखता हो, भूमि आवंटन के लिए पात्र होगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

विकास खण्ड सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के ग्राम सभा जगन्नाथपुर में अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत किये गये पट्टे की जानकारी

29–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के ग्राम सभा जगन्नाथपुर में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960 के अधीन अन्तरित अवधि के लिये 17 अनु० जाति व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी है? क्या आवंटित भूमि पर 17 वर्षों से पट्टा धारकों को कब्जा नहीं दिलाया गया है? क्या पट्टा धारकों से बिना भूमि जोते ही लगान वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सभी पट्टा धारकों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाकर दोषी संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत ग्राम सभा में अनुसूचित जाति के 6 एवं पिछड़ी जाति के 9 व्यक्तियों को दिनांक 28–12–80 को भूमि आवंटित की गयी।

कब्जा दिलाया गया था किन्तु चकबन्दी में चक परिवर्तन होने पर उनके कब्जे में पट्टे की भूमि नहीं रह गयी थी। पट्टेदारों द्वारा दिनांक 20–12–94 को दिये गये प्रार्थना पत्र के फलस्वरुप दिनांक 23–1–95 को कब्जा दिला दिया गया है।

1 जुलाई, 1991 से नियमानुसार असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को 3.125 एकड़ तक की जोतों को भूराजस्व के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है।

सभी आवंटियों को दिनांक 23–1–95 को कब्जा दिला दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री परमानन्द विजयानन्द पुत्र श्री प्रियानन्द निवासी वाराणसी के नाम ग्राम सभा बड़हरा, चरगहां किसान खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के पास सीमा से अधिक भूमि होने की शिकायत

30–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बड़हरा चरगहां विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के श्री परमानन्द विजयानन्द पुत्र श्री प्रियानन्द स्थाई निवासी वाराणसी उ०प्र० ने 400 एकड़ कृषि

योग्य भूमि को अपने जोत में रखा है? उक्त सह खाते में सदस्यों में से परमानन्द के नाम लगभग 14 एकड़ विजयानन्द के नाम 13.5 एकड़ मात्र दि० 4-6-94 को परगनाधिकारी, निचलौल की जांच आख्या में राजस्व भू-अभिलेखों में अंकित पाया गया है? क्या 27.5 एकड़ के अतिरिक्त भूमि अन्य नामों से राजस्व अभिलेखों में अंकित हे? क्या उन भू-स्वामियों को कहीं अता पता है? यदि नहीं, तो क्या ग्राम सभा बड़हरा चरगहां तथा अन्य सटे गांव के परिवार रजिस्टर एवं मतदाता सूची में उन लोगों का नाम अंकित है? क्या आवास करने का कोई प्रमाण पत्र पाया गया है? क्या ऐसे व्यक्तियों के नाम जमीन बचाने के दृष्टिकोण से फर्जी नाम अंकित किया गया है? क्या वह भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 172.5 एकड़ भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित करते हुए दलित मजदूरों भूमिहीनों में तत्काल बंटवाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां। ग्राम बड़हरा चरगहां में श्री परमानन्द पुत्र प्रियानन्द व विजयानन्द पुत्र कृष्णानन्द निवासी मधुमेश्वर शहर बनारस के परिवारों एवं गांव के अन्य 27 बेनामी खातेदारों की भूमि को मिलाकर सामूहिक रुप से 362.22 एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। खेतों पर अकेले इन्हीं लोगों का कब्जा है, बेनामी लोग ग्रामवासी दिखाये गये हैं जबकि वे उक्त ग्राम में नहीं रहते हैं। श्री परमानन्द के नाम 11.93 एकड़ एवं विजयानन्द के नाम 14.35 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है। मात्र एक बेनामी खातेदार पाचूं गोपाल बनर्जी का नाम परिवार रजिस्टर में अंकित है, जिसकी मृत्यु जनवरी, 1996 को होने का उल्लेख है। अन्य किसी खातेदार का नाम परिवार रजिस्टर या मतदाता सूची में अंकित नहीं है। श्री परमानन्द की 168.82 तथा विजयानन्द की 142.54 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित करने के लिए प्रस्तावित है। सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अतिरिक्त घोषित होने पर कब्जा लेने के बाद पात्र व्यक्तियों को आवंटन किया जायेगा।

31-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[5वें शुक्रवार में अता०प्र०सं०–66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के कतिपय गांव सभाओं में अधिकतम जोत सीमा की धारा 60 से अधिक भूमि होने की शिकायत

32-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के डोमा, बढ़या खास, झुलनीपुर, लेदी, गिरहिया आदि ग्राम सभाओं में उत्तर प्रदेश अधिकतमामा आदि के जरिये राजस्व अभिलेखों में प्रभावशाली लोगों के नाम अंकित करा कर अवैध कब्जा करते जा रहे हैं? क्या इसके संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत पर परगना अधिकारी, निचलौल ने 5-4-94 को टास्क फोर्स कमेटी बनाने तथा कानूनी राय के लिये अधिवक्ता नियुक्त करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी महराजगंज व मण्डलायुक्त, गोरखपुर द्वारा शासन को भेजी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल टास्क फोर्स कमेटी का गठन करने एवं उपरोक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम अमड़ा उर्फ झुलनीपुर व गिरहिया तथा बढ़या खास में क्रमशः 77.17, 82.81 व 42.36 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थीं। ग्राम डोमा व लेदी में सीलिंग के अन्तर्गत कोई भूमि घोषित नहीं थी। प्रश्न कर्ता द्वारा जांच समिति बनाये जाने हेतु दिनांक 21.12.93 को पत्र दिया गया, जिस पर परगनाधिकारी, निचलौल से जांच कराई गई। परगनाधिकारी की जांच आख्या दिनांक 13.4.94 में दिये

गये सुझाव पर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 10.5.94 द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

तहसील फरेदा जनपद महराजगंज के तहसील नजारत में चपरासी के पद पर नियुक्ति में की गयी अनियमितता

33-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि तहसील फरेंदा जनपद महराजगंज के तहसील नजारत में चपरासी पद पर दिनांक 18-3-91 को श्री घनश्याम दुबे को नियत वेतन पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये तैनात किया गया था? यदि हां, तो क्या तैनात कर्मचारी की विधि सम्मत बिना कार्यवाही किये ही सेवा से हटाकर उसी पर अपने रिश्तेदारों को नियम के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध सपा के पूर्व मंत्री माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने 3-1-94 को तथा सपा महराजगंज के जिलाध्यक्ष ने भी शासन में अवैध नियुक्ति के विरुद्ध शिकायत की है? यदि हां, तो शिकायती पत्र क्या है? क्या सरकार इस मामले में की गयी कार्यवाही को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां। दिनांक 18-3-91 से दिनांक 31-12-91 तक समय समय पर अल्प अवधि के लिए आवश्यकतानुसार तैनाती की गयी थी। नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर श्री घनश्याम दुबे की सेवायें स्वतः समाप्त हो गयी। उन्हें हटाया नहीं गया।

उक्त पद के विरुद्ध की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में केवल सपा के जिलाध्यक्ष का ही शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा अपने रिश्तेदार को सेवायोजित करने व श्री दुबे को हटाने की शिकायत की गयी है।

तत्कालीन परगनाधिकारी के विरुद्ध नियुक्ति विभाग द्वारा तथा तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध राजस्व परिषद द्वारा कथित अनियमितताओं के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सभा कड़हरा चरगहा विकास खण्ड निचलौल में एक राजा परिवार के विरुद्ध फर्जी नाम अंकित कराकर भूमि चोरी की शिकायत

34-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कड़हरा, चरगहा, विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज में पूर्व राजा परिवार के नाम से कुल लगभग 7 एकड़ जमीन राजस्व अभिलेखों में अंकित है? क्या यह सही है कि पूर्व राजा परिवार लगभग 68 एकड़ जमीन जोतते बोते चले आ रहे हैं? क्या यह भी सत्य है कि जोती जा रही भूमि लगभग 60 एकड़ ऐसे व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है जो लोग न तो बड़हरा के निवासी ही हैं और न मतदाता सूची में उनका नाम ही है? क्या परिवार रजिस्टर में उनका नाम है? यदि हां, तो क्या उन्होंने कभी भवन एवं विकास कर दिया है? क्या वे सभी नाम, भूमि बचाने के लिए फर्जी है? क्य उक्त बैनामी भूमि राज्य की सम्पत्ति में आती है? यदि हां तो क्या उक्त भूमि जो पूर्व राजा द्वारा जोत में रखी गयी है, को दलितों, मजदूरों, भूमिहीनों में तत्काल बांटने का निर्देश जिला प्रशासन को देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं। पूर्व राजा परिवार के सदस्यों क नाम कुल 96.45 एकड़ भूमि है।

श्री परमानन्द पुत्र राजा प्रियानन्द एवं विजयानन्द पुत्र कृष्णानन्द एवं उनके परिवार तथा बेनामी 27 खातेदारों के नाम ग्राम बड़हरा, चरगहां तहसील निचलौल में कुल 362.22 एकड़ भूमि है, जिस पर सामूहिक रुप से इनके प्रबन्धक द्वारा खेती की जाती है। खातेदार अभिलेखों में ग्रामवासी के रुप में अंकित हैं किन्तु वे ग्राम बड़हरा, चरगहां में नहीं रहते हैं और उनके नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। सक्षम न्यायालय से भूमि अतिरिक्त घोषित होने पर ही कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

ग्राम सभा बढ़या खास जनपद महराजगंज में गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा गलत दर्जनामा करने की शिकायत

35-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बढ़या खास, जनपद महराजगंज में लगभग 200 एकड़ जमीन 40 वर्षों से दलित अनुसूचित जाति/जनजाति, मुशहरों के जोत में है? क्या उक्त जमीन आज भी दलितों व अनुसूचित जातियों के कब्जे में है? क्या उसमें गन्ना की फसल बोई गई है, जिसकी पड़ताल गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा राजस्व अभिलेखों में कब्जेदारों के नाम न अंकित होने के कारण नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार कब्जे के आधार पर नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर गन्ना की आपूर्ति कराने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार—

ग्राम सभा बढ़या में ग्राम बढ़या एहतमाली, बढ़या मुस्तकील, बनकसिया एवं लक्ष्मीपुर सम्मिलित है। उक्त ग्रामों में श्री राधाकृष्ण खेतान (मृतक) वारिसान जगदम्बा आदि खेतान निवासी पड़रौना की 175.36 एकड़ भूमि नियत प्राधिकारी के आदेश दिनांक 12-5-94 द्वारा अतिरिक्त घोषित की गयी है।

जी हां। जिसमें से 163.41 एकड़ भूमि 223 पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई है।

सीलिंग अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटियों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करा दिये गये हैं। गन्ना आयुक्त, उ०प्र० के परिपत्र दिनांक 30-1-92 के अनुसार गन्ना आपूर्त्ति अनुबन्ध केवल उन्हीं कृषकों को किया जायेगा जिसके पास स्वयं की भूमि हो।

अब आवंटी भी अनुबन्ध के उपरान्त गन्ना आपूर्ति कर सकते हैं।

श्रीमती सोनी देवी निवासिनी ग्राम सभा पिपराइस्माइल तहसील मनकापुर जिला गोंण्डा को एक एकड़ पट्टा की गई भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

36-श्री वासुदेव सिंह तथा श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के छठे गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—1 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा परगना बूढ़ पायर तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पिपराइस्माइल की निवासी श्रीमती सोना देवी को परिवार नियोजन के अन्तर्गत जिस एक भूमि खण्ड का पट्टा दिया गया था क्या उसकी खतौनी भी लाभार्थी को दे दी गई है? क्या यह सत्य है कि आराजी गाटा—25 रकबा 293 खण्ड में से एक एकड़ जिसका पट्टा व कब्जा लाभार्थी को दिया गया क्या वह पूर्व से ही किन्हीं लोगों द्वारा जोती बोयी जा रही थी? यदि हां, तो इसके लिये कौन कौन लोग दोषी हैं? इनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा लाभार्थी को इसका लाभ कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

किन्तु भूखण्ड संख्या–25/2-93 एकड़ का आवंटन वर्ष–1986 में ही 6 व्यक्तियों को कर दिया गया था, जिनके नाम खतौनी में अंकित हो चुके हैं। अतः श्रीमती सोना देवी के पक्ष में बाद में किया गया पट्टा त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसके आधार पर नामान्तर नहीं किया जा सकता था।

भूमि उपलब्ध होने की स्थिति ज्ञात किये बिना श्रीमती सोना देवी को पट्टा स्वीकृत कराने के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गये हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये स्टाफ का विवरण

37–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद्, लखनऊ में सांख्यकीय सेवा संवर्ग के कितने अधिकारी किस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर रखे गये हैं? क्या यह सही है कि सांख्यकीय सेवा संवर्ग में श्री सत्यवान अवस्थी उप निदेशक (कृषि गणना) को भी प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था? यदि हां, तो उनकी प्रतिनियुक्ति कितने समय के लिये की गई थी? क्या इस संबंध में राजस्व परिषद् के कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन राजस्व मंत्री को दिया गया था और उस पर उनके द्वारा दिनांक 2-8-94 को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश भी दिये गये थे? यदि हां, तो उनका अनुपालन न किये जाने का कारण क्या है? प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन अधिकारियों को कब तक अपने मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय के सांख्यकीय सेवा संवर्ग में वर्तमान में कोई भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

जी हां।

श्री सत्यवान अवस्थी की प्रतिनियुक्ति वर्ष 1977 में की गई थी। तदुपरान्त कृषि विभाग की सहमति से इनकी प्रतिनियुक्ति वर्षानुवर्ष बढ़ाते हुये दिनांक 28 फरवरी, 1993 तक बनाये रखने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई थी।

जी हां।

राजस्व परिषद द्वारा श्री अवस्थी को उनके मूल विभाग, कृषि निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 27.6.95 को अवमुक्त कर दिया गया है।

38–श्री घूरा राम–

[मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

राजस्व परिषद लखनऊ/इलाहाबाद में टंकक से अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नत लोगों के एरियर के भुगतान की मांग

39–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० सचिवालय में टंककों का अवर वर्ग सहायक के पदों के संविलीनीकरण के आधार पर राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ/इलाहाबाद कार्यालय के टंककों का अवर वर्ग

सहायक के पदों पर दिनांक 26-12-88 से संविलीनीकरण कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या राजस्व परिषद् के समस्त टंककों का अवर वर्ग सहायक के संविलीनीकरण के फलस्वरुप एरियर का भुगतान कर दिया गया है? क्या यह सही है कि राजस्व परिषद् में कार्यरत टंककों का अवर वर्ग सहायकों के पदों में संविलीनीकरण के फलस्वरुप उक्त संवर्ग में कार्यरत कुछ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को एरियर का भुगतान कुछ को आधा, कुछ को आधे से भी कम या बिल्कुल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं। किन्तु 26-11-88 से 29 टंकक के स्थाई/अस्थाई पदों को समाप्त/आस्थगित रखते हुए अवर वर्ग सहायक के वेतनमान में उतने ही आवश्यक आस्थायी पद सृजित किये गये।

उक्त आदेशों के क्रियान्वयन के फलस्वरुप सम्बन्धित कर्मचारियों को देय एरियर का भुगतान कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व परिषद् लखनऊ/इलाहाबाद के कार्यालय में तृतीय श्रेणी में आरक्षित कर्मचारियों की संख्या एवं अनुपात

40-श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ/इलाहाबाद कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारी हैं? क्या अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ/इलाहाबाद में तृतीय श्रेणी के कुल 285 कर्मचारी कार्यरत हैं।

इनमे अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 55 कर्मचारी हैं।

जी नहीं।

तृतीय श्रेणी के निम्नांकित संवर्गों में उनके सम्मुख उल्लिखित पदों की निर्धारित 23 प्रतिशत के आरक्षण के आधार पर कमी है।

1-प्रवर वर्ग सहायक	6	(छः) पद
2-अवर वर्ग सहायक	4	(चार) पद
3-वैयक्तिक सहायक	5	(पांच) पद
4-संदर्भ लिपिक	3	(तीन) पद

प्रवर वर्ग सहायक के पदों में 16 रिक्तियों, अवर वर्ग सहायक पे पदों की 16 रिक्तियों व वैयक्तिक सहायक के पदों की 6 रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरने के लिए अधियाचन राजस्व परिषद् द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 22-5-95 को भेजा गया है, जिसमें 23 प्रतिशत के आधार पर आरक्षित पदों पर भी चयन होगा।

संदर्भ लिपिक के पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। कोटे के 3 रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद को निर्देश दिये गये हैं।

ग्राम सभा लैहटी सरैया परगना व तहसील रुदौली बाराबंकी में पट्टा की गई भूमि पर मुकदमा

41-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लैहटी सरैया, परगना व तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी की सामान्य व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आवासीय भूमि पर अपील सं० 2808 न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी बाराबंकी में मुकदमा विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या इसी विवादित भूमि का शासन द्वारा पट्टा किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिलों में विधवा/विकलांग पेंशन आदि के निर्धारण के मापदण्ड स्वीकृत करने और प्रक्रिया की जानकारी

42-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधवा/विकलांग पेंशन जनपद-स्तरों पर स्वीकृत होने की प्रक्रिया क्या है? क्या इस संबंध में पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में क्या कोई प्रतीक्षा सूची बनी है? क्या यह प्रमाणित की जाती है? यदि हां, तो किन अधिकारियों के द्वारा? क्या मंत्री जी शाहजहांपुर में इस प्रक्रिया का ठीक पालन न करने के संबंध में जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल-

प्रश्नगत योजनाओं में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बद्ध कर जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जी हां।

लम्बित आवेदन पत्रों को सूची बद्ध किया गया है।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रविष्टियां प्रमाणित/सत्यापित की जाती है।

यदि शिकायत प्राप्त होती है तो जांच करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गौरा विकास खण्ड बदलापुर तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत

43-श्री दल बहादुर कोरी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर में खाता संख्या-244, 248, 249 एवं 242 में क्रमशः 15 डिसमल, 1 डिसमल, 3 डिसमल एवं 3

डिसमल जो ग्राम समाज/खलियान की भूमि है, पर अवैध कब्जा है? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर अवैध कब्जे को बेदखल कराने की कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

खाता संख्या–248 व 249 खतौनी में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुदर्शन बनाम लालता तिवारी गांव सुल्तानपुर पहलिहरा तहसील चकिया जिला वाराणसी में फर्जी वसीयतनामा का मामला

44–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री वासुदेव पांडेय निवासी चकिया पो० चकिया जिला–वाराणसी ने एक ज्ञापन दिनांक 10-1-95 को परगना मजिस्ट्रेट चकिया जिला–वाराणसी को दिया था जिसमें सुदर्शन बनाम लालता तिवारी गांव सुल्तानपुर पहलिहरा परगना केरा भंगरौर त० चकिया जिला–वाराणसी के फर्जी वसीयत नामा का जिक्र किया था और उसमें 1400 से 1405 फ० तक के इन्तखाब खतौनी भी लगाया था जिस पर तहसीलदार चकिया जिला वाराणसी के दिनांक 5-10-93 व दिनांक 14-6-94 के आदेश अंकित है? यदि हां, तो परगना मजिस्ट्रेट चकिया ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तहसीलदार चकिया वाराणसी के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

अतः उक्त ज्ञापन पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यनारायण लाल सेवानिवृत्त लेखपाल तहसील भदोही की जिला वाराणसी के पेंशन का मामला

45–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व-परिषद्, उत्तर प्रदेश, पेंशन सेल, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 197/पें०से०/रा० 20615/93-94, दिनांक 5-8-94 द्वारा सत्यनारायण लाल सेवानिवृत्त लेखपाल तह० भदोही, वाराणसी के पेंशन के संबंध में जिलाधिकारी, वाराणसी को लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस संबंध में सत्यनारायण लाल के प्रार्थना पत्र को कई पत्रों के साथ प्रश्नकर्ता ने राजस्व मंत्री जी को दिनांक 21-4-95 को अपने पत्र के साथ भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

राजस्व परिषद् पेंशन सेल, लखनऊ के पत्र के क्रम में श्री सत्यनारायण लाल, लेखपाल के दो वर्ष अधिक सेवा के विनियमितीकरण हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग–4 को पत्र संख्या–64/रा०का०, दिनांक 3 जनवरी, 1995 को प्रेषित किया गया है जिसके शीघ्र निस्तारण हेतु राजस्व परिषद को निर्देशित कर दिया गया है।

अभिलेखानुसार पत्र अभी तक अप्राप्त है।

46-श्री ऊदल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सेवानिवृत्त सहायक राजस्व लेखाकार तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के देयों के भुगतान का मामला

47-श्री छब्बू पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटे लाल दीक्षित, सहायक राजस्व लेखाकार, तहसील बिलग्राम, जिला-हरदोई अपने पद से वर्ष 1990 को सेवानिवृत्त हो गये थे? क्या यह सही है कि अब तक उनको पेंशन ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० तथा सामूहिक बीमा आदि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उनके पेंशन आदि देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? भुगतान में विलम्ब होने का क्या कारण है? विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

श्री छोटे लाल दीक्षित, सहायक राजस्व लेखाकार, तहसील-बिलग्राम, जिला हरदोई अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-1-91 को सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री दीक्षित को पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण का भुगतान उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश (पेंशन सेल) लखनऊ के पत्र संख्या 5801/पें०सं०/रा-13795/21-92, दिनांक 24-8-91 द्वारा वर्ष 1991 में ही कर दिया गया था, तब से श्री दीक्षित को पेंशन प्रत्येक माह प्राप्त हो रही है। सामूहिक बीमा योजना की चेक श्री दीक्षित को दिनांक 14-6-93 को उपलब्ध करा दी गई है। श्री दीक्षित का भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान अभी अवशेष है जिसके लिए पूरा प्रकरण तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 684/सी०आर०ए०-बिल/जी०पी०एफ०/94, दिनांक 24-9-94 द्वारा महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है। कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारी के पास कोई भी भविष्य निर्वाह निधि की महालेखाकार से प्राप्त-लेखा पर्ची उपलब्ध न होने के कारण पासबुक में ब्याज की गणना आदि सम्भव नहीं हो पा रही थी। इसलिए महालेखाकार को प्रस्ताव विलम्ब से भेजा गया है। इसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

समेकित बाल विकास परियोजना के विकास खण्ड में स्थापना हेतु मापदण्ड की जानकारी

48-श्री राजा राम त्यागी-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समेकित बाल विकास परियोजना किसी विकास खण्ड में लागू करते समय सरकार कौन-कौन से मानक अपनाती है? क्या यह सच है कि रायबरेली जनपद के लगभग सभी विकास खण्डों में यह योजना लागू है किन्तु तहसील महराजगंज का शिवगढ़ ब्लाक इससे वंचित रखा गया है? यदि हां, तो इस विकास खण्ड में यह योजना कब लागू होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल-

समेकित बाल विकास परियोजना के संचालन हेतु किसी विकास खण्ड का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का कोई अभिमत प्राप्त नहीं किया जाता है।

जी हां। जनपद रायबरेली के 19 विकास खण्डों में से 16 विकास खण्डों में यह योजना लागू की जा चुकी है

केवल तीन विकास खण्डों, जिनमें तहसील महाराजगंज का शिवगढ़ विकास खण्ड भी है, में यह योजना संचालित नहीं की जा सकी है।

भारत सरकार से स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद की भांति प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी आवासों पर इन्टरकाम टेलीफोन व्यवस्था की मांग

49-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गाजियाबाद की तरह प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी आवासों पर इण्टरकाम (फोन) व्यवस्था प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? गाजियाबाद के जिलाधिकारी के आवास पर इण्टरकाम व्यवस्था पर कितना व्यय हुआ है तथा कितने कमरों को इण्टरकाम से जोड़ा गया है?

श्री राजेन्द्र कुमार-

शासन द्वारा जनपद गाजियाबाद में जिलाधिकारी आवास पर इन्टरकाम की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिलाधिकारी आवास पर इन्टरकाम व्यवस्था अनुमन्य नहीं है, अतः प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी आवासों पर इन्टरकाम (फोन) व्यवस्था प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्टरकाम व्यवस्था पर कोई धनराशि व्यय नहीं हुई। जिलाधिकारी निवास पर एक डील द्वारा टाटा कम्पनी द्वारा निर्मित एक इन्टरकाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ अवधि के लिए लगाया जाना प्रस्तावित था परन्तु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया और भुगतान के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त इन्टरकाम माह मई 1995 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा हटवा दिया गया था।

जनपद सिद्धार्थनगर के लेखाकारों का सामान्य भविष्य निधि के कटौती का मामला

50-श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के छठे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के कितने लेखपालों का सामान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०) कटौती हेतु नामांकन पत्र वर्ष 1990 से 31 अप्रैल, 1994 तक महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद को भेजा गया? उसमें कितने लेखपालों के खाते आवंटन अभी नहीं हुए हैं? क्या सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार-

वर्ष 1990 से 30 अप्रैल, 1994 तक जनपद सिद्धार्थनगर के 199 लेखपालों का सामान्य भविष्य निधि कटौती हेतु नामांकन पत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया।

46 (छियालिस) लेखपालों के खातों का आवंटन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए हैं।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से खाते आवंटन हेतु अनुरोध कर दिया गया है।

51-श्री ऊदल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आंगनबाड़ी कार्यकत्री के चयन एवं उनकी नियुक्ति का अनुपात आदि के विवरण की जानकारी

52-श्री रामकरन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री के चयन में क्या मापदण्ड अपनाया जाता है इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की किस अनुपात में भर्ती की जाती है? वर्तमान समय में प्रदेश में कितने विकास खण्डों में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र खुले हैं इनमें कितनों में अनुसूचित जाति की महिलाएं कार्यरत हैं? क्या मापदण्ड के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलायें कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

श्री श्रीराम पाल–

आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन हेतु शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तथा आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिये। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए शासनादेश के अनुसार आरक्षित 21% पदों पर भर्ती की जाती है।

वर्तमान समय में कुल 429 विकास खण्डों में कुल 32992 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिसमें से 16,928 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुसूचित जाति की महिलायें कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व गांव देवरिया बुद्धु खां तहसील व जिला देवरिया में अवैध कब्जा का मामला

53 श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम देवरिया बुद्धु खां लेखपाल हल्का नं० 63 तहसील व जिला-देवरिया के पश्चिम तरफ ग्राम से सटे ब्रम्ह स्थान के लिए दिये गये डीह की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर उसके अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने व अतिक्रमण के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया गया है, जिसके कारण अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

रायबरेली जिले में चकबन्दी अधिकारियों की कमी एवं नियुक्ति की मांग

54-श्री राजाराम त्यागी–

क्यां राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में कितने चकबन्दी अधिकारी कार्य कर रहे हैं? क्या वांछित आवश्यकता के अनुसार पद पूर्ण हैं? यदि नहीं, तो कब से कितने पद रिक्त पड़े हैं? कया सभी रिक्त पदों को भर कर किसानों के विवादित चकबन्दी के कार्य शीघ्र निपटाये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद रायबरेली में वर्तमान समय में स्थायी रुप से एक चकबंदी अधिकारी कार्यरत है।

जी नहीं।

जनपद में स्वीकृत 4 पदों में से दिनांक 31-5-93 से एक चकबंदी अधिकारी के स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने, एक चकबंदी अधिकारी का स्थानान्तरण जुलाई, 94 में हो जाने तथा एक चकबंदी अधिकारी के दिनांक-30-6-94 को सेवा निवृत्त हो जाने के कारण कुल 3 पद रिक्त चल रहे हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ में विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन के प्रतीक्षित प्रार्थना पत्रों की जानकारी

55-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में कितनी विधवाओं एवं विकलांगों के पेंशन हेतु आवेदन फार्म वर्तमान समय मे लम्बित हैं? इन आवेदन पत्रों कर कब तक कार्यवाही करके निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन दे दी जायेगी?

श्री श्रीराम पाल-

लखनऊ जनपद में 5273 विधवाओं एवं 864 विकलांगों के भरण-पोषण अनुदान हेतु आवेदन पत्र वर्तमान समय में लम्बित हैं।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम नरायनपुर तहसील व परगना सण्डीला जिला हरदोई में कतिपय राजस्व ने नम्बरों पर कब्जा दिलाने की मांग

56-श्री बैजनाथ रावत-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के तहसील व परगना सण्डीला अन्तर्गत ग्राम-नरायनपुर में खसरा सं० 34, 35, 36, 42 व 46ख तथा खसरा सं० 41 रकबा क्रमशः एक विस्वा, 2 विस्वा 10 विस्वांसी 2 विस्वा 10 विस्वांसी 5 विस्वा व 3 विस्वा तथा 4 विस्वा में श्री छोटे लाल व ताऊन (दोनों सगे भाई) पुत्र श्री रुपान निवासी ग्राम उपरोक्त का नाम दर्ज है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर केवल श्री छोटे लाल का कब्जा है और श्री ताऊन को उक्त भूमि पर श्री छोटे लाल कब्जा नहीं दे रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार श्री ताऊन को इसके हिस्से की आधी भूमि नाप कर उसे कब्जा दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्रश्नगत ग्राम के भूखण्ड संख्या-34, 35, 25, 36, 42 व 46 श्री छोटे लाल, ताऊन पुत्रगण रुदान तथा भूखण्ड संख्या-41 सालिक, ताऊन व छोटे लाल पुत्रगण रुदान के नाम संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज है।

नियमानुसार सह खातेदारों की भूमि पर किसी सहखातेदार का कब्जा सबका कब्जा माना जाता है। यदि श्री ताऊन आपसी बंटवारा से सन्तुष्ट नहीं है तो उन्हें धारा-176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में खाते के विभाजक का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विभाजन के आदेश नहीं दिये जाते तब तक संयुक्त खाते की भूमि के किसी भाग पर किसी सहखातेदार को अलग से कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है।

जिला बाराबंकी के ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु परिसीमन में धांधली की शिकायत

57–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में ग्राम पंचायतों के चुनाव के मतदाता सूची, परिसीमन, चुनाव में की गयी अनियमितताओं की कितनी शिकायतें शासन में प्राप्त हुई तथा शिकायतों का निस्तारण किस अधिकारी द्वारा किया गया?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिला बाराबंकी की ग्राम पंचायतों के चुनाव में मतदाता सूची, परिसीमन, चुनाव में की गयी अनियमितताओं के संबंध में शासन, निदेशक, पंचायती राज उ०प्र० एवं राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० से कुल 62 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निस्तारण यथानियम सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया।

रायबरेली जनपद के समाज कल्याण कार्यालय में कार्यरत सुपरवाइजरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा करने की शिकायत

58–श्री राजाराम त्यागी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के समाज कल्याण आफिस में कार्यरत सुपरवाइजर तहसील स्तर पर न रहकर जिला मुख्यालय पर ही तैनात है? यदि हां, तो क्या शहर मे इनके रहने से तहसील के ग्रामीण लोगों का कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अंचलों में वृक्षारोपण के प्रक्रिया की जानकारी

59–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री तीरथ राज–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में खाली परती, तालाबों, जलाशयों के भीटों आदि स्थानों पर वृक्षारोपण की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है? क्या आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम-कोहरौली, पिछौरा, कुम्भ, फतुहीं आदि के तालाबों-जलाशयों के भीटों-खाली स्थानों पर वृक्षारोपण की कोई प्रक्रिया अपनायी जायगी? यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार से?

श्री रामलखन वर्मा–

गांवों में खाली परती, तालाबों, जलाशयों के भीटों आदि स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा बजट की उपलब्धता के अनुसार वृक्षारोपण कराया जायगा। आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम कोहरौली, पिछौरा, कुम्भ, फतुहीं आदि के तालाबों, जलाशयों के भीटों, खाली स्थानों पर वृक्षारोपण की उपरोक्त प्रक्रिया ही अपनाई जायगी। वृक्षारोपण के

समय इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार वृक्षारोपण निर्धारित किया जायगा।

ग्राम सभा भटपुर तहसील संडीला हरदोई में पूर्व आदेश के अनुसार चकबन्दी कराने की मांग

60-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-9-88 को तत्कालीन राजस्व मंत्री ने ग्राम सभा भटपुर तहसील संडीला हरदोई में चकबन्दी कराने हेतु आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या उस उक्त ग्राम सभा भटपुर में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त ग्राम में शीघ्र चकबन्दी कराई जायगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

ग्राम भटपुर तहसील सण्डीला, जिला हरदोई का जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-4(2) के अंतर्गत दिनांक 7-3-1992 का सरकारी गजट में प्रकाशन हो चुका है तथा चकबंदी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत चकबंदी के प्रारंभिक स्तर का कार्य शुरु कर दिया गया है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जिला खीरी के कतिपय गांवों की वन भूमि का राजस्व विभाग में स्थानान्तरित करने की शिकायत

61-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के दिलावर नगर, जैदी, फिरोजपुर कारी नगरा विशोलरा गुलचोरा, सनिगांव तथा मुजहा नं० 4 की वन भूमि का राजस्व विभाग में हस्तान्तरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि पत्र सं०-बी०आई०पी० 512/14-3-915/90, दिनांक 6-12-90 तथा पत्रांक 13-14-3-915/90, दिनांक 14-1-91 तथा अर्ध० शा० पत्र सं०-1164/14-3-915/90, दिनांक 27 फरवरी, 1994 जिलाधिकारी-खीरी को शासन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा-

जी नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता है।

जी हां। इन पत्रों में जिलाधिकारी, खीरी से रिपोर्ट मांगी गयी थी।

शासन के पत्र संख्या: 3362/14-2-93-915/90, दिनांक 26-2-1994 द्वारा सम्बन्धित को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

62-श्री ऊदल-

[तीसरे शुक्रवार में अता०प्र०सं०-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रामफल पुत्र श्री चिम्भन की पट्टे पर आवंटित भूमि पर कब्जा दिलवाने की मांग

63-श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खसरा नं० 965 क० रकबई 2 बीघा 13 विस्वा ग्राम भोजपुर पर जलालाबाद तह० मोदीनगर जिला गाजियाबाद रामफल पुत्र चिम्भन को पट्टे पर आवंटित हुआ है? यदि हां, तो क्या आवंटी का नाम 1396 से 1401 खतौनी में दर्ज है? यदि हां, तो क्या आवंटी को कब्जा दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कब्जा दे दिया जायगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

जी हां।

आवंटी को दिनांक 13-7-95 को कब्जा दिला दिया गया है।

गाजियाबाद के जिला अधिकारी के आवास के रख-रखाव पर हुए व्यय के विवरण की मांग

64-श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में गाजियाबाद के जिलाधिकारी आवास के रख-रखाव आदि पर सरकारी कोषागर से किये गये व्यय का विवरण क्या है? क्या यह सही है कि नजारत के प्रभारी ने उक्त खर्च पर आपत्ति की है? यदि हां, तो उसके बिन्दु क्या है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

वर्ष 1994-95 में जिलाधिकारी आवास के रख रखाव पर भवन अनुरक्षण की मद में अंकन रुपये 55,850.00 की धनराशि व्यय की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड निचलौल के कतिपय गांवों में अतिवृष्टि से राहत सहायता देने की मांग

65-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड निचलौल के चन्द्रागुलरभार, सोहगीबरवां, कलनहीं, लक्ष्मीपुर आदि तथा मटियरिया, बन्दी बेलासपुर, सेशपुर, चमरबरवां विकास खण्ड सिसवा बाजार के ग्रामों में दिनांक 10-9-94 से निरन्तर भीषण अतिवृष्टि से हुई फसल की क्षति एवं मकानों के ध्वस्त होने की शिकायत शासन में दिनांक 14-11-94 से निरन्तर लिखित शिकायत दिनांक 7-2-95 को दी गयी थी जिस पर शासन ने तत्काल राहत पहुंचाने के लिये जिलाधिकारी, महराजगंज को फैक्स द्वारा निर्देश भी दिया है, किन्तु आज तक बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री तथा गृह अनुदान रायपुर, सिसवा आदि क्षेत्रों में वितरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां, विकास खण्ड निचलौल और सिसवा बाजार के ग्रामों में अतिवृष्टि से फसलों को 20 से 40 प्रतिशत की क्षति हुई थी। फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर भूराजस्व में छूट/स्थगन देने का नियमानुसार

प्राविधान है। फसलों की निर्धारित सीमा 50 प्रतिशत से कम क्षति होने पर पीड़ितों को नियमानुसार कोई सहायता अनुमन्य नहीं होता है। विकास खण्ड निचलौल के 27 ग्रामों में 422 पात्र व्यक्तियों के मकान क्षतिग्रस्त पाये जाने पर प्रभावितों को रुपये 1,80,800/- गृह अनुदान सहायता वितरित की जा चुकी है। विकास खण्ड सिसवां बाजार के ग्रामों में अतिवृष्टि से कोई मकान क्षतिग्रस्त न होने के कारण राहत सहायत वितरित नहीं की गयी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कौहार तहसील गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर में अवैध निर्माण को ढ़हाने में अनियमितता की शिकायत

66-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29-4-95 को दिया गया पत्र जिसमें तहसील गौरीगंज के ग्राम-कौहार में अवैध निर्माण गिराने में दोहरे मापदण्ड अपनाने तथा एक दूसरे को लाभ देने की नीयत के प्रति इंगित किया गया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही अनाधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध बेदखली एवं क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की गई।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गोपालपुर, कादीपुर जिला सुल्तानपुर के निवासी श्री शिवराम पुत्र स्व० रामअधार को आवासीय पट्टा पर कब्जा दिलाने की मांग

67-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवराम पुत्र स्व० श्री राम आधार ग्राम-गोपालपुर, कादीपुर, जिला-सुल्तानपुर को ग्राम समाज द्वारा आवास बनाने हेतु गाटा संख्या 184 का पट्टा दिया गया है? यदि हां, तो क्या आवंटी को कब्जा दिला दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

श्री शिवराम पुत्र स्व० श्री राम अधार निवासी गोपालपुर, परगना चाँदा तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर को दिनांक 18-10-92 को आवंटित गाटा संख्या-184 मि० रकबा/ 0-1-10 पर कब्जा दिला दिया गया है।

ग्राम सभा रामपुर हीरामन तहसील व जिला देवरिया में आवंटित भूमि का विवरण

68-श्री विनय कुमार पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रामपुर हिरामन तहसील व जिला देवरिया के अन्तर्गत ग्राम के पश्चिम टोले व बगही टोले पर स्थित पोखरियों,वृक्षारोपण हेतु आरक्षित जमीन, नाली, कब्रिस्तान,

शमशान, आबादी स्थल, बंजर एवं परती भूमि के रुप में अलग-अलग कुल कितनी-कितनी जमीन ग्राम सभा के सम्पत्ति के रुप में आवंटित है तथा वर्तमान में उक्त में से अलग-अलग किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी भूमि पर अनधिकृत रुप से अवैध कब्जा कर कच्चा व पक्का निर्माण करा दिया गया है? उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

ग्राम सभा रामपुर हिरामन के अन्तर्गत पश्चिम टोले व बगही टोले में निम्नवत ग्राम सभा की भूमि आवंटित की गई है:–

	पश्चिम टोला	बगही टोला
ग्राम सभा की सम्पत्ति का रुप	सं० गाटा सं० रकबा (हेक्टेयर में)	सं० गाटा सं० रकबा (हेक्टेयर में)
1-पोखरी	1 323क/1-023	1 268क/03-24
2-वृक्षारोपण	शून्य----------	शून्य----------
3-नाली	शून्य----------	शून्य----------
4-कब्रिस्तान	1 341/0-940 342क/0-130	शून्य----------
5-शमशान	शून्य----------	1 3/0-057
6-आबादी स्थल	2 328/0-40 310/0-065	2 295/0-020 297/0-016
7-बंजर	2 320ग/0-393 326क/0-049	1 269ग-441
8-परती	शून्य----------	शून्य----------

ग्राम के पश्चिमी टोले पर किसी भी व्यक्ति का कोई अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं है।

ग्राम के बगही टोले पर गाटा संख्या–268क/0-324 हेक्टेयर जो अभिलेख में पोखरी अंकित है जिसके 0-107 हेक्टेयर पर 9 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है जिसकी सूची व क्षेत्रफल कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

उपरोक्त अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122बी के अन्तर्गत तहसीलदार न्यायालय में कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ पुत्र श्री बल्देव निवासी ग्राम मांझ गांव परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा की शिकायत

69-श्री अमित अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री जगन्नाथ पुत्र श्री बल्देव निवासी ग्राम मांझ गांव परगना व तहसील सण्डीला जनपद हरदोई की भूमि खसरा संख्या 36 व 179 रकबा 12 विश्वा 13 विश्वांसी व 18 विश्वा

7 विश्वांसी के कुछ भाग पर अनधिकृत कब्जा किये हुये है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 17-9-86 को तत्कालीन डी० डी० सी० ने यह आदेश पारित किया था कि इनके चकों की पुनः पैमाइश करके इनकी जमीन पर कब्जा दिला दिया जाय? यदि हां, तो इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक पुनः पैमाइश करके कब्जा न दिलाये जाने हेतु कौन दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? कब्जा कब तक दिला दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

70– श्री घनश्याम शुक्ल–

[दिनांक 20.7.95 को अता०प्र०सं०–10 द्वारा उत्तरित]

रेंज प्रभारी अधिकारी उतरौला दक्षिण गोण्डा प्रभाग द्वारा अवैध कटान कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र।

71–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 31-10-94 को रेन्ज अधिकारी, उतरौला दक्षिण गोण्डा प्रभाग के विरुद्ध अवैध कटान कराने इत्यादि के संदर्भ में कोई आरोप-पत्र मुख्य मंत्री जी, वन मंत्री, सचिव, वन, मुख्य वन संरक्षक नियोजन प्रशासन तथा मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या आरोप-पत्रों की जांच कराई गयी? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामलखन वर्मा–

प्रश्नकर्ता मा० सदस्य का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था।

जी हां, शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी।

जांच करने पर शिकायतें निराधार पायी गयी।

72– श्री तेजभान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तराखण्ड क्षेत्र में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कथित छंटनी की शिकायत

73–श्री हरक सिंह रावत–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० वन निगम उत्तराखण्ड क्षेत्र में दैनिक वेतन भोगी स्कैलरो/ चौकीदारों की छंटनी की जा रही है, जिसमें कि लगभग पांच सौ कर्मचारी हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को पुनः समायोजित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

जी नहीं।

वन निगम का कार्य कम हो जाने के कारण प्रश्नगत कर्मचारी निकाले गये हैं। अतः पुनः समायोजन सम्भव नहीं है।

गोण्डा वन निगम के सेवा काल में मृत कर्मचारी शुकई प्रसाद के आश्रित को सेवा में लिए जाने की मांग

74-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा जनपद में वन निगम में कार्यरत कर्मचारी शुकई प्रसाद बांदा (कर्बी) में डकैतों द्वारा ड्यूटी के दौरान विगत दो वर्ष पूर्व मार कर हत्या कर दी गयी थी? क्या मृतक की पत्नी के द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद न तो मृतक आश्रित को नौकरी दी गई और न ही उसका फण्ड रिलीज किया गया? यदि हां, तो क्यों? उसे कब तक सेवा में ले लिया जायेगा?

श्री रामलखन वर्मा-

जी हां।

जी हां।

मृतक की पत्नी द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे। प्रश्नगत अभिलेख/प्रमाण पत्र अब दिनांक 18-7-95 को प्राप्त हो गये हैं। अतः मृतक की पत्नी को सेवा में यथाशीघ्र ले लिया जायेगा।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लगभगड़ा में सर्वाधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए परिसीमन में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत

75-श्री बच्ची सिंह रावत-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड लगभगड़ा में सर्वाधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाए गए हैं। जबकि यह विकास खण्ड क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के ही स्तर में अन्य विकास खण्डों से छोटा है? क्या सरकार पंचायतों के परिसीमन में हुई धांधली के सम्बन्ध में जांच कराकर कोई दण्डात्मक कार्यवाही भी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जनपद-अल्मोड़ा में विकास खण्ड लगभगड़ा में क्षेत्र पंचायत परिसीमन के अन्तर्गत सर्वाधिक 71 सदस्य बनाये गये हैं। जनपद में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से निम्न विकास खण्ड लगभगड़ा विकास खण्ड से छोटे हैं:-

क्षेत्रफल की दृष्टि से	जनसंख्या की दृष्टि से
1-ताकुला	1-भैसियाछाना
2-भैंसियाछाना	2-भिकियासैंण
3-गरुण	
4-चौखुटिया	
5-द्वाराहाट	
6-बागेश्वर	

क्षेत्र पंचायतों का परिसीमन उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। परिसीमन में कोई धांधली प्रकाश में नहीं आई है। अतः सम्प्रति जांच व दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

वन विभाग के कार्यालय प्रसार एवं जनसम्पर्क के अन्तर्गत डार्करुम सहायक के पद पर फर्जी नियुक्ति

76-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय प्रसार एवं जनसम्पर्क, उ०प्र० में डार्क रुम सहायक और सहायक प्रोजेक्टर आपरेटर के पद पर वर्तमान वन संरक्षक द्वारा वर्ष 1994 में नई भर्ती की गयी है? यदि हां, तो क्या शासन अवगत है कि इस कार्यालय में डार्क रुम गत दस वर्षों से है ही नहीं और वर्तमान नवनियुक्त डार्क रुम सहायक, वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, प्रसार एवं जनसम्पर्क के स्थानीय निजी आवास पर तैनात है? क्या सहायक प्रोजेक्टर आपरेटर को कार्य के अभाव में कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है? क्या मंत्री जी मामले की जांच विशेष सचिव, वन से करा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा-

जी हां।

जी हां, पिछले 10 वर्षों से रंगीन फिल्मों के आ जाने के कारण श्याम श्वेत डार्करुम की उपयोगिता समाप्त हो गई है परन्तु यह असत्य है कि नवनियुक्त डार्करुम सहायक वन संरक्षक के स्थानीय निजी आवास पर तैनात हैं।

जी नहीं। सहायक प्रोजेक्टर आपरेटर कम क्लीनर की नियुक्ति फिल्म लाइब्रेरी में तथा फिल्म शो करते समय प्रोजेक्टर आपरेटर की सहायता करने हेतु की गई। खाली समय में जब फिल्म शो इत्यादि नहीं किये जाते हैं, तो उस समय कार्यालय सम्बन्धी कार्य भी कराये जाते हैं। जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियुक्तियां नियमानुसार की गई हैं।

फैजाबाद मण्डल के आयुक्त एवं अपर आयुक्त (प्रशासन) के विरुद्ध कतिपय शिकायतें

77-श्री राजा राम त्यागी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद मण्डल के आयुक्त एवं अपर आयुक्त (प्रशासन) द्वारा अवैध ढंग से शासनादेशों के विरुद्ध और न्यायालय की अवमानना करके मनमाने ढंग से अवैध नियुक्तियां करके धनोपार्जन किया जा रहा है? क्या राजेश दुबे चपरासी के साथ भी ऐसा हुआ है? क्या यह भी सही है कि आयुक्त कार्यालय की लगभग चार लाख रुपये के सामान को उसी दिन एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन छपवाकर उसी दिन मात्र तीन हजार पांच सौ रुपये में नीलामी कर दी गयी? यदि हां, तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं।

जी नहीं।

नीलाम किया गया सामान इतना निष्प्रयोज्य हो चुका था कि प्रत्येक मद को अलग-अलग नीलाम करना सम्भव नहीं था। कुछ सामान तो बिल्कुल ही निष्प्रयोज्य था। सामान की नीलामी हेतु पूर्ण औपचारिकतायें अपनाते हुए एक कमेटी गठित कर, स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन देकर तथा विभिन्न कार्यालयों के सूचना पट पर नोटिस टंगवाकर नीलामी की गयी। नीलामी में छः व्यक्तियों ने भाग लिया और सामान का निरीक्षण करने के बाद ही प्रतिस्पर्धात्मक बोली होने के पश्चात सभी सामान थोक में 3,500 रुपये में बेंचा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरीगढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में उप तहसील के रिकार्डों से सुसज्जित करने की मांग

78–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में उप तहसील जखोली कब खाली गयी थी? क्या इस उप तहसील में सभी रिकार्ड भेज दिये गये हैं? यदि नहीं, तो उप तहसील से संबंधित रिकार्ड कब तक जखौली में भेजे जायेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद टिहरी गढ़वाल में उप तहसील जखोली 3–8–87 से स्थापित की गई है।

उप तहसील से सम्बन्धित सभी रिकार्ड वर्ष 1990 में तहसील देवप्रयाग से उप तहसील जखौली को भेज दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम व ग्राम सभा अगई तहसील सुल्तानपुर सदर जिला सुल्तानपुर में अग्निकांड पीड़ित जनों को क्षतिपूर्ति देने की मांग

79–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 29–4–95 एवं 30–4–95 के ग्राम अगई, ग्राम सभा अगई तहसील सुल्तानपुर सदर, जनपद सुल्तानपुर में अग्नि काण्ड की घटना हुई है? यदि हां, तो उक्त अग्नि काण्ड में किन-किन व्यक्तियों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और कितना-कितना? अग्निकाण्ड में पीड़ित व्यक्तियों को क्या-क्या सहायता दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? यह सहायता कब तक दे दी जायगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां। इस गांव में विगत 28.4.95 व 29.4.95 को अग्निकाण्ड की घटनायें हुई। दिनांक 28.4.95 को हुई अग्निकांड की घटना से निम्नलिखित व्यक्तियों के मकान अनाज, छप्पर व अन्य सामग्रियों की कुल क्षति का विवरण निम्नवत है–

नाम/पिता का नाम	अनुमानित क्षति
सर्वश्री	(रु० में)
1. तुलसीराम पुत्र माता बदल	59,500.00
2. राम आसरे, पुत्र माता बदल	85,000.00
3. मालिकराम पुत्र माता बदल	7,000.00
4. दयाशंकर पुत्र सालिकराम	37,000.00

5. शीतला प्रसाद पुत्र रामधनी	18,500.00
6. राम अनुग्रह पुत्र लालता प्रसाद	30,000.00
7. स्वामीदीन पुत्र लालता प्रसाद	13,500.00
8. रामफेर पुत्र बृजमोहन	66,000.00
9. राधेश्याम पुत्र शिवसरन	5,800.00
10. शारदा प्रसाद पुत्र शिव सरन	17,100.00
11. राम सूरत पुत्र श्री दत्त	1,300.00
12. संतोष कुमार पुत्र रामजंग	21,500.00

दिनांक 29.4.95 को अग्निकाण्ड से कुल 4 व्यक्तियों की सम्पत्तियों की क्षति हुई, जिसका विवरण निम्नवत है:–

नाम/पिता का नाम	अनुमानित क्षति
सर्वश्री	(रु० में)
1. राजाराम पुत्र शिव सरन	6,200.00
2. राम फेर पुत्र बृज मोहन	2,500.00
3. शिव सहाय पुत्र जग मोहन	500.00
4. गंगा सहाय पुत्र बृज मोहन	2,300.00

दिनांक 28.4.95 को अग्निकाण्ड से 12 प्रभावित व्यक्तियों में से 5 पात्र व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति को रु० 600/– की दर से गृह अनुदान तथा रु० 1,000/– की दर से अहेतुक सहायता का वितरण किया गया। इसी प्रकार दिनांक 29.4.95 को हुए अग्निकाण्ड से 4 प्रभावित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति श्री राजा राम पुत्र शिव सरन पात्र पाये गये और इन्हें 600/– रु० गृह अनुदान तथा रु० 500/– निःशुल्क अहेतुक सहायता का वितरण किया गया।

अग्निकाण्ड से प्रभावित शेष 10 व्यक्तियों की वार्षिक आय रु० 11,000 से अधिक होने के कारण वह सहायता प्राप्त होने के लिये पात्रता की श्रेणी में नहीं आये। अतः उन्हें राहत सहायता अनुमन्य नहीं होने के कारण उपलब्धता नहीं कराई गई।

प्रश्नकर्ता के मा० मुख्य मंत्री को संबोधित पत्र दिनांक 4.5.95 के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 4–5–95 को ग्राम कोटवा थाना मवई जनपद बाराबंकी का मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जिसमें प्रश्नकर्ता के बाबा श्री राम दुलारे शुक्ल की 16 बिश्वा भूमि उनके मरने के पश्चात् लावारिस घोषित कर दिये जाने तथा वारिसान के नाम परिपत्र संख्या 5 तथा 23 में दर्ज कर लेने के पश्चात् भी प्रपत्र 45 में जानबूझकर दर्ज न किये जाने का उल्लेख था? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

श्री राम दुलारे शुक्ल (मृतक) की भूमि का जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग–1 में अंकित उनके वारिसान के नामों की प्रविष्टियों का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा न होने के कारण उन प्रविष्टियों का क्रियान्वन जोत चकबंदी आकार पत्र 45 में नहीं किया गया।

जी हां।

पक्षों द्वारा जोत चकबंदी नियमावली के नियम 109 के अंतर्गत अमलदरामद की कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण चकबंदी अधिकारी ने विवादित अमलदरामद की सत्यता के परीक्षण के पश्चात दिनांक 7–6–95 को करके परवाना अमलदरामद संबंधित तहसीलदार को निर्गत कर दिया। परवाना अमलदरामद के आधार पर दिनांक 28–6–95 को सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा जोत चकबंदी आकार पत्र 45 में श्री राम दुलारे शुक्ल (मृतक) के वारिसान के नाम वरासत के आधार पर अमलदरामद कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर में निर्माणाधीन स्टेडियम के निर्माण कार्य में अवरुद्ध होने के संदेह में प्रश्नकर्ता का पत्र

81–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण में पेड़ कटने की समस्या के संबंध में, जिसके कारण कार्य अवरुद्ध है विषयक प्रश्नकर्ता का कोई माह अप्रैल, 1995 के प्रथम पखवारे में किसी दिन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामलखन वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत अकोइया विकास क्षेत्र खैराबाद जनपद सीतापुर की भूमि जंगल भूमि संरक्षण विभाग से ग्राम सभा को वापस किये जाने की मांग

82–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत अकोइया विकास क्षेत्र खैराबाद जिला-सीतापुर की भूमि पर जो जंगल भूमि संरक्षण विभाग इकाई सीतापुर जिला सीतापुर ने लगाया था, उसे ग्राम सभा को वापस करने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक वापस कर दिया जायगा?

श्री रामलखन वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राम विशुन पुत्र सुन्दर को भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम सभा बलईखीर जनपद महराजगंज द्वारा भूमि आवंटित होने के बाद भी कब्जा न मिलने की शिकायत

83–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बलईखीर जनपद–महराजगंज की भूमि प्रबन्ध समिति ने रामकिशुन पुत्र सुन्दर को आ० नं० 124 में 69 डिसमिल व 127 में 421 डिसमिल कृषि योग्य भूमि आवंटित की है जिसकी पैमाइश कराने व कब्जा दिलाने के लिये प्रार्थना पत्र आवंटी द्वारा उप जिलाधिकारी, निचलौल को दिनांक 28–3–95 को दिया गया है, किन्तु आवंटी को कब्जा आज तक नहीं दिलाया गया है? क्या यह सही है कि आवंटी से बिना भूमि कब्जा दिलाये ही रसीद संख्या 241947/26 से मालगुजारी भी वसूल की गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री रामकिशुन को भूखण्ड संख्या–124 रकबा 0–069 हैक्टेयर व 127 में 421 हैक्टेयर का आवंटन कर कब्जा दिला दिया था और अभिलेखों में उसी समय अंकित था जिसके कारण उनसे भूराजस्व की वसूली की गई।

जी हां।

कब्जा दिला दिया गया है।

जी नहीं।

84–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[2सरे बुधवार के अता०प्र०सं०–83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16.2.94 के साथ श्री रामकिशोर, श्री मुन्नी आदि निवासी जनपद बाँदा का पत्र, परगना अधिकारी बबेरु जनपद बांदा में भेजा जाना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

85–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 16–2–1994 के पत्र के साथ श्री रामकिशोर, श्री मुन्नी लाल आदि निवासी गण ग्राम कोरारी तहसील बबेरु जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी बबेरु जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र में कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

प्रार्थना-पत्र पर अंकित भूमि संख्या–263 व 265 में जांचोपरान्त यह पाया गया कि गाटा संख्या–263/1 व गाटा संख्या–265 पर श्री साधु, रामनरायन, शिव नारायन, रामदेव, जगमोहन पुत्रगण दर्शन निवासी-कोरारी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है और अनधिकृत अध्यासी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री तिरा पुत्र श्री केदार निवासी भरई, घुघचाई जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलवाये जाने का प्रकरण

86-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री तिरा पुत्र श्री केदार नि० भरई घुघचाई जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 2-9-94 या इसके आस-पास सरकार द्वारा दिये गये पट्टे पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिये जाने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री को दिया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री सचिवालय लोक शिकायत अनुभाग–3 ने अपने पत्र सं० 177 दिनांक 2-9-94 को जिलाधिकारी शाहजहांपुर को आवंटित भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने उपरोक्त आवंटित भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटवा दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

आवंटित भूखण्ड संख्या–614 मि० क्षेत्रफल 0.137 हेक्टेयर तथा 626/0-069 हेक्टेयर पर कब्जा दिलाया जा चुका है।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर तहसील मार्टीनगंज ब्लाक के अंतर्गत वैसो नदी की बाढ़ से कतिपय हानि के संबंध में वहां के निवासियों द्वारा राहत हेतु शासन को भेजा गया प्रार्थना–पत्र

87-श्री वासुदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के फूलपुर तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत वैसो नदी की बाढ़ से ग्राम-कोहरौली की डूबी फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा, ऋण माफ करने, वसूली स्थगित करने आदि से संबंधित ग्राम-कोहरौली के निवासियों/किसानों के सामूहिक हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 2-10-94 और श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल विधायक का पत्र दिनांक 29-11-94 मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

दिनांक 2-10-94 का सामूहिक हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 15-2-95 को प्राप्त हुआ। ग्राम कोहरौली ब्लाक मार्टीनगंज, तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में बाढ़ से प्रभावित होने के कारण कुल 24 गिरे मकानों की सूची लेखपाल द्वारा तैयार की गयी, जिसकी जांच करायी गयी, उनके स्थलीय निरीक्षण पर 10 आवासीय मकान आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त पाये गये, शेष मकानों में 5 गैर आवासीय तथा 9 ऐसे थे जिसमें थोड़ा नुकसान हुआ था और वे आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त की परिधि में नहीं आते थे। सभी 10 आंशिक क्षतिग्रस्त मकान, मकानों को छः सौ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 6000-00 (छः हजार) रुपये गृह अनुदान के वितरण चेक द्वारा दिनांक 13-11-94 को कर दिया गया। जल प्लावन के कारण से मात्र 30 प्रतिशत फसलों की हुई थी। नियमानुसार दैवी आपदा के कारण फसलों को 50% प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर ही मालगुजारी में छूट/स्थगन का प्राविधान है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 29-11-94 प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया 14-9-94 का पत्र प्राप्त हुआ, इस सम्बन्ध में वैसो नदी में जो कोहरौली गांव में कुछ लोगों द्वारा मछली मारने

के लिए बांध बनाकर पानी को अवरोध कर दिये थे। उसको उसी समय सूचना मिलते ही तत्काल अवरोध (बांध) को कटवाकर हटवा दिया गया।

तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी श्री ए०के० सिंह एवं प्रभारी वन सुरक्षा दल एवं रेंज अधिकारी गोण्डा को अनियमितता के लिए निलंबित करने की मांग

88–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या वन मंत्री अवगत है कि 5 मार्च, 1994 को जनपद गोण्डा का भ्रमण करने दौरान उन्होंने स्वयं बिना परमिट के करोड़ों रुपये के अवैध कटान के वृक्षों का करनैलगंज/मैजापुर, जो उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज गोण्डा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मालगोदाम पर लकड़ियों के स्टाक को सीज करने का तथा माल गाड़ियों के डिब्बों में अवैध रुप से लदे हुये बोटों को रोकने का आदेश दिया था? क्या इसकी जांच श्री ए०एम० राय, वन संरक्षक को दी गयी थी? क्या यह सही है कि श्री राय ने जांच न करके प्रभारी वन सुरक्षा दल, उत्तर गोण्डा वन प्रभाग तथा श्री बी०के० गुप्त रेंज अधिकारी गोण्डा द्वारा नाम मात्र लकड़ियों को केवल करनैलगंज रेलवे स्टेशन पर सीज किया गया और मैजापुर तथा सरयू स्टेशन के लकड़ियों के सड़क मार्ग से गायब करा दिया गया है? क्या सरकार इस प्रकरण की पत्रावली मंगाकर संबंधित वन संरक्षक तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, श्री ए०के० सिंह तथा प्रभारी वन सुरक्षा दल तथा रेंज अधिकारी, गोण्डा को निलम्बित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

मा० पूर्व वन मंत्री जी द्वारा गोण्डा जिले के भ्रमण के दौरान केवल करनैलगंज रेलवे स्टेशन के मालगोदाम पर स्थित अवैध प्रकाष्ठ को सीज करने तथा मालगाड़ी के डिब्बों पर अवैध रुप से लदे प्रकाष्ठ पर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उन्होंने मैजापुर डिपो का भ्रमण नहीं किया था और न ही इस डिपो के सम्बन्ध में इस प्रकार के कोई आदेश दिये गये थे।

जी नहीं।

जी नहीं। प्रभारी वन सुरक्षा दल एवं श्री बी०के० गुप्ता, रेंज अधिकारी, गोण्डा द्वारा करनैलगंज, मैजापुर एवं सरयू स्टेशन पर स्थित अवैध रुप से लायी गयी समस्त लकड़ियों को सीज किया।

चूंकि अवैध रुप से लायी गयी लकड़ियों पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में निलम्बन जैसी कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

जनपद गोण्डा के ग्राम सभा पारा सरांय में अपात्र लोगों को भूमि का पट्टा दिये जाने की शिकायत

89–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के अन्दर ग्राम सभा पारा सरांय में दलितों को आवासीय पट्टे न देकर कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास काफी जमीन है, उन्हें परगनाधिकारी द्वारा अनियमित तरीकों से पट्टों का वितरण किया गया है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

वर्ष 1993–94 व 94–95 में कोई भी अनियमित आवासीय पट्टा ग्राम पारा सरांय, परगना, तहसील व जिला गोण्डा में नहीं हुआ है। जो पट्टे इस अवधि में हुए हैं, पात्र व्यक्तियों के पक्ष में है।

पट्टों की जांच कराई गई किन्तु इस अवधि में कोई अनियमित पट्टा नहीं हुआ है, अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग तुलसीपुर क्षेत्र में श्री तालूकदार खां के यहां अवैध कटान की लकड़ी बरामद होने एवं गलत जांच करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

90-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज तुलसीपुर में श्री ए०एम० राय तत्कालीन वन संरक्षक ने श्री तालूकदार खां प्रधान की शिकायत पर कुम्भिंग करायी थी जिसमें श्री एस०पी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी ने लिखा था कि अवैध कटान नहीं हुआ है और इसी शिकायत के आधार पर पुनः आर०पी० वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी ने कुम्भिंग की तो एक लाख रुपये से अधिक का अवैध कटान पाया गया? यदि हां, तो सरकार श्री एस०पी० सिंह तथा वन रेंजर एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामलखन वर्मा-

जी हां।

श्री डी०के० यादव, वन रेंजर व श्री एस०पी० सिंह तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी को दिये जाने वाले आरोप पत्र का परीक्षण किया जा रहा है तथा श्री शिव कुमार, वन दरोगा व श्री राम सुधि, वन रक्षक को आरोप पत्र दे दिया गया है।

वन विभाग के वन विदो आदि को उनके गृह जनपद से बाहर तैनात करने की मांग

91-श्री घश्याम शुक्ला-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा कोई शासनादेश है कि वन रेंजर/उप वन रेंजन वन विद को अपने गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायगा? यदि हां, तो इस शासनादेश के अनुपालन में सरयू वृत्त फैजाबाद के अन्तर्गत किस-किस वन प्रभाग से गृह जनपद में तैनात वन रेंजर/उप वन रेंजर/वन विद का स्थानान्तरण किया गया? क्या यह सही है कि वन विद अपने गृह जनपद में ही तैनात है? क्या सरकार शासनादेश के अन्तर्गत गृह जनपद में तैनात वन विदों को स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा-

जी हां। परन्तु यह शासनादेश वन विद पर लागू नहीं है।

सरयू वृत्त फैजाबाद के अन्तर्गत पूर्वी बहराइच, बाराबंकी, दक्षिण गोण्डा एवं सुल्तानपुर वन प्रभाग से एक-एक उप वन रेंजर को उनके गृह जनपद के बाहर स्थानान्तरित किया गया है।

जी हां। सम्बन्धित शासनादेश में ऐसा प्राविधान नहीं है कि उन्हें गृह जनपद में न रखा जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नौकाघाट बहराइच का ठेका मछुवारों को न दिये जाने की शिकायत

92-श्री अनिल कुमार-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुति पत्र जो कि बहराइच जिले में नौका घाट का ठेका मछुआरा समुदाय को न दिये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या उसे दिनांक २९।३।९५ को सचिव पंचायती राज को कार्यवाही के लिय भेजा गया है? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या वापस पुनः नौकाघाट का ठेका शासनादेश०/सरकार के आदेशानुसार उसे मछुवारा समुदाय को दिया जायगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जी हां।

पत्र जिला पंचायत, गोण्डा को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया था। उनके द्वारा मामले में यह बताया गया कि मथुरा घाट के संबंध में मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० सिसवारा इकौना, बहराइच को स्थानीय समिति घोषित किया गया है, इसी आधार पर मथुरा घाट के संचालन का ठेका उक्त समिति को वर्ष 1991-92 व 1992-93 में दिया गया था। वर्ष 1993-94 का ठेका इसी समिति के आवेदन पर रु० 38,578/- में शासनादेशों में की गयी व्यवस्था के अनुरुप ही दिये जाने का निर्णय जिला पंचायत, गोण्डा द्वारा लिया गया था किन्तु समिति द्वारा प्रस्तावित मथुरा घाट के ठेके की धनराशि रु० 38,578/- के सापेक्ष रु० 20,000/- दो किश्तों में जमा किया गया तथा शेष 18,578/- रुपये की धनराशि के लिये समिति द्वारा यह लिखकर दिये जाने के बाद भी कि दिनांक 27.9.93 तक शेष धनराशि समिति द्वारा नहीं जमा कर दिया जाता तो सिसवारा वाली समिति का धन जब्त कर किसी अन्य समिति को ठेके पर दिये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी, समिति द्वारा शेष धन जमा नहीं किया गया। चूंकि वर्ष 1993-94 के ठेके की तिथि दिनांक 1.10.93 से प्रारम्भ हो रही थी इस कारण से उक्त ठेका मत्स्य जीवी सहकारी समिति तुलसीपुर, गोण्डा के पक्ष में 3 वर्षों के लिये नियमानुसार शासनादेश में की गयी व्यवस्थाओं के अनुरुप ही मछुवारा समुदाय को दिया गया है। इसलिये मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० सिसवारा इकौना, बहराइच को उक्त नौकाघाट का ठेका वापस दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

क्षेत्र पंचायत बड़ागांव जिला वाराणसी में वी०डी०सी० के निर्वाचन के परिणाम गलत ढंग से घोषित किये जाने की शिकायत

93-श्री ऊदल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत बड़ागांव जिला वाराणसी के ग्राम पंचायत, पूरारघुनाथपुर खरावन, कुंडी, फुलवरिया, बसनी, लक्ष्मीपुर, मझगवां कलां में वी०डी०सी० के चुनाव में ए०आर०ओ० जो भूमि संरक्षण अधिकारी भदोही को बनाया गया था उसने विजयी घोषित प्रत्याशियों को विजयी न घोषित करके हारे हुये प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया है? क्या इस संबंध में डी०पी०आर०ओ० वाराणसी ए०के० सिंह को प्रार्थना पत्र दिनांक 20 व 21 व 24-4-95 को दिये गये हैं। यदि हां, तो क्या डी०पी०आर०ओ० वाराणसी ने जांच करायी? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों? क्या इसकी शिकायत राज्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक 22-4-95 व 27-4-95 को सोमारु व गुलाब ने जाकर दी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जी नहीं। निर्वाचन के मतों की गणना के परिणाम के अनुसार सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ही निर्वाचित घोषित किए गए हैं।

जी हां।

जी हां। रिटर्निंग आफिसर की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोमारु यादव, जिला मंत्री, डा० भीमराव अम्बेडकर महासभा, जौनपुर का पत्र दिनांक 27–4–95 आयोग को प्राप्त हुआ था। श्री यादव द्वारा उक्त पत्र में ग्राम पंचायत नाथूपुर, विकास खण्ड-सिरकानी, जिला जौनपुर की क्षेत्र पंचायत के वार्ड संख्या–28 के पुनर्मतदान कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त श्री गुलाब का पत्र दिनांक 24–4–95 आयोग में दिनांक 26–4–95 को प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा क्षेत्र पंचायत पूरारघुनाथपुर के निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड संख्या–8, 9, 10, 11, 12 व 13 में पुनः मतदान कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त शिकायती–पत्र आयोग में चुनाव परिणाम घोषित होने के उपरान्त प्राप्त हुए थे। चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। इस कारण उक्त शिकायती-पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के दलित, अनुसूचित, पिछड़ी जाति के जमीन संबंधी मामले को शीघ्र निस्तारित करने की मांग

94–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल के दलित अनुसूचित पिछड़ी जाति के व्यक्तियों द्वारा खेती योग्य भूमि जो सही विक्रेता द्वारा रजिस्ट्री बैनामा से क्रय की गयी है क्रेता के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हेतु अमल दरामद के मुकदमें जो तहसीलदार न्यायालय में फर्जी आवेदन पत्र के आधार पर दस से 12 साल तक मुकदमों का निस्तारण लम्बित है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत मामले के निस्तारण में सरलीकरण नीतिगत निर्णय लेकर दलितों को उनका स्वामित्व दिलाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा सिसवा बुजुर्ग विकास खण्ड सिसवा जनपद महराजगंज में भूमि सम्बंधी मामले की जानकारी

95–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा सिसवा बुजुर्ग विकास खण्ड सिसवा, जनपद महराजगंज में खतौनी संख्या–960/90 डिसमिल पर पोखरी दर्ज है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पोखरी पर कब्जा प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया गया है और पोखरी में मत्स्य पालन द्वारा हजारों–हजारों की आमदनी बिना ग्राम सभा को लाभांश दिये ही की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश के अन्तर्गत उपरोक्त पोखरी को सवर्ण प्रभावकारी व्यक्ति के कब्जे से लेकर बिन्दु, मल्लाहों को मत्स्य पालन के लिये पट्टा आवंटित करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम नारौल के अनुसूचित जातियों को आवंटित भूमि के पट्टों पर कब्जा दिलाने की मांग

96-श्री बदन सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम नारौल के अनुसूचित जातियों की आवंटित की गयी भूमि पर कई वर्ष बीत जाने पर भी तहसीलदार किरावली द्वारा कब्जे नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो इन अनुसूचित जाति के लोगों को उक्त भूमि पर कब तक कब्जा दिलवा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अगरा की तहसील किरावली में स्थित मांगरोल गूजर के जंगल में ग्राम के निवासियों के आने जाने हेतु सड़क बनवाने की मांग

97-श्री बदन सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित मांगरोल गूजर के जंगल में ग्राम के निवासियों को आने-जाने के लिये रोनकता से कोई सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या इस घने जंगल क्षेत्र में रोनकता रैनुका मार्ग से ग्राम मांगरोल गूजर तक वन विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया जायेगा? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा-

जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित रुनकता ग्राम से मांगरोल गूजर के आरक्षित वन में होकर ग्राम के निवासी आने जाने हेतु कच्चे रास्ते का प्रयोग करते हैं।

रुनकता-रेनुका मार्ग से ग्राम मांगरोल गूजर तक वनभूमि में सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि वानिकी प्रयोजन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है।

आगरा में ताज को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण की योजना

98-श्री बदन सिंह-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में स्थित ताज को प्रदूषण से बचाने के लिये वन विभाग उसके आस-पास वृक्षारोपण का वृहत कार्य कर रहा हैं? यदि हां, तो क्या प्रदूषण को दूर करने की क्षमता वाले दूध दार वृक्षों की प्रजातियां इस योजना के अन्तर्गत लगायी जा रही है? यदि हां, तो कौन-कौन सी दूधवार प्रजातियों के वृक्षों का किस संख्या में रोपण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा-

जी हां।

जी हां।

वर्ष 1993-94 एवं वर्ष 1994-95 में ताज को प्रदूषण से बचाने के लिए पीपल की 150, बरगद की 10 तथा पाकड़ की 110 दूधवार प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है।

ग्राम हड़िया माफी तहसील खलीलाबाद बस्ती में खलिहान हेतु छोड़ी गई भूमि पर कब्जे की शिकायत

99 श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हंडिया माफी तहसील खलीला बाद जनपद बस्ती में खलिहान हेतु कितनी भूमि आवंटित है? क्या यह सही है कि कुछ दबंग एवं प्रभावशाली व्यक्ति उक्त खलिहान हेतु आवंटित भूमि गाटा संख्या 276 पर कब्जा करके उसमें गोबर एवं कूड़ा रखने का गड्ढा बना रखा है? क्या मंत्री जी उक्त जमीन की पैमाइश कराकर इसे खाली कराने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत ग्राम में खलिहान हेतु 2-8-1 भूमि आरक्षित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थ नगर द्वारा विज्ञापन का भुगतान न किये जाने के सम्बंध में शिकायत

100–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् सिद्धार्थ नगर के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 164 दिनांक 5-2-1994 द्वारा किसी समाचार पत्र को विज्ञापन जारी किया गया? यदि हां, तो समाचार पत्र द्वारा बार-बार पत्र भेजने के बाद भी अब तक भुगतान न करने का क्या कारण है? क्या सरकार विज्ञापन के बिल भुगतान न करने एवं लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां।

विज्ञापन के बिल का भुगतान वाउचर संख्या 24 द्वारा दिनांक 23-3-94 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के कलेक्ट्रेट की परिसर में विगत वर्ष कराये गये निर्माण कार्य के बारे में विवरण

101–श्री परशुराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में वित्तीय वर्ष 1994-95 में नवनिर्माण/अल्प नवनिर्माण मरम्मत कार्य आदि (जे०ए०वर्क) कराये गये हैं? यदि हां, तो क्या यह कार्य सार्वजनिक निविदा के आधार पर कराये गये हैं या वर्क आर्डर द्वारा? निविदा और वर्क आर्डर के आधार पर कितने-कितने किन विभागीय आदेशों के अन्तर्गत कराये गये हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

कार्य सार्वजनिक निविदा/कोटेशन के आधार पर कराये गये हैं।

कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है। संलग्न-सूची में उल्लिखित सभी कार्य, सक्षम अधिकारी-जिलाधिकारी या अपरजिलाधिकारी (प्रोटोकाल) के आदेश से कराये गये है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ------176-- पर)

ग्राम हंडिया माफी/तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती में रामकेवल बच्चू चरन रामनाथ आदि अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को आवंटित पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

102–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हंडिया माफी/तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती में रामकेवल, बच्चू, चरन रामनाथ आदि भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पट्टे पर जमीन कई वर्ष पहले आवंटित की गयी थी? क्या वे लोग उक्त जमीन को जोत बो रहे थे? क्या गांव के कुछ लोग इन लोगों की फसल काट कर ले गये और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है? क्या मंत्री जी उक्त लोगों की जमीन का कब्जा दिलाने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत ग्राम में वर्ष 1976 में रामकेवल के पिता लालसा, चरन के पिता नगई आदि सात व्यक्तियों को कृषि हेतु पट्टे दिये गये। बच्चू व रामनाथ को कोई पट्टा नहीं दिया गया।

पट्टे वाली भूमि को आवंटी के परिवार वाले जोत बो रहे हैं।

जी नहीं। पट्टे वाली भूमि के विषय में कोई विवाद नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश स्तर पर विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन नियमित रुप से न मिलने की शिकायत

103–श्री मातवर सिंह कण्डारी

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन नियमित रुप से नहीं दी जा रही है? क्या यह सत्य है कि लम्बे अर्से से पेंशन का भुगतान विधवाओं, विकलांगों एवं वृद्धावस्था के लोगों को नहीं हो पा रहा है? विलम्ब का क्या कारण है? सरकार पेंशन को नियमित रुप से दिलाने की क्या योजना बना रही है?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां।

संसाधन की कमी के कारण वर्ष 94–95 की कुछ अवधि का भुगतान प्रश्नगत पेंशन योजनाओं में नहीं हो सका है। वृद्धावस्था पेंशन की योजना में छिटपुट मामलों में वर्ष 94–95 के पूर्व का भी भुगतान लम्बित है।

संसाधन की कमी से लक्ष्य के अनुरुप धनराशि की व्यवस्था का न हो पाना।

वर्ष 1995–96 में लक्ष्य के अनुरुप समुचित परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

तहसील तुलसीपुर जिला गोण्डा के विकास खण्ड गैसडी/पचपेड़वा में तालाबों का पट्टा मछुआ जाति के व्यक्तियों को न दिये जाने की शिकायत

104–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तुलसीपुर के अंतर्गत विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में वर्ष 1992, 1993, 1994 के 31 मई, 94 तक किस-किस ग्रामसभा में तालाबों का पट्टा मछुआ जाति के समुदायों को दिया गया और किस-किस ग्राम सभा में पात्र व्यक्तियों के नाम से पट्टा लेकर उच्च

जाति के लोग बेनामी तौर पर मत्स्य पालन का कार्य करते हैं? क्या सरकार दोनों विकास खण्डों के पट्टों का सर्वेक्षण कराकर ऐसे तालाब के पट्टों को निरस्त करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में वर्ष 1992/1993/1994 के 31 मई, 1994 तक कुल 6 गांव सभाओं मल्हा, गौरा, आदमतारा, बरगदवा सैफ, बेतहनिया, करैहिया, जीतपुर के मछुवा समुदाय के लोगों को पट्टे दिये गये।

ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

प्रश्न नहीं उठता।

गृह जनपदों में तैनात वन रेंजर/उपवन रेंजर/वन विद को स्थानान्तरण करने की मांग

105–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई शासनादेश निर्गत किया गया है कि वन रेंजर/उप वन रेंजर/वन विद अपने गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा? इस शासनादेश के अनुपालन में सरयू वृत्त फैजाबाद के अन्तर्गत किस–किस वन प्रभाग से अपने गृह जनपद में तैनात वन रेंजर/उप वन रेंजर/वन विद का स्थानान्तरण किया गया? क्या अब भी दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में वन विद अपने गृह जनपद में ही तैनात है?-क्या सरकार शासनादेश के अन्तर्गत गृह जनपद में तैनात वन विदों को स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां। परन्तु शासनादेश वन विद पर लागू नहीं है।

सरयू वृत्त के अन्तर्गत पूर्वी बहराइच, दक्षिण गोण्डा, बाराबंकी एवं सुल्तानपुर वन प्रभाग से एक-एक वन रेंजरों को उनके गृह जनपद के बाहर स्थानान्तरित किया गया है। जी हां। उक्त शासनादेश में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि वन विद को गृह जनपद में न रखा जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग के श्री नरेश बहादुर लाल श्रीवास्तव आशुलिपिक के ऊपर गबन के आरोप

106–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1990 से जून, 1992 तक कार्यरत श्री नरेश बहादुर लाल, आशुलिपिक के द्वारा उक्त अवधि में बिना अभिवाहन शुल्क वसूल किये पुराने निर्गत अभिवाहन पास में पूर्व अंकित ई 3 रसीद को उल्लिखित करके अभिवाहन पास निर्गत किया गया है? क्या इससे सरकार को लगभग 50 हजार रुपये की क्षति हुयी है? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष आडिट सेल से जांच करायेगी? क्या उक्त आशुलिपि को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रामलखन वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मैकू पुत्र श्री नन्हकऊ ग्राम सरैया तहसील पुरवा जनपद उन्नाव के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र के बारे में जानकारी

107–श्री रामजीत भारद्वाज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अनुमोदित श्री मैकू पुत्र नन्हकऊ, ग्राम सरैया तहसील पुरवा जनपद उन्नाव का पत्र दिनांक 5–5–1995 जो पैमाइश एवं कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

श्री मैकू पुत्र नन्हकऊ, ग्राम सरैया, तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव के चक संख्या 1320 की पैमाइश कराकर दिनांक 14–7–95 को कब्जा परिवर्तन करा दिया गया है, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बिसौली जनपद बदायूं के ग्राम टोडरपुर विकास खण्ड आसफपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पट्टा पर कब्जा दिलाने की मांग

108–श्री दया सिन्धु शंखधर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 40 बिसौली जनपद बदायूं के ग्राम टोडरपुर विकास खण्ड आसफपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित किये गये आवासीय तथा कृषि योग्य भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्या उत्तरदायी अधिकारी तथा कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य राजस्व अधिकारी गोरखपुर द्वारा वर्ष 1985–86 में अतिरिक्त भूमि को अवैध बैनामा घोषित कराये जाने की शिकायत

109–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र सिंह, श्री मानवेन्द्र सिंह निवासी सिसवा बाजार महराजगंज एवं श्री ओमकार सिंह, श्री सुनील कुमार सिंह निवासी शुम्हा ड्योढ़ी दरभंगा के नाम फर्जी भूमि जो बैनामी थी जिसको मुख्य राजस्व अधिकारी गोरखपुर वर्ष 1985–86 में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा की धारा 60 के अन्तर्गत एक हजार सैंतीस एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी थी? यदि हां, तो क्या अतिरिक्त

घोषित भूमि एक हजार सैंतीस एकड़ में से रजिस्ट्री बैनामा फर्जी व्यक्ति के किया गया है? यदि हां, तो क्या अतिरिक्त भूमि बेची गयी जिसकी जानकारी राजस्व विभाग को है? क्या उस भूमि में से कुछ भूमि फर्जी भूमि स्वामी को रजिस्ट्री बैनामा द्वारा बेचा गया है जिसकी अमल दरामद राजस्व विभाग निचलौल जनपद महराजगंज के द्वारा क्रेता का नाम भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज किया गया है? क्या इस प्रकार बैनामी जमीनों को हेरा फेरी किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं। खातेदारों की 1037 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित करने के लिए प्रस्तावित है जिसमें अग्रेतर कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित है।

जी नहीं।

जी नहीं।

वास्तविक भू-स्वामी द्वारा भूमि को रजिस्ट्री बैनामा द्वारा विक्रय किया गया है, जिसके आधार पर क्रेता का नाम भू-स्वामी के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा जनपद के वन संपदा की जांच की मांग

110–श्री घनश्याम शुक्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के सातवें गुरुवार के लिये निर्धारित अतां० प्रश्न संख्या–52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संपदा की गोण्डा जनपद के जांच के आदेश निर्गत किये गये थे? क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों को भेजकर प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई? जांच में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये? क्या सरकार दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

जी हां।

प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन रेंजर, वनविद व वनरक्षक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन/उद्योग धन्धों के प्रोत्साहन हेतु पट्टे दिये जाने की मांग

111–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन/उद्योग धन्धों के प्रोत्साहन

हेतु सरकार की घोषणा के अनुसार कितने पट्टे के आवंटन पर कब्जा दिया गया है? उनमें कितने पट्टे देवरिया जनपद के हैं? क्या तहसील वार सूची सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रदेश में कुम्हारों के मिट्टी के बर्तन/उद्योग धन्धों के प्रोत्साहन हेतु जून, 1995 तथा 23816 स्थलों के आवंटन के विरुद्ध 23806 स्थलों पर कब्जा दिलाया जा चुका है।

248 पट्टे देवरिया जनपद के हैं।

सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

जनपद अल्मोड़ा का पुनर्गठन किये जाने की मांग

112–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद का पुनर्गठन करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है? यदि हां, तो इस पुनर्गठन के द्वारा क्या रानीखेत को जिला बनाया जायेगा? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक घोषणा की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं, प्रकरण अभी विचाराधीन है।

ग्राम बरही नेवादा परगना पन्दह तहसील व जिला वाराणसी में भू-चित्र गायब होने की शिकायत

113–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बरही नेवादा परगना पन्दह तहसील व जिला वाराणसी के रिकार्ड रुम से फसली सन् 1247 तथा फसली सन् 1921 का नक्शा (भू चित्र) गायब है? क्या काश्तकारों को नक्शे की प्रति उपलब्ध कराने में रिकार्ड रुम के कर्मचारी अधिकारी अपने को असमर्थ पा रहे हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर रिकार्ड रुम को नक्शा उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

उपलब्ध नक्शा पुराना व जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण केवल उन भूखण्डों की प्रतिलिपियां जारी हो पाती है जिनकी आकृति नक्शे में सही हालत में है।

जिलाधिकारी, वाराणसी को सन्दर्भित भू-चित्र की प्रतियां राजस्व परिषद के अभिलेखागार से प्राप्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

114–श्री महेश बाल्मिकी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर के कुआडंड में कराये गये वृक्षारोपण से संबंधित प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

115–श्री परशुराम यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर के कुआडंड में कराये गये

वृक्षारोपण से संबंधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 10-1-95 के सन्दर्भ में श्री बी०के० शर्मा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग फैजाबाद द्वारा पत्रांक 2460/3303 दिनांक 4 फरवरी, 1995 द्वारा प्रश्नकर्ता को यह जानकारी दी गयी है कि प्रश्नगत वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कराया गया है? यदि हां, तो क्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लिखित रुप से अवगत कराये गये तथ्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन कराये जाने के बारे में शासन की ओर से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

विभागीय स्तर से जांच कराई गई जिसमें प्रश्नगत वृक्षारोपण को ग्राम समाज की भूमि पर कराया पाया गया। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्यारे लाल पुत्र श्री सुखन निवासी ग्राम मोलहे खेड़ा परगना गोड़वा तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के प्रार्थना पत्र दिसम्बर 1994 के बारे में जानकारी

116–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्यारे लाल पुत्र श्री सुखन निवासी ग्राम मोलहे खेड़ा, परगना गोड़वा तहसील सण्डीला जनपद हरदोई का इस आशय का प्रार्थना पत्र उन्हें दिसम्बर, 1994 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है कि चकबन्दी में काटे गये उनके चकों में अनियमितता की गयी है? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच का क्या परिणाम रहा? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री सुखन निवासी ग्राम मोलहे खेडा मजरा पुरवामान परगना गोड़वा तहसील सण्डीला जनपद-हरदोई के शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने पर उससे दूसरी प्रति प्राप्त की गयी जिसमें उसके उड़ान चक प्रविष्टि करने की शिकायत की गयी है।

जांच संयुक्त संचालक चकबंदी मुख्यालय द्वारा करायी गयी। अभिलेखों की जांच में शिकायत कर्ता के चक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी स्तर पर अपील में चक प्रविष्टीकरण में अनियमितता पायी जानी स्पष्ट होती है। शिकायत कर्ता ने उक्त अनियमितता के विरुद्ध उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी है, जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन है। उप संचालक चकबंदी को निर्देशित कर दिया गया है कि विचाराधीन विगरानी का निस्तारण जांच में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत शीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें। बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा चक प्रविष्टीकरण में की गयी अनियमितता के संबंध में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इटावा के ग्राम सैफई और जनपद बाराबंकी के सिरौली गौसपुर पर तहसील हेड क्वार्टर की स्थापना में व्यय का विवरण

117-श्री बदन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के ग्राम सैफई और जनपद बाराबंकी के सिरौली ग्राम में

तहसील हेड क्वार्टरों की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो इन नवसृजित तहसीलों पर शासन ने कितना रुपया खर्च किया?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

जनपद इटावा की नवसृजित तहसील सैफई के हेड क्वाटर की स्थापना पर रुपया 2,10,91050-00 खर्च किया गया तथा जनपद बाराबंकी की नवसृजित सिरौली गौसपुर के हेड क्वार्टर की स्थापना हेतु शासन द्वारा रुपया 186,96 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से अब तक रुपया 160,00 लाख खर्च किया जा चुका है।

भूतपूर्व ग्राम प्रधान सभा चोगरी में चोंगरी विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती द्वारा अपने कार्यकाल में किये गये राशि पट्टे का विवरण

118–श्री अखिलेश तथा श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भूतपूर्व ग्राम प्रधान चोगरी विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती द्वारा अपने कार्यकाल (वर्ष 1980 से मार्च, 1995 तक) में कितनी भूमि का पट्टा किया गया है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उनके द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के व्यक्ति उपलब्ध होते हुये भी अधिकांशत पट्टा अपने ही गांव (चोगरी) के उच्च जाति के लोगों को दिया है? क्या सरकार गैर भूमिहीन एवं उच्च वर्ग को दिये गये सभी पट्टे निरस्त करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत ग्राम में पूर्व प्रधान द्वारा किसी भी जाति को कोई पट्टा नहीं किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर तथा विकास खण्ड तारुन में दो दर्जन गांवों में रुके विधवा/विकलांग पेंशन के भुगतान की मांग

119–श्री परशुराम यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर के विकास खण्ड बीकापुर तथा विकास खण्ड तारुन के लगभग दो दर्जन गांव में रह रहे विधवा विकलांग और निराश्रित पेंशन पाने वालों की पेंशन रोक दी गयी है? यदि हां, तो पूर्व से पेंशन पाते चले आये लोगों की पेंशन किस आधार पर और कब से रोकी गयी है? क्या मंत्री जी पेंशन रोके जाने के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कराने और पेंशनार्थियों को बकाया पेंशन एवं लगातार पेंशन भुगतान किये जाने के लिये कार्यवाही करेंगे?

श्री श्रीराम पाल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा ग्राम सभा दुलहापुर बनकूट में स्वीकृत आवासीय पट्टे का मामला

120–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में ग्राम सभा दुलहापुर बनकूट में दिनांक

2-12-1994 को कुछ लोगों को आवासीय पट्टे स्वीकृत किये गये थे? क्या पट्टादारों को किये गये पट्टे के अनुसार जमीन न देकर घपला किया गया है? क्या सरकार पुनः पैमाइश कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी तथा कर्मचारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

गोण्डा जनपद में ग्राम सभा दुलहापुर बनकूट में दिनांक 2.12.94 को 26 पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टे स्वीकृत किये गये थे।

सभी पट्टेदारों को पट्टे के अनुसार आवंटित भूमि का स्थल पर पैमाइश कराकर कब्जा दिला दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण वन प्रभाग व उत्तर वन प्रभाग गोण्डा में हो रहे अवैध कटानों के संबंध में शिकायती-पत्र के बारे में जानकारी

121–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 मार्च, 1994 से 3 मार्च, 1994 तक दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के सभी रेंजों में तथा उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज बनकटवा/तुलसीपुर/रामपुर भाभर तथा रेंज गोण्डा में करोड़ों रुपये की अवैध कटान के सम्बन्ध में उनको तथा प्रमुख सचिव वन को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच श्री ए०एम० राय वन संरक्षक-जी एवं अनुसंधान 7 वां वृत्त उ०प्र० को सौंपी गयी थी? क्या जांच प्रारम्भ होने के एक ही सप्ताह के बाद श्री ए०एम० राय ने जांच स्थगित कर दी? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार वनों की कुम्भंग करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां, मा० वन मंत्री जी को सम्बोधित शिकायती-पत्र फरवरी, 1994 में प्राप्त हुआ था जिसकी जांच श्री ए०एम० राय, वन संरक्षक को सौंपी गयी थी।

जी हां। श्री ए०एम० राय, वन संरक्षक ने शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुये जांच कार्य अन्य अधिकारी से कराने का अनुरोध किया था।

विस्तृत जांच हेतु वन संरक्षक सरयू वृत्त फैजाबाद को आदेश दिये गये हैं।

मृतक राम सुमिरन पुत्र बहादुर यादव निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी को आर्थिक सहायता देने की मांग

122–श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 28 अगस्त, 1994 को राम सुमिरन पुत्र बहादुर यादव निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय तहसील रामनगर वर्तमान तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी की मृत्यु लगातार बारिस होने के कारण दीवार गिरने से दब कर हो गयी थी जिसके संबंध में कोई सरकारी आर्थिक सहायता न मिलने के कारण मृतक के पुत्र राम कैलाश की ओर से दिनांक 9 दिसम्बर, 1994 व 11 फरवरी, 1995 को पंजीकृत डाक द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी, बाराबंकी को भेजे गये थे? यदि हां, तो उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई और मृतक आश्रित को अब तक आर्थिक सहायता न मिलने के कारण क्या है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री राम सुमिरन पुत्र बहादुर यादव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय वर्तमान तहसील सिरौली गौसपुर तत्कालीन तहसील रामनगर की मृत्यु दिनांक 28–8–94 को दिन में लगभग 11 व 12 बजे के मध्य अचानक कच्ची दीवार गिरने से हुई थी। घटना की स्थलीय जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी।

यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना के दो-तीन दिन पहले न तो कोई वर्षा हुई थी और न ही घटना के दिनांक 28–8–94 को कोई आंधी-तूफान आदि दैवी प्रकोप घटित हुआ था। इस प्रकार यह मृत्यु दैवी आपदा के अन्तर्गत न होने के कारण कोई सहायता नहीं दी गयी।

मृतक के पुत्र राम कैलाश द्वारा दो शिकायती प्रार्थना पत्र क्रमशः दिनांक 6–12–94 व 10–2–95 प्राप्त हुए जिनके संबंध में जांच करायी गयी। मृतक की मृत्यु का कारण दैवी आपदा नहीं पाया गया फलतः मृतक के आश्रित को कोई आर्थिक सहायता देय नहीं है। दैवी आपदा के अन्तर्गत न आने के कारण प्रकरण निक्षेपित किया गया था।

123–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[तीसरे शुक्रवार में अता०प्र०सं०–197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री सांवल प्रसाद सेवानिवृत्त लेखपाल क्षेत्र हरहटा परगना तुलसीपुर तहसील बलरामपुर जिला गोण्डा के बकाये वेतनों के भुगतान की मांग

124–श्री हरी शंकर माहौर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री सांवल प्रसाद सेवानिवृत्त लेखपाल क्षेत्र हरहटा परगना तुलसीपुर तहसील बलरामपुर जिला गोण्डा जो दिनांक 31–5–93 को सेवानिवृत्त हुये थे और जो दिनांक 30–7–87 से 11–1–88 तक निलम्बित रहे थे, को उक्त अवधि का न तो जीवन निर्वाह भत्ता ही दिया और न माह जुलाई, 1987 का देय बकाया वेतन दिया गया? यदि हां, तो उक्त बकाया देय हेतु धनराशि का भुगतान विलम्ब से किये जाने हेतु दोषी कौन है? क्या सरकार उक्त धनराशि का भुगतान कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां। श्री सांवल प्रसाद सेवानिवृत्त लेखपाल दिनांक 31 मई, 1993 को सेवानिवृत्त हुए थे। वह दिनांक 30 जुलाई, 1987 से 4 जनवरी, 1988 तक निलम्बित रहे। उन्हें केवल 1 जुलाई, 1987 से 30 नवम्बर, 1987 तक का वेतन तथा 31 जुलाई, 1987 से 30 नवम्बर, 1987 तक का जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है। दिनांक 1 दिसम्बर, 1987 से 3 जनवरी, 1988 तक का जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जा चुका है।

शेष अवधि का वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान न करने के दोषी तत्कालीन तहसील बलरामपुर के रजिस्ट्रार कानूनगो श्री मोहम्मद इब्राहीम थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

जी हां। भुगतान योग्य धनराशि का बिल कोषागार में प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसके आहरण के उपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

125– श्री नजम उद्दीन–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी में अनुदान दिये जाने की मांग

126-श्री अजय कुमार पोइया—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1994 जो अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी में अनुदान दिये जाने के संबंध में है, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल—

जी नहीं। मा० विधायक का पत्र दिनांक 24-8-94 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र जिलाधिकारी, मथुरा को जांच हेतु भेजा गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

मा० समाज कल्याण मंत्री एवं समाज कल्याण अधिकारी को भेजे गये प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12 मार्च, 1995 के बारे में जानकारी

127-श्री महेश बाल्मीकि—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 12-3-95 समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर एवं समाज कल्याण मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं? क्या पत्र में उल्लिखित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो किस तिथि को? यदि नहीं, तो उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायत का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री श्रीराम पाल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

समाज कल्याण अधिकारी आगरा के विरुद्ध दर्ज मुकदमें के बारे में जानकारी देने की मांग

128-श्री बदन सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण अधिकारी आगरा द्वारा गांधी नगर पोस्ट आफिस में विधवाओं की पेंशन व स्कूल के छात्रों के वजीफा के सम्बन्ध में फर्जी खाते खोलने के मामले पर मुकदमा अपराध संख्या 933/93 धारा सं० 429, 420, 462, 471 के तहत थाना हरीपर्वत, आगरा में माह जनवरी, 1994 या फरवरी 94 में उनके विरुद्ध दर्ज किया गया था? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध इस मुकदमें में क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि समाज कल्याण अधिकारी आगरा के कार्यालय में अक्सर विधवाओं, वृद्धों तथा विकलांगों की पेंशन के विरुद्ध भारी अनियमितताओं की शिकायतें हैं? यदि हां, तो उक्त पेंशन पात्रों को सही समय पर पेंशन दिलाने हेतु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही विभाग द्वारा न किये जाने का क्या कारण है?

श्री श्रीराम पाल—

माह फरवरी, 1994 या फरवरी, 1994 में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी, अपितु प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27-12-93 को दर्ज करायी गयी थी।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक वानिकी अवध वन प्रभाग लखनऊ के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति के संबंध में कतिपय विवरण की जानकारी

129-श्री अजय कुमार पोद्दया–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी अवध वन प्रभाग लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक दैनिक वेतन पर नियुक्ति हेतु माह सितम्बर/अक्टूबर, 1994 में टाइप टेस्ट लिया गया था? यदि हां, तो टेस्ट में कौन-कौन अभ्यर्थी सम्मिलित हुये और कौन-कौन अभ्यर्थी सफल हुए? क्या यह सही है कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करके अनियमित रुप से असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न हीं नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा परगनाधिकारी अकबरपुर व मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद को एक फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के बारे में जांच हेतु लिखे गये पत्र के बारे में जानकारी

130-श्री अजय कुमार पोद्दया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्र संख्या–93/एस०टी०/मिस०शि०जांच/93, दिनांक 15-4-93 को परगनाधिकारी अकबरपुर व मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद को एक मुस्लिम जाति के व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति होना दर्शाकर शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने की जांच करने व प्राप्त धन की वसूली सुनिश्चित करने व तद्नुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या आदेश के अनुरुप परगनाधिकारी ने प्रथम सूचना दर्ज कराकर जांच करायी? यदि हां, तो कब और किस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं।

जी हां।

दिनांक 28-5-95 को थाना मालीपुर, फैजाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय शंकर पाण्डेय पूर्व जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा ग्राम कचपुर तहसील जलालपुर जिला फैजाबाद के प्रधान द्वारा किये गये पट्टे की जांच

131-श्री अजय कुमार पोद्दया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय शंकर पाण्डेय, पूर्व जिलाधिकारी, फैजाबाद ने

30.1.93 को ग्राम कचपुरा, तह० जलालपुर, जिला फैजाबाद के प्रधान द्वारा दिये गये पट्टों की जांच स्वयं मौके पर की थी और जांच के बाद संबंधित ग्राम की खतौनी पर कोई आदेश किया था? यदि हां, तो सम्पूर्ण आदेश को सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह बतायेंगे कि उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

जी हां।

आदेश की प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है। लेखपाल तथा प्रधान को निलम्बित किया गया था जो अब बहाल हो गये हैं। श्री इन्द्रदेव सिंह तत्कालीन परगनाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर में विकलांग, वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन धारकों को पूर्व एक वर्ष से पेंशन न मिलने की शिकायत

132–श्री धनराज यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विकलांग वृद्धा तथा विधवा पेंशन धारकों को विगत एक वर्ष से पेंशन नहीं मिली है? यदि हां, तो इन पेंशनरों को कब तक पेंशन का भुगतान करना सुनिश्चित हो जायेगा?

श्री श्रीराम पाल–

प्रश्नगत जनपद में वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा भरण–पोषण अनुदान का भुगतान वर्ष 1994–95 तक कर दिया गया है। विकलांग भरण–पोषण अनुदान की देयता के भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है, जिसको जनपदों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

ग्राम सभा पारा सराय जनपद गोण्डा में कुछ लोगों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने की शिकायत

133–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा सं० 722 ग्राम सभा पारा सराय तहसील गोण्डा पर कुछ लोगों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर गलत तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा खरगुपुर इमिलिया तहसील गोण्डा में खलिहान के लिये छोड़ी गई भूमि पर अवैध कब्जा किया जाना

134–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खरगुपुर इमिलिया तहसील गोण्डा में खलिहान के लिये गाटा संख्या–805(35डि०) छूटी थी? क्या उस पर कुछ गलत तत्वों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा

रहा है? क्या सरकार उक्त खलिहान की जमीन से कब्जा हटा कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा पड़री कृपाल तहसील व जिला गोण्डा की ग्राम सभा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत

135–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पड़री कृपाल तहसील गोण्डा में गाटा सं०–68-41 डि० जो कि ग्राम सभा की जमीन है, क्या उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने गलत तरीके से अतिक्रमण कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि उत्पादन मंडी समिति सहारनपुर के जनपद एवं तहसील दरा आली स्वाद के कतिपय भूमि पर कथित कब्जे का विवरण

136–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सहारनपुर के जनपद एवं तहसील दरा आली स्वाद के खसरा संख्या–477, 478, 479, 481, 482 तथा 484 को भूमि ग्रहण अधिनियम की धारा 6/17 के तहत दिनांक 30-9-1976 को अधिग्रहीत किया गया था? यदि हां, तो प्रत्येक खसरे में कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई थी? प्रत्येक खसरे में कुल भूमि में से उक्त मण्डी समिति को दिनांक 16-12-76 को कितनी भूमि पर मण्डी समिति को कब्जा दिया जाना शेष रह गया था? अधिहीत शेष भूमि पर कब्जा क्यों नहीं दिया गया?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

खसरा नं०	अधिग्रहीत क्षेत्रफल
477	0–7–0
478	0–9–0
479	0–17–0
481	1–2–0
482	0–11–0
484	0–16–0

उपरोक्त अंकित अधिग्रहीत समस्त भूमि का अधिकार कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सहारनपुर को दिनांक 16–12–76 को सौंपा जा चुका है।

उक्त गाटाओं का कब्जा दिया जाना अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग मुख्यालय पर कुछ पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के बारे में जानकारी

137–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वन विभाग मुख्यालय में दिनांक 7–11–94 को कुछ पदों पर नई भर्ती हेतु साक्षात्कार हुआ है? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के छटनीशुदा कर्मचारियों को इस भर्ती में नियमतः बुलावा पत्र भेजा गया था। यदि नहीं, तो क्या शासन इस साक्षात्कार/नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ द्वारा भेजी गई अभ्यर्थियों की सूची में से दो पदों हेतु दिनांक 7–11–94 को उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर नियुक्तियां की गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासन की नीति के विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने की शिकायत

138–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त उ०प्र० लखनऊ में शासन की स्थानान्तरण नीति 1994 के प्रस्तर तीन, पांच, चौदह व पन्द्रह का स्पष्ट पालन किया गया है? क्या विगत दस वर्षों से इस वृत्त में अधिकांशत कर्मचारियों को शासन की नीतियों के विरुद्ध यहां तैनात किया गया है? यदि हां, तो शासन की वन विभाग के लिये बनी स्थानान्तरण नीति 1994 के प्रस्तर तेरह के अनुसार दोषी तत्कालीन वन संरक्षक प्रशासन वन मुख्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त का संवर्ग वृत्त स्तर का है, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण इसी वृत्त में हो सकता है, इस वृत्त के मूल कर्मचारियों के स्थानान्तरण में स्थानान्तरण नीति का यथा संभव पालन किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग के प्रसार एवं जन सम्पर्क कार्यालय में डार्क रुम सहायक के पद पर अवैध नियुक्ति का मामला

139–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार एवं जनसम्पर्क कार्यालय में विगत दस वर्षों से फोटो फिल्म निर्माण व डार्क रुम कार्यरत नहीं है? क्या उक्त कार्य बाहर से ही प्रसार एवं जनसम्पर्क कार्यालय कराता है? क्या यह भी सत्य है कि इस वृत्त में डार्क रुम है ही नहीं? क्या शासन अवगत है कि नवम्बर, 94 में वर्तमान वन संरक्षक प्रसार

एवं जनसम्पर्क ने डार्क रुम सहायक पद पर अवैध ढंग से बिना आवश्यकता की भर्ती की है? क्या शासन इन नियुक्तियों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां। विभाग में श्याम श्वेत फिल्म के धोने व बनाने की सुविधा थीं। पिछले 10 वर्षों से रंगीन फिल्म के आ जाने के कारण कार्य बाहर से कराना पड़ता है। फिल्म निर्माण की सुविधा विभाग में उपलब्ध नहीं है।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग के प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त में वर्ष 1994 में कतिपय पदों पर हुई भर्तियों के बारे में शिकायत

140–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त में नवम्बर, 1994 में हुई कुछ पदों पर भर्तियों की जांच सचिव/प्रमुख सचिव, वन से करायेंगे? क्या यह सत्य है कि इस वृत्त के वन संरक्षक ने उक्त नियुक्तियां वन सचिव, उ०प्र० के पद रिक्त होने पर की है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शासनादेशों के अन्तर्गत छंटनीशुदा बन्द हो चुके राज्य संस्थानों के पूर्व कर्मचारियों को समायोजित करने का स्पष्ट उल्लंघन कर यह सभी नियुक्तियां की गयी है। इन भर्तियों की आवश्यकता और औचित्य क्या है? क्या सचिव वन की जांच आख्या एवं समस्त कार्यवाही मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री रामलखन वर्मा–

जांच की आवश्यकता नहीं।

जी हां।

किन्तु इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी सचिव वन नहीं हैं।

जी नहीं। उक्त नियुक्तियों में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। सेवायोजन कार्यालय से नियमानुसार पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त कर नियुक्तियां की गयी हैं।

शासनादेशों के अनुपालन में रिक्तियों के विरुद्ध पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण करना।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वन महोत्सव 1994 में जनता की भागीदारी के लिए प्रसार एवं जनसम्पर्क द्वारा वृक्षारोपण कार्य में कथित असफलता के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

141–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 94 में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में जनता की भागीदारी के लिये प्रसार एवं जन सम्पर्क, उ०प्र० द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण के लिये पूर्व वर्षों की भांति प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में जनहित में विज्ञापन प्रकाशित कराने में सफलता मिली है? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये वन

संरक्षक, प्रसार एवं जनसम्पर्क दोषी है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी नहीं।

जी नहीं।

विज्ञापन नियमानुसार निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को प्रकाशन हेतु भेजे गये थे। बजट की कमी के कारण उनके द्वारा विज्ञापन को प्रकाशित कराना संभव नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

142–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम सैदापुर तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में चकरोडों एवं सम्पर्क मार्गों पर अनधिकृत कब्जा की शिकायत

144–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सैदापुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कुछ चकरोड, सर्विस रोड नालियों व नवीन परती की जमीनों को काश्तकारों द्वारा जोत कर अपने खेतों में मिला लिया गया है? यदि हां, तो क्या तुरन्त पैमाइश कराकर उन्हें उन काश्तकारों से छोड़वाने का आदेश करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

पैमाइश कराये जाने के उपरान्त 23 काश्तकारों द्वारा किये गये अवैध कब्जे हटा लिये गये हैं। अवैध कब्जा न हटाने वाले 9 व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली का वाद कायम करा दिया गया है।

अन्य 15 व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व से बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

145–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला सुल्तानपुर में प्रश्नगत स्थानों पर टैक्सी स्टैण्ड के ठेके का मामला

146–श्री परशुराम यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन के अनुसचिव ध्यानपाल सिंह चौहान द्वारा पत्र सं०–45वीआई०पी० (2)/33-2-95-19वी/92, दिनांक 29 मार्च, 95 पंचायती राज अनुभाग–2 द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत, सुल्तानपुर को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के द्वारा फैक्स से आदेश भेजकर टैक्सी स्टैण्ड धनपतगंज, हलियापुर-कूड़ेभार-कटका-बानकार का ठेका गत वर्ष (1994-95) में स्वीकृत ठेका/अनुबन्ध दरों

में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके छविलाल पुत्र श्री सत्यनारायण व अन्य को दिये जाने हेतु आदेश भेजा है? यदि हां, तो आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन सुल्तानपुर/अध्यक्ष, जिला पंचायत, सुल्तानपुर द्वारा करा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां। पंचायत चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए शासन के रेडियोग्राम दिनांक 30 मार्च, 1995 द्वारा पड़ाव अड्डा के ठेके/लाईसेंस पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 1995 का तत्समय अनुपालन नहीं किया जा सका। इसी सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2470 बी/3-2-95-69जी/92, दिनांक 26 मई, 1995 के अनुपालन में प्रश्नगत टैक्सी स्टैण्डों के पुराने ठेकेदारों से दिनांक 20-6-95 को नियमानुसार धनराशि जमा करा ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम पंचायत दुमदुमवा के प्रधान द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने की शिकायत

147–श्री धनराज यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उस्का बाजार, विकास खण्ड में ग्राम पंचायत दुमदुमवा में प्रधान पद में पिछड़ी जाति (महिला) के लिये आरक्षित था? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त ग्राम पंचायत में श्रीमती साफिया पत्नी मो० अली ने फर्जी तौर पर कर्मचारियों को साजिश में लेकर पिछड़ी जाति (फकीर) का प्रमाण पत्र हासिल करके प्रधान पद की प्रत्याशी बन गयी जबकि साफिया के पति मो० अली तथा उनके पूर्वजों के नाम पुराने राजस्व अभिलेख में फकीर दर्ज नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार गलत तरीके से दी गयी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र वापस लेने एवं प्रमाण पत्र देने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां।

मामला सक्षम न्यायालय में लम्बित है।

148–श्री अजय कुमार पोइया–

[4थे सोमवार में अता०प्र०सं०–84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग के रेंज कतरनियाघाट/निशानगाड़ा में अवैध कटान के लिए दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

149–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन वन संरक्षक, श्री ए०एम० राय, फैजाबाद ने अपने कार्यकाल में पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग के रेंज कतरनियाघाट/निशानगाड़ा में अवैध कटान की कुम्बिंग करायी थी, जिसमें लगभग 10 लाख रुपये का अवैध कटान सिद्ध पाया गया? क्या जांच आख्या मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी गयी है? क्या अवैध कटान में संबंधित रेंज अधिकारी एवं उप वन रेंजर, वनविद तथा वन संरक्षक तथा तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, श्री के०के० बंसल दोषी पाये गये? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां। प्रश्नगत वन प्रभाग की कुम्बिंग कराने पर रुपये 11,77,679.00 का अवैध कटान पाया गया।

जी हां।

प्रश्नगत अवैध कटान में जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी प्रतीत हुये है, उनके विरुद्ध जांच/कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

ग्राम सभा सुवारपुर विकास खण्ड अकबरपुर, फैजाबाद के कुछ ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर से अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिये शिकायती-पत्र

150–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुवारपुर, विकास खण्ड अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के कुछ ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा की भूमि गाटा सं०–435/54 पर किये गये अनाधिकार कब्जे को हटवाने के लिये प्रार्थना पत्र माह दिसम्बर, 94 व माह जनवरी एवं फरवरी, 95 में परगनाधिकारी, अकबरपुर व मुख्य राजस्व अधिकारी, फैजाबाद को दिया था? यदि हां, तो उन प्रार्थना पत्रों पर किन-किन अधिकारियों ने क्या आदेश किये हैं? उन आदेशों के अनुरुप संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

151–153-श्री नन्द लाल पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाये गये]

जनपद टिहरी गढ़वाल के कतिपय कुष्ठ कालोनियों में रह रहे रोगियों को पेंशन दिये जाने तथा हाथकरघा उद्योग लगाने की मांग

154–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ कालोनी भजनगढ़ मुनिकीरेति, तपोवन एवं ब्रह्मपुरी, टिहरी गढ़वाल में कितने-कितने कुष्ठ रोगी रहते हैं? कितने कुष्ठ रोगियों को पेंशन दी जाती है तथा कितने कुष्ठ रोगी पेंशन से वंचित हैं? क्या सरकार सभी कुष्ठ रोगियों को पेंशन देगी तथा इन रोगियों की आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु हथकरघा उद्योग भजनगढ़ में लगायेगी?

श्री श्रीराम पाल–

भजनगढ़ (मुनिकीरेति) में 52, तपोवन में 62 एवं ब्रहमपुरी में 46 कुष्ठ रोगी हैं।

7 व्यक्तियों को विकलांग भरण-पोषण अनुदान तथा 84 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।

निराश्रित विकलांग भरण-पोषण अनुदान तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता में आने वाले किसी भी कुष्ठ रोगी का आवेदन-पत्र अनिस्तारित नहीं है।

मात्र कुष्ठ रोगी होने के आधार पर पेंशन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है, अपितु प्रचलित पेंशन योजनाओं की

नियमावली के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध संसाधन तथा निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक पेंशन स्वीकृत किया जा सकता है।

यदि कोई स्वैच्छिक संगठन प्रश्नगत मोहल्ले में हथकरघा के माध्यम से कुष्ठ उपचारित व्यक्तियों का प्रशिक्षण/पुनर्वासन करना चाहेगी तो शासन सहायता देने पर विचार कर सकता है।

ग्राम सभा ढिड़ौहा तहसील व विकास खण्ड सदर जिला बस्ती के पेंशन धारक विधवाओं को नियमित पेंशन न मिलने की शिकायत

155–श्री मुरलीधर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के छठें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री ग्राम सभा ढिड़ौहा, तहसील व ब्लाक सदर, जनपद बस्ती की उन विधवाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें वर्ष 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 में विधवा पेंशन दी गयी? क्या यह सही है कि उन विधवाओं को जिन्हें विधवा पेंशन स्वीकृत है, पेंशन का नियमित भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल–

प्रश्नगत ग्राम सभा की निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान प्राप्त लाभार्थियों की सूची संलग्न है।

प्रश्नगत ग्राम सभा की निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को वर्ष 1994–95 तक का भुगतान हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ---179--- पर)

जनपद पौड़ी तथा चमोली में वर्ष 1993 में भारी वर्षा एवं ओला वृष्टि से हुयी क्षति की पूर्ति हेतु विशेष योजना की जानकारी

156–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी तथा चमोली में विगत वर्ष 24 जुलाई, 93 एवं 13, 14 सितम्बर, 93 को हुई भारी वर्षा तथा ओला वृष्टि से कहां-कहां और कितनी क्षति हुई है? क्या जनता के लिये कोई विशेष योजना राहत की बनायी गई है? यदि हां, तो क्या? क्या सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा मिल गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 24 जुलाई 93 एवं 13, 14 सितम्बर, 93 को भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि से जो क्षति हुई थी उसका विवरण निम्नवत् है:–

नाम	तहसील	प्रभावित कृषि क्षेत्र-	मकानों की	जीव हानि	
	फल (हे०मी०)	की		मनुष्य	पशु
1	2	3	4	5	
1.	पौड़ी	6.107	340	2	49
2.	लैन्सडोन	22.930	320	3	91
3.	कोटद्वार	285.816	133	2	94
4.	थली सैण	–	259	–	24
5.	धुमाकोट	8.450	143	–	9
योग–		323.303	1195	7	267

प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा हेतु कोई विशेष योजना बनाई नहीं गई है, क्योंकि तत्काल कोई खतरा नहीं था फिर भी भूमि संरक्षण विभाग द्वारा प्रभावित ग्रामों के सुरक्षा हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

अतिवृष्टि से हुई जन, धन की हानि पर सभी प्रभावितों को अनुमन्य राहत सहायता वितरित की जा चुकी है। मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जहां तक जनपद चमोली का प्रश्न है। इस जनपद में दिनांक 24 जुलाई 93 एवं 13, 14 सितम्बर, 93 को भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से कोई क्षति नहीं हुई। अतः राहत योजना बनाये जाने एवं राहत वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।

[12 बजकर 20 मिनट]

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 33(2) में व्यवस्था है कि तारांकित प्रश्न एक दिन में कम से कम 20 लिये जायेंगे। मैं एजेंडा देख रहा हूं पहले एक दिन में 20 साथ तारांकित लिये जाते थे अब 15 सवाल ही रोज आ रहे हैं। मैंने पता लगाने की चेष्टा की है न नियमों को कोई संशोधन हुआ कि 20 की जगह 15 लिये जायेंगे न नियम समिति ने निर्णय लिया है तो यह कटौती करने का क्या कारण है? माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का अधिकार है और प्रश्नों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा माननीय सदस्य करते हैं तो उस अधिकार में कटौती करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप नियम 33(2) देख लें उसके अनुसार 20 तारांकित प्रश्न कार्यसूची में आते हैं। जबसे यह सत्र प्रारंभ हुआ है हमेशा 15 सवाल आ रहे हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी यह पूर्व अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार ले रहे हैं तो यह 20 सवालों के अंतर्गत ही गिना गया था परन्तु आगे 20 सवाल ही लिये जायेंगे। 20 सवालों से कोई एक भी कम सवाल नहीं लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं पूर्व अध्यक्ष जी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं आभारी हूं कि आपने एक सही निर्णय लिया, हमारे अधिकारों की रक्षा की।

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी ने ध्यान दिलाया है तो यह पूर्व अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार ही लिये जा रहे हैं। आपने जो अनुरोध किया है अगले सत्र से 20 सवाल लिये जायेंगे, 20 से एक भी कम नहीं लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगले सत्र का कारण तो मेरी समझ में नहीं आया, आप कल से ही इसे शुरु कर दीजिए। 20 सवाल तो रोज आ नहीं पाते हैं, किन्तु जो तारांकित सवाल होते हैं, उसकी माननीय मंत्री जी ब्रीफिंग और तैयारी भी करते हैं, इसलिए उन प्रश्नों के उनके संज्ञान में आने से शायद कुछ के सम्बन्ध में हमारा परपज साल्व हो जाता है। तो माननीय पूर्व अध्यक्ष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं आपसे आग्रह करुंगा कि इसे आप कल से ही लागू कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप तो जानते ही होंगे कि यह सवाल लग चुके हैं, ये पहले के निर्देश के तहत लगे हैं और शासन को भेजे गये हैं और तद्नुसार उनके उत्तर भी आ रहे हैं। अतः इस समय व्यवस्था बदलने से असुविधा होगी, लेकिन अगले सत्र से 20 सवाल ही तारांकित लिये जाएंगे।

नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखे जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव मौखिक रुप से रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

उसमें तो यह रख ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इस बात से पूर्ण अवगत होंगे कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नेता सदन के परामर्श से ही रख सकते हैं। यदि आप नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री जी से....।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसमें नेता सदन का कोई उल्लेख नहीं है, आप नियम देख लें।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, जो स्वस्थ परम्परा इस सदन की है, उसका अनुपालन बहुत जरुरी है।

श्री प्रमोद तिवारी–

नियम की परिभाषा आप देख लें...

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

उसमें लिखा है कि यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, और अध्यक्ष ने कह दिया है कि आप न रखिये यह प्रस्ताव।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा सिर्फ यह कहना है कि आज जितने कार्य हैं उनका ध्यान रहे। आपको बजट पर बोलना है, कल्याण सिंह जी और किरनपाल सिंह जी को बोलना है। साथ ही मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर भाषण भी देंगी। इसके अलावा आज नियम 56 में कई बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। मैंने तो कहा था कि उ समें से एक को ले लिया जाए और आप का आग्रह था कि सबको ले लिया जाए हम देर तक भी बैठेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप नियम 110 के तहत कोई संकल्प या प्रस्ताव न रखें। अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27 जुलाई, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखे जाने की मांग (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी–

यह कहा गया कि उसमें संसदीय कार्य मंत्री की सहमति आवश्यक है...

श्री अध्यक्ष–

और नेता सदन की परम्परा के अनुसार।

श्री प्रमोद तिवारी–

लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई, मैं नेता सदन के विपरीत ही कोई प्रस्ताव लाना चाहूं, तो मैं कैसे उनको सहमत करा सकता हूं?

श्री अध्यक्ष–

नियम 110 में जो विषय दिये हुए हैं, उसी में से...

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x xx xx]

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

क्या आपने इन्हें अनुमति दे दी है? यदि नहीं तो जो तिवारी जी बोल रहे हैं उसको लिखा न जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

नियम 110 में प्रस्ताव लाने के लिए मैंने कोई अनुज्ञा नहीं दी है। आपने जो नियम 110 के तहत अनुमति चाही थी, मैंने उसमें कोई अनुमति नहीं दी है।

आज जिन सदस्यों ने नियम–301 के अन्तर्गत सूचना दी है, उनको सुन रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x xx xx]

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आपने अगर अनुमति न दी हो तो बिना अनुमति के जो बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हो रही गंभीर अनियमितताओं की सतर्कता विभाग से जांच करने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

महोदय, आपके माध्यम से लोक-महत्व के निम्न विषय को सदन में सज्ञान में लाना चाहता हूं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 3 जून, 1995 तक नियुक्त रहे विशेष कार्य अधिकारी ने मानचित्रों की स्वीकृति में गम्भीर अनियमिततायें बरती है। मास्टर प्लान वा लेआउट के विपरीत निजी कालोनियों व भवनों आदि के मानचित्र स्वीकृत किये जिनमें न्याय बिहार, आनन्द बिहार व पंचवटी कालोनी प्रमुख है। पूरे नगर में अनेक अवैध निर्माण उक्त अधिकारी के संरक्षण में हुये है। आवासीय भवनों में बड़े-बड़े मार्केट बन गये हैं उक्त अधिकारी ऐसे निर्माणों को रोकने या उन्हें गिराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। अनुसूचित रुप से धन न देने वाले व्यक्तियों के निर्माणों को बिना किसी नोटिस दिये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना गिरा दिया गया था इसमें ऐसे भी कई निर्माण थे जो नियमानुसार कम्पोडन्डेबिल थे। सत्ता के संरक्षण का रौब देकर उक्त अधिकारी ने गाजियाबाद से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की है। प्राधिकरण का बुल्डोजर व पुलिस लोगों से धन ऐंठने का उसके लिए साधन बन गई थी। किसी सरकार अधिकारी द्वारा इस प्रकार अवैधानिक कार्य करना जनता से धन वसूलना गंभीर मामला है। यदि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न हुई तो लोगों का सरकार व व्यवस्था पर से विश्वास उठ जायेगा उक्त अधिकारी द्वारा किये गये समस्त कार्यों की सतर्कता विभाग से जांच कराकर दण्डित किया जाना आवश्यक है। इस लोक महत्व मामले की सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के कतिपय क्षेत्रों में अतिवृष्टि बाढ़, भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त होने तथा बीमारी फैलने के संबंध में नियम 302 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद टम्टा–

महोदय, मेरे क्षेत्र में अतिवृष्टि बाढ़ भूस्खलन से लाहूर घाटी, कनडगढ़ घाटी पुगर घाटी, रावलसे घाटी

नोट [xx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जंगन घाटी, छीरगंगा घटगांड़ में काफी क्षति हुई है कई मकानों, पशुओं फसल व खेतों का नुकसान हुआ है जिसमें यातायात भी बन्द है। सिंचाई पेयजल, पुलिया तथा पैदल जिला परिषद् मार्ग भी टूट फूट चुके है। लोगों को खाद्यान्न एवं पीने के पानी की विकट समस्या पैदा हो चुकी है और मेरे क्षेत्र के विकास खण्ड कपकोट में भूकम्प के झटके भी आ रहे हैं। जनजीवन खतरे में हैं। सरकार को ऐसे क्षेत्र में वायरलेस सेट व राहत कार्य की व्यवस्था क्षेत्र में कैम्प लगवाकर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की जनता को इस होने वाले हादसा से बचाया जा सकता है। अतः इसमें सुव्यवस्था की मांग करता हूं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जगथाना, कन्यालीकोट, दाढीमखेत जांख पन्द्रहपाली, बालीघाट, खातीगांव, रावतसेरा, दोफाड़ बनलेख सुमदील तूपेड चिडंग, घटगांड खनगाड़, गोपीयागाड़ छीरगंगा, बोरगांव, बिलौना, कापलीगेर, ओखलीसीरीद, कालीगाड़ सैज नोगांव चनौदा, पंचीसी कोसी, नदी तक काफी त्राहि-त्राहि मची है इस वर्ष कुछ नये गांवों की भी क्षति हुई है जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है खाद्यान्न की मुख्य समस्या है। पैदल मार्गों के अतिरिक्त मोटर मार्ग भी टूट चुके है। इस क्रम में यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में उल्टी दस्त का काफी प्रकोप है। 20 मौतें से अधिक मौत हो चुकी है। अभी तक राहत कार्य व बीमारी के रोकथाम के ठोस कार्यक्रम सरकार की ओर से बार-बार मांग करने पर भी नहीं उठाये गये है। अतः मैं उक्त दैविक आपदाओं में हैलीकाप्टर द्वारा राहत पहुंचाने व समस्याओं की सुव्यवस्था की मांग करता हूं।

उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम की वित्तीय व्यवस्था तथा स्टाफ अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

महोदय, संसाधनों के अभाव से उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग, जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण फोरमों के क्रिया कलाप एक वर्ष से पूर्णरुपेण ठप्प है उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु यह प्रभावी आयुध है। घोषित स्तर से घटिया उपभोक्ता सामग्री, मिलावट कम तौल गारन्टी अवधि से पहले माल खराब होना आदि के विरुद्ध उपभोक्ता वाद प्रस्तुत करते है कार्यकलाप ठप्प होने से वर्षों से वाद लम्बित है। नये मामलों में अनुतोष का कोई रास्ता नहीं। सीतापुर सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में विगत एक वर्ष से भत्ता आदि नहीं मिला। स्टाफ भी वापस ले लिया गया। इससे वादकारी न केवल भटक रहे हैं वरन् उनहें आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। उच्च न्यायालय ने भी हाल में आयोग के पंगु हो जाने को बड़ी गम्भीरता से लिया है। सरकार को निर्देश देने के बाद भी सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई। उपरोक्त कारण से प्रदेश के समस्त उपभोक्ताओं में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है कि वर्तमान सरकार ने भी कई बार ध्यान आकृट करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला। इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि इन्हें प्रभावी बनाने हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा स्टाफ अविलम्ब दिया जाय।

श्रम मूल्यांकन के आधार पर वेतन व पारिश्रमिक निश्चित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गया चरन दिनकर–

मान्यवर, ससम्मान अवगत कराना है कि जीवन यापन के लिए कृषि कार्य मजदूरी, सरकारी सेवा, व्यापार आदि उपायों का सहारा लेना पड़ता है। धनोपार्जन के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्रयास लोग करते है। जीवन यापन के लिए शक्ति, धन एवं विवेक का होना परमावश्यक है। धन एकत्र करने की हवस ने मनुष्य को विभिन्न स्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया है सम्पूर्ण प्रदेश में यह कटु सत्य स्पष्ट है कि अपने हाथ से अनाज पैदा करने में सक्षम व्यक्त के पास कृष योग्य भूमि नहीं, परिश्रमी व्यक्ति के पास धनोपार्जन के साधन व पूंजी न होने के कारण 10 से 12 घंटे लगातार प्रतिदिन परिश्रम करने के उपरान्त परिश्रम का मूल्य नहीं मिल पाता है, जबकि अपने हाथ से कृषि कार्य करने में अक्षम व्यक्तियों के पास उपयोग से लाखों गुना अधिक, भूमि, नाकारा एवं

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

आलसी लोगों के पास धनोपर्जन के पर्याप्त साधन पूंजी है। उपभोग से कहीं अधिक कुछ विशेष लोगों के हाथ चल अचल सम्पत्ति अनवरत धुवीकृत हो रही है परिणामतः प्रदेश में बहुसंख्यक लोग बेरोजगारी, निर्धनता, भुखमरी, आदि से ग्रसित होते जा रहे है। बहुसंख्यक समाज अर्थविहीन होने के कारण अमानवीय कुकृत्यों, भेदभाव अन्याय अत्याचार, का शिकार होता जा रहा है। परिणामतः एक मनुष्य, मनुष्य के बीच अर्न्तद्वन्द्व बढ़ रहा है जो निकट भविष्य से प्रदेश के लिए भीषण संकट का कारण बन सकता है यह पूरे प्रदेश की जनता की जिन्दगी मौत से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके निवारण हेतु श्रम के मूलयांकन के आधार पर पारिश्रमिक वेतन सुनिश्चित किया जाना ही सही व सटीक हल है। अतः विनम्र अनुरोध है कि प्रश्नगत समस्या के निवारणार्थ श्रम मूल्यांकन के आधार पर वेतन व पारिश्रमिक निश्चित करने हेतु प्रभावी आदेश पारित करने का कष्ट करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 302 के अन्तर्गत सूचना

*श्री छोटेलाल (हरदोई)–

मान्यवर, ससम्मान आवगत कराना है कि सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकांशतः ऐसे नगरों/महानगरों/शहरों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने की परम्परा है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में आकर जन संख्या वृद्धि में विशेष सहयोग देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई/विद्युत/सुरक्षा/चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था न होने एवं रोजगार सुलभ न होने के कारण दिनोदिन पलायन शहरों की ओर जारी यदि ऐसे स्थानों में जहां की जनसंख्या बहुत कम है वहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर दी जाय तो जनसंख्या घनत्व नगरों महानगरों शहरों की और अधिक होने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन बन्द हो जाए, एवं समानता की स्थित उत्पन्न हो। शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन व औद्योगिक, तकनीकी शिक्षा के अभाव में बेरोजगारों की संख्या पर्याप्त है खाली हाथ शैतानियत की ओर बढ़ने की सम्भावना बलवती करते है। यदि खाली हाथों को रोजगार दिलाकर व्यवस्थित कर दिया जाए तो शहरों की जनता ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाना आसान महसूस करेगी। जनसंख्या का घनत्व एक समान सम्पूर्ण प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक खुशहाली का प्रतीक बने, तथा जनता की धुवीकरण से उत्पन्न संभावित संकट का हल निकल सकें। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि नगरों शहरों महानगरों में बढता जनसंख्या घनत्व एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की स्थित पर नियंत्रण हेतु कम जन संख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रभावी आदेश पारित करने की कृपा करें।

आगरा जनपद में वर्षा की कमी होने से सिंचाई व्यवस्था भरपूर किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश कान्त लवानियां–

महोदय, आगरा जिला में इस साल पिछले साल की अपेक्षा एक चौथाई वर्षा भी नहीं हुई है। 1994 में 14 जुलाई तक 158 मि०मि० वर्षा हुई थी। इसी अवधि में इस वर्ष सिर्फ 38 मि०मि० वर्षा हुई है जो कि पिछली साल की अपेक्षा चौथाई भी नहीं है। कम वर्षा होने के कारण ही खरीफ की मुख्य फसल बाजरा को अभी तक नहीं बोया जा सका है। जिले में कुल 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है जिसमें से सिर्फ 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की जा सकी है। लक्ष्य के अनुसार बाजरा की बुवाई शायद ही हो पावें। अगर बाजरा की फसल ठीक न हुई तो गरीब किसान का आर्थिक ढांचा चरमरा जायेगा। सूखा होने पर फसल में दीमक का प्रकोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में फसली ऋण का वितरण तेजी से होना आवश्यक है ताकि सिंचाई की वैकल्पिक उपाय हो सके। व्यवसायिक बैंक तथा सहकारिता विभाग द्वारा वसूली को रोका जाना भी जनहित में जरुरी है। जिले में 28 नलकूप खराब पड़े है। जानवरों के लिये चारे की कमी हो गयी है। तहसील स्तर से 43 तालाब अभी तक नहीं भरे गये है। आगरा जनपद में इस गम्भीर स्थिति से किसानों व आम जनता के सामने गम्भीर संकट पैदा हा गया है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जायें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

आगरा महानगर के पश्चिम (आरक्षित) क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० राम बाबू हरित–

महोदय, आगरा महानगर के पश्चिम (आरक्षित) क्षेत्र में ज्यादातर दबे पिछड़े गरीब अल्पसंख्यक मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं यहां मलिन बस्तियों की भी अधिकाधिक संख्या है। आये दिन यहां पर बिजली गुल होती रहती है। विद्युत पोल नीचे से गल गये है जिनकी संख्या लगभग 200 है। विद्युत तार जर्जर हो रहे है। बरसात के समय पोलों में विद्युत करेण्ट आ जाती है जिससे कई बच्चे, महिलायें, यहां तक गायें व अन्य जानवर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके है शाहगंज फ्रेण्डस कालोनी के एस०डी०ओ०, के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। हवा चलते ही विद्युत तार आपस में मिलकर घरों के विद्युत उपकरणों को अत्याधिक बोल्टेज होने के कारण फूंक देते है। ट्रान्सफारमर फुंक जाते है, तार टूट कर जमीन पर गिर जाते है जिससे जनता बहुत ही दुखदायी अवस्था में आ जाती है। क्षेत्रीय विद्युत स्टेशनों पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी शिकायत करने हेतु नहीं मिलता है। आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उपरोक्त समस्याओं को तुरन्त हल कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27.7.1995 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल व जगदम्बिका पाल की है।

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न मुख्य मंत्री द्वारा विधायकों को न सुनने तथा मंत्रियों द्वारा कहे गये कार्यों को, अधिकारियों को न सुनने का निर्देश दिये जाने विषय औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने रख रहा हूं। श्रीमन् संविधान के अनुच्छेद 170 के अन्तर्गत इस विधान सभा की संरचना हुई और उसमें निश्चित है कि उस प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधान सभा का गठन होगा। इसका अर्थ होगा कि हम लोगों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। यह व्यवस्था है कि इस सदन के माध्यम से सदन में मंत्रि-परिषद और मंत्रियों के माध्यम से हम अपनी बात कहें। एक व्यवस्था रही है किनौकरशाहीमंत्रियों के निर्देश, मुख्यमंत्रियों के निर्देश और हम लोगों के बाद आदेश निर्गत करती है। श्रीमन् अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए, सलाह के लिए मंत्रि-परिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री की राय पर वह मंत्रि परिषद् का गठन करता है। 22 जुलाई को श्रीमन् प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की एक बैठक बुलायी और उस बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मंत्रियों और विधायकों के गलत कार्यों को दबाव में आप न मानें। यदि वह इस बात के लिए दबाव डालते हैं तो आप मुझसे शिकायत करें।

श्रीमन् जनता के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि मंत्री और विधायक गलत काम करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्रीमन यह बात वही सोच सकता है जो कभी विधान सभा का सदस्य न रहा हो। दूसरी बात का संदेश जनता में यह गया कि क्या मंत्रि-परिषद में मुख्य मंत्री का विश्वास नहीं है। श्रीमनू, मंत्री के शपथ ग्रहण करने के बाद उसको जो भी विभाग आवंटित होता है उसकी जिम्मेदारी उसी मंत्री की होती है। उस विभाग को स्वतंत्र रुप से चलाने और विभाग की नीति निर्धारित करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। मुख्य मंत्री के आदेश के बाद श्रीमनू अधिकारियों ने मंत्रियों और विधायकों को एक भ्रष्ट नागरिक और एक भ्रष्ट जनप्रतिनिधि समझ लिया जायगा तो आज मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मुख्य मंत्री जी विधान सभा में नहीं आती हैं, एक आध दिन कभी घंटे आधे घंटे के लिये शायद आ जायं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का जवाब अभी इस पर आ जायगा। क्या दीक्षित जी आप भ्रष्ट हो गये हैं? हम भ्रष्ट हो गये हैं। यदि हम भ्रष्ट हो गये हैं तो जो बात हम कहेंगे, जनप्रतिनिधि कहेंगे, उनको अधिकारी नहीं मानेंगे। यह एक नयी परंपरा मुख्य मंत्री ने जारी की है। तमाम विधायक बैठे हैं। विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री मिलती नहीं हैं। [x x x x] हम जिस जनता के लिये चुनकर आये हैं उसके प्रति जवाब देह हैं। यह जो एक संदेश गया हैं इससे एक प्रश्न चिन्ह जनमानस के सामने खड़ा हो गया है इसीलिये मैंने यह औचित्य का प्रश्न आपके सामने रखा है।

मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाय और वह आकर इस बात का जवाब दें कि उन्होंने अधिकारियों के बीच में यह बात क्यों कही? क्या उनका मंत्रियों और विधायकों में विश्वास नहीं हैं, मंत्रि परिषद में विश्वास नहीं है? विधायक और मंत्री जब विश्वास करने के लायक नहीं होंगे तो मुझे शंका है कि आप सदन की नेता भी न रह पायें। श्रीमनू, मैं इस औचित्य के प्रश्न को आपके समक्ष रखते हुये मांग करता हूं कि इसका जवाब दिलाने की कृपा करें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न इस पूरे सदन के सम्मानित सदस्यों से संबंधित है। अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी विधायकों से संबंधित है साथ ही साथ पूरे प्रदेश के जनमानस से भी यह जुड़ा हुआ है। जो औचित्य का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की यह व्यथा भी व्यक्त की गयी है कि उन्होंने स्वयं इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि जब आम गरीब जनता उनसे मिलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं, तकलीफों के लिये जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जो दायित्व है उसका वह ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं और अधिकारी उनकी तकलीफों और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये उतने गंभीर नहीं हैं और उनकी समस्याओं के लिये संवेदनशील नहीं हैं।

जनता के दुख दर्द दूर करने के लिये जवाबदेही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होती है लेकिन वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं इस बात की स्वीकारोक्ति मुख्य मंत्री जी ने की है। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें मंत्रि परिषद सामूहिक रुप से सदन के प्रति जवाबदेह है और हम लोग भी सदन के प्रति जवाब देह हैं। जो कार्य पालिका के लोग हैं चाहे वह नौकरशाह हों या कर्मचारी हों वह जनप्रतिनिधियों और सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। यह ठीक है कि मुख्य मंत्री जी अपने शासन और प्रशासन की निष्पक्षता निष्कलंकता को बनाये रखें लेकिन यह सार्वजनिक रुप से अधिकारियों की बैठक में आप यह कहती हैं कि किसी मंत्री या विधायकों के गलत कामों को न मानें तो इससे पूरे प्रदेश में एक संदेश जायेगा और अधिकारी और स्वेच्छाचारिता से काम करेंगे। लगातार यह नौकरशाही अपनी स्वतंत्रता की बात करती है, बहुत से ऐसे मौके आये हैं अधिकारी संविधान की आस्था की शपथ लेने के बावजूद भी स्वेच्छाचारिता करते हैं। उसी स्वेच्छाचारिता से उत्पन्न कठिनाइयों की बात माननीय सदस्य विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सदन में प्रस्तुत करते हैं।

नोट [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

अगर मान्यवर, अधिकारी निष्पक्ष हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं अपने कर्तव्य के प्रति बोध है तो हमें इस सदन में जो तमाम सर्वाधिक जनमानस से जुड़ी समस्याएं हैं, हमको उनको उठाने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन, आज प्रदेश में कहीं भी पुलिस की ज्यादती हो, किसी निर्दोष बेगुनाह का इनकाउन्टर हो, उसको फर्जी मुकदमें में फसाया जाना हो या राजस्व विभाग का मामला हो, किसी ने जिसने अपना बकाया पैसा दे दिया हो और उसके पश्चात भी उसको जमा न किया गया हो, उसे नोटिस जारी हो और वह तहसील के लॉकअप में बन्दो हो तो यह किसी तरह की चीजें हैं। आज मान्यवर, अगर जनप्रतिनिधियों को दबाव न हो तो आम जनता कलेक्टर के यहां या एस०पी० के यहां अपनी बात कह नहीं सकती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन के नेता हैं, वह आज किसी भी सम्मानित विधायकों को या मंत्रियों को जो उन्होंने कहा है, वह तो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जो आज हमारी जवाबदेही है उसके अधिकारों में कटौती हो रही है। तो इस सदन में स्पष्ट रुप से उनको साफ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, कर्मचारी, कार्यपालिका इस विधायिका के प्रति जवाबदेह रहेंगे नहीं तो हम किस तरह से जनता की सेवा कर पायेंगे और जिस तरह की कठिन परिस्थितियां हैं विधायकों के समक्ष, उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न को औचित्य के रुप में आप स्वीकार करें जिससे कम से कम यह जनप्रतिनिधि उन समस्याओं के प्रति जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कुछ जनसेवा कर सकें।

श्री प्रमोद तिवारी- ✓

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है और सीधा–सीधा संविधान का उल्लंघन है और उसके विरुद्ध भी है। यह लोकतंत्र की मर्यादाओं, परम्पराओं और प्रजातंत्र के जनतांत्रिक सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। मान्यवर, अनुच्छेद 170 में विधान सभा का गठन होता है और माननीय मंत्री जी विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और 163(2) के अन्तर्गत संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन होता है। मान्यवर, स्थिति बिल्कुल साफ है। यदि मान्यवर, एक मंत्री, मंत्री के मायने मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री है ने यदि कोई नीतिगत बयान दिया है तो वह संयुक्त जिम्मेदारी सम्पूर्ण मंत्रिमंत्रडल की मानी जाती है। यह भी स्पष्ट है कि कोई मंत्री कोई मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल के प्रसाद पर्यत्न तक ही रह सकता है मुख्यमंत्री को यह कैसे बनायेंगे यह राज्यपाल का विवेक है बहुमत या समर्थन है आधार पर बनाया जाता है वहां तक तो प्रसाद काम करता है लेकिन एक बार जब माननीय मंत्री जी की शपथ हो जाय तो उन्हें पूरा अधिकार है कि बिना उनकी अनुशंसा के किसी को मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है यह मुख्य मंत्री का अधिकार है लेकिन जब यह मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण कर लेता है तो वह इस सदन के प्रति सीधा जिम्मेदार हो जाता है वह किसको रखें, किसको न रखें यह विवेक मुख्यमंत्री का है वह उसकी क्षमता को देखकर रखे, लोयल्टी को देखकर रखे। मान्यवर, यहां 164(2) का खुला उल्लंघन किया गया है। एक से एक क्षमतावान मंत्री है, एक से एक विद्वान मंत्री हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ वह तो हम देख ही रहे हैं उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है।

मान्यवर, अखबारों में हमने देखा था, वह तस्वीर भी हमने अपनी नजरों से देखी है कि मुख्यमंत्री जी बैठी हैं और एक अधिकारी बगल में बैठें हैं और सारे मंत्रिगण उनके जमीन पर बैठे हुए हैं। उनके पैरों पर बैठकर अपने नेता को आदर देना तो ठीक है पर एक अधिकारी को अपने बगल कुर्सी पर बैठालकर मंत्रियों को जमीन पर बैठालना पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान है और मर्यादाओं का अपमान है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्री या नटखट अबोध बच्चे लगते हैं या फिर बहुत चपल लगते हैं या लापरवाह लगते हैं या फिर सड़क पर फिरने वाले ऐसे लोग लगते हैं जो फिकरा कस देंगे। अगर मंत्रियों का यह आचरण है, अगर यह गलत काम करें तब तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि एक लाख–दो लाख जनता ने जिसको निर्वाचित कर दिया तो अपने विवेक का निर्णय वह करेगा या लोकतंत्र में नौकरशाही करेगी।

यह तो मुख्य मंत्री का बयान नौकरशाही को पुष्ट करने के लिये और प्रजातंत्र को गिराने वाला है। इस प्रकार से उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 164 (2) का खुला उल्लंघन किया है, जिसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद राज्य की

विधान सभा के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी है। यह सम्पूर्ण सदन का अपमान है। मैं जानता हूं कि रटा रटाया उत्तर हृदय नारायण दीक्षित जी का आ जायेगा। हम इस बात की शिकायत करना चाहते हैं, तो किससे करें, तो मेरा अपसे अनुरोध है कि इस विषय का उत्तर दिलाने के लिये मुख्य मंत्री को सदन में बुलायें। मान्यवर, मेरा कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति मंत्री रहता है, उसको आप सम्मान दें और उसको स्वतंत्र रुप से कार्य करने दें, उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिये। प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। जो बात उन्होंने विधायकों के बारे में कही है, वह केवल उन्हीं के दल की नहीं रह जाती है, यह पूरे सदन के विधायकों का मामला बन जाता है, इस प्रकार से उन्होंने पूरे सदन का अपमान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने विधायकों का अपमान किया है, वह एक दिन ज्वालामुखी होकर फूटेगा।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमान् तिवारी जी भविष्य वक्ता भी हो गये हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आशावादी हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अंत में आपने जो कहा, उंससे ऐसा लगता है, कि आप भविष्यवक्ता हो गये हैं। मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने, माननीय पाल जी ने और माननीय अग्रवाल जी ने औचित्य के प्रश्न के रुप में एक अत्यंत साधारण विषय को असाधारण तरीके से उठाने की कोशिश की है, और मैं उनके इस तरीके की प्रशंसा भी करता हूं। मान्यवर, सरकार संविधान से और कानून से चलती है। कानून से कोई बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा न मंत्री होता है, न विधायक होता है और न ही कोई अधिकारी होता है। जब माननीय प्रमोद तिवारी जी मंत्री थे, तो उनकी ओर से भी इसी प्रकार के उत्तर आते रहे हैं कि सरकार प्रत्येक विषय में कानून के शासन के लिये कटिबद्ध है और तिवारी जी कहा करते थे कि सरकार किसी को नहीं बचायेगी, चाहे वह बड़ा से बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो। इसके पूर्व में भी जो सरकार थी, उसके समय में भी जनता में यह भ्रम हो गया था कि अधिकारीगण मंत्रियों के गलत आदेशों को मानते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि गेस्ट हाउस कांड के बारे में ऐसा कहा गया कि अधिकारी मंत्रियों के गलत आदेशों को मानते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देशों के कारण एक भ्रम उत्पन्न हो गया था, अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, विधायक वहां पर पानी और बिजली के लिये तड़फड़ाते रहे। ऐसा माहौल बन गया था, उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। कुछ लोग जो मंत्री थे, उनको मिनी मुख्य मंत्री कहा गया।

श्री किरन पाल सिंह–

सारी विधायिका को यह मैसेज दिया कि गलत काम नहीं करेंगे। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि सारे सदन में यह बात कह दी और उसका उत्तर एक व्यक्ति देता है जो मुख्य मंत्री नहीं है, क्या यह बात कही जा सकती है कि अगर मुख्यमंत्री जी गलत आदेश दें तो वह उनका पालन नहीं करेगा।

सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार इस बात का दिलाया जाय, कोई गलत बात कहता है तो मत मानियेगा। आप जवाब दे रहे हैं, उम्मीद यह है कि आप अपने स्तर की भी रक्षा करेंगे। अपने सारे साथियों, जो मंत्रिगण हैं, के बारे में यह कहा जा रहा है कि गलत आदेश करते हैं तो उसे अधिकारी नहीं मानेंगे। यह मुख्यमंत्री का पूरा उत्तरदायित्व है कि अधिकारी यदि गलत कार्य करता है तो उसे बर्खास्त कर दें, यह तो ठीक था। जो गलत काम का आदेश है, जो विधायक गलत सिफारिश करे, उसको न मानें। यहां सचिवालय में तो सुबह से शाम तक अधिकारी बैठते हैं लंच पर जाते हैं लेकिन जिले में तो स्थिति दूसरी है। अधिकारी बैठते नहीं है, लंच पर जाते हैं तो 4–4– घंटे जाते हैं। जब विधायक मिलने जाते हैं तो कहलवा दिया जाता है कि कह दो कि डी०एम० साहब सो रहे हैं,

एस०डी०एम० साहब सो रहे हैं। मैं जोर देकर कह रहा हूं कि आप जवाब दे रहे हैं आपको शायद किसी अधिकारी, ने मुख्यमंत्री ने दिया हो, उसे दुरुस्त कर लें। विवेक से इस पर जवाब दें।

(व्यवधान)

मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो विधायक सिफारिश लेकर आयेगा मैं किसी के दबाव में काम नहीं करुंगी, हाउस में यह कहा था, यह आपत्तिजनक बात है। हम लोगों की तकलीफों को यहां पर लायेंगे ही। कोई प्रदेश में ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जो सर्वव्यापी हो उसे सभी गलियों सड़कों के बारे में सभी लोगों के बारे में पता है, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न बन जायें। हम तो उनके हाथ पैर हैं हम उनको फीड बैक देंगे। मान्यवर, यह बात तो सार्वजनिक रुप से कही गयी है। मान्यवर, हम लोग जनता के नुमाइन्दे हैं, जनता ने हम लोगों को पसन्द करके यहां भेजा है। अपने हक की लड़ाई के लिये भेजा है। मान्यवर, आप आदेश देंगे अधिकारीगण उसको पूरा करेंगे, अधिकारियों को वह मानना पड़ेगा। आप अब इस तरह से उनको छूट दे रहे हैं। कोई गलत आदेश करें तो उनको न मानें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि विधायकों की गरिमा को, अपनी गरिमा को बचाने के लिये आप ऐसा जवाब दें जो उपयुक्त हो।

श्री अध्यक्ष–

कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष आ जाय कोई बाद में स्पष्टीकरण होगा, पूछ लेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, विधायकों पर जो आरोप लगाया है यह नितान्त गलत आरोप है। इसमें मुख्यमंत्री जी से ही जवाब दिलवायें। इसमें जवाब मुख्यमंत्री दें न कि आप दें। [x x x x x]

श्री राम स्वरुप सिंह–

मान्यवर, मैं पार्टी का नेता हूं, मुझे बोल लेने दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आपने अगर अनुमति दी है तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम स्वरुप सिंह जी कृपया बैठ जायें मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है इसमें शासन का पक्ष आ जाये।

श्री राम स्वरुप सिंह–

मान्यवर, यह जो बात आपने कही है उसमें मंत्रियों का अपमान किया गया है, विधायकों का अपमान किया गया है, यह गम्भीर सवाल है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने अपने तीनों विद्वान साथियों को सुना। बीच में किरन पाल सिंह जी खड़े हुए, मैंने उनको बैठकर धैर्य से सुना। मुझे सुन लें। पूरी बात आ जाये।

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय नरेश अग्रवाल जी ने बीच में खड़े होकर यह कहा था, वह विद्वान हैं, हमारे मित्र भी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने एक दिन और भी कहा था और मैंने उनसे अनुरोध भी कर लिया था, वह बार-बार कहते हैं कि इनकी नौकरी का सवाल है वह विद्वान प्रज्ञ हैं कृपापूर्वक अपनी बात रखते समय इस बात का ख्याल रखें, हम सहयोगी हैं, मित्र हैं उनके साथ बैठकर सीखा भी हैं। [x x x x x x]

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने जो [x x] बात कही है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जिसके पास जो होता है वह दूसरे को देता है। आपके पास जो होगा वही दूसरे को देंगे। मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है और आदर का भाव है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा था कि हमारे मंत्रिगण गलत आदेश देते हैं और न यह कहा था कि माननीय विधायकगण गलत सिफारिश करेंगे मैं सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि सरकार इस बात को नहीं मानेंगी कि हमारी सरकार के मंत्रिगण और विधायकगण गलत सिफारिश करें लेकिन जो पुराना माहौल बना हुआ था उस माहौल को साफ करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस बैठक में यह कहा था कि विधायक जी मंत्रिगण भी और इस का भी तात्पर्य कानून, विधि और व्यवस्था का सम्मान देना है। इसका मतलब यह नहीं था कि गलत निर्देश देते हैं इसका अर्थ कानून, विधि और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता है और गलत आदेश को न माना जाये। तिवारी जी, बोलते रहे थे कि कहीं भी कोई विधायक दोषी पकड़ा जायेगा तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सारे विधायकगण दोषी हो जायेंगे हमारा मकसद सिर्फ दबाव डालना था क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और हमारी सरकार विधि में कानून में और व्यवस्था में विश्वास रखती है और यह सरकार नियमों से और संविधान से चलेगी किसी के दबाव में नहीं आयेगी यह स्पष्ट करना था।

मेरी बात साफ हो गयी वह "भी" था और हमारा मकसद अधिकारियों को सचेष्ट करना था। यह पहली सरकार है जिसने सचिव स्तर के अधिकारी को गलत पाया और यह पाया कि वह गड़बड़ी कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा आप स्वयं जानते हैं, उसको निलम्बित कर दिया, यह स्थापित करना था। वरना किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि सचिव को निलम्बित कर सके, कि हम अधिकारियों को दण्डित कर सकते हैं। सरकार इस आदरणीय सदन का सम्मान करती है और विधायकों का सम्मान करती है और सरकार के विचार में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं यह विषय ग्राह्यता के अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रमोद तिवारी–

जब विधायकों के सम्मान का प्रश्न हो तो उसे स्पष्ट करना पड़ेगा पिछली सरकार में क्या-क्या हुआ इससे मतलब नहीं हैं। मुख्य मंत्री ने जो कहा है कि मेरे पास आओं तो संविधान के किस अनुच्छेद में, किस सेवा नियमावली में यह लिखा हुआ है कि अधिकारी मंत्री की शिकायत करे या विधायक की शिकायत करे?

...क्या विधायकों की आचरण पंजिका लिखने का किसी को कोई अधिकार है?

श्री अध्यक्ष–

चर्चा तो हो नहीं रही है। आप पहले ही ग्राह्यता पर विचार रख चुके हैं।

माननीय प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, किरन पाल सिंह तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, केशरी नाथ त्रिपाठी, नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, भगवती प्रसाद शुक्ला तथा श्री सत्य प्रकाश विकल की है।

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

विधायकों के सम्मान की रक्षा हो, इस पर आपको निर्देश देना चाहिये। विधायकों के सम्मान का कोई अहित करेगा तो आप उसकी रक्षा करेंगे या यह पीठ संकल्पबद्ध है, इस तरह का निर्देश आपकी तरफ से होना चाहिये।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीया मुख्यमंत्री जी ने सदन का अपमान किया है, विधायकों का अपमान किया है। श्रीमन् आप पीठ पर बैठे हुये हैं, आपकी तरफ से निर्देश होना जरुरी है। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का जो बयान दिया है, उसके तहत उन्हें मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्यागकर चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है और एक तानाशाह का वक्तव्य है, मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)

श्री राम स्वरुप सिंह–

मैं भी इसके विरोध में सदन से वाकआउट करता हूं।

(श्री राम स्वरुप सदन त्याग कर चले गये)

प्रदेश के सभी नगरपालिकाओं/नगर निगमों को भंग किये जाने किन्तु लखनऊ तथा इलाहाबाद नगर निगम का कार्यकाल बढ़ाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी सदन में होते, तो अच्छा होता, वह भी सुन लेते। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में सबको समानता का अधिकार होता है, लेकिन पिछली सरकार ने एक ऐसा घिनौना काम किया है जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, असंवैधानिक है और लोकतंत्र के विरुद्ध भी है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में केवल दो ही नगरमहापालिकायें हैं, इलाहाबाद और लखनऊ, इसके अलावा और भी कई नगरमहापालिकायें हैं। पिछली सरकार ने नगरमहापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने पर सभी नगर महापालिकाओं को भंग कर दिया, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद को पहले एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया और उसके बाद जब तक कार्यकाल पूरा न हो जाय, तब तक कार्यकाल बढ़ा दिया। आज की स्थिति यह है कि यह दोनों नगरमहापालिकायें काम कर रही हैं। यह बात मेरी समझ में आ सकती है कि अगर कोई नगर महापालिका विधि के विरुद्ध काम करे, भ्रष्टाचार हो, कानून खत्म हो गया हो, कानून के खिलाफ वहां काम हो रहा हो, तो उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार शासन को है, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि बिल्कुल विभेदकारी निर्णय सरकार करे और कार्यकाल खत्म होने पर दो नगरमहापालिकाओं को मौका दे दिया जाय। मान्यवर, पिछली सरकार ने यह जो काम किया, इस पर नई सरकार से हम अपेक्षा करते थे कि इस लोकतंत्र और संविधान विरोधी कदम को वह ठीक करेगी और इन दोनों नगरमहापालिकाओं को भी भंग कर दिया जायेगा या बाकी सभी को पुनर्जीवित कर दिया जायेगा।

क्या मान्यवर, विभेद के अनुसार कार्य करने का अधिकार सरकार को है ? इन दोनों नगरमहापालिकाओं में जिस पार्टी के मेयर थे, वह श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार एक दबाव बनाना चाहते थे और दबाव बनाते थे, आज दबाव वाली बात सुन ली, तो खलबली मच रही है...

...वह दबाव बनाते थे, उसी दबाव का दुष्परिणाम था कि ये दोनों नगर महापालिकायें जिन्दा रह गयीं बाकी सब भंग कर दी गयी। मैं आपके संज्ञान में लाकर यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विभेदकारी कदम नहीं है। मान्यवर, अधिनियम विधान सभा बनाती है, नगर महापालिका अधिनियम में इस तरह का अधिकार सरकार को नहीं दिया गया है कि बाकी नगर महापालिकायें भंग कर दी जायें और दो जीवित रखे जायें। यह मामला औचित्य के प्रश्न के रुप में बनता है। मान्यवर, लखनऊ और इलाहाबाद की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो गयी क्योंकि वह भी चाहती है कि सबको समान अधिकार हो। इस तरह से यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इलाहाबाद और लखनऊ का प्रकरण है, इसलिए इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने उठाया और इस पर जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उनको पहले सुन लें। मान्यवर, अगर इण्टरवीन करने का अधिकार दूसरों को देते हैं तो हमको भी दीजिए। इसमें चुनाव का कोई सवाल नहीं है, मैंने समानता की बात की है। मैं इलाहाबाद और लखनऊ के मेयरों का विरोधी नहीं हूं। यह नहीं चलेगा कि आप महापालिकाओं की सलाहकार समितियां बना दें और उसमें मेयरों को न रखें। श्री लवानियां जी बैठे हैं, यह आगरा नगर महापालिका के मेयर थे, सलाहकार समितियां बनायी गयी, मेयर पैदल हो गये, आज हम उसको अनुतोष देते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी नगर महापालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार हो ऐसा नहीं कि सब को भंग कर दिया जाये। और दो को जीवित रखा जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर हैं, पहले उनको सुनुंगा। डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी ग्राह्यता पर संक्षेप में अपने विचार रखें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने अभी बोलना प्रारम्भ नहीं किया और आपने सीमा पहले लगा दी। मान्यवर, आप अध्यक्ष हैं सबको समान अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि श्री गुप्त जी ने इस सूचना की ग्राह्यता पर काफी विस्तार से अपने विचार रखे हैं और सारे फैक्ट्स आ गये हैं इसलिए आप अपने विचार संक्षेप में रखेंगे ताकि अन्य माननीय सदस्यों को विचार रखने का अवसर मिल सकेगा।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय, माननीय राजेन्द्र जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सम्मानित सदन के सामने उठाया है। लोकतंत्र, संविधान और विधान सभा सब नियम-कानून से चलते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोकतंत्र की [x x x] की थी चाहे, विधायिका कार्यपालिका या न्यायपालिका या प्रेस हों, इन सब पर हमला किया था। जैसा राजेन्द्र जी ने कहा जुलाई, 1989 में सभी नगर महापालिकाओं के चुनाव कराये गये थे, इनका 5 साल का टर्म होता है, इस प्रकार जुलाई, 1994 में सभी महापालिकाओं के टर्म समाप्त हो गये थे। तो उसके पहले चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन पूर्व सरकार उसमें विफल रही। विफल ही नहीं रही, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुये एक साल का कार्यकाल बढ़ा दिया, उसमें भी विभेद किया गया। प्रदेश के अन्दर जितनी महापालिकायें थी, सबका टर्म बढ़ाते लेकिन इसके पोलिटिकल रीजन थे इसलिए उन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद के टर्म बढ़ा दिये।...

[1 बजकर 20 मिनट]

...लोकतंत्र का मखौल उड़ाया। मार्च, 1995 में उन्होंने एक अधिसूचना निर्गत कर दी। जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि जब तक इन नगर निगमों का पुर्नगठन नहीं किया जाता तब तक ये नगर निगम चलते रहेंगे। एक प्रकार से लोकतंत्र का मखौल उन्होंने उड़ाया। सत्ता परिवर्तन हुआ। चाहे विधान सभा हो या नगर महापालिकायें हों, इनमें चुने हुए सभासद होते हैं जो जन समस्याओं को उभारने का काम करते हैं। अभी कल ही इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धरना दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि अलोकतांत्रिक ढंग से इलाहाबाद नगर निगम ने जल मूल्य व सीवर मूल्यों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पूर्ववर्ती सरकार ने मनमाने ढंग से व अलोकतांत्रिक ढंग से नगर निगमों का जो कार्यकाल बढ़ाया है, उसे समाप्त किया जाय और वहां पर अविलम्ब चुनाव कराये जायं।

* श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं लखनऊ और इलाहाबाद नगर निगम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व की मुलायम सरकार ने जो एक आर्डिनेन्स जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये नगर निगम इसी प्रकार काम करते रहेंगे इसलिए मेरी मांग है कि इनमें अविलम्ब चुनाव कराये जाने चाहिये और इस बढ़े हुए कार्यकाल को समाप्त किया जाना चाहिये। जो इस प्रकार का आर्डिनेन्स पास करके उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। इस प्रकार से कार्यकाल बढ़ाने के कारण आज जो लखनऊ नगर निगम के मेयर हैं, वह यहां की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देते। पता नहीं कौन सी घुट्टी उन्होंने मुलायम सिंह को पिला दी थी और पता नहीं नयी सरकार को उन्होंने कौन सी घुट्टी पिला दी है जो वह आज तक बने हुए हैं। आज हमारे नगर की नालियां बजबजा रही हैं। बीमारियां फैल रही हैं, यहां तक कि कुछ दिन पूर्व माननीय विधायकों ने भी इस बात की शिकायत की कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। आज लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज उन्हें सीवर, नालियों व सड़कों से कोई मतलब नहीं हैं। सड़कों की स्थिति बहुत खराब हैं। आज विधान सभा मार्ग पर ही चलना दूभर हो गया है। आज इन नगर निगमों का कार्यकाल बढ़ाये जाने से इसके मेयर पार्कों को बेच रहे हैं, फूट-पाथों को बेच रहे हैं, जहां कहीं जमीन पड़ी है, उसे बेच रहे हैं और पैसा लेने का काम कर रहे हैं। इस लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार किया जाय।

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक गम्भीर प्रश्न को यहां पर उठाया है। प्रदेश के जो नगर निगम थे, उन नगर निगमों का कार्यकाल जब समाप्त हुआ और तत्कालीन सरकार ने उन्हें भंग कर दिया। आगरा नगर निगम के मेयर भारतीय जनता पार्टी के थे। 1994 में कार्यकाल समाप्त हुआ और इस नगर निगम को भंग कर दिया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। बरेली में बी०जे०पी० के मेयर थे, कार्यकाल समाप्त हुआ, भंग कर दी गई, कोई आपत्ति नहीं हुई परन्तु जुलाई, 1994 में जब लखनऊ और इलाहाबाद नगर निगम का सवाल आया तो तत्कालीन सरकार, जिसके मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी थे ने दबाव में आकर लखनऊ और इलाहाबाद नगर के कार्यकाल को बढ़ा दिया।

...कार्यकाल इसलिये बढ़ाया गया क्योंकि वह राजनीतिक दबाव में थे। इस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र के साथ मखौल किया और नगर निगमों के कार्यकाल में भेद किया। एक तरफ जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था उको भंग कर दिया दूसरी तरफ कुछ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो उस समय इसका कौन विरोध करता क्योंकि वह सरकार तो हल्लाबोल सरकार थी, किसी नीति या नियम पर नहीं चल रही थी, जबरदस्ती और हल्लाबोल पर सरकार चल रही थी, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। फिर मार्च 95 में एक शासनादेश जारी कर दिया कि इन नगर निगमों का कार्यकाल पुनर्गठन तक बढ़ा दिया तो जब तक चुनाव नहीं होंगे वह चलते रहेंगे और जिनको वह नहीं चाहते थे उनको भंग कर दिया। यह लोकतंत्र के साथ मखौल हुआ है, नगर निगमों के साथ भेद हुआ है। मेरे मित्र एक ओर कह रहे थे कि वह गलत हुआ जिनको भंग किया गया तो उस वक्त क्यों नहीं कहा था। तो यह दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिये। मुझे दुख है कि वर्तमान सरकार ने भी जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया था उसे रद नहीं किया। मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहता हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं, या तो इन निगर निगमों को भी भंग करें या फिर व्यवस्था दें कि जो भंग हुये थे उनका क्या दोष था। उन्हें पुनर्जीवित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनको पहले सुनूंगा।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं लखनऊ का विधायक हूं एक मिनट मेरी भी सुनने की कृपा करें।

मान्यवर, लखनऊ नगर निगम का कार्यकाल ऐसे ही नहीं बढ़ा उसके लिये भारी धनराशि ली जाती थी। कार्यकाल बढ़ता था जब पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी करोड़ों रुपया ले लेते थे 6 महीने बढ़ाते थे और 6 महीने बाद फिर करोड़ों रुपया लेते थे। इसी का एक उदाहरण है लखनऊ का ऐतिहासिक पार्क जो झंडा वाला पार्क के नाम से सभी जानते हैं उसे बेच दिया और सलेज फार्म बेच दिया है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय इससे संबंधित नहीं है।

श्री राम कुमार शुक्ला–

वर्तमान सरकार से निवेदन है कि मुलायम सिंह सरकार के जो काले कारनामे हैं उनके समय में जो तरह के आदेश जारी हुये हैं उनको कैंसिल करे इस सरकार की जो एक अच्छी छवि है उसको ध्यान में रखते हुये उन कानूनों को निरस्त होना चाहिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन में वर्तमान मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो निर्णय लिये हैं उनका गुण दोष के आधार पर विवेचना कर रही हैं। पिछली सरकार ने जो गलत निर्णय लिये हैं उसे वह निरस्त कर रही हैं और जो उचित निर्णय हैं वह सही हैं। एक औचित्य का प्रश्न है कि इस सदन में प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था में परिवर्तन करना और उनकी जगह प्रशासक की वकालत करना उचित नहीं है। जब नगर पालिकायें भंग की गयी थी तो हमने धरना दिया था, हमने उसका विरोध किया था। यह स्पष्ट मान्यता है कि जब तक नये चुनाव नहीं होंगे तब तक पुराने जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि रहेंगे जब नये चुनाव हो जायेंगे तो वह स्वतः समाप्त हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रशासक की व्यवस्था करना गलत है, हम एक ओर नौकरशाही के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं (व्यवधान) आज उत्तर प्रदेश में ब्लाक प्रमुख के चुनाव नहीं हुये हैं, ब्लाक प्रमुख मौजूद हैं और कहा जाता है कि वह न हटें, इसी तरह से कुछ जिला परिषदों के अध्यक्ष मौजूद हैं। तो जब तक नये चुनाव न हो जायं नगर पालिकाओं के चुने हुये प्रतिनिधि बने रहे, नये चुनाव होने तक उन्हें बनाये रखा जाय।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यहां पर चूंकि औचित्य का प्रश्न है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तथ्यों पर नहीं जाऊंगा। जो 14वां संविधान संशोधन भारत सरकार द्वारा संसद में पारित हुआ है, उसका मूल प्राविधान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी धारा 589 के अनुसार एक नगर प्रमुख दूसरे नगर प्रमुख को अपना कार्यभार सौंपेगा। इसमें जब ऐसी व्यवस्था है तो संविधान की मंशा के विपरीत इस प्रकार का औचित्य का प्रश्न तो उठ नहीं सकता है। आपको नगर प्रमुख तो रखना ही पड़ेगा। यह इनकी जिम्मेदारी है कि समय पर चुनाव करायें किन्तु यदि जब तक चुनाव नहीं हुए हैं और एक नगर प्रमुख को चार्ज देता है तो दूसरे के आने तक पहले वाले को रखना आवश्यक है (व्यवधान) आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मुझे पहले सब अपनी कह लेने दी जाए, उसके बाद ही कोई कहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जाए। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, जब यह कानून लागू हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, तभी यह व्यवस्था लागू हो पाएगी। अभी तो जब चुनाव हुए ही नहीं है तो यह कानून लागू नहीं हुआ है और जब लागू नहीं है तो उसके अन्तर्गत की व्यवस्था की बात यह कैसे कर सकते हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

अभी राजेन्द्र जी बोल रहे थे उनको मैंने सुना। दूसरे कई सदस्य बोले, उनको भी ध्यान से सुना और जो बिना अनुमति के भी बोले उनको भी सुना, इसलिए मुझे पहले अपनी पूरी बात कह लेने दिया जाए। मेरी गलत बात है तो संसदीय कार्य मंत्री उसका जवाब दे देंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश के इस सदन ने उसको अधिग्रहीत कर लिया (व्यवधान) तो इसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा कायम हुआ, तो उसने उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय देते हुए उस प्रशासकीय व्यवस्था को अवैध ठहराया है। इसके अलावा अभी दो माह पूर्व उच्च न्यायालय ने कहा है प्रशासक नहीं बैठेगा। साथ ही 2-5-95 को भारत सरकार ने अपने एक पत्र में लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि आप प्रशासकीय और तदर्थ व्यवस्था को समाप्त कीजिए और निर्वाचित लोगों को बनाए रखिये। पूर्व सरकार ने एक गलती की जिसकी आप और हम सब आलोचना करते, लेकिन इसके द्वारा आप वही स्थिति लाना चाहते हैं कि यह सरकार भी गलती करते तो आप फिर उसकी आलोचना करें। जहां एक लखनऊ में तो कांग्रेस का नगर प्रमुख है, इलाहाबाद में तो हमारा नहीं है। यह दबाव में नहीं कराया गया है। लखनऊ के नगर प्रमुख का कार्य बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय रहा है। इसके चलते नगर सरकार ने उन्हें बनाए रखा है, किन्तु लोग उस जनप्रिय नगरप्रमुख को समाप्त कर प्रशासकीय अधिकारी कोई बिठाना चाहते हैं। उसी कारण से औचित्य के प्रश्न के द्वारा ऐसी बात यह कह रहे हैं। उनके स्थान पर आप किसी आई०ए०एस० प्रशासनिक अधिकारी को बिठाकर क्या आप चाहते हैं कि प्रधान मंत्री अगर आवें तो उनकी अगुवान में जनता का प्रतिनिधि न जाकर एक प्रशासक जाए।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, 300 में इस पीठ से बराबर यह व्यवस्था रही है कि जिनके हस्ताक्षर हैं वही बोलेंगे, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों की इसमें क्या दिलचस्पी है कि वह अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर दो नगर प्रमुखों की पैरवी करने के लिए उन्हें छोड़कर शेष की समाप्ति को उचित सिद्ध करना चाहते हैं। यदि आपको भंग ही करना था तो सभी को भंग कर देते और अगर कान्टीन्यु करना है तो सबको करते। मैं यह आरोप नहीं लगाता, लेकिन जो आरोप अभी इस सम्बन्ध में रामकुमार शुक्ल जी ने लगाया है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि जहां बहुत अच्छी मुद्रा प्राप्त हुई है, उन्हीं-उन्हीं नगर प्रमुखों का समय बढ़ाया गया है। तो ऐसे महत्व के औचित्य के प्रश्न को निजी स्वार्थ की दृष्टि से देखा जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न नहीं बनता है। अब किसी को इस पर अनुमति नहीं है। (व्यवधान) इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

(पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, दो नगर निगमों को भंग नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है, उनका उत्तर आ जाने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रमेश कान्त लवानियां–

अगर उसका कार्य काल नहीं बढ़ाया गया तो स्वतः पांच साल में कार्य काल समाप्त हो जायेगा। मेयर एक दूसरे मेयर को चार्ज दे, ऐसा प्राविधान नहीं है। जब कार्यकाल बढ़ाना ही था तो ऐसा क्यों है कि लखनऊ और–

इलाहाबाद निगमों का ही बढ़ाया गया। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि मेरिट पर सरकार ने देखा। मेरिट के नाम पर क्या हुआ है जैसा कि बताया है शुक्ल जी ने बताया कि लखनऊ के नगर प्रमुख ने लखनऊ के झंडे वाला पार्क को बेच दिया है। और उच्च न्यायालय ने उसे गैरकानूनी घोषित कर निरस्त कर दिया यहां की हालत यह कि यहां मनमाने ढंग से कार्य हो रहा है। नगर निगम द्वारा कोई कार्य का प्रस्ताव पारित हुए बिना ही नगर प्रमुख मूर्ति लगा देते हैं। यहां के नगर प्रमुख और नगर निगम अवैध कार्य करते हैं। पिछली सरकार ने भी इनका कार्य काल बढ़ाया था और इस सरकार ने भी बढ़ाया। हो सकता है कि माननीय नगर विकास मंत्री की जानकारी में न हो और पिछली सरकार के शासन काल में ही इसकी संस्तुति की कार्यवाही कर दी गई हो और जल्द बाजी में बिना देखे इस प्रकार की कार्यवाही हो गई हो। मेरा कहना है कि या तो जिन नगर निगमों का कार्य काल समाप्त हो गया है उन्हें पुनः जीवित किया जाय या इनका भी कार्य काल समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिये। आपका उत्तर भी आ जायेगा। तब ही तो आप जान पायेंगे।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, जो व्यवस्था होगी, यह समान होगी। अगर दो नगर निगमों का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो औरों का भी बढ़ाया जाय। मेरे मित्र अभी संविधान की दुहाई दे रहे थे किन्तु संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे लखनऊ नगर निगम के कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं।

(पंचायती राज एवं संसदीय कार्यमंत्री) श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, पूर्ववर्ती सरकार के किसी फैसले पर चाहे वह विभेदकारी ही रहा हो, सदन में इस समय औचित्य का प्रश्न, श्रीमन्, नहीं बनता है और वह किसी और विषय पर जब बजट पर चर्चा हो रही हो या किसी अन्य नियम के तहत इस पर विचार किया जा सकता है। अब जब संविधान संशोधन के अनुसार नया अधिनियम बन गया है तो उस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन सरकार कार्यवाही कर सकती है। जो नया अधिनियम बना है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी निर्वाचित संस्था को भंग कर सकें और अगर पहले कहीं कोई त्रुटि हुई है, जिन लोगों से त्रुटि हुई है, जिन लोगों ने त्रुटि की है उनकी सर्वत्र निन्दा हो रही है इसलिये इस औचित्य के प्रश्न के बहाने सदन का समय लें तो उचित नहीं होगा। यद्यपि राजेन्द्र गुप्त और कई विद्वान साथियों और डा० गौर ने जो विषय उठाया है वह अपने आप में पुरानी सरकार द्वारा किये गये गलत कार्य है, निन्दनीय हैं। अब सरकार को नया अधिनियम बन जाने के कारण भंग करने का अधिकार नहीं रह गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों को और संसदीय कार्यमंत्री जी को..

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की इस टिप्पणी पर घोर आपत्ति करता हूं। हमने औचित्य प्रश्न के माध्यम से इसे उठाया, यह हमारा अधिकार है। मुझे उस कुर्सी पर बैठकर भी सेवा करने का मौका मिला है। इस टिप्पणी पर मैं घोर आपत्ति करता हूं कि "औचित्य प्रश्न के बहाने"।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् कई समय ऐसे आते हैं जब हम अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि यह नियम–300 की परिधि में आता है या नहीं, इस पर मैं विचार व्यक्त कर रहा था। नियम–300 में यदि नहीं आता है मेरा आरोप नहीं था कि "इसके बहाने पूर्ववर्ती सरकार की निन्दा करने की कोशिश की। पूर्ववर्ती सरकार के अनेक फैसलों पर पूरे प्रदेश में निन्दा हो रही है। गुप्त जी ही नहीं कर रहे हैं वरन् पूरा प्रदेश उनकी निन्दा कर रहा है। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे अन्य साथी एवं गुप्त जी मेरे उत्तर से सन्तुष्ट हो गए होंगे। मैं यह स्पष्ट कर रहा था कि नियम–300 में यह प्रश्न नहीं आता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बहाने वाली बात नहीं है इस सदन की परिपाटी रही है औचित्य के प्रश्न पर कुछ उठाते हैं उसे ग्राह्यता पर सुनेंगे, उसे अस्वीकार कर देंगे। ऐसे अनेक अवसर आए हैं उस समय अध्यक्ष पीठ ने शासन को निर्देश दिए हैं वक्तव्य के लिए कहा गया है, चर्चा के लिए कहा गया है, आपने निर्देश दिए हैं शासन का ध्यान आकर्षित कराया है। औचित्य प्रश्न के माध्यम से हमने यह बिन्दु उठाया। दोनों में समानता होनी चाहिए। मुलायम सिंह के जमाने में ऐसा किया गया कि दो का कार्यकाल बढ़ा दिया गया बाकी का कार्यकाल समाप्त होते ही स्वतः भंग होने देना चाहिए। तर्क हमारा यह है कि उनको पुनर्जीवित करते, चुनाव होते तब सबके साथ-साथ हो जाएगें ऐसा होना चाहिए था। हमने सब विचारते हुए यह रखा है। भाजपा का निर्णय है कि इस अविवेककारी कदम का विरोध करेंगे और इसी विरोध के लिए यह औचित्य का प्रश्न उठाया है। अनुच्छेद 15 में शामिल है। आप औचित्य प्रश्न की ग्राह्यता पर विचार कर लें। नियमों से, संविधान के अनुच्छेदों से सदन का कार्य विनियमित होता है। अनुच्छेद–14–15 हमारे पक्ष में हैं। इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं, माननीय नेता कांग्रेस दल ने कहा कि विभेद नहीं होना चाहिए। जो नगरमहापालिकायें हैं यह प्रशासकों के हाथ में चली गई हैं वहां गड़बड़ियां हो रही हैं बाकी सबको पुनर्जीवित कर दिया जाए जब चुनाव होंगे सबके हो जाएंगे। इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह पुनर्जीवित करने के बारे में आश्वासन देने पर विचार कर रहे हैं? जिन सदस्यों ने मेरे औचित्य के प्रश्न का समर्थन किया है मैं उसका आभारी हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

कोई आपत्ति नहीं है दो जो हटाई गई अवैधानिक कहा आप चाहते हैं, यह दो भी हटा दी जाएं फिर यह वैधानिक होगा? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आपके पास मरी चीजें जिन्दा करने के लिए कोई संजीवनी है। यदि है तो अलग बात है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अभी श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि हमने यह कभी नहीं कहा कि कोई अवैधानिक कार्य हुआ है। उनका कार्यकाल तो समाप्त हो ही गया। अवैधानिक काम तो तब हुआ जब लखनऊ और इलाहाबाद के मेयरों के निगमों का कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद भी उनको बनाए रखा गया।

श्री अध्यक्ष–

विकल जी यह सब बातें आ चुकी हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आदरणीय गुप्ता जी ने जो पुनर्जीवित करने के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में पहले ही तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब नया अधिनियम आ गया है। नए नियम की किसी संगत धारा का उल्लेख करते हुए अगर सरकार का मार्ग दर्शन दिया जाता है तो अच्छी बात है और उसका सरकार सम्मान करेगी।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की परिधि में यह नहीं आता है इसलिए हम इसको अग्राह्य करते हैं।

दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन (यू०पी०निवास) में विधायकों को ठहरने हेतु आवास न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री बदन सिंह जी की है।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं अपने औचित्य के प्रश्न द्वारा इस विषय को आदरणीय सदन के सामने लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भवन के व्यवस्थापक और वहां के कर्मचारियों द्वारा विधायकों के वहां ठहरने के अधिकार का समाप्तिकरण कर दिया गया है। 22 जुलाई को बहुत से माननीय सदस्य दिल्ली में गए थे और वहां पर यू०पी० भवन पहुंचने पर जब उन्होंने अपने ठहरने के लिए आवास मांगे तो घंटों–घण्टों तक वहां के व्यवस्थापक के अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनको आवास नहीं दिए और जब दिए भी तो दो-दो, तीन-तीन घण्टों के पश्चात जो आवास दिए गए उनमें पांच-पांच, छह-छह विधायकों को ठहराया गया। बहुत से विधायक वहां पर आवास न मिलने कारण वापस हो गए। वह दिल्ली नहीं ठहर सके। इस अव्यवस्था का कारण यह है कि वहां पर जो व्यवस्थापक और अन्य कर्मचारी इस यू०पी० भवन के कार्य को देखते हैं तो यू०पी० भवन के 77 कमरों में से 15 कमरे उन कर्मचारियों द्वारा कब्जा किए हुए हैं और इसके अतिरिक्त 6 कमरे ऐसे हैं जो उनके रिश्तेदारावस्तर मिलते हैं। वहां पर सहायक इंजीनियर रहते हैं, क्लर्क तक रहते हैं इसलिए वहां पर विधायकों के ठहरने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिलता है। विधायकों को जो भोजन मिलता है वह जेलियों से खराब मिलता है। 14 नवम्बर, 1994 में प्राक्कलन समिति यहां पर राज्य सम्पत्ति के अन्तर्गत आने वाले दोनों भवनों यू०पी० भवन और यू०पी० निवास के कक्षों के आवंटन के लिए उनके रखरखाव के लिए और स्टाफ कार्यों के जांच के लिए वहां पर गयी थी।

उस समिति की वहां पर दो-तीन घंटे तक ठहरने के लिये कोई आवास प्रदान नहीं किया गया। जब इस मामले की शिकायत की गयी और जांच हुयी तो जांच में एक सेक्शन आफिसर और एक यू०डी०सी० को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध टिप्पणी की गयी। लेकिन अभी भी वही कर्मचारी वहां पर तैनात हैं और वह विधायकों के ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। विधायकों की बात सुनने के लिये वहा का व्यवस्थाधिकारी नही सुनता और अधीनस्थ कर्मचारी ही वहां का काम करते हैं। व्यवस्थाधिकारी गर्वनर की भांति अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। मान्यवर, चूंकि यह मामला विधायकों से संबंधित है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है। विधायकों को आवास न मिलने से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मांग करता हूं कि यू०पी० भवन और यू०पी० निवास के इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और उनको वहां से हटाया जाय और उनके स्थान पर दूसरे कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों की वहां पर नियुक्ति की जाय जो विधायकों के ठहरने के लिये वहां पर व्यवस्था कर सकें।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, मुझे भी बोलने के लिये अवसर दे दें। मैंने हस्ताक्षर नहीं किये हैं लेकिन मुझे भी सुन लें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपके हस्ताक्षर नहीं हैं, अगर सूचना पर आपके हस्ताक्षर होते तो मैं ग्राह्यता पर आपको सुनने का मौका देता।

(पंचायती राज एवं संसदीय कार्यमंत्री) श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने जो बात कही है, यह सही है कि यू०पी० भवन में माननीय सदस्यों को तत्काल कक्ष पाने में असुविधा हुयी और उन्हें जो कष्ट हुआ उसको लेकर माननीय बदन सिंह जी ने अपने विचार यहां पर रखे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य संपत्ति अनुभाग–3 के अनुभाग अधिकारी और एक प्रवर वर्ग सहायक के विरुद्ध शिथिलता बरतने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि के लिये आदेश हो गये हैं। माननीय बदन सिंह जी ने जो बताया है कि वहां के व्यवस्थाधिकारी माननीय सदस्यों के लियें उपलब्ध नहीं होते हैं, स्वागत नहीं करते हैं तो भविष्य में माननीय सदस्यों को कोई असुविधा न हो इसलिये उनको चेतावनी दे दी गयी है कि भविष्य में वहां असुविधा न हो, इसलिये वह सतर्क और सावधान रहें। हमारी तरफ से सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन है कि वहां पर भविष्य में कोई अव्यवस्था नहीं होगी और अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी यदि जांच से परिलक्षित होता है कि वह दोषी है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी। भविष्य में वहां कोई गड़बड़ी न हो इसके लिये आदेश जा रहे हैं।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री ने चेतावनी देने की बात कही है। चेतावनी और प्रतिकूल प्रविष्टि तो जांच के बाद दे दी गयी थी, लेकिन चेतावनी देने के बाद भी वहां का व्यवस्था अधिकारी कोई सुनवायी नहीं कर रहा है और विधायकों को ठहरने की सुविधा नहीं दे रहा है। उस व्यवस्था अधिकारी और कर्मचारियों को वहां से हटाने में क्या परेशानी हो रही है? विधायकों को वह बराबर परेशान कर रहा है और विधायकों के लिये जो कमरे हैं उनको किराये पर उठाया जाता है।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मेरा निवेदन है कि सदन की एक समिति बना दी जाय, जो वहां पर जाकर जांच करे और अपनी रिपोर्ट सदन के समय के अन्दर दें। वहाँ पर अनियमितता होती है। वहाँ के लोग विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। प्रोटोकाल के कुछ नियम हैं जिनके अंतर्गत विधायकों का सम्मान होना चाहिये लेकिन वहां पर प्रोटोकाल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। वहां पर विधायकों को कमरे नहीं मिल पाते हैं लेकिन छोटे छोटे अधिकारी वहां पर रहते हैं यह अत्यंत आवश्यक है कि वहां की व्यवस्था ठीक की जाय और विधायकों का सम्मान किया जाय।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कमरों की संख्या कम है और विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सदन का निर्माण होना था जिसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने किया था तो यह बता दें, कि वह कब तक निर्माण हो जायेगा?

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने प्राक्कलन समिति के बाद की जो स्थिति है उसकी सूचना दी है, 22.7.95 की सूचना है कि उनको असुविधा हुई। मान्यवर, उत्तर प्रदेश भवन में कक्षों की संख्या 72 है और उस

तारीख में 95 माननीय सदस्य वहां पर ठहरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम था और भी माननीय विधायक अपने आप काम से चले गये होंगे तो इस कारण उन्हें असुविधा हुई होगी और दूसरे माननीय सदस्य कुछ बातें बता रहे थे कि कमरे अनधिकृत लोगों को आवंटित हो जाते हैं तो ऐसी कोई सूचना माननीय सदस्यों के पास हो, कि किन तिथियों को अनधिकृत लोग ठहरे, जो विधायक नहीं थे तो उनके सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि वह विस्तार से लिखकर मेरे पास भेज देंगे, तो उस पर अलग से जांच करवाई जायेगी और कोई भी दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मान्यवर, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है फिर भी माननीय सदस्यों के अधिकार और हित से संबंधित है इसलिए इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष नियम 300 के अन्तर्गत जितनी सूचनाएं है, अस्वीकृत की गयी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूँ।

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995

सचिव विधान सभा

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 1995 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 जुलाई, 1995 को विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 जुलाई, 1995 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनमति से घोषणा करता हं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक,

1995 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 14 जुलाई, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 जुलाई, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 जुलाई, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 1995 §

(पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री) श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

(पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री) श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य–स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27.7.1995 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के

---

§ नोटः– उत्तर प्रदेश के दिनांक 31 जुलाई, 1995 के असाधारण गजट में छपा है।

आधार पर निम्न लिखित सूचनायें चयनित की गयी हैं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा और शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अक्षयवरलाल, श्री मयंकर सिंह, श्री बच्ची सिंह रावत और श्री लक्ष्मी नारायन पाण्डेय "गुरुजी" की प्रदेश के कतिपय जिलों में फैल रही उल्टी दस्त (हैजा) जैसी संक्रामक बीमारी के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसी चीज को लेकर हम लोग वेल में आ गये थे। आपने कहा था कि वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है। आपने हम लोगों को मौका नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष–

2-2 मिनट बोल लें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रदेश में सूखा है, भयंकर सूखा है और जनता त्राहि त्राहि कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

जो समय आप लोग इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, उसी में सभी लोग दो दो मिनट बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं।

(व्यवधान)

एक ही साथ सभी सूचनायें नहीं ली जा सकती है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

श्रीमन् आज किसान मर रहा है...

श्री अध्यक्ष–

एक-एक सूचना ली जा सकती है। जितने सदस्यों की सूचना इस विषय पर थी, उसको एक मानते हुये स्वीकार किया है। सभी सूचनायें एक साथ तो ली नहीं जा सकती हैं, क्रम से ली जा सकती है तो आपको धैर्य रखना चाहिये।

(व्यवधान)

मैंने इसकी गम्भीरता को देखते हुये ही स्वीकार किया है कि दो दो मिनट ग्राह्यता पर सुन लें।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पिछले वर्षों में भी यह देखा गया है कि इसी मौसम में गेस्टोइन्ट्राइटिस उल्टी और दस्त से मौतें होती हैं। लेकिन फिर भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती जिससे यह बीमारी न फैले। मान्यवर, हमारे शाहजहांपुर जनपद के कलान और भिर्जापुर ब्लाक में 2 दर्जन गांवों में सैकड़ों लोग रोज उल्टी और दस्त के शिकार हो रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु हुई है। पिछली बार भी यही स्थिति थी। निगोही और राट-शाहजहांपुर के दो ब्लाक हैं जहां सैकड़ों गांवों में दर्जनों मौतें हुई हैं। इस वर्ष जो व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिये थी वह व्यवस्था नहीं हुई। अगर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो डाक्टर लोग समय पर रहें समय पर उपचार हो जाय

तो मान्यवर यह मौतें रोकी जा सकती हैं। प्रदेश में दूसरे जनपदों से भी इस तरह की घटनायें होने के समाचार मिले हैं, समाचार पत्रों में रोज समाचार छप रहे हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण लगातार मौतें हो रही हैं। मान्यवर, अगर जरा भी शिकायत मिलती है कोई उल्टी दस्त का मरीज मिले तो तत्काल इलाज और उपचार की व्यवस्था होनी चाहिये ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिये मौके पर डाक्टर्स की टीम जानी चाहिये। जिन ब्लाकों में इस प्रकार के मरीज मिलते हैं उन ब्लाकों में अलग से केन्द्र स्थापित करने चाहिये वहां पर 24 घंटे डाक्टरों की ड्यूटी लगा देनी चाहिये ताकि इन मौतों को रोका जा सके। मैं इस पर मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

* श्री अक्षयवर लाल–

मान्यवर, मैं बड़े हृदय के साथ सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बहराइच जनपद की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां 15 दिनों में हैजे और आंत्रशोथ के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गयी है। इकौना की दो क्षेत्र समितियों इकौना और विशेश्वरगंज में 26 लोगों की मौत हुई हैं। मैंने अपनी सूचना में उनके नाम भी दिये हैं। विधान सभा क्षेत्र इकौना के ग्रामों नरायन जोत में 5, अमारे भरीया 5, राजापुर में दो, इकौना तथा इकौना नगर में 3 बवरिया विशेश्वरगंज में 11 लोगों की मौते हुई हैं। मैंने इस बात की मौखिक सूचना सी०एम०ओ० बहराइच डा० सुरेन्द्र कुमार को दिया, पिछली बार की बातें भी कही गयीं, लेकिन हमारे सी०एम०ओ० साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। और निरीह लोगों की दवा के अभाव में अकाल मृत्यु हो गयी। इसका सारा का सारा दोष सी०एम०ओ० पर जाता है। वहां की गरीब जनता, जिनकी दवा के अभाव में मृत्यु हो गयी, इकौना पी०एच०सी० में पहुंचे तो डाक्टरों ने भरपूर ध्यान नहीं दिया उनकी लापरवाही के कारण इन गरीब लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। जो अपने दुखंदर्द को लेकर पी०एच०सी० इकौना पहुंचे तो कम्पाउंडरों ने उनसे पैसे मांगे और कहा कि हमारे पास यह दवा नहीं है आप बाजार से खरीद कर लायें। मैंने कम्पाउंडर के नाम सूचना में दिये हैं–ए०ए० काजी, एस०पी० सिंह तथा इस्लामुद्दीन।

इन लोगों ने मरीजों के घरवालों से पैसे मांगे। इस्लामुद्दीन जो हैं इनकी प्राइवेट दुकान चलती है, मरीजों से कहा गया कि दुकान से दवा खरीद कर लायें। जब उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछली बार भी इन्हीं घटनाओं के चलते कर्मचारी सस्पेंड हुये थे, सी०एम०ओ० मौजूद थे उनको ध्यान देना चाहिये था, अगर ध्यान नहीं दिया गया होता तो यह अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करायें।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, पिछले वर्ष देश के कुछ हिस्सों में प्लेग रोग फैल गया है उसका बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ा और सावधानी बरती गयी और चारों तरफ सुरक्षा का इंतजाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। आज जो गेस्ट्रोइंटाइटिस फैला हुआ है और जो सरकारी आंकड़े जिले से सी०एम०ओ० और सी०एम०एस० द्वारा भेजे जा रहे हैं वह सत्य से परे हैं और छिपाये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र फकरपुर विकास खंड की एक गांव सभा बिसवां की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर अनुसूचित जाति के कहार वर्ग के निर्धन परिवार के लोग रहते हैं वहां पर 19 बच्चों की दो दिन में मौत हो गयी। उसी विकास खंड कठोलकला हजरपुर चाकजोध से सी०एम०ओ० और जिलाधिकारी से उसकी सूचना मंगवा लें। वहां से सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं और तीन-चार सौ मौतें हो चुकी हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग झाड़ फूंक करवा रहे हैं। 19 लोगों की मौते दो दिन में हो गयी। मान्यवर, वहां पर गाड़ी जाती है और कुंओं में रंग डालकर चली जाती है वहां चिल्लाते रह जाते हैं लेकिन उनकों दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जो साधन सम्पन्न लोग हैं वह बहराइच में किराये का मकान लेकर रह रहे हैं जिनके पास मकान नहीं हैं वह दूसरे परिवारों में आग्रह करके रह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इसमें समय देकर चर्चा करायी जाये और शासन से मांग करता हूं कि वह यह निर्देश बहराइच के जिलाधिकारी को भेजें कि वहां पर जो भी असावधानी बरते उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह एक गम्भीर विषय है और इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

श्री लक्ष्मी नारायण पाँडेय–

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में वर्तमान में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज, गौरा और पट्टी में चिकित्सक नहीं हैं और कम्पाउन्डर डाक्टर बने बैठे हैं। वहां पर संक्रामक रोग की दवाइयां नहीं हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालने के लिए नहीं है। मान्यवर, प्रतापगढ़ पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। प्रतापगढ़ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं, पैसे के लेन देन में लगे हुए हैं मैंने पूर्व सरकार में भी यह मामला उठाया था लेकिन उन्होंने इसे नहीं सुना। गौरा में हमें 10 घंटे का चक्का जाम करना पड़ा लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। हमारे कार्यकर्ता पट्टी में धरना देकर बैठे हुए हैं। समाचार–पत्रों में रोज छपता है लेकिन कोई सुनवायी नहीं हो रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी का कहना है कि मेरा स्थानान्तरण कोई नहीं कर सकता। मैं नियम–56 की अपनी सचना पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि मुख्य चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल कराया जाये और दवाइयां वहां पर तुरन्त उपलब्ध करायी जायें और ब्लीचिंग पाउडर कुंओं में डलवाया जाये।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैजे का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ है। अभी हमारे एक साथी ने यह कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगे हुए हैं यह सही बात है। आज वहां पर दवाइयों का अभाव है चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण गरीब मरीज लोग लौट रहे हैं, सरकार की तरफ से सफाई के लिए कार्य नहीं कराया जा रहा है। पीने का पानी कीटाणु रहित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

...जिलाधिकारी और चिकित्साधिकारी के समक्ष जब समस्या रखते हैं तो कह देते हैं कि यह हैजा का मरीज नहीं है, गैस्ट्रो का है, यह अधिकारीगण आंकड़ों को भी सरकार तक पहुंचाने में संकोच कर रहे हैं। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो प्रत्येक ग्राम में पता चलता है कि 4 व्यक्ति मर गये, कहीं 10 व्यक्ति हैजे के मरीज पड़े हैं, दवाइयों का नितान्त अभाव है और गरीबों की जमकर लूट हो रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको अपेडमिक समझकर तत्काल ध्यान दे और प्रत्येक जनपद में कन्ट्रोल रुम स्थापित करे, जहां 24 घंटे कुछ डाक्टर्स रहें, नर्स रहें, वार्डब्वाय रहें और जो भी मरीज वहां आवें, तत्काल उनको भर्ती कर इलाज दिया जाय और लोगों की जान बचाई जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से बलिया तक लोगों के समक्ष महामारी गैस्ट्रो आंत्रशोथ, पीलिया, हैजा, कालरा से जो ग्रसित हैं, और कालकवलित हो रहे हैं, के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, किसी भी कार्य–स्थगनप्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तीन महत्वपूर्ण बिन्दु होने चाहियें। यह तीन हैं कि वह लोक महत्व का हो, अविलम्बनीय होना चाहिये और तात्कालिक होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है, यह किसी दल का विषय नहीं है, इसको किसी ऐसी परिधि में बांटा नहीं जा सकता कि जिससे सब न प्रभावित हों। मान्यवर, जिस तरह अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में लोग दम तोड़ रहे हैं, उससे यह लोक महत्व का है। लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हैं और तात्कालिक इसलिये है, क्योंकि मैं कल भी अपने विधान सभा क्षेत्र में था, मैं जब बघेड़ी गांव पहुंचा तो दो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, गुलरिया गया, इसी तरह 5–6 गांव गया तो बीमार लोगों की काफी बड़ी संख्या होने की सूचना मिली। जिलाधिकारी ने जो टीम भेजी, वह कुछ टेबलेट लेकर चल दिये। मान्यवर, जहां

ग्लूकोज की आवश्यकता है, मरीज डिहाइड्रेशन की स्थिति में पहुंच गया, वहां कैसे काम चलेगा, जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कुछ हजार की मृत्यु हुई है, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पूर्व रास्ते में, क्षेत्र में जिनकी मृत्यु हुई, उसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। गोरखपुर से होने वाले प्रादेशिक समाचारों में भी आज मंडलायुक्त ने बताया कि 500 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, सिद्धार्थ नगर, पड़रौना, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, वहां कुल मिलाकर 3 से 4 हजार के बीच लोगों की मौतें हुई हैं, इसलिये यह तात्कालिक भी हैं, क्योंकि मौतें अभी भी हो रही हैं। मान्यवर, ये बीमारियां महामारी का रुप ले चुकी हैं और अविलम्बनीयता सरकार की है, इसके लिये तहसील स्तर पर कन्ट्रोल रुम बनाये जाने चाहिये, ब्लाक स्तर पर भी बनाये जाने चाहिये और जिनकी मृत्यु हो रही हैं, उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। आज इन बीमारियों से तमाम परिवार बर्बाद हो रहे हैं, प्रत्येक मृतक के हिसाब से 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिये।

(श्री नरेश अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, लखनऊ में भी हैजा फैला हुआ है और केवल 4 लोग ही बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जब आपको अवसर न मिले, तब आपको कहना चाहिये। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस विषय की अविलम्बनीयता यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कालरा, आंत्रशोथ बीमारी फैली हुई है, लोक महत्व इसलिये है कि मृत्यु की दर बहुत ज्यादा है। आज अगर हम इस बात को गंभीरता से देखें कि यह रोग हर साल क्यों फैल रहा है तो पायेंगे कि पीने का पानी शुद्ध नहीं है, बासी सामान से आंत्रशोथ, पीलिया, कालरा फैला हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री 50 हजार की आबादी पर एक पी०एच०सी० खोलेंगे, पी०एच०सी० खुली, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने पी०एच०सीज पर डाक्टर्स हैं। आज 70 प्रतिशत पी०एच०सीज पर डाक्टर्स नहीं हैं और जो डाक्टर्स वहां पोस्ट किये गये हैं, वह शहरों में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं...

[2 बजकर 20 मिनट]

...नतीजा गांव के दूरदराज का आदमी जब इस रोग से पीड़ित होता है तो वह गांव के पी०एच०सी० में नहीं देखा जा सकता है, शहर के अस्पतालों में दुर्व्यवस्था है और उसे तात्कालिक सहायता न मिल सकने के कारण प्रदेश में हजारों लोग मर चुके हैं। मान्यवर, यह बहुत छोटा मामला नहीं है, बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी "परिवर्तन चौक" बना रहे हैं, उससे परिवर्तन लाना चाहते हैं तो खाली मूर्तियां या ढोंग करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक जनता के हित की बात नहीं करेंगे तब तक आप कोई राहत जनता को नहीं देने जा रहे हैं। आप इस बात को सुनिश्चित करिये कि प्रदेश के प्रत्येक पी०एच०सीज में डाक्टर मौजूद रहें, जिस पी०एच०सी० में उनको तैनात किया गया है, वहां वह जाये, जहां पर डाक्टर नहीं हैं, प्रदेश सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन से अनुरोध करके वहां के लिए डाक्टर्स की भर्ती करे। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं, और यह बहुत ही गम्भीर बात है। आज तक मुख्यमंत्री और प्रदेश का एक भी मंत्री पीड़ित क्षेत्र के दौरे पर नहीं गया जबकि मंत्रिपरिषद् में कलेक्टिव रिपॉसविलिटी है। स्वास्थ्य मंत्री जी को विधान परिषद् से फुर्सत नहीं है। मान्यवर, एक भी मंत्री दौरे पर नहीं गया और अधिकारी भी दौरे पर नहीं गये। यह सरकार बिल्कुल गम्भीर नहीं है, लोग मर रहे हैं, आप चिन्ता नहीं कर रहे हैं। श्रीमन्, इस लोकमहत्व के प्रश्न को आप स्वीकार करें और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इसके बारे में आज सदन में घोषणा कर दें।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आपने इस लोकमहत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। ये जो छूत की बीमारियां हैं, कालरा, फूड प्वायजिंग या अन्य, उनकी खोज अच्छी तरह से हो चुकी है और हर साल बीमारी फैलती जा रही है, उन बीमारियों को रोकने का जो साधन हैं, उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मुख्य रुप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नगरपालिका और महापालिका के प्रशासन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार के द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए साधन उपलब्ध कराये जाते हैं उनका ढंग से इम्पलीमेंट करें, क्रियान्वित करे। लेकिन दुर्भाग्य से देखते हैं कि उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता है। डब्लू०एच०ओ० के द्वारा भी बहुत सहायता दी जाती है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता है, दवायें बाजारों में बेंच दी जाती हैं या अपने घरों में अधिकारियों द्वारा प्रयोग कर ली जाती हैं। काश यह सरकार इसके क्रियान्वयन को सही करा दे तो जो बार-बार हर साल मौतें होती हैं, उन्हें रोका जा सकता है। मैं देखता हूं कि जितने मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि इतने केस नसबन्दी के कराने हैं, वह नहीं करा पाते हैं। लेकिन वह छूत की बीमारियों की तरफ ध्यान न देकर जनसंख्या को कम करे हैं। मान्यवर, गर्मियों में इन बीमारियों से हर साल मौतें होती है। इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर मांग करता हूं कि इस पर सरकार का ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लेकिन यहां की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय है। यहां हर साल हैजा फैलता है और सैकड़ों लोग मरते हैं उसके बाद इस सदन में चर्चा होती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसको रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये जाते हैं। पिछली बार भी इस नगर मे हैजा, कालग आदि बीमारियां फैली थी। सैकड़ों लोग मरे थे मान्यवर, यहां का जो कालरा अस्पताल है उसमें मात्र 50 शैय्या है। लेकन दो-दो सौ लोग भर्ती होते हैं। उस अस्पताल की क्षमता 50 शैय्या की है। अतः इसे बढ़ाकर 200 शैय्या किया जाय। मान्यवर, सीतापुर, हरदोई और चारों तरफ का बोझ राजधानी पर है, मान्यवर, 75 साल से उसकी यही क्षमता है, लेकिन उसकी क्षमता नहीं बढ़ायी गयी। मान्यवर, इस नगर की स्थिति बहुत ही खराब है। आज जैसे ही घर से निकला पता लगा कि खदरा में एक लड़की की मृत्यु हो गयी। मान्यवर, लखनऊ का यह आलम है कि जब कोई मरता है तो उसके बाद गलियों की सफाई शुरु होती है तो जितना कूड़ा है, नालियां हैं उनकी सफाई होनी चाहिए क्या हर गली में एक-एक आदमी मरने के बाद सरकार कार्यवाही करेगी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कम से कम सफाई की ओर तो मरकार ध्यान दे और इन बीमारियों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह एक ऐसा मामला है जो प्रत्येक वर्ष इस सदन में आता है उसकी चर्चा होती है फिर उसकी कोई चिन्ता नहीं करता है। मैं सच्चाई से यह बात कहना चाहता हूं कि डाक्टर नहीं हैं प्राथमिक केन्द्र पर, दवाइयां नहीं हैं अस्पतालों में यह बात अपनी जगह पर सही है। किन्तु चिकित्सा विज्ञान की सोच है प्रिवेन्सन इज बैटर दैन क्योर। आज कठिनाई क्या है कि हम यह विचार नहीं करते इस प्रकार के रोग फैलते क्यों हैं? पेयजल की सुविधा नहीं है, गांव में, कस्बे में, शहर में, नालियों की सफाई नहीं है। पाइप लाइन में लीकेज है। सीवर का पानी उसमें जा रहा है। मिलावट का सामान खुलेआम बिक रहा है। उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इस सारी बात को बड़ी चर्चा का विषय बनाकर के समाचार-पत्रों में नाम निकल जाये, यदि यही उद्देश्य है तो फिर इसका कोई अन्त नहीं है। अगर सरकार और हम सभी लोग गम्भीर हैं तो पूरी सरकार को नगर विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को तथा अन्य विभागों को एक साथ मिलकर के निश्चित रुप से इस प्रदेश के लिए एक तात्कालिक और एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए तभी जाकर इस समस्या का निदान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने जो गम्भीर समस्या की तरफ माननीय सदस्यों की ग्राह्यता पर विचार रखे हैं उसमें शासन की तरफ भी कोई कार्यवाही हो। इस सूचना पर 4 सदस्यों के दस्तखत थे 10 को मैंने बुला लिया है।

श्री छोटेलाल–

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन साल से आज तक कोई डाक्टर नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री छोटेलाल–

हैजा कैसे रोका जाय? डाक्टर जाते नहीं हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं एक गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत वर्ष जनपद गढ़वाल के थैलसैंण तहसील के तीन गांवों में लगभग 50-60 बच्चों की उल्टी व दस्त के कारण मृत्यु हो गई तथा चमोली में गैरसैंण तथा कर्ण प्रयाग के अन्तर्गत भी कई बच्चों की मृत्यु आन्त्रशोथ बीमारी के कारण हो गई। टीला सुली खण्ड के दो गांवों में 25-30 लोगों की मृत्यु इसी उल्टी व दस्त के कारण हो गई। मैंने इस मामले को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया था। तत्कालीन सरकार ने इसी आदरणीय सदन में आश्वासन दिया था कि टीला सूली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी तथा इस रोग के रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी परन्तु देखने में आ रहा है कि अभी तक किसी भी विभाग ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। इस रोग की रोकथाम न होने के कारण चौथान क्षेत्र में बीरोखाल पोखरा पाबो आदि गांवों में पुनः आन्त्रशोध की बीमारी फैलने से लोग अकाल मृत्यु के मुंह में समा रहे हैं। वैसे भी मान्यवर, आप जानते ही हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में 25-30 किलोमीटर दूर तक कोई चिकित्सालय नहीं होते हैं, जिससे लोगों को सही उपचार समय पर नहीं मिल पाता है। अतएव इस गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि इस रोग पर तत्काल नियंत्रण पाने के लिए कार्यवाही की जाय।

* श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, गोंडा जिले में मनकापुर, मोतीगंज तथा कुल्हारगांव में हैजे ने विकराल रुप धारण कर लिया है। मैंने वहां के सी०एम०ओ० व डाक्टरों से इस संबंध में वार्ता की परन्तु उनके द्वारा इस पर अभी तक कोई गम्भीर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी निदेश दिये जायं तथा जो लोग इसके लिए दोषी हैं, उन्हें निलम्बित किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, कल मैं अपने क्षेत्र के दौरे पर थी। हैजा कई गांवों में विकराल रुप से फैला हुआ है और पेयजल का गम्भीर संकट बना हुआ है। गांवों में जो कुंए हैं, उनमें कीट नाशक दवाई नहीं पड़ती है तथा हैण्ड पम्प लगाये नहीं जा रहे हैं। जिस कारण आज एक दर्जन गांव बीमारी से ग्रस्त हैं। मुझे कहने में दुख हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत लापरवाही बरती जा रही है। अस्पतालों में जब मरीज जाता है तो डाक्टर नहीं मिलते हैं, दवाईयों का अभाव है। गांवों में सर्वे नहीं हो रहा है। अभी एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, सी०एम०ओ० ने दौरा किया था। अस्पताल खाली पड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से डाक्टर का स्थानान्तरण हुआ। इस बीमारी ने पूरे जनपद में गंभीर रुप धारण कर लिया है। इसलिए इस रोग के उपचार तथा इस पर नियंत्रण पाने के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(श्री सुन्दरलाल दीक्षित जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कई माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं श्री दीक्षित जी आप कृपा करके बैठ जांय। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। जो आप बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है।

(पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री) श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, जिस गंभीर समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी है।...]

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[X X X X X]

(व्यवधान)

[X X X X X]

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं इसलिये नहीं लिखा जायेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[X X X X X]

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[X X X X X]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, आंत्रशोध और इसी प्रकार की मिलीजुली बीमारी के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव के रुप में आपने कृपा करके माननीय अनेक सदस्यों को सुना। यह सच है कि इस मौसम मे हर वर्ष इस प्रकार की बीमारी से पूरे उत्तर प्रदेश के जनजीवन को खतरा पैदा हो जाता है। श्रीमन्, पिछले वर्ष 1994 में इसी बीमारी से 12 हजार लोगों की मौत हुई थी मगर इस सरकार की सतर्कता से जैसा अनेक माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में विस्तार से कहा, इस सरकार के तमाम उपाय करने के कारण इस वर्ष 150 रोगियों को आंत्रशोध हुआ है ऐसी सूचना शासन को प्राप्त हुई है। सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिये एक कार्ययोजना तैयार की है।

जैसा माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि इस बीमारी के कारक तत्व जो हैं खासकर डा० डंग ने बीमारी की रोकथाम के बारे में जो विचार व्यक्त किये। तो सरकार ने एक कार्ययोजना विस्तार से बनाई है उसके अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें नगर विकास, ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायतीराज सहित सभी विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे जिसमें स्वच्छ जल की उपलब्धता बनाने और बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर विचार होगा और बीमारी न फैले इसको ध्यान में रखा जायेगा और जो विचार इस आदरणीय सदन में व्यक्त किये हैं उसको ध्यान में रखा जायेगा।

इसी तरह से जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति होगी और जिसमें संबंधित तमाम विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे और मण्डलीय मुख्यालय में इस समिति के अध्यक्ष मण्डलीय आयुक्त होंगे। खासकर इस बीमारी की जो समस्या है उसमें शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सभी को शुद्ध पेयजल मिले इसके लिये सतर्क रहने के लिये निर्देश जारी कर दिये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल मिले इसके लिये समय समय पर क्लोरीन की टिकियां और औषधियां ग्राम प्रधानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई जांय इसके स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। सबसे खास बात जो उभर कर आई है उसमें कटे फल, सड़े गले फल, सड़े गले खाद्यपदार्थ की बिक्री को रोका जाय आदेश दिये गये हैं।

बीमारी के समय और उनका प्रशिक्षण हो सके, इसके लिए अलग से 17 जुलाई, 1995 को अधिसूचना के रुप में एक आदेश जारी किया गया है। यह अधिनियम महामारी अधिनियम, 1897 की धारा (2) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है और इसमें प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेटों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा महानगर पालिकाओं–नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इन उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को इस आदेश के माध्यम से एक अधिकार मिलेगा कि कहीं यदि कटे खुले और सड़े फलों की बिक्री हो रही है, तो वह इस आदेश के माध्यम से ऐक्ट का आधार देते हुए उस पर प्रभावी रोक लगा सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई कूड़ा करकट हटाने में उन्हें कहीं बाधा आ रही है तो यह आदेश सम्बन्धित अधिकारी को सशक्त करता है और भी अधिकार देता है। साथ ही यदि इस आदेश का पालन कोई कर्मचारी और अधिकारी नहीं करेगा, तो यह अधिसूचना जो जारी हुई है उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त अधिकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के साथ गठित भारतीय दण्ड विधान अधिनियम, अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय भी होंगे। इससे और अन्य संसाधन भी जुटाए गये हैं आपदा के धन का सीधे उपयोग कर सकें, इसके लिए कड़ाई से निर्देश जारी कर दिये गये हैं और अनेक स्थलों पर जहां अधिकारी दोषी पाए गये हैं उनको दंडित भी किया गया है। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी को और करीब एक दर्जन चिकित्सा अधिकारियों को निलम्बित भी कर दिया गया है।

बस्ती के सी०एम०ओ० और एक अन्य डिप्टी सी०एम०ओ० को वहां से हटाकर उनपर कार्यवाई भी की जा रही है। इसके अलावा भी तमाम पैरा मेडिकल स्टाफ के लोगों पर कार्यवाई की जा रही है। तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रुप से सतर्क है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सर्तकता ज्यादा है। सरकार की

सतर्कता और अधिकारियों को दिए गए निर्देशों को देखते हुए आपको सरकार को धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहिए। मान्यवर, आपने माननीय सदस्यों को नियम 56 में चर्चा के तहत सुना है और जो सबकी भावना है, इस आदरणीय सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने जो रुचिपूर्वक सुना है, सरकार और कड़ाई से अलग से निर्देश जारी करेगी। चिकित्सक नहीं रहते हैं तो यह जिला अधिकारी भी इसको देखेगें। सदन की भावना को देखते हुए इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी और नियमों का पालन सरकार करायेगी। विषय गम्भीर रहा, आपने चर्चा करा दी, तो अब यह नियम 56 तो रहा नहीं।

एक लाइन मैं और कहना चाहूंगा, सरकार कुछ छिपाना नहीं चाहती है। इसके बाद आज तमाम आदरणीय नेताओं को बोलना है। उसके बाद इस विषय पर सरकार एक वक्तव्य भी देगी और माननीय सदस्यों की जो छोटी मोटी शंकाएं रह गई होंगी, उनका भी उसमें उत्तर आ जाएगा। वक्तव्य के समय भी इस पर माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने और स्पष्टीकरण पाने का अवसर होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अब उसके बाद प्रदेश में सूखे से उत्पन्न भयंकर स्थिति के सम्बन्ध में, श्री रंगनाथ मिश्र।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, आज जिस घटना को मैंने नियम–56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगनके रुप में आपके सामने रखा है, इस प्राकृतिक आपदा से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। आज 27 जुलाई हो गयी है। 22 जून को ही मानसून प्रदेश में प्रवेश कर जाता है और जो अपने हिन्दी या सम्वत् के अनुसार पक्ष होते हैं, उसके अनुसार मान्यवर इस समय आषाढ़ में धान की खेती होती है अश्विनी में बाजरे और भुट्टे की खेती होती है। लेकिन बरसात नहीं हुई है और बरसात न होने से न धान की रोपाई हो पाई और न बाजरे और भुट्टे की खेती हो पाई है। आज प्रदेश में जो स्थिति पैदा हो गयी है उससे किसान, मजदूर और पूरे प्रदेश की जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। आज इस स्थिति से न केवल किसान ही प्रभावित हैं बल्कि मजदूर भी प्रभावित हैं। किसानों और मजदूरों के प्रभावित होने से बाजार में रहने वाले लोग भी सूखे से प्रभावित हैं। दीक्षित जी आंकड़े दे रहे थे इससे स्पष्ट हो रहा था कि आंत्रशोध वर्षा होती है तो ज्यादा फैलता है और ज्यादा लोग मरते हैं। इनके प्रयासों के कारण आंत्रशोध से मरने वालों की संख्या कम नहीं हुई है बल्कि बरसात न होने की वजह से कम लोग मरे हैं।

मान्यवर, इससे भी स्पष्ट हो गया है कि आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहि-त्राहि मची हुई है। इतना ही नहीं, जहां शासन को किसानों को राहत देने की जरुरत थी, जहां सूखा राहत कोष से पैसा किसानों को मुहैया कराना था, जिनके पशुओं के लिये चारे की समस्या हो गयी है, किसानों के बच्चों और उनके परिवार के लिये भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है उनसे मालगुजारी के नाम पर कड़ाई के साथ वसूली की जा रही है। किसान अपने बच्चों के साथ अपना घर छोड़कर पलायित हो रहे हैं। मालगुजारी वसूलने वालों का कहना है कि उनके ऊपर प्रदेश के अधिकारियों का दबाव है इसलिये वह वसूली कर रहे हैं। ऐसी स्थीत में मैं चाहूंगा कि सूखा राहत कोष के अंतर्गत किसानों को इस साल की मालगुजारी माफ की जाय और जितनी वसूली की जा रही है तत्प्रभाव से रोक दी जाय। किसानों के ऊपर संकट की स्थिति आई हुई है जिससे किसान जूझ रहे हैं। मैं अपने कार्य–स्थगन के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपसे आग्रह करुंगा कि इस पर चर्चा करायें।

* श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने प्रदेश के करोड़ों कास्तकारों की पीड़ा को परखा और मुझे

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मुखरित करने के लिये सदन में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है। पिछले 6 वर्षों में सम्भवतः यह पहला समय है जब पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में आया है। हमारे प्रदेश में 66 जनपद हैं और मौसम विभाग से जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनमें 3 जनपदों को छोड़कर शेष स्थानों पर औसत वर्षा होनी चाहिए थी। आज प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां औसत की आधी भी वर्षा हुई हो। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। लगभग 11 करोड़ लोग इस कृषि पर आधारित हैं। यह ऐसा समय है जब किसान को आशा बंधती है कि कल फसल तैयार होगी और उसके सारे काम हो जायेंगे। लेकिन इस बार और भी भयानक स्थिति है। जून के महीने में किसान इस आशा से बीज बोता है कि वर्षा होगी और उसकी फसल अच्छी होगी। जून में उसने बीज बो दिये और जुलाई में सूखा पड़ गया। किसान ने कर्ज लेकर किसी तरह से बीज खेतों में डाले थे लेकिन सूखे से सब चौपट हो गया। उत्तर प्रदेश में 90 से लेकर जुलाई के महीने में जो वर्षा हुई औसत के हिसाब से देखें।

..तो मान्यवर, 1990 में जहां 294.7 मिलीमीटर वर्षा हुई, 1991 में 430 मिलीमीटर वर्षा हुई वहीं 1992 में 224.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। 1993 में 176 मिलीमीटर वर्षा हुई 1994 में 298.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस माह में 131 मिलीमीटर के हिसाब से वर्षा हुई है वर्षा का औसत इसलिए बढ़ा क्योंकि उत्तर काशी, चमोली तथा पिथौरागढ़, इन तीन स्थानों पर औसत से अधिक वर्षा हो गई। श्रीमन्, तीन को छोड़कर 63 को जब देखते हैं तो चाहे वह गाजियाबाद से गाजीपुर का क्षेत्र हो चाहे देहरादून से देवरिया का क्षेत्र हो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सूखे की चपेट में न हो। जहां फसल सूख रही हैं वहां पशुओं के चारे का भी संकट है। कम वर्षा होने के कारण पशुओं का चारा जहरीला हो रहा है। 60 प्रतिशत फसल सूख चुकी है चारा कम वर्षा के कारण जहरीला हो रहा है इस चारे से पशुओं में भयंकर बीमारी फैलेगी। अभी जैसा हमारे माननीय सदस्य रंगनाथ मिश्र जी कह रहे थे। खेतों में काम करने को काम नहीं मिलता है बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं विशेष रुप से कहना चाहता हूं स्थिति बहुत विस्फोटक बन रही है। पश्चिम जिलों में गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर आदि स्थानों में औसत वर्षा 21.3 मिलीमीटर होनी चाहिए लेकिन 14.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कहें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

इसी तरह पूर्वी क्षेत्रों में 51 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसी प्रकार से कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद में बड़ी भयंकर स्थिति है इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मजदूर बेघर हो रहे हैं। राहत कार्य प्रारम्भ होना चाहिए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए दैवी आपदा है। आज वर्षा कम होने के कारण पीने का पानी का भी अभाव हो गया है। श्रीमन् फर्रुखाबाद मेरे जनपद से सूचना मिली है वहां पीने का पानी का घोर अभाव है। जल स्तर नीचे जाने के कारण इंडिया मार्क–2 हैण्डपम्प जो लगाए गए थे वह धरे के धरे रह गए हैं। कहीं-कहीं जमीन में फटान आ गया हैं। पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चत की जानी चाहिए। यदि राहत कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ नहीं किया गया तो पीने के पानी की कमी के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। पशुओं की चारे की समस्या खड़ी है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बड़े विस्तार से इसमें चर्चा हो गई है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जनसंख्या प्रभावित है। सरकार इसमें क्या कर रही है? क्या कार्यवाही हो रही है? क्या राहत कार्य हो रहा है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं, मैं विषय के गम्भीरता के आधार पर अवसर देता हूं। किरनपाल जी बैठ जाएं मेरे लिए दिक्कत होती है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

नहरों में पानी छोड़ा जाना चाहिए हम चुनकर आते हैं वह इसलिए आते हैं कि प्रदेश की जनता की कोई समस्या है उसको देखें अगर इस पर चर्चा नहीं कराई जाती है तो हम अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर पाएंगे। यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा कराने के लिए निर्देश देने की आप कृपा करें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर आप हमको भी बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

इस पर द्विवेदी जी ने सारे प्रदेश के बारे में बता दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जिस दिन सदन स्थगित हुआ था श्री किरन पाल सिंह जी इसी मुद्दे पर सदन के बेल में भी आ गए थे और यह कहा था कि इस प्रश्न में अविलम्बनीयता भी है और लोक महत्व भी है। उस समय हमने भी याद दिलाया था कि सत्र 6 दिन के लिए स्थगित हो रहा है इसलिए आप उनके इस प्रश्न पर सुन लें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कौन सी अव्यवस्था पैदा हो गयी? अव्यवस्था तो आपके द्वारा नजर आ रही है।

श्री रंगनाथ मिश्र–

आप किसी भी नेता को चाहे माननीय किरन पाल सिंह जी हो या कोई और हम तो यह चाहते भी हैं कि इस पर चर्चा हो जाए। लेकिन कांग्रेस नेता का यह कहना कि हम तो इस मामले को पहले लाए थे यह सदन की अवमानना है। इसलिए मैं इसकी निन्दा और भर्त्सना करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कौन सी अव्यवस्था है। यह तो मेरा विवेक है कि मैं किसी को किस विषय पर सुनूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं निन्दा और भर्त्सना स्वीकार करता हूं लेकिन आप श्री किरन पाल सिंह जी को सुन लें।

श्री किरनपाल सिंह–

मिश्र जी आप कार्यवाही देख लें, हमने इसको जिस दिन सदन स्थगित हुआ था उस दिन उठाया था। लेकिन उस दिन अनुमति नहीं मिली थी। मैं समझता हूं कि इस दौरान माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी यह बात आयी होगी और उनके क्षेत्र और आस पास के लोगों ने कहा होगा कि प्रदेश की जनता सूखे से त्रस्त है। तभी आपने विषय की गम्भीरता को समझते हुए इस विषय को लिया है। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। आज तक प्रदेश में औसतन 250 मि०मी० वर्षा हो जानी चाहिए थी लेकिन जैसा कि हमारे जनपद बुलन्दशहर में केवल 50 मि०मी० वर्षा हुई है और आस पास के जनपदों में 70 या 80 मि०मी० वर्षा हुई है। जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया कि सभी लोग प्रभावित हैं चाहे वह पशु हो, फसल हो या मनुष्य। बीमारियां फसलों में भी हैं, पशुओं में भी हैं और मनुष्यों में भी हैं। इतना ही नहीं इस सूखे में टिड्डी जिसके बारे में सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा यह अरब कन्ट्री से राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले साल टिड्डी ने जो अंडे दिए थे वह बड़े हो गए हैं। भयंकर रुप से फसल जल रही है। टिड्डी फसल को खा रहे हैं फसल चौपट हो रही है पशुओं और मनुष्यों में भयंकर बीमारियां फैल रही है। मुझे अफसोस है कि सरकार इस भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने के प्रति गम्भीर नहीं है और उसके लिए अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया है।

मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करुंगा कि यदि आपके पास पैसे का अभाव है तो केन्द्र सरकार से आप मांग करें, मुख्यमंत्री मांग करें। कम से कम 500 करोड़, 1000 करोड़ या 250 करोड़ रुपए प्रधान मंत्री कोष से लेने के लिए प्रयास करें। मैं श्री प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करुंगा कि वह प्रधान मंत्री को लिखे। प्रदेश की जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कोष से पैसा दिलवाएं। सरकार भी इस पर ध्यान दे। यही मेरा कहना है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें। आज बहुत महत्वपूर्ण मदें अभी बाकी हैं।

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर विषय है जिसको यहां पर उठाया गया है। मुझे आप इस विषय पर बोलने के लिये समय देने की कृपा करें। प्रदेश में वर्षा न होने की वजह से एक गंभीर परिस्थिति पैदा हो गयी है। गांवों में पानी न बरसने से किसानों की फसलें बरबाद हो गयीं हैं। कृषि कार्यों के बंद हो जाने से बेरोजगारी खेतिहर मजदूरों में पैदा हो रही है। गांवों में उनके लिये राहत कार्य शुरु किया जाय। दूसरा मेरा सुझाव है सूखे के प्रकोप को देखते हुये युद्धस्तर पर राहत कार्य शुरु किये जायं। नहरों में पानी नहीं है नहरों में पानी छोड़ा जाय जिससे किसानों को पानी मिल सके। फसलें सूख जाने के कारण पशुओं के चारे की समस्या पैदा हो गयी है। पशु चारा न होने के कारण मर रहे हैं इसलिये पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाय।

किसानों में भुखमरी की स्थिति सूखे के कारण हो गयी है। फसलें सूख जाने के कारण अगली फसल की संभावना नही है इसलिये मेरा श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाये जायं और सरकारी सहायता किसानों को मुहैय्या करायी जाय जिससे सूखे की स्थिति की सामना किया जा सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सूखे की समस्या को दलगत राजनीति से न जोड़ा जाय। सरकार को चाहिये कि वह आंकड़ों को न देखे। आंकड़ों को न देखा जाय और सरकारी आंकड़ों का भ्रमजाल जो पेश किया जा रहा है उससे आज किसान तबाह हो रहा है। आज आंकड़ों की जरुरत नहीं है बल्कि किसानों को

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सुविधा देने की जरुरत है। इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। सूखे की विकराल समस्या से निपटने के लिये सरकार को युद्धस्तर पर कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार सूखे से निपटने की घोषणा सदन में करे हम सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य आपका साथ देंगे। गांवों में तत्काल राहत सामग्री पहुंचायी जाय राहत सामग्री पहुंचाने में हम आपके साथ चलकर काम करने के लिये तैयार हैं। मेरी एक और प्रार्थना है कि से सूखे की समस्या को टाला जा रहा है और इसकी गंभीरता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सूखे की भयावह स्थिति को सुख सुविधा की राजनीति से न जोड़े और गांवों में जाकर देखें कि दलित, शोषित पीड़ित लोगों को गांवों में क्या असुविधा हो रही है? गांवों में कुएं सूख गये हैं, कुओं में पानी नही है, हैंड पम्प बेकार हो गये हैं, नहरों में पानी नहीं है। पेयजल सुविधा न होने के कारण लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। आजतक नहरों में पानी नहीं पहुंचा है जिससे किसान के खेत सूख रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि चीफ इंजीनियर सिंचाई को आदेश दें कि जितनी नहरें हैं वह युद्ध स्तर पर चलायी जायं और हर किसान को पानी उपलब्ध कराया जाय। इसके साथ ही मैं यह चाहता हूं कि राहत कार्यों को युद्धस्तर पर चालू करें और प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्यों से एक निवेदन किया था कि संक्षेप में बोलें। आज बजट भाषण का अंतिम दिन है। मैंने कहा था कि जिनके हस्ताक्षर हों वह बोलें परन्तु सभी लोग इसी पर अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर इसी पर बोलना चाहते हैं तो जब तक इच्छा हो बोलें। अभी तमाम सूचनायें हैं। सभी माननीय सदस्य आज इसी इच्छा बनाकर आये हैं कि इसी पर बोलेंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सदन के अनेक साथियों ने सूखे के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। श्रीमन् अभी एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि पहले किसने कहा, इस पर भी कुछ विवाद चल रहा था कि इस मामले को सबसे पहले किसने गम्भीरता से लिया तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि 17 जुलाई, 1995 को ही उत्तर प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री ने सूखे के मामले की गम्भीरता को लेकर एक बैठक की और पूरे प्रदेश की सूखे की स्थिति का अनुश्रवण किया उसके बाद इस सदन में सूचना मिली होगी तो मान्यवर, पहले से ही उत्तर प्रदेश की सरकार सूखे से निपटने के लिए सतर्क है। आदरणीय द्विवेदी जी ने बहुत ठीक से कुछ आंकड़े दिये हैं कि अनेक जिलों में वर्षा कम हुई है सम्भवत: उनके पास जो आकड़े हैं वह किसी अन्य श्रोत से प्राप्त हुए होंगे, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो आंकड़ें हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह मिलीजुली सरकार की मान्यवर, नूराकुश्ती है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि 60 जनपदों की स्थिति खराब हो गयी, मैं तिवारी जी का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, मैं उन्हें सूचना दे रहा हूं कि लगभग 36 जनपदों में 60 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है जबकि उन्होंने अनेक जनपद गिनाये। मान्यवर, सूखे से कठिनाई है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हो गयी है। कृषि विभाग ने कुछ निर्णय ले लिये हैं, सिंचाई विभाग को अलग से निदेश जारी किये गये हैं, ऊर्जा विभाग को निर्देश चले गये हैं कि 16 घंटे बिजली दें और पानी की दिक्कत न आये। तो मान्यवर, सूखे के कारण सरकार पहले से सतर्क है और कार्यवाही की भी है। इसको संज्ञान में लेते हुए कि पहले से सरकार सतर्क है।
(व्यवधान)

श्री लाल जी यादव–

मान्यवर, वसूली तत्काल रोकी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने राहत कार्य के बारे में माननीय सदस्यों ने मांग रखी उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री के प्रकाश डालने में वसूली स्थगित करना भी हो सकता है और दूसरी चीजों के बारे में जो आपने तमाम बाते कह दी कि 16 घंटे बिजली दी जायेगी उसके आदेश हो गये हैं लेकिन जब जनरेशन नहीं बढ़ा है तो 16 घंटे बिजली आप कहां से देंगे। मैं चाहता हूं कि जो जो राहत कार्य आपने किये हैं उसकी घोषणा कर दें।

* उदय भान सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब वर्षा नहीं होगी और किसानों के पास पशुओं के लिए चारा नहीं है, मजदूरों की मजदूरी खत्म हो जायेगी, किसान त्राहि त्राहि करेगा तो मैं मांग करता हूं कि इसमें एक एक चीज की घोषणा होनी चाहिए। जो गांव के किसानों से मजदूरों से वसूली चल रही है उसको रोकने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है, तो वह कब तक करेगी और इसकी घोषणा कब तक कर देगी?

श्री प्रमाद तिवारी–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ज्यादातर स्थानों पर या तो ट्रान्सफारमर जले हुए हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है तो क्या कोई विशेष ग्रान्ट ट्रान्सफारमर को बदलने के लिए दी गयी है, सरकारी नलकूपों को ठीक करने के लिए सूखे से निपटने के लिए क्या कोई विशेष ग्रान्ट दी गयी और नहरों में जो सिंचाई का पानी छोड़ते थे उससे ज्यादा दिया हो तो बता दें और स्पष्टीकरण दे दें कि किसानों से तब तक वसूली की कार्यवाही स्थगित रहेगी जब तक सूखे की स्थिति सामान्य नहीं हो जायेगी?

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी, पिछली सरकार का 16 घंटे बिजली देने का आश्वासन दोहरा रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में गये थे और वहां पर यह देखा कि बिजली दो घंटे, चार घंटे या पांच घंटे से ज्यादा नहीं जाती है। ऐसी स्थिति को देखकर, मैंने जोनल चीफ इंजीनियर और सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर से जानकारी चाही, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर पावर है वह थर्मो पावर है और वह कोयले से पैदा होती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय मशीनों की सफाई हो रही है इस कारण पावर का जनरेशन कम हो रहा है? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मशीनों की सफाई हो रही है और उसी कारण जनरेशन कम हो रहा है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि इनके पास 100 केबी के ट्रांसफारमर नहीं है 25 केबी के ट्रांसफारमर है तो उनसे कैसे काम चलेगा? इनके 70 फीसदी नलकूप खराब है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मंत्रियों को भेजे और उनका दौरा करा दें तो आपको पूरी स्थिति का जायजा मिल जायेगा। आप अच्छी भाषा में यहां पर बात कह रहे हैं लेकिन फैक्टस क्या है उन पर भी आप ध्यान दें। आप धरातल पर उतर कर देखें कि क्या स्थिति हो रही है? किसान बिजली न मिलने के कारण परेशान है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सरकार ने पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि सूखे की स्थिति है अभी माननीय गुप्ता जी ने एक स्पष्टीकरण चाहा कि क्या वसूली बंद की जायेगी। मैं जिस स्थान से बोल रहा हूं उस स्थान पर मा० गुप्ता जी काफी समय रहे हैं, और बोलते रहे हैं उनको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि वसूली किस समय स्थगित होती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है। जहां तक ट्रान्सफारमर्स के खराब होने का सवाल है या सरकारी नलकूपों के बेकार होने का सवाल है जिस समय उनके बारे में सूचना आ जायेगी, उसको दिलवा लिया जायेगा। अभी यह पूछा गया कि क्या सिंचाई विभाग को अलग से निर्देश दिये गये हैं कि वह सूखे से निपटने के लिए गम्भीरता से विचार करें? तो मैं बताना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग से यह कहा गया है कि जितने भी साधन उनके पास उपलब्ध हो उनका अधिकतम उपयोग करते हुए सूखें की स्थिति से निपटा जायें। वसूली के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसका एक निश्चित तरीका है जहां-जहां से सूचनायें आ रही हैं उनपर गम्भीरता से विचार हो रहा है और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री उदल–

आप 60 प्रतिशत कह रहे हैं लेकिन प्रदेश की हालत सूखे से बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में किसानों का लगान माफ किया जा सकता है और छूट भी दी जाती रही है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से सूखा राहत के लिए धन की मांग भी की जानी चाहिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप तिवारी जी का सहयोग लीजिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उन्होंने सुझाव ही नहीं दिया है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

कार्य दिवसों की भी घोषणा करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जितने भी सुझाव आये है, सूखों की स्थिति पर शीघ्र ही बैठक होगी तो उन पर गम्भीरता से विचार कर लिया जायेगा जिसमें वसूली भी शामिल है। मजदूरों को काम मिले उस पर भी विचार कर लिया जायेगा। भारत सरकार से अतिरिक्त धन मांगने पर भी विचार कर लिया जायेगा जिससे कि सूखे की स्थिति से निपटा जा सकें। माननीय ऊदल जी और किरनपाल सिंह जी ने जो विचार रखें है और जो सुझाव दिये है उन पर गम्भीरता से विचार कर लिया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

सूखें के बारे में जिलाधिकारियों की तो रिपोर्ट आई होगी।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर ग्राह्यता पर सुनने के बाद, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को सुनने के बाद, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

तीसरी सूचना जो है वह श्री जगदम्बिका पाल व प्रमोद तिवारी जी की है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक तरफ प्रदेश सूखे और गेस्टो के संकट से ग्रस्त है तो दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में जो लोगों के पास

आय के श्रोत हैं, चाहे वह रिक्शा चलाता हो, ठेला खींचता हो, श्रम कार्य करता हो, श्रम के महत्व से जो उसकी घर की आय है, कैंसर की तरह से जो यह लाटरी का रोग फैल रहा है...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा नाम आपने नहीं लिया।

श्री जगदम्बिका पाल–

इनको मेरे साथ सम्मिलित कर लीजिये शुक्ल जी को।

श्री अध्यक्ष–

आपने दिया है, आपको अवसर मिलेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस सम्मानित सदन में पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को इस भयावह कैंसर से बचाने के लिये जिसमें तमाम घर विघटन के कगार पर पहुंच रहे हैं, तमाम गरीब लोग आत्महत्या करने के लिये विवश हो रहे हैं, गरीब लोग घर के बर्तन बेच रहे हैं और सुबह की पहली किरण के साथ लाटरी खेल रहे हैं। आज लखनऊ ही नहीं जितने कवाल टाउन्स हैं, तहसील मुख्यालय और छोटे छोटे गांवों में लाटरी की प्रथा पहुंच गयी हैं और पूरे प्रदेश में इसने विकराल रुप ले लिया है। जिस तरह से इसमें कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं आज पूरे हिन्दुस्तान की सरकारें अपने-अपने प्रदेश को बचाने के लिये, इस संकट से उबारने के लिये, कदम उठा रही है। पंजाब की सरकार ने आज ही तमाम राज्यों की लाटरियों को वहां बंद करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में यह पहले निर्णय लिया जा चुका है, हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया और भी कुछ सरकारों ने ऐसी लाटरियों को बंद कर दिया है।

पिछली सरकार के मुख्य मंत्री जी न, जबकि विषय नहीं चल रहा था, बीच में हस्तक्षेप करके, इस मदन में, प्रदेश में जो देश की 700 निजी लार्टरयां चल रही हैं जिससे प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं, उनको बंद करने की घोषणा की थी। लेकिन, फिर पता नहीं कौन से दबाव पर, यह एक लाटरी लाबी है जो देश की राजधानी दिल्ली में रहती है वह लाबी इतनी प्रभावी हो गयी है कि आज छोटे छोटे गांवों में 50-50 लाख रुपये जा रहा है। बस्ती जनपद में आज क्रय शक्ति लोगों की नहीं रह गयी है, लोग आज अपने घरों के लिए सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं, दो जून के लिये अन्न नहीं खरीद पाते हैं, मजदूरी मिली नहीं कि लाटरी की दुकान पर पहुंच गये।

कवाल टाउन्स से तो करोड़ों करोड़ रुपया दिल्ली की लाबी वालों के जेबों में जा रहा है। प्रदेश की जनता का प्रतिदिन करोड़ों करोड़ रुपया उनकी गाढ़ी कमाई का उनकी मेहनत मसक्कत का दिल्ली में बैठे चंद लाटरी लाबी के लोगों की जेबों में जा रहा है। लोग इन कागजों के ढेर को खरीदने में लगे हुए हैं। आज 700 निजी लाटरियां पूरे प्रदेश में बिक रही हैं। आज हालत यह हो गयी है कि तमाम बच्चे अपनी कापी किताब को बेचकर लाटरी खेल रहे हैं।

[3 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है और पूरे जन-जीवन का सवाल इससे जुड़ा हुआ है, भविष्य का सवाल है अतः इसको स्वीकार करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार का कार्य जनता की सेवा करना हैं, जनता को राहत दिलवाना है न कि जनता का शोषण करना। माननीय पाल जी ने जैसा कहा ऐसा प्रतीत होता है कि सदन में घोषणाएं राजनीतिक कारणों से की जाती है और उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है और इसी कारण आज जो बुराइयां जिनको हम लोग सरकार के ध्यान में लाते हैं उनको सरकार रोक नहीं पाती है। श्रीमन् लाटरी ऐसा रोग है जिसके नौ खाने लाटरी चलाने वालों के और एक खाना जनता का होता है तो निश्चित ही जनता लुटेगी। आज पूरे प्रदेश में चाहे नगर क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो लाटरी जिस तरह से लाटरी खेली जा रही है उसका अतिक्रमण हो रहा है महिलाएं निकल नहीं पा रही हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गयी है तो क्या कारण हैं कि आप उत्तर प्रदेश में लाटरी बंद नहीं करवा रहे हैं। आज नागालैण्ड, अरुणाचल, मेघालय इत्यादि के नाम से प्राइवेट लाटरियां चल रही हैं। आज सवेरे ही बात हुई थी और आप दृढ़ होकर जवाब दें जब हरियाणा में बन्द कर दी, दिल्ली ने बंद कर दी और पंजाब ने बंद कर दी तो क्यों नहीं आप उत्तर प्रदेश में बंद करने की घोषणा कर देते हैं? आज उत्तर प्रदेश में सरकारी लाटरी चलाकर व्यवसाय किया जा रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई जा रही है आज इस व्यवसाय को बंद कर दीजिये।

श्री प्रमोद तिवारी– ✓

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पाल जी और माननीय अग्रवाल जी ने जो बाते कहीं हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए उसके तकनीकी पहलुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम–56 में दो बातों पर ध्यान दिया जाता है एक तो लोक महत्व का विषय हो, पूरे प्रदेश की आबादी इससे प्रभावित हो रही है इससे यह साबित हो जाता है कि यह लोक महत्व का विषय है और दूसरा इसकी अविलम्बनीयता होनी चाहिए चूंकि यह प्रदेश में चल रही है इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न भी हो गया। मैं सिर्फ दो बातें जोड़ना चाहता हूं। कुछ दिन पहले समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि एक परिवार के मुखिया ने आत्म हत्या कर ली। पहले उसने अपने चार बच्चों को जहर देकर मारा और फिर आत्महत्या कर ली। उसने मरने से पहले एक नोट लिखा था जिसमें यह लिखा था कि लाटरी खेलने से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी थी और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी इसलिए आत्महत्या कर ली। तो यह एक घटना है ऐसी न जाने कितनी और घटनाएं होंगी, जहां लाटरी खेलने से परिवार नष्ट हो रहे हैं सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालय से निकल कर लाटरी खेलते हैं, स्कूल का बच्चा अपना बस्ता गिरवी रखकर लाटरी खेल रहा है। तो यह तकनीकी पक्ष है। सरकार को कल्याणकारी कार्य करना चाहिए न कि जुआ खेलवाना चाहिए। लाटरी एक सरकारी जुआ है। कौरवों ने जुआ खेलकर महाभारत करवाया था यह सुश्री मायावती जी की सरकार भी सरकारी जुआ खेलवाकर न जाने कौन सा महाभारत करवायेंगी?

इण्डियन गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा 13 के अंतर्गत गैम्बलिंग अगर पब्लिक व्यू में हो तो अपराध होता है तो यह पब्लिक के सामने खेली जाती है और दूसरा यह है कि नाल निकाली जाये।

...तो मान्यवर, इसमें कमीशन दिया जा रहा है, नाल भी निकल रही हे तो इंडियन गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा 13 की जितनी धारायें हैं, सबको समाहित करते हुये अपराध हो रहा है। मान्यवर, आज लाटरी सुश्री मायावती जी की सरकार खेल रही है, इस सरकार से आप कहें, कि यह अपराध बंद कर दें। अभी दीक्षित जी सफाई देने के लिये खड़े होगें, इनकी कुशाग्र बुद्धि की मैं तारीफ करता हूं, यह अभी कानपुर गये थे, बच गये, वहां इनका नागरिक अभिनन्दन हो रहा था, बीच में कोई उद्घाटन कराया जाने लगा, जब उद्घाटन करने गये तो पता लगा कि किसी लाटरी का उद्घाटन कराया जा रहा है, अभी तो इनका थोड़ा बहुत दिमाग काम करता है, ज्यादा दिन रह जायेगें, तो वह भी नहीं करेगा, इनको ज्ञान तत्काल आ गया और उसका उद्घाटन करने से इन्होंने इन्कार कर दिया। मान्यवर, आज लाटरी माफियाओं के हाथ कहां तक पहुंच गये हैं कि अब वह मंत्रियों से भी उद्घाटन कराने लगे हैं, आप देखें, तो पायेंगे कि बहुत लाभ लाटरी से सरकार को नहीं हो रहा है, जो आय हो भी रही है उससे ज्यादा

नुकसान हो रहा है और लोक कल्याणकारी सरकार का काम है कि इसे तत्काल बंद करना है, कुल मिलाकर इंडियन गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा 13 का खुला उल्लंघन हो रहा है, अतः तत्काल लाटरी को सरकार बंद कराये।

* श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर नियम–56 के तहत मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय साथी बोल रहे थे, यह लाटरी इन्हीं की शुरु कराई है, देश में 47 साल तक इन्होंने शासन किया, उस समय क्यों नहीं इनको इसे बंद कराने का ध्यान आया? मान्यवर, इन्हीं लोगों ने आम जनता को अपराध करना, लाटरी खेलना सिखाया। मान्यवर, यह नई सरकार सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में जो बनी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आम जनता, गरीब जनता की, जो खून पसीने की कमाई आज बर्बाद हो रही है, लाटरी खेलने के कारण लोगों का परिवार नहीं चल रहा है, लोग भुखमरी, बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गये हैं, इसलिये इस नई सरकार से निवेदन करुंगा, कि यह लाटरी का उद्योग जो पूरे प्रदेश में फैल रहा है, को तत्काल बंद कराया जाय। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा, कि यह जो पूर्ववर्ती मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, इन्होंने इस सदन में यह घोषणा की थी कि लाटरी के धंधे को बंद करायेंगे, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लाटरी माफियाओं से मिलीभगत करके, पैसा वसूल करके इन लोगों ने लाटरी के धंधे को पनपने दिया। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि इस सदन में आज घोषणा करें, कि यह जो अपराध चल रहा है, जिसमें आम जनता पिस रही है, इसको बंद करने की घोषणा करेंगे।

श्री ऊदल–

मान्यवर, अगर लाटरी को जहर कहा जाय, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मान्यवर, जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसको शुरु कराने का काम पहले की सरकारों ने किया और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि माननीय कल्याण सिंह जी के राज में भी यह चलता रहा इनकी पार्टी की 4–5 प्रदेशों में सरकार थी, वहां भी लाटरी चलती रही। इसका अगर बधाई का पात्र यदि कोई है तो माननीय खुराना जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह इसके बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने दिल्ली में इसको बंद कर दिया, हरियाणा में श्री भजनलाल जी ने बंद कर दिया है।

इससे श्रीमन्, लाखों घर तबाह हो रहे हैं और इससे आमदनी सरकार को कितनी है, मैं समझता हूं कि एक-आध करोड़ रुपया मुश्किल से होगी और सब दूसरे लोग खा रहे हैं, इसका धंधा चलाने वाले खा जा रहे हैं। इसलिए श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाटरी के धंधे को खत्म करने की घोषणा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को करना चाहिए। माननीय खुराना जी की सरकार बधाई की पात्र है, उन्होंने दिल्ली में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं चाहता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी भी अपनी राय इस बारे में यही दें कि उत्तर प्रदेश से लाटरी का धंधा खत्म किया जाये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह लाटरी का विषय पहले भी एक-दो बार इस सदन में उठ चुका है और इस पर प्रतिबंध लगाये जाने के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा भी की जा चुकी है, लेकिन वह लागू नहीं हुई। मान्यवर, जो बातें कही जा चुकी हैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं लेकिन आप भी सहमत होंगे कि इस लाटरी से समाज का जो छोटा बच्चा है वह भी प्रभावित हो रहा है, उसका चरित्र भी खराब हो रहा है। छोटा बच्चा जो कल का नागरिक होगा, नेता बनेगा, उसे इस देश को चलाना है, लाटरी के कारण बिगड़ रहा है सरकार क्या वक्तव्य देगी? यह तो सरकार जाने लेकिन मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आप भी सहमत होगें कि आज लाटरी माफिया पैदा हो गये हैं और ये शराब लॉबी से भी ज्यादा ताकतवर होने जा रहे हैं। कुछ साल और लाटरी चल गयी तो ये इतने ताकतवर हो जायेंगे कि फिर इनको काबू में रखना मुश्किल हो जायेगा और यह बहाना दिया जायेगा कि यदि लाटरी समाप्त की जायेगी तो रेवेन्यू कहां

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से आयेगा जिस प्रकार शराब बंदी के लिए उदाहरण दिया जाता है कि एक्साइज से रेवेन्यू बहुत आता है, उसी प्रकार का बहाना बनाया जायेगा। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री, दीक्षित जी से निवेदन करुंगा कि एक मजबूत निर्णय लें और इसको लागू करायें। अगर दीक्षित जी निर्णय नहीं लेते हैं तो आप अपनी पीठ से एक ऐतिहासिक निर्णय दें जो प्रदेश की जनता के बीच एक छवि जाये और प्रदेश की जनता यह समझे कि इस प्रदेश की विधान सभा अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय विवाद का विषय यह नहीं है कि लाटरी किसने प्रारम्भ की, कब प्रारम्भ की और क्यों प्रारंभ की? आज जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वह यह है कि क्या लाटरी से कोई लाभ हो रहा है या होने जा रहा है? मैं समझता हूं कि लाटरी जो कि सरकारी जुआ है, इस नाते से समाज को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जहां तक राजस्व का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि जो कुछ राजस्व प्राप्त होता होगा, उससे 50 गुना ज्यादा समाज की बर्बादी हो रही है। मान्यवर, यह सामाजिक विषय है। हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी नहीं बल्कि 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकायें भी इस लाटरी के विकार के शिकार हो गये हैं, पढ़ने में रुचि नहीं है, किताब-कापियां बेचकर लाटरी खेलने के लिए मजबूर हैं। एक पूरी पीढ़ी बरबाद हो रही है देश और प्रदेश का भविष्य बर्बाद हो रहा है और कुल मिलाकर परिवार के परिवार इस जुआ के कारण बर्बाद हो रहे हैं। कई प्रदेशों ने लाटरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह बधाई के पात्र हैं, अब भी बहुत से स्थान पर लाटरी पर प्रतिबंध नहीं है, मैं समझता हूं कि वे सरकारें अवश्य इस लोक महत्व के प्रश्न पर विचार करेंगी और प्रतिबंध लगायेंगी। ठीक ही कहा गया है कि किसी सरकार का काम रुपयों में लाभ, हानि देखना नहीं है बल्कि लोकहित किस बात से सधता है, उस बात को देखने में होता है, व्यापक लोकहित को देखना होता है। यह सरकारी जुआ जो पूरे पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है उसे समाप्त होना चाहिए।

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह लाटरी के औचित्य को प्रतिपादित कर सकते हैं। यदि उनकी दृष्टि में इसका औचित्य प्रतिपादित नहीं होता है तो इस लाटरी पर सम्पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये। पूर्ववर्ती सरकार ने तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री ने भी लाटरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, कदाचित उन्होंने अपने बजट भाषण में भी इसकी घोषणा की थी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसकी घोषणा की गई थी। यह सब जानते हैं कि दो-दो दफे घोषणा होने के बाद भी इस लाटरी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अब यह लाटरी माफिया इतना शक्तिशाली हो गया है, मैं संकेत करना चाहता हूं कि यह थैली के बल पर अपनी लाटरी को चालू रखना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, वर्तमान सरकार की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जायेगी और जनता भी इसकी प्रशंसा करेगी इसलिए आज आप यहां पर घोषणा कर दें कि चाहे वह सरकारी लाटरी हो या गैर सरकारी लाटरी हो, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। सदन की भावनाओं को देखते हुए और सम्पूर्ण प्रदेश की जनता की भावनाओं को देखते हुए अगर आज आप इस बात की घोषणा कर देंगे तो यह इस सरकार का युगान्तकारी निर्णय माना जायेगा। इस सरकार के द्वारा लिये गये निर्णयों में से कदाचित यह निर्णय सर्वश्रेष्ठ माना जायेगा। अगर आप इस पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो जिस प्रकार पिछली सरकार संदेह के घेरे से यह सरकार बाहर निकल पायेगी, ऐसा सोच पाना कठिन हो जायेगा। यह पूरे प्रदेश की जनता की भावनायें हैं और इस सम्पूर्ण सदन की यह भावनायें हैं, इसलिए आप इस लाटरी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी–

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनका समर्थन वापस भी माना जायेगा।

श्री राम स्वरुप सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अपील करता हूं कि यह सरकार अपने को दलितों, पिछड़ों व अकलियतों की सरकार होने का दावा करती है परन्तु आज सबसे अधिक भुक्तभोगी इन्हीं तबके के लोग हैं। आज

वह इस लाटरी से लुट रहे हैं और बरबाद हो रहे हैं। अगर आज यह सरकार इस लाटरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करती है तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो इस सरकार का समर्थन करेगा। जनहित में, गरीबों के हित में इस लाटरी पर रोक लगाकर सबसे बड़ा परोपकार का काम इन तबके के लोगों के लिए होगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, दो प्रकार की लाटरियां हो सकती हैं एक सरकार की तथा दूसरी निजी। जहां तक निजी लाटरियों के बारे में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई घोषणा का सवाल है और वह ठीक ढंग से अपनी घोषणा का अनुपालन नहीं कर पाई, कई माननीय सदस्यों ने संकेतात्मक रुप से अपनी बात भी उस संबंध में कह दी हैं कि उस सरकार ने क्यों निजी लाटरियों पर घोषणा के बाद भी प्रतिबंध नहीं लगाया? परन्तु हमारी सरकार ने निजी लाटरियों पर रोक लगाने के लिए विधेयक का एक प्रारुप तैयार किया है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी निवारण अध्यादेश, 1995 जारी हो चुका है और इस अध्यादेश को प्रभावी करने के लिए एक विज्ञप्ति भी सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जा चुकी है और इस पर विधायन के लिए मंत्रि-परिषद का अनुमोदन भी मिल गया है अब इसका अनुमोदन केन्द्र सरकार से भी प्राप्त करना होगा। इसके संबंध में भारत सरकार को लिख दिया गया है। हमें विश्वास है कि निजी लाटरियों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत सरकार से भी अतिशीघ्र अनुमोदन मिल जायेगा। और इसी आदरणीय सदन में इसी सत्र में यह विधेयक लाया जायेगा और जैसा सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके आधार पर विधेयक पास होगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, निजी लाटरी पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं तो उसी तरह से सरकारी लाटरी से भी लोग बरबाद हो रहे हैं। चाहे सरकारी जुआ हो या निजी जुआ हों उसको रोकने की बात है क्योंकि दोनों के परिणाम एक ही हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं दूसरे बिन्दु पर आ ही रहा हूं। जो मुझे सूचना मिली है माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो लाटरियां प्रदेश सरकारों द्वारा स्वयं संचालित हैं वह संविधान की 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आयेगी। इसलिये उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही प्राप्त है। इस संबंध में जो सूचना है 5 मई 95 को भारत सरकार ने सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी इस बैठक में उ०प्र० सरकार ने अपनी ओर से अनुरोध किया था कि भारत सरकार इस संबंध में कोई विधेयक बना दे जिसमें ऐसी लाटरियों को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने का प्राविधान हो तो उचित होगा। भारत सरकार कोई कानून बनाये। निजी लाटरियों के लिये मैं सरकार का दृष्टिकोण रख चुका हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के कानून की प्रत्याशा कर रहे हैं। तो आपकी इच्छाशक्ति है और जैसा माननीय नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं कि सरकारी और निजी दोनों लाटरी बंद होनी चाहिये। भारत सरकार करे या न करे, दुकान तो आप चला रहे हैं अगर आप उसे रोकना चाहे तो उससे कोई आपको नहीं रोकेगा। इसलिये भारत सरकार का बहाना न लें आप चाहते हैं कि सरकारी लाटरी बंद हो तो इसकी घोषणा कर दें इसमें भारत सरकार कहीं बाधक नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय तिवारी जी और माननीय गुप्ता जी ने सुझाव दिये हैं कि हमारी सरकार का संकल्प हो तो उसकी घोषणा कर दें। मैंने अभी उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है तो उसके ठीक से अध्ययन करने की

आवश्यकता होगी। भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अनुरोध किया जा चुका है। जो भावनायें आई है उनका सरकार सम्मान कर अलग से विचार कर लेंगे।

आप उचित समझे इस पर काफी नेताओं के विचार आ गये हैं इस पर और स्पष्टीकरण और सुझाव आ जायं तो वक्तव्य के निर्देश दे दें तो हम विस्तार से बात रख लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यहां पर केन्द्र सरकार का नाम लिया गया तो विधेयक लाने से कौन रोकता है क्या केन्द्र सरकार ने कोई दबाव डाला है कि आप लाटरी खेलें? यह आप पर है आप चाहे तो करें न चाहे तो न करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जब केन्द्र सरकार की बात आती है तो वह केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रुप में क्यों बोलते हैं? इस आदरणीय सदन में हमारे प्रतिनिधि के रुप में वह बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी–

जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया मैंने भी उसे पढ़ा है यह प्रदेश सरकार की इच्छा है कि वह लाटरी का धंधा चलाये या न चलाये। सभी दलों ने कहा है कि यह प्रदेश के हित में होगा कि इसे बंद किया जाय। अन्य प्रदेशों ने इसे बंद कर दिया है पंजाब में बेअंत सिंह सरकार ने बंद कर दिया है, दिल्ली में मदनलाल खुराना जी ने बंद कर दिया है, हरियाणा में भजन लाल जी ने बंद कर दिया है। आप खुद नहीं चाहते हैं कि लाटरी बंद हो। तो इस तरह बहाने से काम नहीं चलेगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जो विषय नियम 56 के अंतर्गत उठाया गया है उसमें घोषणा का कहीं प्राविधान नहीं है कि जैसा माननीय सदस्य चाहें उस तरह से सरकार घोषणा कर दें।

श्रीमन्, आपको अधिकार है, आप चाहें तो इसे वक्तव्य के लिए या केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यदि माननीय सदस्यों की कोई जिज्ञासा हो तो वह भी शान्त हो जाए। आपकी अनुज्ञा हो तो उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। यों जैसा वह चाहते हैं, जैसा उत्तर चाहते हैं, वैसा कहने का तो इसमें कोई प्राविधान नियमों में है नहीं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, भले ही आप इसे नियम 56 के आधार पर अग्राह्य कर दें किसी तकनीकी बिन्दु पर और आप वह करेंगे भी। लेकिन यह मामला तकनीकी नहीं व्यावहारिक है। जो आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया है तो उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यदि कहीं राज्य सरकार इस लाटरी को प्रतिबंधित करना चाहे तो वह नहीं कर सकती है। और यह भी नहीं है कि राज्य सरकार को अपने यहां लाटरी लगातार खेलवानी चाहिए। राज्य सरकार को यह अधिकार है, राज्य की परिधि में यह विषय आता है, जुआ तो सरकार चला रही है, जुआं खेलवाने को जिस दिन राज्य सरकार चाहेगी, बंद कर सकती है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कौन सीं वह परिस्थितियां हैं, कौन से वह कारण हैं और कौन सा अनुचित दबाव लाटरी माफियाओं का सरकार पर पड़ा हुआ है कि वह इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर चंद मुट्ठी पर लाटरी माफियाओं के सामने अपने को बौना महसूस करती है? इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? आज पूरे प्रदेश की, पूरे सदन और प्रदेश की समस्त जनता की यह मान्यता है कि आप लाटरी बंद करने की सीधी घोषणा करें। मंत्रिमंडल में ले जाना चाहें तो वहां ले जाकर इस पर आप भी निर्णय करा सकते हैं। पर इतना तो कहें, घोषणा करें कि मंत्रिमंडल में इस पर निर्णय लेकर इसे लागू कर दिया जाएगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सरकार पर न कोई दबाव है और न अन्य कोई बात है और यह बात वह स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। अभी जिस निर्णय की चर्चा मैंने की थी, तो उस निर्णय में...

श्री ऊदल–

आप सीधे यह बताएं कि नीयत बंद करने की है या नहीं, पहले आप यह बता दें?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उस निर्णय में यह कहा गया है– "यह संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आयेगी और इसलिए उनके विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही प्राप्त है।" तो इस प्रकार के विधायन का अधिकार भारत सरकार को ही है। यह तो नहीं कहा गया है कि आप जुआ खेलवायें या नहीं। इसलिए अभी इसपर कोई घोषणा करना उपयुक्त नहीं होगा, जबतक इसपर सम्यक विचार न हो जाए। जो सुझाव आए हैं, श्रीमन्, सरकार उन पर सम्यक रुप से विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

यह सरकार लाटरी माफियाओं के दबाव के कारण, उनके कमीशन के कारण इसकी बंदी की कोई घोषणा नहीं कर रही है, इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय सदस्यों के सभी औचित्यों को नकारते हुए सरकार लाटरी बंद करने की घोषणा नहीं कर रही है, जो कि उनके हाथ में है, इसलिए मैं अपने समुदाय के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री किरनपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री ऊदल–

मैंने पूछा था कि सरकार की नीयत इसको बंद करने की है या नहीं?...

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सरकार की नीयत तो बहुत साफ और अच्छी है।

श्री ऊदल–

उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया, इसलिए मैं भी थोड़े समय के लिए इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री ऊदल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

अगली जो महत्वपूर्ण सूचनाएं है, अभी दो को सुनना चाहिए था, लेकिन आज समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी दलों के नेता आज आय-व्ययक की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, इसमें काफी समय लगेगा...

...इसको ध्यान में रखते हुए दो सूचनाओं की ग्राहयता पर सुना जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, किसकी किसकी हैं बता दें?

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री धनराज यादव की गोवंश वध हेतु प्रदेश से बड़े पैमाने पर की जा रही गोवंश की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री बदन सिंह, श्री उदयभान सिंह, डा० रामबाबू हरित, श्री छोटे लाल वर्मा की भारतीय मजदूर संघ उ०प्र० आगरा के पदाधिकारियों के सोलहवें दिन के आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री शिव प्रताप शुक्ल की प्रदेश में विश्व की सर्वाधिक गम्भीर बीमारी एड्स के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर सैयूयद सरावां रेलवे स्टेशन के पास दिनांक 23/24 जुलाई, 1995 की रात में हुए बम विस्फोट से तूफान एक्सप्रेस का इंजन क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं सूचना श्री तीरथ राज की राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोन जनपद सोनभद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, आठवीं सूचना श्री राम कृष्ण वर्मा तथा डा० सरजीत सिंह डंग की प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में दोषपूर्ण स्थानान्तरण नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में और दसवीं सूचना श्री भैरों प्रसाद मिश्र की उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा नियुक्त दरों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इन सभी सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने दो सूचनाओं को सुनने की बात कही थी।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैंने बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी थी आगरा में 16 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, वहां पर उन लोगों की हालत खराब है।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात तो सुन लें। आज मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि अभी चार बजने वाले हैं और सभी दलों के माननीय नेतागण को सामान्य चर्चा पर बोलना बाकी है तो उस पर मैं चाहता हूं कि विस्तार से सभी नेतागण के विचार आयें फिर मुख्यमंत्री की तरफ से उसका उत्तर भाषण भी आज ही होना है, आज आखिरी दिन है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध था कि इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं अगर इसके बाद भी माननीय सदस्य चाहते हैं तो काफी समय लगेगा। इससे सदन का समय भी व्यय होगा। यदि इसके बाद भी माननीय सदस्य मेरे अनुरोध के बाद भी कहना चाहते हैं तो दो-दो मिनट बोल लें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कदाचित् आपने कहा था कि जो दो सूचनायें बची हैं, उनको सुनूंगा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा की समस्या दी हुई है...

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो आवश्यक हों, उनको कल फिर ले लें।

श्री अध्यक्ष–

कल के लिये नहीं। तीन सूचनाओं को सुना है। दो सूचनाएं और हैं। अगर आप सुनाना चाहते हैं तो दो-दो मिनट में सुना दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम सहयोग देना चाहते हैं। मान्यवर, जो दो सूचनायें बची हैं उनको कल सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कल अगर फिर से दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ग्राह्यता पर संक्षेप में अपने विचार रखें।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं श्रीमन् अनुरोध कर रहा था कि जिन दो सूचनाओं को सुनना चाहते थे, समयाभाव के कारण सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको आप अपने संज्ञान में लेकर चाहें तो वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

दोनों सूचनाओं पर जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और श्री धनराज यादव जो गोवंश वध हेतु प्रदेश से बड़े पैमाने पर की जा रही गोवंश की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं। श्री बदन सिंह श्री उदयभान सिंह, डा० रामबाबू हरित, श्री छोटेलाल वर्मा इन्होंने भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश आगरा के पदाधिकारियों के सोलहवें दिन के आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है इसको मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हू। शेष पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत की गई।

(व्यवधान)

पांच सूचनायें सुनी जाती हैं आज मैंने तीन सूचनायें सुनी हैं दो वक्तव्य के लिए स्वीकार कर दीं। शेष पांच सूचनायें जो हैं इन पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आय–व्ययक पर चर्चा शुरु कर रहा हूं।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" –

मैंने बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी थी इसको निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

शलाका के आधार पर सूचनाओं को लिया गया है। कल आप फिर दे दीजिएगा।

वित्तीय वर्ष 1995–96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री ऊदल–

श्रीमनं बजट में साधारण चर्चा का पांचवां दिन है इसमें जो मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, मान्यवर, बजट किसी भी सरकार का जो होता है वह एक आइने के रुप में होता है जिसमें प्रदेश की जनता की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन यह बजट जो पेश हुआ है यह सरसरी तरीके से जल्दी-जल्दी में तैयार किया गया बजट है। इससे कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता है श्रीमन् आज भी प्रदेश में शांति और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। हमारे बनारस में श्रीमन् आए दिन डकैतियां, कत्ल सब हो रहे हैं। अभी हाल ही में चोलापुर थाने में पूरे के पूरे परिवार के लोग मार दिए गए तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार आज भी हो रहा है। अभी श्रीमन् हाल ही में दो जगह शाहगंज के फूलपुर में एक दंगा हो गया हलांकि नियंत्रण हो गया, लेकिन उसमें दो-चार लोग मारे गए। दलितों के साथ आज भी जगह-जगह बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। श्रीमन् आज भी आपके सामने प्रदेश में लाटरी का धंधा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। उसको चर्चा में सुनें। बड़े पैमाने पर लाटरी में लोग बेघर बन रहे हैं सरकार का दायित्व है लाटरी के धंधे को जो जहर से ज्यादा खतरनाक है, इस धंधे में लाखों लोग तबाह हो रहे हैं। छोटे-छोटे बालक तबाह हो रहे हैं। इसको समाप्त कराने की आवश्यकता है।

मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार इस लाटरी के धंधे को जल्द से जल्द समाप्त कर देगी। सूखे में श्रीमन पूरा देश आज बहुत परेशानी में है। रोजगार धंधे भी चौपट हो गए। खेती नहीं बोई गई। आँकड़ों के हिसाब से आज पूरे प्रदेश में 1/4 के हिसाब से वर्षा हुई है। यही स्थिति पूर्वांचल में भी है। खेती-बारी चौपट हो रही है। धान के बेहन खेत में ही खराब हो रही है। अगर नहर ठीक से चलाई जाए तो थोड़ी बहुत धान की रोपाई हो जाएगी। सिंचाई के नलकूप आज खराब पड़े हुए हैं। बिजली की हालत बहुत दयनीय है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिजली में बारे में जो घोषणा की गई है कि 16 घंटे बिजली दी जाएगी वह सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए।

राज्य विद्युत परिषद को आदेशित किया जाए कि वह 16 घण्टे के बजाय 14 घंटे या 12 घंटे ही बिजली दे लेकिन बिजली की सप्लाई नियमित हो। बीच-बीच में जो टिपिंग हो जाती है जिससे खेत तक पानी नहीं पहुंचता है और बिजली चली जाती है जिससे बेचारा किसान लौट कर घर चला जाता है। इस मामले में नहरों को ठीक से चलाया जाए। ट्यूबवेलों को ठीक कराया जाए। बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। करीब 1/3 से ज्यादा ट्रांसफारमर खराब पड़े हैं। इनकी जगह जल्द से जल्द नए ट्रांसफार्मर को लगा दिया जाए। 50, 65 या 100 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र मिलना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर जो गरीब किसानों भूमिहीनों को पट्टे दे दिए गए हैं उनको कब्जा नहीं दिया गया है। बड़े बड़े लोग अपनी जमीनों को अपने नाम से अपने कुत्ते और बिल्लियों के नाम से कर रखा है। उनसे गरीबों को कब्जा दिलाया जाए। जो कार्य सूची में है उसमें शारदा प्रसाद जायसवाल का सवाल इसी बारे में है। यही स्थिति सारे प्रदेश में है। इस सम्बंध में मंगल देव

दिनांक 18 जुलाई 1995 की कार्यवाही से

विशारद कमेटी की रिपोर्ट है जो बस्ते में कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गई है। मैं समझता हूं उसको निकाल लिया जाए। यह जो भूमि चोर हैं जिन्होंने अपने जानवरों तक के नाम जमीन लिखा रही है उनसे जमीन गरीबों को दिलाई जाए। आज शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अत्यंत खराब है। शिक्षा विभाग शिक्षा को बढ़ाने के बजाय रोड़े अटका रहा है। बालिकाओं की शिक्षा हमारे प्रदेश में 39 से 40 फीसदी होगी। बालिकाओं की शिक्षा के बारे में शिक्षा विभाग रोड़े अटका रहा है। हमारी स्त्री ने एक स्कूल खोल दिया उसके 6 महीने बाद उसका देहान्त हो गया। उसमें शिक्षा विभाग ने इतने रोड़े अटकाए कि उसको बताना मुश्किल है।

स्वराजी देवी बालिका विद्यालय पिण्डारा, वाराणसी उसके संबंध में वहां के म्यूनिसपल बोर्ड का सचिव है उसने गैर कानूनी तरीके से हमारे प्रार्थना पत्र को रोक दिया। तो मैंने गवर्नर साहब से कहा, तब उन्होंने 1994 में उसको मान्यता दी।

मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जब हमारे जैसे लोगों को, जो एक एक पैसा चंदा मांगकर लगाते हैं जब हम जैसे लोगों को परेशान कर सकते हैं तो अन्य लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। मान्यवर, शिक्षा विभाग की जमीन देने के लिये एक प्राविधान था भूमि व्यवस्था और जमींदारी विनाश ऐक्ट की धारा 198 में सरकार संशोधन करके जमीन दे सकती है। इसको समाप्त कर दिया गया है। आज भी मेरा एक सवाल इस संबंध में था। इस ऐक्ट की धारा 198 में सरकार संशोधन करके शिक्षा संस्थाओं को जमीन दे सकती है। आज भी 60 फीसदी बालिकायें और 40 फीसदी बालक ऐसे हैं जे निरक्षर हैं सरकार की सबको शिक्षा देने की मंशा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सिर्फ शिक्षा संस्थाओं को ही जमीन आप देने की व्यवस्था करें और इसके लिये जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198 में संशोधन करके शिक्षा संस्थाओं को जमीन देने की व्यवस्था की जाय इससे बालक तथा बालिकाओं को शिक्षा पाने में सहायता होगी। इसके अतिरिक्त मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। बालक तथा बालिकाओं से संबधित विद्यालयों को अनुदान देने वाली सूची में एक साथ रखा जाता है।

अगर आप चाहते हैं कि बालिकाओं को शतप्रतिशत शिक्षा मिले तो इनकी अलग अलग सूची बनायी जाय और नियमानुसार उनको ग्रांट दी जाय। अगर सरकार यह काम करती है तो बालिकाओं को शिक्षा मिलने में मदद मिलेगी। बालिकाओं के विद्यालयों की सूची अलग बनायी जाय और इनके अलग से अनुदान देने का आप फैसला करें तभी जाकर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा शतप्रतिशत हो सकती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में हो रहा है। लोगों को थोड़ा सांस लेने का अवसर मिल रहा है लेकिन आज हालत बहुत अच्छी नहीं है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं और महिलायें हैं उनका उत्पीड़न आज भी हो रहा है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। जगह जगह दंगे हो रहे हैं जिनकी तरफ़ सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं 2 मिनट लूंगा लाल बत्ती की जरुरत नहीं है, श्रीमन, आप इसे बंद कर दें। मान्यवर, हमारे यहां विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद है। दोनों को लेकर एक साल से दो साल से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उससे संबद्ध जो संस्थायें है वह लोग बहुत जोर लगाये हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करें। सावन में हर सोमवार को वहां पर जलाभिषेक किया जाता है। इस सोमावार को 5 लोगों को ज्ञानवापी के रास्ते से पकड़ा गया। वहां की व्यवस्था मैं कहना चाहता हूं कि ठीक नहीं है। विश्व हिन्दू परिषद, बजरंगदल और उससे संबद्ध लोग बनारस में सांप्रदायिकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं।

वहां के लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और ज्ञापन दिये। मैंने भी सरकार को लिखा है। मैंने एक सवाल भी किया है, आपकी इजाजत होगी तो वह मंजूर होगा। अभी सोमवार सावन के बाकी हैं। कलेक्टर के बयान से मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वहां व्यवस्था ठीक है। भारत सरकार से भी कुछ लोग वहां गये थे। मैं कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि बनारस की व्यवस्था ठीक नहीं और अगर सरकार ने सर्तकता नहीं रखी तो ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर को लेकर बड़ा बवाल बनारस के अंदर हो सकता है। अभी 2

सोमवार बाकी हैं और सिंघल जी, विश्वहिंदू परिषद के अध्यक्ष [X X X] 31 तारीख को वहां पर जा रहे हैं उस दिन क्या बवाल करेंगे इसको मैं नहीं कह सकता।

..इसलिए अभी 4 दिन हैं, इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार उसके लिए शांति व्यवस्था बनाये और इसके लिए वहां पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे ताकि किसी तरह का बवाल, फसाद बनारस में न हो सके। बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति है वहां सभी धर्म और मजहब के लोग हैं। बाहर से लाखों लोग आते हैं इसलिए शांति व्यवस्था बनाना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी और लोग भी बोलने वाले हैं आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी बात खत्म करूं तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि जितने सुझाव दिये गये हैं उसपर सरकार जरुर विचार करेगी और अच्छे से अच्छा निर्णय लेगी।

(इस समय 3 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

* श्री राम स्वरुप सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मुख्यमंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत 1995-96 के बजट पर अपनी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स०) की राय रखना चाहता हूं।

यह अपने आप में स्वागत योग्य बात है कि प्रदेश में दलित और इससे भी अधिक दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। परन्तु मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दलित मुख्यमंत्री कैसे सत्तासीन हुई है। दलित महिला मुख्यमंत्री दलितों से प्राप्त बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनी है, [X X X X X X]

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट मेरे इस कथन की पुष्टि करता है। मुख्यमंत्री जब सदन में समर्थक पार्टी के नेता के इशारे पर जबान खोलने का साहस नहीं रखती जैसा कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर सदन में सभी माननीय सदस्यों ने देखा है तब फिर यह सरकार और मुख्यमंत्री दलितों के पक्ष में, दलितों के उत्पीड़कों के विरुद्ध कुछ करने की सोच भी नहीं सकती।

इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, इस सदन के इतिहास में शायद यह सर्वाधिक जनता विरोधी बजट है दलित मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में गरीबों, भूमिहीन खेत मजदूरों और दलितों के कृषि भूमि बंटवारे का नाम भी नहीं लिया है, शायद इसलिए कि यह नीतिगत सवाल है। भा०ज०पा० की इजाजत के बगैर इस बारे में बेचारी मुख्यमंत्री कह ही क्या सकती है? जोत हदबंदी कानून के उन छिद्रों को बंद करने की बात तो शायद मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उन्हें बंद किया जाय, जिसका इस्तेमाल करके सामन्तों ने लाखों एकड़ कृषि भूमि चुरा रखी है। एक ही उदाहरण काफी होगा वाराणसी के राजा विभूति नारायण का अवैध कब्जा है आश्चर्य की बात है कि सरकारी कागजों में इस भूमि पर श्री विभूति नारायण सिंह या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है।

इस फार्म की सभी जमीन पर दलित ही खेती करते हैं, उन्होंने अपनी बोई जोती फसल काटकर इस वर्ष अपने घर ले जाने की हिम्मत की, तो सरकार उनका दमन कर रही है, उन पर फर्जी मुकदमें चलाये जा रहे है दलित मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को उस तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है।

इसी तरह वाराणसी जिले में ही इसी बैराठ फार्म के निकट ही सिंचाई विभाग ने मोकरम बंधी बनाया है, जब इस बन्धी में पानी नहीं रहता तो यहां भी गरीब दलित खेती करते हैं यह जमीन सिंचाई विभाग की है परन्तु आधा फसल राजा वाराणसी लेते हैं। इस वर्ष किसान अपनी फसल घर ले जाना चाहे तो उनके विरुद्ध चोरी, डकैती आदि

नोट [x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के मुकदमें चला दिये गये है। दलित महिला मुख्यमंत्री को यहां दलित उत्पीड़न नहीं दिखाई देता। पिछले डेढ़ माह में प्रदेश में दर्जनों घटनाये हुई जिसमें दलितों का, अल्पसंख्यकों का बर्बर उत्पीड़न हुआ, महिलाओं की आबरु पर हमले हुये, इस सरकार ने आज तक अपराधियों को जेल भी नहीं भेजा है।

मा० मुलायम सिंह यादव के गुण्डों के उन्मूलन की घोषणा तो मुख्यमंत्री रोज करती है। अच्छी बात है, गुण्डों को दण्डित किया जाय। परन्तु यह कैसा गुण्डा विरोधी अभियान है जिसमें एक विशेष प्रकार के लोग दण्डित हों। जो ऐसे दल से संबंधित हों, इत्तफाक से आगामी चुनावों में जिससे भा०ज०पा० को डर लग रहा हों।

[X X X X X] अयोध्या में साम्प्रदायिक हिंसा करने वालों, आगजनी करने वालों, एक पूरे मुहल्ले के मुहल्ले के मुसलमानों को भगा देने वालों, उनका घर जला देने वालों के विरुद्ध मुकदमों को यह सरकार वापस ले लेती है और उसके बाद प्रदेश में कानून के राज की स्थापना कर दम भरती हैं।

बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमी कार्यक्रमों में नहीं है। देखें मुख्यमंत्री के छपे भाषण की पुस्तिका में, पृष्ठ 3 पर पैरा 2 की तीसरी चौथी लाइन इस एक लाइन से मुख्यमंत्री द्वारा किये जाने वाले विकास का नक्शा साफ हो जाता है। अब तक के कार्यक्रमों में कमी नहीं है, तो फिर पिछले 48 वर्षों में प्रदेश व देश का वांछित विकास क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी ने शायद इसे कभी सोचा ही नहीं है।

आज भी देश में 4 फीसदी लोगों के कब्जे में लगभग 40 प्रतिशत कृषि भूमि है। लगभग यही स्थिति हमारे प्रदेश की भी है। आज देश की सम्पदा के 67 प्रतिशत पर 100 इजारेदार पूंजीपति घरानों का कब्जा है, अब तक बनाये गये कार्यक्रमों ने कृषि भूमि और कारखानों पर श्रमिकों, दलितों, मेहनतकशों का कब्जा नहीं दिलाया है। मुख्यमंत्री जी ने कृषि भूमि के वितरण की बात नहीं की, परन्तु यदि उन्होंने सरकार द्वारा खेत मजदूरों के लिये तय 33 रु० प्रतिदिन मजदूरी के भुगतान को ही सुनिश्चित बनाने की बात की होती तो मैं समझता कि दलित महिला मुख्य मंत्री को दलितों के घोषणा का थोड़ा सा एहसास है। परन्तु दुख की बात है कि मुख्य मंत्री की निगाह इधर भी नहीं है।

चाहे बिजली उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे सार्वजनिक कारखानों के घाटे की बात हो चाहे प्रदेश के उद्योगीकरण की बात हो इस सबके लिये मुख्यमंत्री जी के हाथ में एक निजीकरण रामबाण है, जिसके जरिये वह इन सभी समस्याओं को हल करने बात करती है।

बजट भाषण सुनने से यही स्पष्ट हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं तो बेकारी भत्ता की बात तो मुख्य मंत्री की जुबान से निकली ही नहीं। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में विभिन्न मदों में खर्च होने वाली रकम पिछले वर्ष के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है इसका जिक्र करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है इसके अलावा इस बजट में कुछ ऐसा नहीं है जिसके बल पर कहा जा सके, कि ये बजट गरीब उन्मुखी है।

कृषि, सिंचाई उद्योग, शिक्षा, सार्वजनिक उद्यम, पंचायत व्यवस्था, किसी भी क्षेत्र में सरकार ने प्रदेश की जनता के विभिन्न मेहनतकश हिस्सों के विकास और प्रदेश के समग्र विकास के हित में किसी नीति का उललेख नहीं किया है।

मुख्य मंत्री जी के भाषण से ऐसा मालूम होता है कि बगैर किसी नीति के बगैर किसी कार्यक्रम के प्रदेश की सभी समस्यायें हल हो जायेगी। क्योंकि मुख्य मंत्री जी दलित महिला है इस सरकार की न श्रम नीति है, न उद्योग नीति, न शिक्षा नीति न विकास नीति और न कोई कृषि नीति है। इससे पहले भी कई दलित मुख्यमंत्री हो चुके हैं कई पिछड़े वर्ग के मुख्य मंत्री हो चुके हैं। माननीया, मुख्य मंत्री से कहीं अधिक तेज स्वर में कइयों ने प्रदेश व देश की जनता को खुशहाल बनाने का नारा दिया है। कुछ आधे अधूरे कार्यक्रमों को भी आधे मन से लागू करने की घोषणा की परन्तु देश व प्रदेश खुशहाल नहीं हो सका। परन्तु वर्तमान सरकार तो बगैर किसी कार्यक्रम के बगैर

नोट [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किसी नीति के दलितों व प्रदेश के उत्थान का दावा कर रही है। केवल इसलिए कि उसकी मुख्य मंत्री दलित महिला है और उन्हें गुरु मान्यवर, कांशीराम दलितों के मुक्तिदाता है।

मुख्य मंत्री जी अपने इस थोथे दावे से अपने को धोखा दे सकती है परन्तु प्रदेश की जनता और प्रदेश इससे छला नहीं जा सकता।

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से सदन के और प्रदेश की समस्त जनता के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि इस सरकार के बनने के साथ ही प्रदेश की राजधानी से लेकर प्रदेश के दूर दराज इलाकों तक यह बात स्पष्ट दिखायी देती है कि उच्च स्तर पर नौकरशाही से लेकर निचले स्तर तक के सरकारी अमला में भा०ज०पा० के लोग शासन कर रहे हैं। यही वजह है कि स्थान-स्थान पर दंगों की शुरुआत हो गई है दलितों पर भाजपा समर्थकों के हमले हो रहे हैं। भाजपा के संरक्षण में पल रहे माफिया तत्वों को छूट मिल गई है। यह स्थिति प्रदेश के लिय बहुत ही खतरा का कारण बन रही है। साम्प्रदायिक सद्भाव नष्ट हो रहा है। दलितों, पिछड़ों पर उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है। सरकार उत्पीड़िकों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा रही है। काशी के ज्ञानवापी व मथुरा के मंदिरों का सवाल उठाया जा रहा है। वाराणसी में जलाभिषेक की इजाजत देकर सरकार ने साम्प्रदायिक तत्वों का हौसला बढ़ाया है। अल्पसंख्यक आतंकित हैं।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में पीने के पानी व पक्की सड़कों बिजली व खेतों में सिंचाई व शिक्षा की भारी कमी है। अतः सभी अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक बाहुल्य ग्रामों में प्राइमरी स्कूल व लिंक रोड तथा पीने के पानी के लिये इंडिया मार्का हैण्ड पम्प लगवायें जाएं तथा विद्युतीकरण कराया जाय। नजीबाबाद में पीने के पानी के 3 नलकूप व तीन टैंक बनवाये जायं साहनपुर में मनेडा, हुसैनपुर, हरसुवाडा तिसोत्रा में भी पीने के टैंक व नलकूप लगवाये जायें। सिंचाई के 40 नलकूप लगवायें जाय। पूर्वी गंगा नहर से राजगढ़, गुलालबाली व रानीपुर से पांच माइनर बनवाये जाय। नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय। कोटा वाली नदी पर नये पुल का निर्माण कराया जाय साहनपुर से खालापार के बीच में नाले का पुल बनवाया जाय साहनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय।

[4 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

आप पढ़ें नहीं, अपने विचार रखें।

श्री राम स्वरुप सिंह–

सभी अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाय। तथा साथ ही समस्त पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में प्राथमिक स्कूल, व जूनियर हाई स्कूल खोला जाय तथा विद्युतीकरण किया जाय और पक्की सड़क से भी जोड़ा जाय। विद्युतघर सौफतपुर व जीवन सराय का निर्माण कराया जाय।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने प्रति सादर अपना आभार व्यक्त करता हूं कि 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा में मुझे अपने और अपनी पार्टी के विचार रखने का आपने अवसर दिया है। श्रीमन्, आज सभी दलों के नेता सामान्य चर्चा में भाग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को उत्तर भी देना है। यह बड़े खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। हम लोगों के द्वारा जो कुछ प्रश्न उठाये जायेंगे जो मुद्दे उठाये जायेंगे, यदि वे उसको सुनेंगी नहीं तो उत्तर किस तरह से देंगी? कदाचित् यह पहला अवसर है, मैं आठवीं बार विधान सभा में निर्वाचित होकर आया हूं, जब बजट पर सामान्य चर्चा हो रही हो, जिस दिन नेता सदन का उत्तर भाषण होना हो,

दलों के नेता बोलने वाले हों, मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मेरी अपेक्षा थी कि वे सदन में आकर के सारी बातों को सुनती।

श्रीमन्, मैं इधर-उधर की बातें न कहकर बजट के इर्दगिर्द अपने को सीमित रखना चाहता हूं, कुछ बातें कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं। जब सरकार उन बिन्दुओं पर उत्तर देगी तो जनता के सामने शासन की नीति स्पष्ट हो जायेगी नीयत स्पष्ट हो जायेगी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीया मुख्यमंत्री जी सदन में आ गयी हैं। श्रीमन्, मैं पहला बिन्दु रखना चाहता हूं विकास का। विकास को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिये। विकास में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी साझेदारी होती है, होनी चाहिये। दूसरी बुनियादी बात विकास को सतत् चलने वाली प्रक्रिया मानता हूं। पिछली सरकार से विरासत में कुछ अच्छी चीजें मिली होती है कुछ बुरी चीजें मिली होती हैं। हर नई सरकार को अच्छी चीजों के सुखद परिणाम मिलते हैं और वहीं बुरी चीजों के दुखद परिणाम मिलते हैं। जब हम बजट में विचार रहे हैं तो यह में देखना होगा कि जब वर्तमान सरकार बजट तैयार कर रही होगी तो उस समय उसके सामने क्या कठिनाइयां रही होंगी या उस समय इस सरकार को विरासत में कुल मिलाकर क्या मिला होगा? तो यह तो सच है कि वर्तमान सरकार और सुश्री मायावती जी को जब सत्ता मिली तब उनको विरासत में मिला गुंडाराज, आतंकवाद...

...मिला है विरासत में, मिली है अराजकता, घोर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन, आर्थिक दिवालियापन और प्रदेश का अवरुद्ध विकास। श्रीमन्, जिस समय पिछली सरकार यहां काम कर रही थी प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गयी थी, जंगल राज कायम हो गया था और उसका परिणाम यह हुआ कि उस सरकार के समय में जो औद्योगिक उत्पादन की दर थी वह तेजी से घटती चली गयी। 1993 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर का प्रतिशत 5.8 था जो 1994 में घटकर 1.8 प्रतिशत रह गया। जबकि केन्द्र सरकार का उन्हीं दिनों में 8.7 प्रतिशत था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 15.10 प्रतिशत रखा गया था लेकिन पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से औद्योगिक विकास का प्रतिशत पूरा नहीं हो पाया। दूसरा परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश रुक गया। जे०के० फारमासेटिकल कम्पनी अरबों रुपये की परियोजना उत्तर प्रदेश में लगाना चाहती थी मगर माफियाओं के डर से उसने उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया और वह पांडिचेरी में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को सुविधाये नहीं दी गयी और औद्योगीकरण का माहौल तैयार नहीं किया गया। 1993-94 में केन्द्र सरकार की तरफ से 1145.90 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत हुए लेकिन पिछली सरकार केवल 11.12 करोड़ के ही प्रस्ताव आकृष्ट कर पायी। मैं यह पृष्ठभूमि इसलिए रख रहा हूं कि जो नयी सरकार का बजट बना है उस समय इस सरकार को बजट बनाने में कठिनाई आयी और ऐसी विषम परिस्थितियों में जबकि आर्थिक दिवालियापन की स्थिति थी इससे और अधिक बेहतर बजट नही बनाया जा सकता।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि दलितों और दुर्बल लोगों के उत्थान और ग्रामीण विकास के लिए यह बजट एक सकरात्मक पहल सिद्ध होगा। जो वार्षिक योजना 1995-96 की 5,702.50 करोड़ रुपये की है मैं सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि इस वार्षिक योजना का वित्तीय पोषण करने के लिए आर्थिक वित्तीय साधन जुटाने में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और कठोर वित्तीय अनुशासन स्थापित करना होगा अन्यथा यह पूरी नहीं हो पायेगी। मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। कुछ बिन्दु ऐसे हैं जो स्वागत योग्य हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं सुझाव दूंगा और कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं समालोचना करुंगा और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से ही नहीं बल्कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनके बारे में विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

श्रीमन्, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं क्योंकि यह बजट कर मुक्त बजट है, क्योंकि इस बजट में गरीब जनता के ऊपर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। गरीब जनता के ऊपर पुराने टैक्स की तुलना में किसी प्रकार की

कोई वृद्धि नहीं की गयी है। मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए योजना परिव्यय में 72 प्रतिशत धनराशि आवंटन करने का लक्ष्य रखा गया है।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

...परन्तु यह अपेक्षा भी करता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए यह जो 72 प्रतिशत धनराशि परिव्यय के लिये निर्धारित की गई है, इसका ब्योरा एक श्वेत-पत्र जारी करके जनता के सामने रखा जाय कि 72 प्रतिशत के परिव्यय में ग्रामीण विकास किस-किस मद पर कितना-कितना पैसा खर्च किया जाने वाला है ताकि आप जनता को पूरी जानकारी हो जाय। मैंने बजट को देखने का प्रयास किया। ग्रामीण विकास के नाम की जो मदें हैं, उनमें से अधिकांश मदों पर पैसा घटा दिया गया है, फिर भी 72 प्रतिशत धनराशि सरकार खर्च करने की घोषणा कर रही, अतः मेरी अपेक्षा है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करके, ग्रामीण विकास के किस-किस मद पर कितना-कितना पैसा खर्च करने जा रही है, बतायें?

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान पर बल दिया गया है। मैं इस बजट का इसलिये भी स्वागत करता हूं कि पिछड़ी जातियों के विकास के लिये कुल विभागीय परिव्यय का 27 प्रतिशत रखने पर बल दिया गया है, किसान पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है, पिछली सरकार के समय 1994-95 में इस मद में 33.74 करोड़ रुपये रखे गये थे परन्तु उसके मुकाबले इस मद में वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर वर्ष 1995-96 के लिये 93.28 करोड़ रुपये रखे हैं, जो 176.5 प्रतिशत की वृद्धि है। श्रीमन् मैं इस बजट का इसलिये भी स्वागत करता हूं कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के छात्रों मे छात्रवृत्ति में भी सराहनीय वृद्धि की गई है। पिछली सरकार ने जहां वर्ष 1994-95 के लिये 29.04 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था, वहीं वर्तमान सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिये इस बजट में 104.14 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है जो 258.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

श्रीमन् मैं इस बजट का इसलिये भी स्वागत करता हूं कि प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण में भी बड़ी उदारता का परिचय दिया गया है पिछली सरकार ने जहां इस मद में केवल 32.90 करोड़ का प्राविधान किया था, वहीं इस सरकार ने वर्ष 1995-96 के बजट में विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 56,72 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, जो 72.4 प्रतिशत की वृद्धि है। श्रीमन् मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि इस सरकार ने अम्बेदकर ग्रामों में 5 हजार ग्रामों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा है, इसके लिये इस सरकार को कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 11013 अम्बेदकर ग्राम हैं और इनमें से अभी तक कुल मिलाकर 1303 ग्राम संतृप्त किये जा चुके हैं। अब इस बार 5 हजार ग्रामों को संतृप्त करने की बात है, उसके लिये बहुत कठोर परिश्रम की आवश्कयता होगी। इस कार्यों में निःशुल्क बोरिंग, इंदिरा आवास, पेयजल और विद्युतीकरण करना होगा।

श्रीमन् मैंने पहले ही कहा था कि दबे कुचले, दलितों के उत्थान और ग्रामीण विकास की दिशा में यह एक बहुत सकारात्मक पहल का बजट है, इस नाते से मैंने इन बातों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना, जो 5702.50 करोड़ रुपये की है उसमें सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने यह है इसे महत्वाकांक्षी वित्तपोषण करने की फीडिंग करने की जो कुल घाटा है वह 1232.54 करोड़ रुपये का है। पिछली सरकार जो बचा हुआ है, वह 1053.72 करोड़ का है। उसे हिसाब में लेकर सरकार ने घाटा दिखाया है 176.82 करोड़ का। वैसे तो यह पिछली सरकार की नालायकी और नाकाबिलयत का सबूत है कि एक ओर इस प्रदेश में पैसे का अभाव रहता है और दूसरी ओर 1053.72 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हुआ और इस धनराशि का अवशेष ही छोड़ दिया गया। वर्तमान सरकार इसे अपना वित्तीय संसाधन न मान बैठे, यह मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को नये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने होगें।

श्रीमन् जो वित्तीय वर्ष है, इसमें योजना के आकार और वास्तविक वित्तीय संसाधनों में लगभग 1700 करोड़ रुपये का अंतराल है। इस पूरे बजट भाषण में कहीं भी यह देखने को नहीं मिला कि यह जो 1700 करोड़ रुपये का गैप है, योजना आकार और वास्तविक संसाधनों के अन्दर, वर्तमान सरकार इसको कैसे पूरा करेगी?

...इसका कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं है, मैं इसलिए और कह रहा हूं। पिछले दो वर्ष का अनुभव है यह बताता है कि जो कुछ भी वित्तीय संसाधन जुटाने के लक्ष्य रखे गये, न पिछले वर्ष पूरे हुये न उसके पहले के वर्ष में पूरे हुये। गत वर्ष वितीय संसाधनों का गैप 300 करोड़ का शेष रह गया था उसके पहले 560 करोड़ रु० का गैप था वह पूरा नहीं हो पाया। मुझे आशंका इस बात की है कि वर्तमान सरकार इस 17 सौ करोड़ रुपये के गैप को पूरा कर पायेगी या नहीं कर पायेगी। इसके दो परिणाम होंगे, या तो योजना आकार में कटौती करनी पड़ेगी या जनता के ऊपर टैक्स लगाने पड़ेंगे। यदि योजना आकार में कटौती होती है तो हमारा पिछड़ा प्रदेश और पिछड़ जायेगा। यदि प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो जनता पहले से ही टैक्स की भार से दबी पड़ी है, वह इस टैक्स के भार को सहन नहीं कर पायेगी। सरकार यह स्पष्ट करे कि 1700 करोड़ रुपये के अन्तराल को किस प्रकार से वित्तीय संसाधन जुटाकर पूरा करने का इरादा रखती है?

श्रीमन्, एक दूसरी समस्या है, हमारे प्रदेश की आर्थिक पिछड़ेपन की। आज भारत के औसत को लिया जाये तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बाकी के प्रदेशों की तुलना में कम है। भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की औसत की तुलना में हमारा कम है, हमारा प्रदेश पिछड़ा है। श्रीमन्, दूसरा, ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में भी असंतुलन है, प्रति व्यक्ति ग्रामीण तथा नगरीय आमदनी में एक और चार का अनुपात है। ग्राम की आबादी तीन चौथाई और नगरों की आबादी एक चौथाई है किन्तु आमदनी के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी एक है और नगरीय क्षेत्रों की आमदनी चार है। श्रीमन्, यह एक और चार का गहरा अन्तराल है। इसको पाटने के लिए सरकार कौन से उपाय करने जा रही है, यह सदन और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता जानना चाहती है? जब मुख्यमंत्री जी अपना उत्तर भाषण देने के लिये खड़ी होंगी तो इसको स्पष्ट करें। पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है क्या इसको दूर करने के लिए कोई योजना है या नहीं? एक योजना स्वागत योग्य है- अम्बेडकर रोजगार योजना, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन पैसा निर्धारित किया गया मात्र 60 करोड़, इतने बड़े प्रदेश के लिए जिसकी जनसंख्या 15 करोड़ हो, बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग सड़कों पर घूमते हो, यह 60 करोड़ रुपये का प्राविधान बहुत कम है इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मुझे याद है कि हमने स्वरोजगार योजना पर विशेष बल दिया था, महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमने मिनी डेरी स्कीम व्यापक पैमाने पर चालू की थी। नहरों और रजबहों के 5000।- किलोमीटर पटरियों को डामर रोड पर पेण्ट करने का निर्णय लिया था और 5 हजार करोड़ रुपये खर्च होने थे। इसके लिए धनराशि भी एकत्रित की गयी थी रोजगार छतरी योजना चालू की थी और 106 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था आज 60 करोड़ रुपये का प्राविधान हो रहा है इसी प्रकार श्रीमन्, किसान सेवा केन्द्र हमने किसानों को सुविधा देने के लिए खोले थे, अधिकारी गांवों में जाते थे और स्थल पर ही समस्याओं का निराकरण करते थे, "सरकार जनता के द्वार" और ग्राम सचिवालय स्थापित करने की सोच थी। इस संबंध में वर्तमान सरकार की क्या सोच है, यह स्पष्ट होना चाहिए किसान बही हमने चालू की थी, 40 पन्ने किसान बही में थे, उसमें किसान के पास भूमि का स्वामित्व, जिंस आदि का ब्योरा था, जोकि उसके किसी काम आ सकती थी, ये कार्य हमनें विकास की दृष्टि से किया था...

...श्रीमन्, अब मैं औद्योगीकरण की बात करता हूं। मेरी समझ से चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का सबसे प्रमुख उद्योग है। लेकिन आज गन्ना किसानों को गन्ने पर लगी उसकी लागत मूल्य के अनुपात में लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो दाम मिलना चाहिये था, उसमें से भी 153.20 करोड़ रुपये बकाया है। मैं विस्तार से इस संबंध में नहीं कहूंगा क्योंकि कई माननीय सदस्य इस पर अपनी बात कह चुके हैं।

चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ उद्योग है। अब इसमें तीन निर्णय लेने आवश्यक हैं। मैं जानता हूं कि एक निर्णय तो इसमें से केन्द्र सरकार के हाथ में है। जहां आज केन्द्र सरकार आर्थिक उदारीकरण की

नीति अपना रही है और बाहरी क्षेत्रों के लिए उदारीकरण अपनाया जा रहा है वहीं पर आज हमारा यह कहना है कि सबसे पहले आन्तरिक उदारीकरण को भी प्राथमिकिता दी जाय। कोटा परमिट और लाइसेन्स एक तरह से भ्रष्टाचार की जननी हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। केन्द्र सरकार के कई प्रमुख नेताओं ने अपने बयान भी दिये हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक-दो बार इसकी चर्चा की है। चीनी उद्योग का डि-लाइसेन्सीकरण लाइसेन्स मुक्त कर दिया जाना चाहिये। आज इस उद्योग के लिए लाइसेन्स पर प्रतिबन्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आज उत्तर प्रदेश में 106-107 चीनी मिलें हैं। उसमें से कई चीनी मिलें जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़ी हैं। जो शेष चीनी मिलें हैं उनकी पिराई क्षमता 32.5 प्रतिशत है। कदाचित यह 33 प्रतिशत तक हो सकता है। शेष जो गन्ना है 67.5 प्रतिशत वह खण्डसारी तथा गुड़ बनाने में जाता है। खण्डसारी व गुड़ में जो मिठास की रिकवरी है वह 6-7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती जबकि चीनी मिलों की रिकवरी 9-10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती है इसका मतलब यह हुआ कि 3 से लेकर 4 प्रतिशत तक की जो मिठास है व बगास में जा रही है। बगास या तो चूल्हे में जायेगा या फिर कागज बनाने के काम आयेगा। यह एक प्रकार से देखा जाय तो किसान का नुकसान है और अरबों रुपयों की राष्ट्रीय क्षति हो रही है। इसलिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिखे, मेरा पूरा विश्वास है कि यह सदन भी इस बात से पूरी तरह से सहमत होगा, कि चीनी उद्योग को लाइसेन्स से मुक्त रखा जाय। दूसरा, शीरा है। केन्द्र सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था और शीरे को शत-प्रतिशत नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। मैं उस निर्णय की सराहना करता हूं। परन्तु उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आ गई और उन्होंने केन्द्र सरकार के उस फैसले को उलट दिया। 65 प्रतिशत शीरे को नियंत्रित कर दिया गया और 35 प्रतिशत शीरे को खुले बाजार में छोड़ दिया। इसमें भी अपने कुछ चहेतों को व चहेती फर्मों को लगभग 200 करोड़ का फायदा पहुंचाया और उसमें से कुछ करोड़ रुपए अपने खाते में डाल लिया। इसलिए आज जहां पर चीनी मिलों की लाइसेन्स मुक्त किये जाने की आवश्यकता है वहीं पर शीरे को भी शत-प्रतिशत नियंत्रण से मुक्त करने की आवश्यकता है। पहला काम केन्द्र सरकार करेगी परन्तु दूसरा काम वर्तमान सरकार कर सकती है। शीरे पर से कन्ट्रोलिंग को हटा दिया जाना चाहिये ताकि अपनी आवश्यकतानुसार लोग खुले बाजार से खरीद सकें और इस्तेमाल कर सकें। आज उत्तर प्रदेश में शीरे की कमी नहीं है।

तीसरी बात है कि चूंकि शीरा गन्ने से पैदा होता है और गन्ना किसान पैदा करता है इसलिये किसान को जो गन्ने की कीमत दी जाय तो गन्ने की कीमत में शीरा को भी ध्यान में रखा जाय उसका भी हिसाब जोड़ा जाय और तब गन्ने की कीमत में शीरा से आमदनी की निश्चित मांग की जानी चाहिये। इससे चीनी मिलों को भी लाभ पहुंचेगा और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और गन्ने का जो भुगतान बकाया रह जाता है उसके भुगतान में भी सुविधा हो जायेगी। तो यह तीसरा निर्णय उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बहुत आवश्यक है। मैं यह भी आग्रह करुंगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार 3 उद्योगों पर विशेष ध्यान दे, तो यहां लोगों को बड़ा रोजगार मिल जायेगा। एक तो चीनी उद्योग है, दूसरा रेशम का उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह से डेरी उद्योग है। डेरी उद्योग कम पूंजी से भी चालू किया जाता है। जैसा हमने मिनी डेरी योजना चलाई और उसको प्रोत्साहन दिया।

इसी प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात है। उत्तरांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड है उनके समुचित विकास के लिये जो धनराशि रखी गयी है मैं चाहता हूं कि इसमें इजाफा हो इसमें आपने इजाफा किया है अच्छी बात है किन्तु यह इजाफा अपर्याप्त है। क्षेत्रीय असंतुलन से असंतोष पैदा हो रहा है, कुछ क्षेत्र पिछड़ते चले जा रहे हैं और वहां की गरीब जनता तथा किसानों का बुरा हाल है।

कृषि का जहां तक प्रश्न है उसका विकास भी बाधित हो रहा है, और कृषि उत्पादकता स्थिर होती चली जा रही है। इससे आगे हमारे लिये कठिनाई बढ़ेगी और हमारे लोगों की आवश्यकतायें पूरी होना कठिन होगा। यदि

कृषि विकास और उत्पादकता न बढ़ी तो कृषि का कार्य किसानों के हित के लिये लाभ का सौदा नहीं रह जायेगा। किसान की पैदावार सस्ते में जा रही है और उसमें लगने वाले खाद बीज कीटनाशक दवायें तथा कृषि यंत्रों की कीमतें बढ़ती जा रही है आज खेतों में पानी नहीं है, ट्यूबवैल चलाने के लिये किसान बिजली के लिये मोहताज है। बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं पर अरबों रुपया खर्च हो गया उनसें भरपूर लाभ नहीं मिला। आज आवश्यकता है कि लघु सिंचाई योजनाओं का जाल बिछाया जाय ताकि हर खेत को पानी मिल सके अगर आप संकल्प लें कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देंगे तो उ०प्र० का कायाकल्प हो जायेगा।

जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है तो यह बात सुनिश्चित है कि उ०प्र० उठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, कभी नहीं उठ सकता है। औद्योगीकरण के क्षेत्र में उ०प्र० लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। मेरे हिसाब से इसके लिए 6 आवश्यक बातें है अगर वह पूरी हो जांय तो उ०प्र० का औद्योगीकरण तीव्रगति से होगा।

1-औद्योगीकरण के लिये चुस्त दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त कानून व्यवस्था चाहिये।

2-औद्योगीकरण के लिये भरपूर बिजली की आपूर्ति चाहिये। बिना बिजली के किसी प्रकार का उद्योग नहीं चल सकता है। जहां पर बिजली नहीं होगी वहां उद्योगपति उद्योग लगाने नहीं आयेगा।

3-औद्योगीकरण के लिये इंस्पेक्टर राज खत्म होना अतिआवश्यक है।

4-औद्योगीकरण के लिये कर ढांचे का सरलीकरण हो।

5-औद्योगीकरण के लिये युक्तियुक्त कर की दर हो, सिंप्लीफिकेशन औफ दि टोटल स्ट्रक्चर और रेशनलाइजेशन आफ दि टैक्स स्टेट।

6-औद्योगीकरण के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार।

मैंने बजट पढ़ा है मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है, आतंकवाद की काली छाया अब नहीं है। यद्यपि अपराध कम हो गये हैं फिर भी कानून व्यवस्था और अधिक चुस्त दुरुस्त होना आवश्यक है।

शेष जो 5 बातें हैं उनकी पूर्ति होना औद्योगीकरण के लिये बहुत आवश्यक है जो हमारे दृष्टिकोण से अभी नहीं है। जैसे ऊर्जा की बात है, बिना बिजली के पहिया चलेगा नहीं और न ही खेती का विकास होगा और न ही उद्योग लग सकेंगे।

आज भी हम पुरानी सरकार की तरह से इस सरकार की भी घोषणा सुन रहे हैं कि 16 घंटे बिजली- 16 घंटे बिजली। यह एक मखौल है। 16 घंटे बिजली नहीं, ज्यादा से ज्यादा बिजली कहीं पहुंचती है तो 6 घंटा नहीं तो 3-4 घंटा ही औसत आ रही होगी। जब हम सरकार छोड़ कर गये थे, उस समय प्लान्ट लोड फैक्टर 53 परसेंट करके गये थे। पिछली सरकार के समय में तो यह 40.04 प्रतिशत तक आ गया था और आज का 43 प्रतिशत है। 16 घंटे बिजली देने के लिए औसतन 65 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर चाहिए। आज के उत्पादन के हिसाब से यह 16 घंटे दी ही नहीं जा सकती है।

आज न तो किसानों को बिजली मिल रही है न उद्योगों को ही बिजली मिल पा रही है। बिजली की चोरी हो रही है- लाईन-लास, सरकार इसकी गहराई से जांच करायें। वास्तव में लाईन-लास अपने में उतना नहीं है, जितना कि जो बहुत बड़े बड़े उपभोक्ता हैं, उनके साथ विद्युत परिषद के छोटे बड़े अधिकारी मिलकर बिजली चोरी करा रहे हैं, यह उसको लाइन लास में दिखाकर अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीटर सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, इसलिए पता नहीं वहां कितनी बिजली जाती है जो बड़े-बड़े कारखानेदार बिजली की चोरी कर रहे हैं उसकी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा दी जाती है। सरकार यह निर्णय ले, कि वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसकी जिम्मेदारी दे और कहे कि तुमको इतनी बिजली दे रहे हैं और इसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी

तुम्हारी है और इसका इतना दाम आता है और यह वसूलकर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा करने पर देखें कि कैसे नहीं आता है?

विद्युत परिषद् आज सफेद हाथी बन गया है और इसमें आपको आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब कभी सरकार इसको छूती है, तो यूनियन बाधा बनकर सामने आती है, लेकिन जनहित में यह कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। उत्पादन, वितरण और पारेषण आज यह तीनों इकाई इकट्ठी हैं और ये एक दूसरे के पापों पर पर्दा डालने में सक्षम हैं। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करे-उत्पादन, पारेषण और वितरण की, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की यह तीनों इकाइयां अलग अलग हों और हर एक को अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारी हो। इससे निश्चित रुप से इसका-विद्युत का उत्पादन बढ़ जाएगा और वितरण भी ठीक हो जाएगा। इस व्यवस्था में जनरेशन करने वाले को बताना होगा कि तुमने कितने में कितनी बिजली का उत्पादन किया है, ट्रांसमिशन वाले को बताना होगा कि तुमने कितनी बिजली का ट्रिस्टीब्यूशन किया है और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले को बताना होगा कि जो तुमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका पूरा पैसा मिला है या नहीं और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। इस तरह से आमूल चूल सुधार होगा और जब तक यह साहसिक कदम नहीं उठाया जाएगा, मैं नहीं समझता हूं कि प्रदेश का विकास हो पाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों में करोड़ो रुपया लगा हुआ है, फिर भी ये घाटा ही घाटा दे रही है।

सरकार को सोचना चाहिए कि जो नहीं चल सकती हैं, उनको बंद करे और जो थोड़ा पैसा लगाने से लाभदायी बन सकती हैं, उनमें थोड़ा पैसा लगाकर उनको लाभदायी बनाया जाए, और जिनके निजीकरण की आवश्यकता है, तो उनका निजीकरण भी जनहित में किया जा सकता है। लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी हो, निजीकरण के नाम पर सार्वजनिक धन का जेबीकरण न हो। हम इसके पक्षधर हैं। यह गरीब प्रदेश निजीकरण करते समय कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जाय की गरीब जनता का पैसा है, जो पैसा विकास के कार्यों में लगना चाहिए, आज वह सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे को पूरा करने में लगता है।

हम निजीकरण के पक्षधर हैं, नीतिगत रुप से। आज उद्योग घाटे में जा रहे हैं। गरीब पब्लिक का पैसा है, विकास के कामों में लगना चाहिए।

आज सरकार को इस विषय में निर्णय लेने की आवश्यकता है। शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। आज सबको शिक्षा की आवश्यकता है। जो शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है जैसा कि ऊदल जी ने और हमारे साथियों ने कहा कि हजारों पद रिक्त हैं। तमाम विषय हैं भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित आदि का उनके पद रिक्त पड़े हैं। आज हमारे हजारों नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं और विभागों में यह पद रिक्त पड़े हैं। यह कैसी विसंगति है, इसको दूर किया जाना चाहिए। एक ओर पद रिक्त हैं और दूसरी ओर नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। औषधियां नहीं हैं, बड़ी समस्या यह है कि डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं। एक ओर अस्पतालों में डाक्टर के पद रिक्त पड़े हैं दूसरी तरफ डिग्री लेकर नौजवान डाक्टर बेरोजगार पड़े हैं। प्रदेश के अस्पताल बिना डाक्टरों के खाली पड़े हैं, यह कैसी विसंगति है? मैं नहीं मानता हूं कि उनको जहां भेजा जायेगा, वह वहां नहीं जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज चिकित्सा सुविधा का अभाव है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में डाक्टर जाना नहीं चाहते। सरकार को सख्ती के साथ इसमें व्यवस्था करनी होगी कि जिन्हें जहां भेजा जायेगा उनको वहां जाना होगा अन्यथा अपने घर जाना होगा। आप इस व्यवस्था को कर के देखें। हमने भी किया है, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। जिन डाक्टरों को जहां भेजा गया है वहां वह जायें नहीं अन्यथा अपने अपने घर गये। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में डाक्टर गये थे। मैं नहीं कह रहा कि हमने बड़ी आदर्श स्थिति बनाई थी लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया था। आज भी आपको यही करना चाहिए। बजट में जनसंख्या के बढ़ने से होने वाले विस्फोट की

चर्चा नहीं है। अगर जनसंख्या को नहीं रोका गया तो विकास की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जायेंगी। विकास दर बढ़ाते हैं किन्तु साथ ही जन्म दर बढ़ जाती है इससे वर्तमान पीढ़ी के लिये विकास के नाम पर, और आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिये विकास के नाम पर कुछ नहीं छोड़ पायेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का काम किसी दल का नहीं है इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रुप में लिया जाना चाहिए। कोई मत, मजहब या सम्प्रदाय इसके आड़े नहीं आना चाहिए। यह राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोका गया तो ऐसा विस्फोट होगा जिससे सारे विकास के काम धरे के धरे रह जायेंगे, अशांति और असन्तोष पैदा हो जायेगा। जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में गम्भीरता से सोचना होगा। श्रीमन्, मैं अब सरकार की घोषणा की ओर आना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने चार बहुत काम की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है "हमारा संकल्प है अन्यामुक्त, अपराध मुक्त, शोषण मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की संरचना करने का।"

मैं बधाई देना चाहता हूं कि यह चार बातें ऐसी हैं जो आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार का यह दायित्व है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज दे, स्वच्छ प्रशासन दे। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा विकास का काम नहीं होगा, विकास के काम नहीं होंगे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तो पैसा नहीं आयेगा, पैसा नहीं आयेगा तो गरीबी दूर नहीं होगी, तो भुखमरी बढ़ेगी। भुखमरी मिटाना है तो गरीबी दूर करनी होगी। गरीबी दूर करनी है तो लोगों की जेबों में पैसा पहुंचाना होगा, लोगों की जेब में पैसा पहुंचाना है तो रोजगार मुहैया कराना होगा। रोजगार मुहैया कराने के लिए विकास के काम चालू करने होंगे और विकास के कार्य करने हैं तो भ्रष्टाचार मिटाना होगा। इसके बिना प्रदेश की गरीबी और भुखमरी मिटाना मुश्किल है। मुझे खुशी है कि इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की रचना करना चहिए।

श्रीमन्, पिछली सरकार के बारे में कहने की अपेक्षा मैं वर्तमान सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह इन बातों पर ध्यान देगी। मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा को बड़ा बल मिल जायेगा जब इस मंत्रिमण्डल में सम्मिलित सभी सदस्य अपनी अपनी चल-अचल सम्पत्ति का पूरा विवरण सार्वजनिक रुप से देंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

सरकार की नीयत साफ है, यह लोगों को भी लगना चहिए। अपने से प्रारम्भ करें। और श्रीमन् मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कुछ विषयों पर जांच की मांग करता हूं।

...प्रश्न यह नहीं है कि भ्रष्टाचार किसने किया प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार जिसने किया प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करके प्रदेश की गति को रोकने का पाप किया है। पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव थे उनकी घोटालों की सरकार थी यह कहा जाए तो अतिशियोक्ति की बात नहीं है। हमने दस-ग्यारह प्रकार के घोटाले छांटे हैं इनको मैं बिन्दुवार बताना चाहूंगा। पहला घोटाला चीनी मिलों से संबंधित है चीनी मिलें बेचने में करोड़ो रुपये का घोटाला हुआ है। अरबों की सम्पत्ति कौड़ियों में बेच दी गई। चीनी मिल की जमीन जितने की थी पूरी चीनी मिल उक्त से भी कम दाम में बेच दी गई। दूसरा विन्दु सहकारी चीनी मिल संघ में बोरा खरीद कर घोटाला हुआ है एक कम्पनी है उस कम्पनी को पौने ग्यारह फीसदी का डिस्काउन्ट देकर आर्डर दे दिया गया। बोरे का बजट जाने कैसा मैटीरियल लगाया गया कि उसका वजन एक किलो बढ़ा दिया गया। जिसमें 100 किलो चीनी आनी चाहिए थी 99 किलो चीनी उसमें आई। इसमें हमने मोटा सा हिसाब लगाया है इसमें 12 करोड़ का घपला हुआ है। नियंत्रित शीरे में घोटाला हुआ है।

आयुर्वेदिक औषधि में 70 करोड़ का घोटाला हुआ है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एन०आर०इ०पी० को सस्ती दर पर भूमि दे दी गई। ढाई सौ करोड़ की योजना बना दी। सैफई के निर्माण कार्य में घोटाला है। पुलिस पी०ए०सी० की भर्ती की जांच कराई जाए। बिजली घरों को बेचने की जांच कराई जाए चावल निर्यात के घोटाले की जाँच होनी चाहिए अग्नेअस्त्रों के लाइसेन्स घोटाले की जाँच होनी चाहिए। चीनी मिलों के बेचने के बारे में बताया गया कि निजीकरण कर रहे हैं चीनी मिलों का निजीकरण नहीं तत्कालीन सरकार के

मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों का जेबीकरण किया है। मेरी मांग है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए। अब तक के जो सौदे हुए हैं उनको निरस्त किया जाए। यदि निजीकरण की आवश्यकता है तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर उसके निजीकरण पर विचार कर सकते हैं। जितनी चीनी मिलें हैं उनकी चल-अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाना चाहिए। विश्वसनीय समिति द्वारा किया जाना चाहिए। सहकारी चीनी मिलों में 12 करोड़ की पूरी खरीद में घोटाला है। 99 किलो चीनी को 100 किलो चीनी प्रति बोरा के रुप में दिया जा रहा है मेरी जानकरी है कि सरकारी चीनी मिल संघ में गड़बड़ी की गई है फाइल निकलवा कर देख लें करोड़ों का घोटाला हुआ है।

...मैंने नियंत्रित शीरे की बात कही थी। एक दो चहेती कम्पनियों को आवंटन किया गया और अनाप-शनाप आवंटन किया गया जिसमें 200 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया उसमें कितने करोड़ रुपए की दलाली ली गई होगी इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

आयुर्वेदिक औषधियों के मामलें में जिसमें विधान परिषद एवं विधान सभा में एक ही सवाल उठाये गये। एक जांच समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष रिटायर हो गए। वर्तमान सरकार ने राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष को उसमें फिर से नियुक्त किया है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 70 करोड़ रुपए का घपला है और आज भी आयुर्वेदिक निदेशक अपनी कुर्सी पर बैठा है। सरकार गई और सरकार आ गयी परन्तु निदेशक अपनी कुर्सी पर अब तक ज्यों का त्यों बैठा है। यह वही निदेशक है जिसको हमने सस्पेंड किया था और इसलिए सस्पैंड किया था कि केवल दो नियुक्तियां अवैध पाई गई थी। वह हाई कोर्ट से स्टे ले आया और हमने कहा कि इसको दफ्तर का कमरा और एक कुर्सी दे दो लेकिन उसको टेबल इसलिए नहीं दी कि जब उसके पास फाइल ही नहीं पेश होंगी तो टेबुल का क्या काम है? वह निदेशक आज भी है इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।

श्रीमनु, इसी प्रकार से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जमीन जो एन०आर०आई० ग्रुप को दी गई उसकी जाँच होनी चाहिए उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। पिछली सरकार में विकास केवल दो जगह हुआ है। एक सैफई इटावा और दूसरा सिरौली, गौसपुर जिला बाराबंकी। बाकी 612,565 गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। सैफई में कोठियां खड़ी हो गई, महल खड़े हो गए। ठेकेदारों से कह दिया गया कि तुम अपने रेट बढ़ा दो उसमें कमीशन लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। यह किसी के पिताश्री का पैसा नहीं है। यह पैसा प्रदेश की जनता का है। इसकी जाँच को व्यापक जनहित में माना जाएगा। इसकी प्रदेश की जनता भूरि-भूरि प्रशंसा करेगी। पुलिस पी०ए०सी० में भर्ती में अंधेरगरदी हुई है। एक आध किसी रेंज की जांच हुई है उस जाँच रिपोर्ट को निकलवा लीजिए। मेरे पास जाँच रिपोर्ट की प्रति है। पुस्तक के अन्दर नम्बर कम हैं लेकिन सफल घोषित करने के लिए मुख्य पृष्ठ पर नम्बर बढ़ा दिए गए हैं। जिसके अनुत्तीर्ण घोषित करना था उसके पुस्तिका के अन्दर नम्बर ज्यादा हैं लेकिन ऊपर काट कर कम कर दिए गए हैं। किसी इंक रिमूवर का इस्तेमाल करते तो शायद न पता चलता लेकिन उसमें कटिंग की गई। आप उसकी फाइल मंगवा लें सारी बातें सामने आ जाएंगी। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भरती किया गया है।

आप अपराध मुक्त समाज की बात कह रही हैं, दूसरी ओर अपराधी वृत्ति के लोगों की पिछली सरकार भरमार कर गई है। उसकी जांच होनी चाहिए तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को निकाल बाहर किया जाना चाहिए। जिनकी अर्हता नहीं है सीने की चौड़ाई नहीं है, कद की लम्बाई नहीं है लेकिन वह भी भरती हो गए। कुछ जिले विशेष, के जिले में भी एक जाति विशेष के और जो गोत्र विशेष के लोग भर्ती किये गये जो गोत्र विशेष के भी थे उनको बख्शा नहीं गया है। डी०पी० यादव जी आप जानते हैं, 35-35 हजार रुपये लिय गये हैं। इस प्रकार ऐसे अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों को पुलिस और पी०ए०सी० में नियुक्त करने से अपराध मुक्त समाज कैसे बनेगा? पिछली भर्तियों में अनियमितताओं की जांच की जानी चाहिये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने नियम, उप नियम, नार्म्स को तोड़कर गलत तरीके से चयन किया उनको दंडित किया जाना चाहिये। मैं चयन बोर्ड की बात करता हूं। एक एस०एस०पी०, दो-तीन जगहों पर चेयरमैन बनाया गया है, एक एक डी०आई०जी० 2-3

जगहों का चेयरमैन बनाया गया है। यह सारी बातें हुयीं हैं। इसकी जांच पड़ताल नहीं करायी गयी और पुलिस तथा पी०ए०सी० में जिनके सीने कम हैं, कद कम हैं और जो अपराधी प्रकृति के हैं वह यदि पी०ए०सी० और पुलिस में बने रहे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर समाज के लिये खतरा बनेंगे और गले मिलकर इस शासन के लिये भी खतरा बनेंगे।

श्रीमन्, इसी तरह विद्युतघरों को बेचने का मामला सामने आया है। इसकी जांच की आवश्यकता है। बिजली घरों को बेचने के लिये जो प्रक्रिया अपनायी गयी है वह संदिग्ध है। करोड़ों, अरबों रुपयों की संपत्ति जो जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा है उसका दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच करवा लें और दोषी व्यक्तियों को दंडित करें। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं विशेष रुप से जो चावल निर्यात कांड हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर उसके बारे में बताना चाहता हूं। सरकार में एक खाद्य सचिव थे नाम है श्री बिजेन्द्र सिंह यादव। उनकी खुद की चावल मिलें हैं। उनका एकाधिकार हो गया था, चावल निर्यात करने में। बाकी जो चावल मिलें थीं वह मजबूर हो गयीं थीं उनको सस्ते दामों पर चावल बेचने के लिये। यह करोड़ के निर्यात करने का मामला है। यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बिजेन्द्र सिंह को खाद्य सचिव के पद से हटाया गया उसके स्थान पर श्री डी०पी० सिंह को खाद्य सचिव बनाया गया और जांच पड़ताल शुरु हुयी लेकिन बिजेन्द्र सिंह में कौन सी प्रतिभा देखी, कौन सी योयग्ता थी, कौन सी निष्ठा पायी, कौन सी खूबी थी, कौन सी कला देखी गयी कि इस सरकार ने फिर उनको खाद्य सचिव के पद पर बैठा दिया गया। यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन और स्वच्छ प्रशासन देने के सरकार के इरादे को प्रकट नहीं करता। क्षमा कीजियेगा। जब इस बात की घोषणा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनायेंगे तो हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिये।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह क्यों हुआ? सरकार को चावल निर्यात कांड की उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिये। मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोगों की पकड़ बनी हुयी है जिन्होंने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया और फिर लौटकर खाद्य सचिव के पद पर बैठ गये हैं। कैसे जनता यकीन करेगी, कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं? मुझे विश्वास है कि आपके इरादे नेक हैं, जब आप कहती हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगी तो जरुर देंगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जनता चाहती है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के जमाने में अपराधी प्रकृति के लोगों को और उनके परिवार के लोगों को बहुत से लाइसेंस दिये गये हैं हजारों की तादाद में। यह दनदनायेंगे और जनता को लूटेंगे। आप इन लाइसेंसों की जांच करवाकर इनको निरस्त करायें। जिन अधिकारियों ने इनको दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको निलंबित किया जाना चाहिये ताकि एक सबक मिले कि कोई भी अधिकारी किसी मुख्य मंत्री का निजी सेवक या घरेलू नौकर नहीं है वह संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है और जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है।

...अगर गलत किया है, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिये। श्रीमन् मसूरी काण्ड, खटीमा काण्ड, मुजफ्फरनगर काण्ड की सी०बी०आई० की रिपोर्ट आ गयी है, उनके अनुसार जो दोषी पाये जायें, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। इससे शासन की छाप उजागर होगी। आज मुख्य मंत्री जी नहीं थीं, तो उस समय लाटरी पर प्रतिबंध लगाने की बात उठायी गयी, उस पर आप विचार करें, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिये। उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको बतायेंगे ही क्योंकि उन्होंने सारी डिबेट को सुना है। मैं इन शब्दों के साथ, कि जिन परिस्थितियों में मायावती जी ने शासन संभाला है और बजट प्रस्तुत किया है, वह अच्छा बजट है। मैं आशा करता हूं कि इससे प्रदेश के विकास को एक दिशा मिलेगी श्रीमन मैं मुख्य मंत्री जी के ही शब्दों को याद दिलाकर यह कहना चाहता हूं कि एक महीना डेढ़ महीना या तीन महीने में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, यह समय बहुत कम है। उन्होंने कहा था कि 6 महीने को समय दे दो, तब सरकार के कार्यों का मूल्यांन करें। 6 महीने का समय भी बहुत कम होता है। अतः 6 महीने से कम क्या चाहिये? आपने बहुत कम समय मांगा है। मेरा कहना है कि इस अवधि में थाना, तहसील और ब्लाक स्तर पर सत्ता परिवर्तन का सुखद अनुभव

होना चाहिये और अगर नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश की जनता और ज्यादा सब्र नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, समय दिया।

श्री प्रमोद तिवारी– ✓

मान्यवर, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित यह जो प्रस्तुत बजट भाषण है, इसे बहुत गौर से पढ़ने का मौका मिला। क्योंकि सदन काफी समय तक बंद रहा, स्थगित रहा। मैं इसको बड़े गौर से पढ़ता रहा। पढ़ते समय ऐसा लगा कि यह प्रदेश की दलित वर्ग की मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसमें कोई नया पन नजर ही नहीं आया। ऐसा लगा कि बजट पहले से बना हुआ रखा था और प्रारम्भ के 3-4 पृष्ठ बदल दिये गये। कल्याण सिंह जी ने कहा कि किसी सरकार को 6 महीने का समय पर्याप्त होता है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन कोई सरकार कैसे काम करेगी, तो सरकार की नीतियों की उद्घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण में होती है। बजट बनाकर यह साबित कर दिया है कि आगामी 31 मार्च, 1996 तक आपकी कार्य योजना क्या है? यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि इस बजट में कहीं पर कोई प्राविधान गरीबी को दूर करने के लिये नहीं है। प्रदेश के विकास के लिये नहीं हैं और प्रदेश की खुशहाली के लिये नहीं है। घोषणाये तो हो सकती है और योजनायें तो हो सकती है। लेकिन अगर बजट में प्राविधान नहीं है तो उनका कार्यान्वयन कैसे हो सकता है? ऐसा लगता ही नहीं है कि मायावती जी ने बजट पेश किया है। इसमें आपकी कहीं पर छाप नहीं है। अगर आपने बनाया होता, तो इतना गड़बड़ बजट न होता।

[5 बजकर 20 मिनट]

मेरी समझ में यह नहीं आया क्योंकि हो सकता है इन्हें समय नहीं मिला हो, क्योंकि इधर ज्यादातर 99 प्रतिशत समय अधिकारियों के स्थानान्तरण में ही निकल जाता है सुबह कहीं और करती है दोपहर में कहीं और करती है और शाम को कहीं और कर देती हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटोकी करने पर)

मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है जिनको आप सुन रहे हैं उन्हीं को आप सुनते रहेंगे, जिससे इल्जाम उन पर रहे इधर न आये।

मान्यवर, अगर मैं गौर से देखूं तो लगता है कि आंकड़ों के मायाजाल में उलझ कर मायावती का बजट रह गया है इन्होंने कहा था कि टैक्स फ्री बजट, मेरी समझ में नहीं आया है। यह आंकड़े आपने देखे हैं, टैक्सफ्री बजट तो यह हो नहीं सकता लेकिन जो वित्तीय प्रबन्ध है अगर आप उस पर नजर डाले तो बगैर टैक्स लगाये साल भर आप सरकार चला ही नहीं पायेंगी यह तो टैक्स लगाना ही पड़ेगा, अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे अगर नहीं जुटाने पड़ेंगे तो 3-4 महीने में दिवालिया सरकार हो जायेगी। शुरुआत में जो है उसको देखें, शुरुआत में ही यह कह दिया है कि वित्तीय प्रबंध में मंत्रिपरिषद की एक उपसमिति का गठन किया गया है जो संसाधन का सुझाव देगी। अब अभी तो संसाधन के सुझाव आये नहीं याकि जब संसाधन के सुझाव आयेंगे तो उसे पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार रहे, सरकार किसी न किसी रुप में टैक्स लगायेगी।

यह संसाधन आप कैसे प्राप्त करेंगी, यह आपने स्पष्ट नहीं किया है? पर संसाधन के लिए जो सुझाव आयेंगे उसमें किसी न किसी रुप में आपको बोझ डालना पड़ेगा यह आपकी मजबूरी है। उप समिति की सिफारिश आ गयी आपके सामने तो कैसे आपका टैक्स फ्री बजट है? आपने अपना घाटा दिखाया है 1230.54 करोड़ रुपये और आप खुद ही, वित्तीय प्रबन्ध है 1053.72 करोड़ रुपये की आपूर्ति उस कोष से कर दी है जो आप कहती है कि पिछली सरकार से आपको मिला है। पिछली सरकार तो सब कुछ बेचकर खा गयी वह आपको देकर कहां से गयी यह तो वह पैसा था जो शुरु में उन्होंने अवमुक्त नहीं किया। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में, फरवरी मार्च में अवमुक्त किया और ३१ मार्च तक जिसका यूज नहीं हो पाया। यह तो वह पैसा है जो किसी योजना के लिए गया था उसका उपयोग 31 मार्च तक नहीं हो पाया तो, आपने उसको लोक लेखा में डाल दिया। लोकलेखा में पड़ गया तो

पहली तारीख जब शुरु होगी तो दो ही रास्ते हैं आपके सामने। जिन योजनाओं के लिए यह पैसा रखा था उनको पूरा करने के लिए इसका उपयोग करें और अगर उसको पूरा करने के लिए उपयोग करती हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध नहीं है तो फिर आपका घाटा कहां से पूरा होता है और अगर जिन मदों में गया था उनमें उपयोग नहीं होता, उनमें दुबारा उपयोग नहीं करती है तो जनता के खूनपसीने की कमाई तो योजना में खर्च हो चुकी है उसका क्या होगा उन योजनाओं को भी तो इस प्रदेश की धरती पर लागू किया गया है तो आपके सामने रास्ता क्या है या आप इन योजनाओं को छोड़ दें या तो इन योजनाओं का पैसा इस पर लगा लें इसलिए जो घाटा दिखाया गया है दो सौ करोड़ रुपये का, वह बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको टैक्स लगाना पड़ेगा तो यह न तो टैक्स फ्री बजट होगा और न ही किसी तरीके से आप कह सकती है कि घाटा नहीं बढ़ेगा।

चलिये घाटा नहीं बढ़ेगा आपने कह दिया। मगर मानेंगे तब कि कौन से उपाय किये हैं। वित्तमंत्रियों के भाषण सुनते आये हैं कि सरकारी खर्चों में कटौती करके जो बकाया हैं उनकी वसूली करेंगे। अब प्रदेश में सूखा पड़ गया है, वसूली सभव नहीं होगी। बड़े बड़े जो बकायेदार हैं उनकी वसूली हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट में मुकदमें से रुकी हुई है। इस तरह से वसूली द्वारा संसाधन जुटाने की बात है वह बेईमानी साबित होगी। आपने कुछ नहीं कहा है कि कैसे करेंगे?

अभी कर्मचारियों की एक माह लंबी हड़ताल चली उनको वेतन नहीं दिया गया न एडवांस दिया गया है यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है या तो आप उनको एडवांस दे दें अगर एडवांस देते हैं तो किस मद में देंगे इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अगर एडवांस नहीं देते हैं तो पेंशन का क्या होगा पेंशन प्रभावित होगी ब्रेक इन सर्विस होगी। या तो उनको एडवांस देना पड़ेगा या उनको वेतन देना पड़ेगा लेकिन उसका प्राविधान बजट में नहीं है। पिछली सरकार ने जो क्रूरता दिखायी थी उन कर्मचारियों के साथ, वह प्रतिबद्धता दोहरा रही हैं उस क्रूर सरकार की क्रूरता का पालन करके और अगर उसका पालन नहीं करेगी तो उसके लिये आपने कहीं बजट में प्राविधान नहीं किया है। उसे आप कैसे पूरा करेंगी? यह एक दुखद पहलू है कैसे समझने का प्रयास करुं? मैंने बहुत समझने का प्रयास किया नहीं समझ में आया।

आज प्रदेश सरकार कोई भी है जो योजना आयोग से वार्षिक योजना बनती है उसके सहारे सरकार अपने बजट का निर्माण करती है प्रदेश सरकार के सीमित संसाधन होते हैं। बिना आयोग की अनुमानित सहायता आये कोई प्रदेश सरकार अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाती। मान्यवर, मैं गवाह हूं, इस मद में आपको निश्चित रुप से 5,702.50 करोड़ रु० प्रधानमंत्री के सहयोग से योजना आयोग के प्रमुख श्री प्रणव मुखर्जी के सहयोग से सबसे बड़ा आकार प्राप्त हुआ। देश में इतना ज्यादा पैसा किसी अन्य राज्य को नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन यह रुपया मिलेगा कैसे इसका उपाय कैसे किया जायेगा उसमें वायदा किया गया है, आपका आशय पिछली सरकार से है, इस सरकार ने वायदा कर रखा है कि 17 सौ करोड़ रु० के संसाधन जुटायेंगे लेकिन उसका इस बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि कैसे जुटाये जायेंगे? इस पर आप बिल्कुल खामोश हैं। दो ही पहलू हो सकते हैं 5702 करोड़ का संज्ञान न लें और बजट बना दें अगर संज्ञान लिया तो 17 सौ करोड़ का वायदा है संसाधन जुटाने का कहां से पूरा करेंगे कहीं तो कोई वचनबद्धता है।

प्रदेश सरकार का जो बजट है बिना केन्द्रीय योजना आयोग के वार्षिक योजना के आकार के न तो पूरा है, यह अधूरा है यह मैं कहना चाहता हूं कहीं न कहीं कोई कमी रह गयी है इसे दिखवा लें। मैं चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो मैं आग्रह करुंगा कि यह बता दें कि 17 सौ करोड़ रु० कहां से जुटायेंगे। पिछली बार कहा गया था कि लोक लेखा के पैसे का एक हजार करोड़ का जिक्र आया, जो पुरानी परियोजनायें हैं उनका क्या होगा, क्या उन्हें परित्याग किया जायेगा, उन पर जो कच्ची मिट्टी का कार्य हुआ है या दीवाल खड़ी हुई है वह तो सरकार की सम्पत्ति है उनका क्या होगा आप जवाब दें तो निश्चित रुप से बतायें? मुझे तो डर है कि बाद में बताया जायेगा कि 17 करोड़ के संसाधन जुटाने हैं। आप जो टैक्स फ्री बजट का वायदा करने जा रही हैं, बाद में हर हाल में सदन में

लाना होगा प्रस्ताव आपको संसाधन जुटाने के लिये नये टैक्स लगाने पड़ेंगे या इनडायरेक्ट लगायें, सिंचाई का शुल्क बढ़ चुका है, बिजली का बढ़ चुका है, किराया बढ़ चुका है।

मैं चाहूंगा कि इसके संदर्भ में स्पष्ट रणनीति घोषित करें। मान्यवर, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और आज बहुत से लोग आलोचना करते हैं खुली आर्थिक नीति की और बिना खुली आर्थिक नीति के वह जिन्दा नहीं रह पाते हैं। कोई भी सरकार हो चाहे वह बंगाल की हो या दिल्ली की खुली आर्थिक नीति की आलोचना करते हैं लेकिन उसकी तरफ दौड़ते भी है। यह भारत सरकार की खुली आर्थिक नीति की सफलता है। आपने स्वीकार कर लिया आप जो ब्रिजेज या हाईवेज बनायेंगे, जो बाहर मे लोग आयेंगे या फिर प्रदेश के जो लोग धन लगाना चाहेंगे उनको आकृष्ट करेंगे। लेकिन जुलाई बीत गया आपकी योजना का स्वरुप क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, विदेशी धन लगाने वाले आपके पास आये हैं या नहीं और कौन-कौन से पुल हैं, कौन-कौन सी सड़कें हैं जिन्हें आपने स्वीकार किया है मैं स्पष्ट रुप से यह चाहूंगा कि आप उन सड़कों के नाम, उन पुलों के नाम अपने जवाब में बता दें? अगर आप नहीं बता पा रही हैं तो आप इस वर्ष काम नहीं कर पायेंगी और आपका दावा खोखला साबित हो जायेगा। पूंजी निवेश के लिए रुपरेखा क्या होगी, शर्त क्या होगी आज पूरा प्रदेश सुनना चाहेगा और आप इसे भी अपने जवाब में स्पष्ट कर दें?

मान्यवर, यह एक कृषि प्रधान प्रदेश है अगर सिंचाई नहीं है तो फिर प्रदेश की क्या हालत होगी? आपने अपने बजट में सिंचाई के लिए कुछ नहीं कहा है इससे तो यह साबित होता है कि आप प्रदेश के 80 प्रतिशत किसानों के साथ अन्याय कर रही हैं। मान्यवर, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और ढूंढा कहीं आपने सिंचाई के लिए कुछ कहा हो कहीं किसी परियोजना का नाम हो लेकिन नहीं मिला। यह पहली बजट स्पीच है जिसमें किसी नयी परियोजना का नाम नहीं दिया गया है तो काम क्या होगा? आपने अपनी कोई क्षमता नहीं दर्शायी, कोई वायदा नहीं किया कि नयी परियोजना बनायेंगे। आप कागजों में तो अपनी उपज बढ़ा सकते हैं लेकिन खेतों में नहीं बढ़ा सकते। इससे स्पष्ट होता है कि आपका किसानों के प्रति कोई रुझान नहीं है, कोई वचनबद्धता नहीं है। मान्यवर, पुरानी योजना का नवीनीकरण कर देते। चाहे वह गंगा कैनाल हो, शारदा सहायक हो, राम गंगा प्रोजेक्ट हो, अपर गंगा हो किसी का काम प्रारम्भ कर देते लेकिन आपने नहीं किया।

मान्यवर, आपके पीछे जिस पीठ पर आप बैठे हुए हैं, उसके पीछे एक चित्र लगा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, आज उनकी 125वीं वर्षगांठ पर गांधी जयन्ती मनायी जा रही है, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया मना रही है। आप उनके नाम से कोई परियोजना शुरु कर देते लेकिन वह भी अपने नहीं किया। 125 वर्ष या 150 वर्ष होने पर कोई योजना शुरु की जाती है जैसे जवाहर रोजगार योजना थी आपने कहा कि हम अम्बेडकर योजना के तहत लाभ देंगे, हो सकता है विचाराधारा में फर्क हो लेकिन राष्ट्रपिता बापू जिन्होंने इस देश को आजादी दिलायी आपकी पुस्तक के पृष्ठ में उन महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख तक नहीं है और मैं सहयोगी दल से जरुर कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता, आपके क्या विचार हैं? यह शायद पहला बजट है, जिसमें महात्मा गांधी तक का उल्लेख नहीं है, उनके नाम पर किसी योजना की बात तो छोड़ ही दें। इस वर्ष उनकी 125वीं जयन्ती है, पूरे राष्ट्र में कार्यक्रम शुरु हो रहे हैं, दुनिया में कई देशों में शुरु हो रहे हैं, परन्तु यह भले ही आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा न हो, परन्तु पूरे प्रदेश की श्रद्धा है, दुनिया की श्रद्धा है। महात्मा गांधी, जिन्होंने दलितों, गरीबों, पिछड़ों के लिये अपना जीवन बिता दिया, उनके नाम के साथ आप एक योजना भी नहीं जोड़ पाई, उससे यह लगता है कि यह मानसिक और वैचारिक रुप से दिवालिया सरकार है। मैं आज देखना चाहूंगा कि इस बजट का कौन-कौन समर्थन करते हैं. वह लोग जो महात्मा गांधी के नाम तक को नहीं लेते हैं, निश्चित रुप से स्पष्ट हो जायेगा कि वह गांधी जी के नाम पर ऐसे बजट का समर्थन करने जा रहे हैं, जिसमें गांधी जी के नाम की योजना तक नहीं है।

पूरे प्रदेश को इसकी भी जानकारी है कि जिन्होंने रामायण जलाई, राम जानकी रथ पर जूते फेकें, आज सत्ता के लालच में लोग बोलने से डरते हैं। पूरा प्रदेश यह भी जानना चाहता है कि वह कौन से लोग थे, जिन्होने रामायण जलाई और राम जानकी रथ पर जूते फेकनें में रहे। यदि कल्याण सिंह जी बजट का समर्थन करेंगे, तो मैं

आत्महत्या की ओर बढ़ते कदम का स्वागत करुंगा। मान्यवर, दसियों सालों से सरकार की नीति रही है कि किसी भी प्रदेश के कर्मचारी और केन्द्र के कर्मचारी को समान वेतन, समान वृद्धियां देने की नीति रही है और जो केन्द्र को मिलता है, वही प्रदेश को भी मिलता है। केन्द्र में अन्तरिम राहत की दूसरी किश्त घोषित हो गई, भारत सरकार ने 10 प्रतिशत की किश्त घोषित कर दी, यहां बजट उसके बाद बना, अगर बजट उसके बाद बना तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, इसके लिये कौन दोषी है? अतः जबकि केन्द्र सरकार ने 10 प्रतिशत दिया है तो प्रदेश सरकार को भी देना पड़ेगा, उसके लिये धन कहां से आयेगा, इसका कोई प्राविधान नहीं है? मान्यवर, मैं यही कह सकता हूं कि सरकार को करना चाहिये था और जब माननीया मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिये खड़ी हों, तो मैं चाहूंगा कि वह स्पष्ट रुप से बतायें कि वह अपने कर्मचारियों को दूसरी अन्तरिम राहत देने जा रही हैं अथवा नहीं।

मान्यवर, पंचायत राज की बड़ी चर्चा हुई है, एक पिछली सरकार थी, जिसने पंचायत राज चुनाव के नाम पर उसका गला घोंट दिया और तब गठबंधन करने वाले लोगों ने अपना समर्थन वापस लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, पंचायत राज के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या तो हुई और धांधलियों करने वालों की सरकार को गिरा दिया, लेकिन पंचायत राज का मूल मंत्र क्या था, उसकी आत्मा क्या थी? पंचायत राज की मूल मंशा यही है कि गांव अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होकर खड़े हो जायें, उन्हें आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाया जाय, लेकिन इस बजट में पंचायत राज के नाम पर एक भी पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है। संभवतः कल्याण सिंह जी की नजर से यह बात छूट गई, नया मामला है, इसलिये जानबूझकर छोड़ दिया होगा, मजबूरी है उनकी...

...मान्यवर, माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी ने कहा कि पढ़कर नहीं आये, इनके टाइम से ही मान्यवर पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गयी, जब यह शिक्षा राज्य मंत्री थे। मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत राज के शरीर की हत्या मुलायम सिंह यादव की सरकार ने की थी, उन्होंने अराजकता फैलायी, गांवों के विकास के लिए, पंचायतों के विकास के लिए धन नहीं दिया, लेकिन [× × × × ×] इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम हर गांव हो, पंचायत को जो धन आप दे सकते हैं उसको देना चाहिए, [× × × × ×] आर्थिक अनुशासन के बिना अनुशासन कायम नहीं हो सकता।

दसवें वित्त आयोग ने कुछ सुझाव दिये थे। माननीय कल्याण सिंह जी आपने पढ़ा होगा, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने पढ़ा होगा, माननीया मुख्यमंत्री जी आपने भी पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि सड़कों, भवनों और सिंचाई आदि के रखरखाव के लिए आपको संसाधन जुटाने होंगें। आपने दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों का कहीं ध्यान नहीं दिया, इस पर आप मौन हैं, कैसे अनुशासन कायम रखेंगी, आपको वित्तीय अनुशासन का खुला उल्लंघन करना पड़ेगा। हर बार जब गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं होता है तो इस सदन में मांग आती है तब भारत सरकार को उनकी मदद के लिए आना पड़ता है और भारत सरकार किसानों के हित के लिए, गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए कुछ न कुछ अंशदान करती रही है।

हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान करने के लिए प्राविधान किया था, आपने भी किया था लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बजट में एक पैसे का प्राविधान नहीं किया है। डा० भीम राव अम्बेडकर के नाम पर एक योजना चलायी गयी, स्वागत योग्य है लेकिन रोजगार देने के लिए जिस धनराशि का जिक्र किया गया तो मैं समझता हूं उन जैसे महान व्यक्ति के लिए इतनी धनराशि न दी जाती तो अच्छा रहता, धनराशि दी गयी थी तो ज्यादा देना चाहिए।

एक "फूड कार वर्क" योजना है, उसके माध्यम से बेस्ट वर्क चलाते। सूखा चारों तरफ है, इससे गांव के लोगों को काम मिल जायेगा और विकास के काम भी हो जायेंगे। मान्यवर, यह स्पष्ट है कि जितने का यह बजट है, जितना इन्होंने सोचा है उससे तो रोजगार पाने से रहे। रोजगार सृजन तभी होगा जब यहां उद्योग लगायेंगे।

नोट[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पिछली सरकारों का दोष है। गत सरकार में अराजकता के कारण, कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के कारण, बम्बई में हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री जी गये, पूंजीनिवेश के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए उन्होंने तमाम चीजें बतायी, मैं बम्बई का किस्सा बता रहा हूं। जब वहां गये तो वहां के पूंजीपतियों ने कहा कि बिजली का क्या टैक्स लगेगा, कहा ठीक है उसका प्राविधान कर लेंगे, सेल्स टैक्स का भी प्राविधान कर लेंगे और 10-15 प्रतिशत ऊपर-नीचे रख लेंगे इसमें जो अपहरण वाला टैक्स होगा उसका प्राविधान कहां रखेंगे? साल-दो साल कमाया और कोई कर्मचारी या परिवार का सदस्य लापता हो गया तो 3-4 करोड़ चला जायेगा। गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने 4 प्रान्तों में तत्कालीन सरकारों की कानून-व्यवस्था अच्छी रखने के लिए विदेशों से जो पूंजी निवेश हुआ है, उसका 95 प्रतिशत इन्हीं प्रदेशों में है...

...अब आपके प्रदेश में कितना है, इसे आप बता दें? मेरी जानकारी के हिसाब से तो एक प्रतिशत भी नहीं हुआ है। बिजली देने के लिए, सड़क देने के लिए और अराजकता को पूरा समाप्त करने के लिए आप क्या कदम उठा रही हैं ताकि पूंजीपति भय मुक्त होकर अपने उद्योग को लगा सके। अब तो मान्यवर, फैशन हो गया है कि हर मुख्यमंत्री सफारी पहनकर पैंट पहनकर पूंजी निवेश के लिए बाहर जा रहे हैं। अभी हमारे पड़ौसी राज्य के मुख्यमंत्री जी हांगकांग गये हैं। आप कुछ पहन कर जाइये परन्तु पूंजी निवेश तो आपको करना ही पड़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें, कि कितनी धनराशि पूंजी निवेश में अनुमानित है और आपको कितनी पूंजी निवेश करना पड़ेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए। यदि यह आप नहीं करेंगे तो पूंजीपति यहां क्यों आयेगा? इसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। गरीबों के लिए कोई लोक प्रिय योजना इसमें नहीं है। जल धारा योजना और कुटीर योजना चलाई गई थी ताकि गरीब के घर में एक बल्ब जल सके। उसके लिए आपने कितना प्राविधान बजट में किया है, इसे आप बता दें? बड़े लोगों के घर में उजाला होने से दलितों व गरीबों का कल्याण होने वाला नहीं है। यदि आप इस योजना के लिए कोई प्राविधान नहीं करती हैं तो आपका नारा गरीबों के उत्थान का, खोखला व थोथा साबित होगा। पेयजल के लिए आप क्या करने जा रही हैं?

श्री अध्यक्ष—

आधा घण्टा हो गया है, अब आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री प्रमोद तिवारी—

मान्यवर, अभी मैं तो श्री कल्याण सिंह जी का चौथाई ही बोल पाया हूं। परन्तु आप कह रहे हैं तो मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। बिना बिजली के उद्योग, सिंचाई व सभ्यता नहीं चल सकतीं। बिजली के बारे में मैंने देख लिया है। कहीं पर भी कोई नयी योजना का जिक्र नहीं किया गया है। जो डिमाण्ड है और जो सप्लाई है। उसके बीच में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए एक मेगावाट बिजली उत्पादित करने के लिए कोई योजना नहीं है। आनपारा-बी से सीधा लाभ इसलिए नहीं मिल पाया कि एक ऐसी सरकार बीच में आयी जो मंदिर ओर मस्जिद के झगड़े में ही मशगूल रही। जो ट्रांसमिशन लाईन ही नहीं बना पाई। उसके बाद श्री मुलायम सिंह जी की सरकार आई, वह भी ट्रांसमिशन लाईन नहीं बना पायी। यह पहली परियोजना है जो बिजली तो उत्पादित कर रही है परन्तु ट्रांसमिशन लाईन न होने के कारण उसके द्वारा उत्पादित बिजली का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, उसका उपयोग नहीं रहा है। एक खाली लाईन पड़ी थी, थोड़ा उससे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 750 करोड़ रुपए का व्यय इस बिजली घर को बनाने में लगा परन्तु उसके द्वारा उत्पादित बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन दोषी है। कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को बनाया था परन्तु आज तक किसी भी सरकार ने कोई नई योजना नहीं बनाई और इस बजट में भी किसी नये थर्मल पावर का जिक्र नहीं है। जो लोग ट्रांसमिशन लाईन न बनाने के लिए दोषी हैं, उनका पता लगाया जाना चाहिए।...

किसी नयी योजना को लेने से पूर्व पुरानी परियोजना को पहले पूरा करें। मैं जानना चाहता हूं कि विद्युत

परियोजनाओं में किसने पूंजी निवेश किया किसी विदेशी का नाम आप बता दें या कोई अप्रवासी भारतीय इसके लिये आया हो वह बता दें? अगर आप यह कार्य करेंगी तो प्रदेश का कल्याण होगा।

मैं एक चीज पर बल देता हूं एक खराब शुरुआत हुई है पिछली सरकारों ने उद्योग खड़े किये उनकी उपादेयता का ध्यान नहीं रखा। सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो उपादेयता पर जोर देता आया है। चीनी मिलों की उपादेयता ध्यान में नहीं रखी उनको जिंदा निगलने का प्रयास किया। इस पर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है वह एक उचित निर्णय है तो उस सरकार के निर्णय को उचित ठहराने की पैरवी क्यों की जा रही है, उसके लिये जो वकील मुकर्रर किया गया है उसे आप वापस लें। अगर उसे आप वापस नहीं लेती है तो जनता के सामने बराबर की भागीदार हैं। जब कोई कारखाना बंद होता है तो वह कम दाम पर बिकता है। जो बंद हैं उनमें पूंजी लगाकर उन चीनी मिलों को चालू हालत में बेचें तो आपको 4,5 गुना ज्यादा दाम मिलेंगे अगर उन्हें खड़ी रखेंगे तो अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। इसी तरह से बिजली घरों की बात है।

मकानों पर कब्जा करने में आप भी पीछे नहीं हैं उनकी बराबरी में है जिनके मकानों पर कब्जा हुआ वह उधर बैठे हैं। सहारनपुर की घटना कोई अकेली नहीं है। इनका भी कब्जा है। ऊदल जी कह रहे हैं लखनऊ में भी कब्जा हुआ। मुलायम सिंह जी के शासन काल में जो हुआ वह आप जानते हैं। (व्यवधान) मेरे पास कोई हाथी नहीं है जिसके लिये बड़े मकान की आवश्यकता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित (पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री)–

आपके नाम जो विधायक वाला मकान है उसके बाबत कोई जानकारी देंगे?

श्री प्रमोद तिवारी–

जिस दिन विधायक नहीं रहूंगा उसी दिन वापस ले लें। दल के नेता के रुप में जो मकान का प्राविधान कर रखा है वह आपने कोई खैरात नहीं दी है। सभी नेताओं को मिला है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेताओं को हटायेंगे और जिस दिन कल्याण सिंह जी खाली करेंगे मैं भी उसी समय खाली कर दूंगा अगल बगल रहते हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अतिरिक्त मकान के बारे में बतायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

नेता कांग्रेस विधान मंडल दल के रुप में मिला है। आप संसदीय कार्यमंत्री हैं यह हल्की बात है इसपर आगे नहीं कहूंगा।

इस बजट की जहां तक बात है मैं विश्वासपूर्वक और बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस बजट में बहुत सुधार की गुंजाइश है। मैंने इस बजट की जो आलोचना की है वह सिर्फ आलोचना के लिये नहीं की है बल्कि मैंने उसके लिये सुझाव भी दिये हैं। मैं आग्रह करुंगा कि जो आलोचनात्मक सुझाव हैं उनको बजट में समाहित करे जिससे जनता के लिये कल्याणकारी कदम उठाये जा सके और जो कुछ जानकारी मैंने चाही है उनको आप उपलब्ध करायें ताकि प्रदेश की जनता को पूरी जानकारी मिल सके।

* मुख्यमंत्री सुश्री मायावती–

मान्यवर, वर्ष 1995-96 के बजट पर हुई चर्चा में सदन के विभिन्न पार्टियों के सम्मानित नेताओं एवं सम्मानित अन्य सदस्यों ने भी कई दिन अपने खुलकर विचार रखे हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के ऊपर जो भावनाएं हैं, जो विचार और सुझाव हैं, उनकी मैं कद्र करती हूं और माननीय सदस्यों की आलोचनाओं को भी रचनात्मक सुझावों के रूप में लेती हूं और मानती हूं कि प्रदेश की विकास की रणनीति बनाने में हमारे लिए सभी विचार प्रेरणा, सहयोग एवं दिशा निर्देश का कार्य करेंगे।

आज जब मैंने समाजवादी पार्टी के नेता को छोड़कर, जो विपक्ष के नेता हैं उनको छोड़कर सभी पार्टियों के सम्मानित नेताओं के ख्यालात सुने हैं, विचार सुने हैं। बजट के ऊपर बड़े अच्छे सुझाव भी रखे गए हैं, लेकिन इस मौके पर यदि विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह जी भी यहां मौजूद होते तो मैं समझती हूं कि पूरे सदन को यह अच्छा लगता। परन्तु विपक्ष के नेता को यह अच्छा नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री एक दलित समाज की महिला बने और उत्तर प्रदेश में वह हुकूमत को चलाए। तीन तारीख को मैंने आप सब लोगों के सहयोग से जब शपथ लेने के बाद सत्ता संभाली तो मैं यह समझती थी कि जब सदन शुरु होगा तो मुलायम सिंह यादव जी सदन में बैठेंगे और अपने अच्छे अच्छे सुझाव देंगे। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा था, कुछ उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए उन्हें असेम्बली में चुनकर भेजा था, लेकिन बजट के मौके पर वह इस सदन का बहिष्कार करके चले गये। उन्होंने सदन का ही नहीं, बल्कि जिस-जिस इलाके से समाजवादी पार्टी के एम०एल०ए० चुनकर आए हैं, उस क्षेत्र की जनता का भी उन्होंने बहिष्कार किया है।

सत्ता पक्ष की ओर...

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, बजट पर काफी दिनों से लम्बी चर्चा हुई है। मैं मुख्य बिन्दुओं पर ही आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। हमारे भाई श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी ने, पूर्ववर्ती सरकार ने अपराधियों को प्रोत्साहन दिया, बजट के मौके पर इसकी चर्चा की और अन्य सदस्यों ने भी इसके ऊपर जरुर कुछ न कुछ बोला है लेकिन हमारे भाई श्री कल्याण सिंह ने जो कुछ पूर्ववर्ती सरकार ने जो अपराधियों को प्रोत्साहन दिया उसके बारे में, तो उन्होंने काफी हद तक स्पष्ट किया है और मैं यह समझती हूं कि भाई कल्याण सिंह जी ने हकीकत को समझा है, सच्चाई को समझा है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह बजट गरीबों और मजलूमों के हित में है। यह सरकार जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार है, यह ऐसी हालत में बनी है जब इस सरकार को काफी कुछ विरासत में मिला है। विरासत में कोई अच्छी चीजें नहीं मिली हैं, अच्छे कार्य नहीं मिले हैं। विरासत में हमें क्या मिला है? कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई मिली है। गुन्डागर्दी, माफियागर्दी बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई हमें प्राप्त हुई हैं और मैं यह बता देना चाहती हूं कि मैं अपने भाई श्री कल्याण सिंह का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मेरी सरकार की मुश्किलों को समझा है। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं। कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन उनका बार-बार यह कहना है कि जब तक प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण पैदा नहीं होगा तो किसी भी क्षेत्र में हम लोग कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं उनके इन विचारों की कद्र करती हूं। श्रीमन् बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे पहला लक्ष्य यह रखा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण हमें पैदा करना होगा।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

इसलिये बहुजन समाजवादी पार्टी ने तो काफी कठोर कदम उठाये हैं। हमने सरकार में आते ही गुन्डागर्दी, आतंक और अन्याय समाप्त करते हुए अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज स्थापित करने का संकल्प लिया है। जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने तथा अपराध पर कठोरता से नियंत्रण करने के लिये 7 जून, 1995 से हमने एक अभियान चलाया है।

..जिसके तहत शातिर अपराधियों गुण्डों एवं माफिया ताकतों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जून 1995 में ही विभिन्न अपराधों में लगभग 42 हजार अभियुक्त बंदी बनाए गए हैं। मेरा विश्वास है अपराध नियंत्रण, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के अपने ध्येय में सफल होंगे जिसके फलस्वरुप प्रदेश में शांति और सुरक्षा का ऐसा माहौल बनेगा जिससे विकास कार्यक्रमों को निर्बाध गति से चलाया जा सकेगा। मैं बताना चाहती हूं सम्मानित सदस्यों को, आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों से मेरी सरकार को बहुत कुछ बल मिलेगा,

लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह जो बार-बार कुछ सदस्यों ने जो यह कहा है खासतौर से हमारे सी०पी०एम० के एक भाई हैं रामस्वरुप सिंह जी, उन्होंने आज ही अपने ख्यालात रखे, मैं सुन रही थी, उन्होंने बार-बार कहा, क्या बजट के ऊपर उन्होंने स्टडी पूरी नहीं की है? उन्होंने बार-बार कहा कि "दलित मुख्यमंत्री" मैं उनको बता देना चाहती हूं जिस दिन मैंने तीन तारीख को शपथ ली थी उसी दिन मैंने स्पष्ट रुप से कहा था, तीन तारीख से पहले मेरे कन्धों पर बहुजन समाज की जिम्मेदारी थी, दलित समाज की जिम्मेदारी थी, आज मेरे कन्धों पर बहुजन समाज की ही नहीं, दलित समाज की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

बार-बार दलित मुख्य मंत्री कहना, उनको शायद मेरी भावनाओं के बारे में या जो मैंने कहा उसकी जानकारी नहीं है। जब से मैंने शपथ ली है उसके बाद समय काफी हो गया है, या फिर आज तक उन्होंने कोई पेपर नहीं पढ़ा होगा या फिर जो कुछ उन्होंने बोला है हो सकता है वह अपने विवेक से न कहकर दूसरे के विवेक का इस्तेमाल किया हो यह मैं कह सकती हूं। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा बजट के ऊपर बोलते हुए, खासतौर से हमारे जगदम्बिकापाल जी ने कहा समता मूलक समाज की स्थापना के लिए क्या कदम उठाया है बजट में लिखा नहीं है? इसी प्रकार से रामविशुन आजाद जी ने कहा पिछड़ी जाति के विकास की बात नहीं के बराबर है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह ने कहा बजट से दलितों अल्पसंख्यकों को घोर निराशा हुई है। वैसे तो मैंने बजट में, बजट भाषण में ही काफी हद तक अपनी बात को स्पष्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहती हूं आपके माध्यम से, हमारी सरकार द्वारा जो व्यवस्थायें दलित तथा शोषित वर्गों के हितों के लिए की गई हैं कदाचित पहले कभी नहीं की गई हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग तथा डा० अम्बेदकर ग्राम्य विकास योजना विभाग गठित किया जा चुका है। ताकि उनके माध्यम से इन वर्गों के कार्यक्रमों पर विशेष रुप से ध्यान केन्द्रित हो सके। प्रदेश के पांच हजार अम्बेदकर ग्रामों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बजट में समुचित व्यवस्था करने के लिए अम्बेदकर ग्राम्य विकास विभाग का गठन किया गया है। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, निर्बल वर्ग योजना अनुसूचित जाति जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति हमारी प्राथमिकताएं और कार्यक्रम हैं जिनके लिए समुचित प्राविधान बजट मे किया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाए गए 15 सूत्री कार्यक्रम पर हम विशेष ध्यान देंगे। सरकारी सेवाओ में मुस्लिम समाज का समुचित प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा शासनादेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि पिछड़े वर्ग के मुसलमान भाई बहनों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार अल्पसंख्यकों के बारे में मुस्लिम समाज जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है घोषणाएं करती थी लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। पिछली सरकार खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिह यादव, हालांकि हमारी पार्टी के लोग भी उसमें हिस्सेदार थे, चलाने वाले थे। हमारी पार्टी के लोग बार-बार श्री मुलायम सिंह जी से कहते थे कि आज जो कह रहे हैं उसको अमल करने की कोशिश करें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने अपने शासन काल में मुस्लिम समाज के लोगों को जो आश्वासन दिए उनका प्रैक्टिकल में पालन नहीं किया। जब पिछड़े वर्ग आयोग ने मुस्लिम समाज के हित के लिए खास तौर से जो मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग है उनके हित के लिए 11 जुलाई 1994 को मण्डल कमीशन ने यह कहा कि फलां-फलां कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लासेज में ले लिया जाए तथा जाति प्रमाण पत्र शासन के आदेश द्वारा उनको जारी किए जाएं लेकिन मुलायम सिंह जी ने उस फाइल को दबाकर रखा लेकिन जब यह बात मेरी नोटिस में आई तो बैकवर्ड क्लास के मुसलमानों को आरक्षण का पूरा फायदा पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने 5 जुलाई 1995 को जी०ओ० जारी किया और यह कोशिश की है कि पूरे प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनको आरक्षण का पूरा फायदा मिलेगा। इसलिए बजट के बारे में यह कहा है कि दलित और अल्पसंख्यकों को निराशा हुई है वह गलत है। मैं समझती हूं यदि बजट में गौर किया जाए तो आपको इन बिन्दुओं पर असंतोष नहीं होगा। जिन सदस्यों ने बजट के बारे में अपने सुझाव रखे हैं उनमें तकरीबन इन्हीं बातों को रिपीट

किया गया है। तो मैं समझती हूं उससे बाकी सदस्यों को भी मेरे जवाब से तसल्ली हुई होगी जो मैंने जवाब दिया है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र के बारे में भी, या उत्तराखण्ड के बारे में या पर्वतीय क्षेत्र के बारे में भी कुछ बातें सदन के अन्दर रखी गयी। बजट के मौके पर हमारे भाई सूरवीर सिंह सजवाण ने कहा कि पहाड़ में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाए। डा० रमेश पोखरियाल ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़े हुए कार्य पूरे किए जाएं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाए तथा पर्वतीय क्षेत्र में योग्य अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए। हिल कैडर लागू किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार बच्ची सिंह रावत ने कहा कि हिल कैडर ठीक से लागू किया जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहती हूं कि वर्ष 1994-95 में उत्तराखण्ड की विभिन्न योजनाओं के लिए 455 करोड़ का परिव्यय प्राविधानित था जिसके सापेक्ष लगभग 280 करोड़ रुपए व्यय हुआ और वर्ष के अन्त में लगभग 60 करोड़ की धनराशि विभिन्न विभागों ने आहरित करके पी०एल०ए० में डाल दीं और मौके पर कार्य नहीं कराये गये। पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुये वर्ष 1995-96 में उत्तराखण्ड में विकास कार्यों के लिये 547 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है। पेयजल की विशेष समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1995-96 में गत वर्ष की अपेक्षा लगभग डेढ़ गुने से अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त सड़क एवं पुल, विद्युत, सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी। हमारी सरकार उत्तराखण्ड में अंशकालीन अध्यापकों एवं चिकित्सकों की नियुक्ति के लिये शीघ्र निर्णय लेगी।

हम यह भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी सरकार वह सब प्रयास करेगी जिसके माध्यम से पर्वतीय संवर्ग को अलग से लागू किया जायगा और लागू पदों पर शीघ्र पदोन्नति की जा सकेंगी। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों के बारे में भी कुछ बातें सदन में रखी गयीं। हमारे भाई श्री मन्नू लाल कुरील ने बुंदेलखण्ड की समस्याओं के समाधान के लिये कुछ नहीं है, यह बात सदन में कही। श्री हरिशंकर तिवारी ने कहा कि पूर्वान्चल विकास निधि के बारे में 1 प्रतिशत धनराशि नहीं दी गयी है। श्री रवीन्द्र शुक्ल ने यह कहा कि बुंदेलखण्ड का विकास होना चाहिये। तो इस बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि पूर्वांचल तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र जो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में पिछड़े हैं, के सर्वांगीण विकास के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसके लिये बुंदेलखंड विकास निधि और पूर्वांचल निधि हेतु बजट में समुचित वित्तीय प्राविधान किया गया है। पूर्वान्चल निधि हेतु वर्ष 1994-95 में 48 करोड़ के रुपये 40 करोड़ से कम की स्वीकृतियां निर्गत की गयीं। हमारी सरकार द्वारा इस निधि के लिये कुल रुपये 56 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इस समस्त धनराशि की स्वीकृति जारी करते हुये इसका उपयोग किया जाय।

बुंदेलखण्ड विकास निधि के संबंध में पिछले वर्ष रुपये 12 करोड़ के परिव्यय के विरुद्ध रुपये 10 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत की गयीं। वर्ष 1995-96 में हमारी सरकार ने रुपये 14 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि बुंदेलखण्ड के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से नये उद्योगों को व्यापार कर से छूट समाप्ति की बात नहीं की गयी है। श्री शूरवीर सजवाण जी ने पहाड़ों में पर्यटन का विकास होना चाहिये इसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव रखे। इसी प्रकार श्री सत्य प्रकाश विकल जी ने आगरा को आदर्श पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जाय, यह सुझाव रखा। इस बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि मेरी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कई कदम उठाये हैं। पर्यटन नीति के अंतर्गत कतिपय वन्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिसमें उत्तराखंड परंपरागत यात्री परिपथ, सामूहिक क्रीड़ा, तो पिथौरागढ़ एवं आसपास का क्षेत्र आदि सम्मिलित है। इन चिन्हित वन्य क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने पर प्राथमिकता दी जायगी। उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास के लिये ऋण उत्पादन योजना एवं पेइंग गेस्ट योजना लागू की गयी है। इस सेक्टर के महत्व को देखते हुये वर्ष 1995-96 में रुपये 1050 लाख का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है।

[6 बजकर 20 मिनट]

माननीय मदस्य श्री मत्यप्रकाश विकल ने आगरे को एक आदर्श पर्यटन क्षेत्र बनाने के बारे में कहा। हमारी पर्यटन नीति के बाद आगरा और आसपास का क्षेत्र भी विशेष रुप से चिन्हित किया गया है। ऐतिहासिक स्मारक जैसे फतेहपुर सीकरी एवं आगरा किला को अंकित करने एवं आगरा में प्रकाश कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्य किया जा रहा है ताजमहल को दर्शको क लिए रात्रि में खोलने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है निजी क्षेत्र की आगरा में कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ हमारे भाई जगदम्बिका पाल जी ने एक बात कही, कि पिछली सरकार द्वारा सिंचाई, विद्युत तथा रोडवेज की दरों में वृद्धि को समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया जो गरीबों तथा किसानों के लिए जरुरी है क्या अब यह सरकार उन दरों में की गयी वृद्धि को समाप्त करेगी? यह बात आपने कही इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए विद्युत आपूर्ति तथा परिवहन सेवाओं में की गयी वृद्धि को वापिस करना सम्भव नहीं है किन्तु इन दोनों संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा प्रबंध तंत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हमारे द्वारा इन राजकीय निगमों का आवश्यक पुनर्गठन के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का वातावरण पैदा करने हेतु पारदर्शी नीतियों के तहत उर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में पूंजी निवेश की नीति कार्यान्वित की जायेगी। इसी प्रकार सिंचाई की दरों में की गयी वृद्धि को वापिस किया जाना सम्भव नहीं है किन्तु हमारा यह प्रयास होगा कि किसानों को सिंचाई की अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराई जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंच जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 95-96 में ग्रामों में अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए बजट में समुचित प्राविधान किया गया है।

हमारे भाई हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने किसानों म सर्बाधत एक बात जाननी चाही, किसान बही योजना के लिए अलग से धन आवंटित किया जाय, ऐसा उनका कहना था। इस संबंध में मैं यह बताना चाहती हूं कि प्रदेश में 2.7 करोड़ कृषकों को किसान बही उपलब्ध कराई जानी है। वर्ष 94-95 तक कुल रु० 13.78 करोड़ की धनराशि राजस्व परिषद को किसानबही की छपाई हेतु उपलब्ध कराई गयी थी। अब तक कुल लगभग 1.93 करोड़ किसानबहियां मुद्रित कराकर जनपदों को वितरण हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 95-96 के लिए 4.42 करोड़ रुपये का परिव्यय इस योजना के लिए रखा गया है। किसान बही योजना वर्ष 95-96 में पूर्ण कर ली जायेगी तथा धन की कमी इस योजना में बाधक नहीं होगी और हमने अपने भाई श्री कल्याण सिंह जी, आपकी बातों को तो मैं सबसे बाद में लूंगी।

...इन्हीं कुछ घोटालों से सम्बन्धित जो पूर्व सरकार में हुये, उनके बारे में उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं, मैं उनके सुझावों से सहमत हूं, क्योंकि पूर्व सरकार में कई किस्म के घोटाले हुये हैं, तभी तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूर होकर समर्थन वापस लेना पड़ा है भाई कल्याण सिंह जी ने सैफई जनपद इटावा में लोक निर्माण में किये गये निर्माण कार्यों में जो गड़बड़ी की गयी है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं कि सैफई में हुये निर्माण कार्यों की दरों में गलत तरीके से संसाधन के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। हमारे भाई कल्याण सिंह ने यह भी कहा कि आयुर्वेद विभाग में दवा खरीद में घोटाला किया गया है, हमारी सरकार द्वारा इस प्रकार की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल--

जब तक आप जांच करा रही हैं, डाइरेक्टर, आयुर्वेद से उनके अधिकार वापस ले लिये जायें और वह अधिकार किसी अन्य अधिकारी को दिये जायें।

सुश्री मायावती–

मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं इसके बारे में जो भी है सोच समझकर ठोस निर्णय लिया जायेगा, मैं इसको आपको बता दूंगी। इसके साथ ही साथ पूर्व सरकार के कार्य काल में चावल निर्यात में जो घोटाला हुआ, इस सम्बन्ध में मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण में मेरी सरकार द्वारा विस्तृत जांच के आदेश दे दिये गये हैं और प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। विकास प्राधिकरणों द्वारा जो सरकारी सम्पत्ति के विक्रय में गड़बड़ी की गयी है, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या गाजियाबाद प्राधिकरण हो, मैं अपने भाई कल्याण सिंह को यह बता देना चाहती हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सहारा ग्रुप को भूमि आवंटन में प्रथम दृष्टया में गड़बड़ी पाये जाने पर उसकी विस्तृत जांच के आदेश पारित किये गये हैं और इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही साथ नियंत्रित शीरा विक्रय प्रणाली के कार्यान्वयन में जो गड़बड़ी की गयी है तो उसके बारे में भी में यह अवगत कराना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार ने शीरा एवं अल्कोहल को नियंत्रण से मुक्त होने वाले प्रभावों को अध्ययन करके वीरप्पन मोइली की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गयी है, जिसकी संस्तुतियों पर भारत सरकार विचार कर रही है, तो इस समूचे प्रकरण में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ही विचार किया जायेगा। फिलहाल 65 प्रतिशत शीरा आरक्षित रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी तरह का असंतुलन या भेद भाव की संभावना न रहे और उपभोक्ता को शीरा उपलब्ध हो सके। पिछली सरकार के कार्य काल में चीनी मिलें के विक्रय में गड़बड़ी हुई। सहकारी चीनी मिल संघ में बोरा घोटाला और अल्कोहल में गड़बड़ी की गयी। इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहती हूं कि सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों के पुनरर्वासन तथा निजीकरण को दृष्टिगत रखते हुये हमारी सरकार द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये कार्यवाही की जा रही है।...

...पूर्व सरकार द्वारा जिन चीनी मिलों का विक्रय किया गया था उनको हमारी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

सहकारी चीनी मिल संघ में बोरा खरीद घोटाले के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। सहकारी चीनी मिल संघ में, मैं बताना चाहती हूं, सोल सेलिंग एजेन्ट की नियुक्ति को निरस्त करते हुए सम्बन्धित मामले की जांच कराये जाने के आदेश भी कर दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस तथा पी०ए०सी० की भर्ती में गड़बड़ी की गयी है तथा अपराधी प्रवृत्ति के उस नेचर वाले, व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस जो दिये गये हैं उन को निरस्त करने के बारे में आपने बात मेरे सामने रखी। इस सम्बन्ध में अपने भाई श्री कल्याण सिंह जी को यह अवगत कराना चाहती हूं कि पी०ए०सी० की भर्ती के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में 7 रिट याचिकायें दायर की गयी हैं जिनमें लिखित एवं शारीरिक परीक्षा के अंकों में हेराफेरी, इन्टरव्यू में पक्षपात जाति विभेद में नियमों और प्राविधानों का उल्लंघन तथा स्वास्थ्य परीक्षण में अनियमितताओं आदि के बिन्दु उठाये गये हैं। यह रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः इस सम्बन्ध में कुछ और कहना फिलहाल उचित नहीं है।

परन्तु, हमारी सरकार द्वारा इस बिन्दु का परीक्षण किया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पिछले शासनकाल में 3 चरणों में 15 सौ से अधिक यू०पी० पुलिस की भर्ती की गयी इन भर्तियां में प्रथम दृष्ट्या कुछ त्रुटियां पायी गयी हैं, जिसकी जांच सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षकों को सौंपी गयी है। इन सभी मामलों में हमारी सरकार शीघ्र जांच कराके आवश्यक कार्यवाही करेगी। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि स्वीकृत शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराकर, आपराधिक रिकार्ड रखने वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें।

उत्तराखंड आंदोलन के दौरान पूर्व सरकार द्वारा अनुसूचित कार्यवाही की गयी इसके बारे में हमारे भाई श्री सूरवीर सिंह सजवाण और अन्य सदस्यों ने भी यह बात कही, इस सम्बन्ध में और भी कुछ बातें कही गयी हैं कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों से दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाय और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के मुकदमें वापस नहीं किये गये हैं, कुछ ऐसी ही बातें कही गयी हैं इस सम्बन्ध में मैं पूरे सदन को आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहती हूं, वैसे मैंने कुछ दिन पहले इस सम्बन्ध में विधानपरिषद् में भी अपनी बात रखी थी लेकिन क्योंकि बजट चर्चा के मौके पर इस बारे में कई सदस्यों ने पूछा इसलिये मैंने यह अपनी जिम्मेवारी समझी कि अपने माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए मुझे इसके बारे में जरुर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिये सरकार की ओर से। इस सम्बन्ध में उत्तराखंड प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आंदोलन से संबंधित समस्त घटनाओं की जांच सी०बी०आई० से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

हमारी सरकार उत्तराखंड आन्दोलन की घटनाओं पर सी०बी०आई० द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अन्तिम रिपोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेश के अनुक्रम में दोषी पाये गये सभी बरामदगी दिखायी है उसकी विवेचना पूरी कर ली गयी है और सरकार द्वारा दोषी पाये गये 8 पुलिस कर्मियों के अभियोजन की स्वीकृति दे दी गयी है। इसके अलावा 8 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही आगे रिपोर्ट आयेगी और जो भी दोषी पाया जायेगा चाहे वह छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड आन्दोलन के दौरान नागरिकों के विरुद्ध गम्भीर अपराधों को छोड़ते हुए अन्य मामलों में पंजीकृत मुकदमों की वापसी के बारे में जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में 30 ऐसे मुकदमों में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था यह 38 मुकदमें वापस किये जा चुके हैं। इसके अलावा 33 पंजीकृत अपराधों में अन्तिम रिपोर्ट लग गयी है। 216 पंजीकृत अपराधों की सी०बी०आई० द्वारा विवेचना पर 12-5-95 को मेजर जनरल खंडूरी, माननीय संसद सदस्य के नेतृत्व में उत्तराखंड का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था जिसके अनुरोध पर यह आदेश जारी किय जा चुके हैं कि उत्तराखंड आन्दोलन से संबंधित उन सभी मामलों में जो सी०बी०आई० की परिधि के बाहर हैं तत्काल वापस ले लिया जाये। सरकार की यह स्पष्ट मंशा है कि नागरिकों के विरुद्ध गलत तरीके से पंजीकृत कराये गये मुकदमों में उन्हें परेशान न किया जाये और ऐसे सभी मुकदमें वापस ले लिये जायें। उत्तराखंड आन्दोलन की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को मानवीय आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी है। मंसूरी, मुज्जफरनगर खटीमा और नैनीताल से संबंधित 14 मृतकों के आश्रितों को 14 लाख और 53 घायल व्यक्तियों को 9.85 लाख कुल 23.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 67 व्यतियों को दी गयी है।

इसके अलावा भी यदि कोई ऐसा मामला सरकार के संज्ञान में आयेगा, जिसमें मानवीय आधार पर सहायता का औचित्य हो, तो तत्काल वित्तीय सहायता दी जायेगी। हमारी सरकार उत्तराखंड आन्दोलन के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से प्रभावित निर्दोष नागरिकों को न्याय दिलवाने, प्रभावित व्यक्तियों को मानवीय आधार पर समुचित वित्तीय सहायता देने और दोषी पाये गये सरकारी अधिकारियों तथा कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाही करने के लिये कटिबद्ध है। इसके साथ-साथ सदन में कई माननीय सदस्यों ने, बजट घाटा कैसे पूरा किया जायेगा? इस बारे में सरकार से सवाल पूछे हैं। मैं माननीय सदस्यों को इस संबंध में अवगत कराना चाहती हूं कि इस संबंध में राज्य की वार्षिक योजना में वित्त पोषण के लिये सरकार राजकीय व्यय में फिजूलखर्ची रोकेगी, इसके अन्तर्गत राजकीय व्यय पर नियंत्रण, व्यय बचत आयोग की सिफारिशों के अनुरुप अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करना तथा अनुपयोगी अधिष्ठानों को कम करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार ऐसे प्रभावशाली उपाय भी करेगी, जिससे राज्य के राजस्व में वर्तमान स्रोतों से पर्याप्त वृद्धि हो सके। बकाया देयों

की अधिक से अधिक वसूली की जायेगी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संबंध में सुझाव देने के लिये हमने मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति भी गठित की है, जिसके सुझाव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

हमारी सरकार विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिये अधिक से अधिक संसाधन जुटाने का हरसंभव प्रयास करेगी। इसके साथ-साथ कर्मचारियों के बारे में कुछ बातें सदन में रखी गई, बजट के मौके पर। इस संबंध में मैं सदन को यह अवगत कराना चाहती हूं कि भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार अपने कर्मचारियों को अन्तिरम सहायता की दूसरी किश्त दी गई है, उसी प्रकार हमने भी निर्णय लिया है कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को भारत सरकार की दरों पर दूसरी किश्त देगी, इसके लिये बजट में प्राविधान भी मौजूद है।

अब मैं अपने आखिरी भाई की तरफ आती हूं, प्रमोद तिवारी जी की तरफ। हमारे भाई कल्याण सिंह जी के पीछे हैं, बोलने वालों में, इसलिये आखिरी भाई। जब प्रमोद तिवारी जी बजट से हटकर राजनीतिक भाषण दे रहे थे, तो हमारे एक माननीय सदस्य ने पीछे से बोलते हुये कहा कि श्री प्रमोद तिवारी जी, लगता है कि बजट को पढ़ा नहीं है, मैं उनसे सहमत हूं।

श्री प्रमोद तिवारी जी ने केवल बजट भाषण पढ़ा है, उन्होंने लगभग 3,500 पृष्ठ की 16 किताबें साथ में दी थी, उनको पढ़ने का कष्ट नहीं किया है, बिना पढ़े भाषण देने के आदी हैं। मैं तो समझती थी कि आप बजट पर कुछ बोलेंगे परन्तु आपने बजट पर बोलने के बजाय राजनीतिक भाषण शुरु कर दिया है और जो राजनीतिक भाषण दिया है उसका जवाब तो मैं सदन के बाहर दूंगी क्योंकि सदन का समय में राजनीतिक भाषण का जवाब देने में बर्बाद नहीं करना चाहती।

मान्यवर, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। अन्त में मान्यवर, 14 करोड़ आबादी के इस विशाल प्रदेश की अनेकानेक समस्यायें हैं, सम्भव है कि संक्षेप में प्रस्तुत किये गये बजट भाषण में कतिपय बिन्दुओं का उल्लेख न हो पाया हो लेकिन प्रदेश की विकास का हर पहलू, हमारे विचारों के दायरे में है, इसके बाद भी माननीय सदस्यगण जिस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करायेंगे, उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। बजट भाषण के प्रारम्भ तथा अंत में जो भावनायें व्यक्त की गयी है उनको पुनः दोहराने के बजाए, आज मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि यद्यपि हमारे संसाधन सीमित हैं किन्तु हमारी इच्छा शक्ति और हमारा संकल्प असीमित हैं। अतः मान्यवर, हम प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित करने और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा यह भी विश्वास है कि यह सदन आय-व्यय को स्वीकार करके हमें अपने ध्येय में सफल होने का अवसर देगा।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इसी मौके पर एक खास जानकारी सदन को देना चाहती हूं क्योंकि बजट पर चर्चा शुरु होने से पहले तो हेल्थ के ऊपर और सूखे के ऊपर काफी विचार-विमर्श सदन में हुआ है। आपको जानकर खुशी होगी आज प्रातः बरेली में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंटकर अनुरोध किया कि प्रदेश में हैजा एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दवायें एवं धन उपलब्ध कराया जाये। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के कुछ जनपदों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल भेजने का भी अनुरोध किया गया है।

यातायात की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये मुरादाबाद, शाहजहांपुर तथा बरेली में बाई पास बनवाने, बरेली को काउण्टर मैगनेट नगर बनवाने हेतु 16 करोड़ रुपये उलपब्ध कराने, बरेली के बुनकरों के लिए एक हजार मकान बनवाने हेतु आर्थिक सहायता देने की योजना को स्वीकृति देने तथा बरेली को सिविल एअरपोर्ट का दर्जा देने का भी अनुरोध किया गया। कानपुर नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए गंगा बैराज के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपया अवमुक्त कर दिया है तथा भारत सरकार ने 8 करोड़ रुपये देते हुये

शीघ्र निर्माण हेतु अतिरिक्त सहायता दिये जाने का भी अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने सभी बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। अन्य विषयों पर शीघ्र ही दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री जी से वार्ता की जायेगी। यह जानकारी मैंने आज ही देना मुनासिब समझा। अन्त में आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक बजट के समय सुना और जो मैं आज प्रधानमंत्री जी से बरेली में पहुंचे थे, उनको रिसीव करने के लिए पहुंची, उनसे मेरी बातचीत हुई।

श्री रमेश कान्त लावानियां–

...मान्यवर, बरेली के साथ ही साथ आगरा को भी जोड़ दिया जाय।

सुश्री मायावती–

आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27.7.1995 को नियम-51 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री रंगनाथ मिश्र जी की वाराणसी जिले के चोलापुर थानान्तर्गत रामगांव में हुए सामूहिक नरसंहार के संबंध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। दूसरी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी जी की गाजियाबाद में पीलिया रोग के भयंकर रुप से फैलने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है। तीसरी सूचना श्री रमेश कान्त लावानियां जी की आगरा नगर में जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था न होने तथा एक सफाई कर्मी की नाले में डूबकर हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है। चौथी सूचना, श्री भैरो प्रसाद मिश्रा जी की प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम में पवित्र मंदाकिनी नदी में गिर रहे गन्दे नालों से नदी में हो रहे प्रदूषण के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पांचवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन्स के थानाध्यक्ष एवम् पूर्व क्षेत्राधिकारी तथा उप निरीक्षक द्वारा कतिथ रुप से की जा रही अनियमितताओं से व्याप्त असंतोष के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

गाजियाबाद में गम्भीर पेयजल संकट के संबंध मेंश्री बालेश्वर त्यागी द्वारा दी गई सूचना एवं नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य

श्री राम किशोर विन्द (नगर विकास राज्यमंत्री)–

गाजियाबाद नगर में गंभीर पेयजल...

श्री अध्यक्ष–

यदि आप लोग सहमत हों तो वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम किशोर विन्द–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत मा० सदस्य श्री बालेश्वर त्यागी से निम्न सूचना प्राप्त हुई–

[ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया।

"गाजियाबाद नगर में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। नगर निगम व उसकी पूर्ववर्ती संस्था नगर परिषद के पास केवल 56% आबादी को पानी उपलब्ध कराने की क्षमता है। नगर की 44% आबादी के लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जल स्तर गिर जाने के कारण अनेक नलकूप फेल हो गये हैं जिससे संकट और गहरा हो गया है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण विकसित कालोनियों में उसमें बनाये गये मकानों को अपेक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिये टंकिया व नलकूप नहीं बनाये हैं। नगर की अनेक बस्तियां ऐसी हैं जहां पिछले कई माह में दूसरी मंजिल पर पानी नहीं पहुंचा है।

नगर निगम धनाभाव का कारण बताकर इस समस्या से आंख मूंद रही है। पानी की समस्या को लेकर आये दिन धरने प्रदर्शन व सड़क जाम जैसे आंदोलन हो रहे हैं। जिससे कानून व्यवस्था को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

शास्त्रीनगर जैसी कई कालोनियों में सीवर का मिला गन्दा पानी पीने के लिये नलों में जा रहा है जिससे पूरा नगर पीलिया के चपेट में आ गया है। इस समस्या का निदान तत्काल हैण्डपाइप लगाकर किया जा सकता है।

गाजियाबाद के इस पेयजल संकट का तात्कालिक समाधान 100 हैण्ड पम्प व 10 नलकूप लगाकर किया जा सकता है। नगर निगम में पूर्व में पेयजल संकट के समाधान के लिये अनुदान हेतु योजनायें भेजी लेकिन राजनैतिक कारण से स्वीकार नहीं हुई है।"

1- माननीय सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि गाजियाबाद नगर की इस समय कुल आबादी लगभग 6.45 लाख है। भारत सरकार के मानकों के अनुसार प्रतिदिन 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है जिसके समक्ष 129 एम०एल०डी० पानी की कुल आवश्यकता है। इस आवश्यकता के विरुद्ध इस समय लगभग 90.5 एम०एल०डी० पानी उपलब्ध हो रहा है।

2- गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में कुल 106 नलकूपों द्वारा जलापूर्ति किया जा रहा है। पिछले 6 माहों में कुल 7 नलकूप क्रमशः लोहियानगर, नेहरुनगर, थई एफ, मोहननगर क्षेत्र, नया बस अड्डा, नलकूप नं०-2, 3, कविनगर सी ब्लाक, एक दौलतपुरा में नये नलकूप बनवाकर चालू करवाये गये हैं जिससे पेयजल व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। मोहननगर क्षेत्र, दिल्ली गेट में दो नये नलकूपों का कार्य प्रगति पर है तथा पुराने शहर तथा घूकना क्षेत्र तथा शास्त्री नगर के लिये एक-एक अर्थात कुल तीन नलकूप का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है। इन नलकूपों के चालू होने के बाद कुल 8 एम०एल०डी० पानी उपलब्ध होगा जिससे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में और अधिक सुधार हो जायेगा।

3- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों, जैसे शास्त्री नगर, कविनगर, राजनगर, नेहरु नगर सेकिन्ड में पुराने नलकूपों की श्राव कम हो जाने के कारण पानी की कमी है। कविनगर में कुछ दिन पूर्व ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय पर नये नलकूप का निर्माण कराकर चालू किया गया तथा शास्त्रीनगर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक नये नलकूप का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

4- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित शास्त्रीनगर, कालोनी के "ए" ब्लाक में माह मई-95 में सीवरयुक्त पानी प्राप्त होने की शिकायत प्राप्ह हुई थी जिसे उसी समय ठीक करा दिया गया था।

5- गाजियाबाद नगर में वर्तमान में सांसद कोटे के अन्तर्गत 60 हैण्डपम्प तथा मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत 28 हैण्डपम्पों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ट्रान्स हिन्डन क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था में सुधार हेतु एक योजना बनायी गई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 18.33 करोड़ रुपये है। इस योजना के अन्तर्गत 28 नलकूप, 11 जलाशय, 19.5 किमी० राइजिंग मेन, 12.7 किमी० फीडर मेन सम्मिलित है। यह

योजना वर्ष 1990 91 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 10 नलकूप एवं 5 जलाशय बनाये गये हैं तथा 1.68 किमी० राइजिंग मेन बिछायी गई है।

इस प्रकार शासन गाजियाबाद में पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकण हेतु सतत प्रयत्नशील है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, गाजियाबाद में गम्भीर पेयजल की समस्या को सरकार ने स्वीकार किया है परन्तु उनके वक्तव्य के इस स्वरुप से घोर निराशा हुई कि वर्तमान में उत्पन्न पेयजल संकट के समाधान के लिए इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो पेयजल का संकट है और उसके निराकरण के लिए नगर निगम ने जो एक करोड़ रुपये की योजना शासन के पास भेजी है, इसे क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रुप से स्वीकृत किये जाने की घोषणा यहां पर करेंगे?...

(कई सदस्यों के मंत्रियों के पास अपने निजी कार्यों के लिए जाने के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्रियों से व माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

दूसरा, यह कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी का गृह जनपद है। पेयजल की इतनी भयंकर समस्या वहां पर है। इस समस्या को देखते हुए त्वरित कोई राहत की घोषणा की जानी चाहिये।

समाज कल्याण का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत गम्भीर विषय है।...

श्री अध्यक्ष–

अब कौन सी व्यवस्था है?...

(व्यवधान)

माननीय आजाद जी, माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया अब इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री राम विशुन आजाद–

कल समाज कल्याण विभाग का बजट है, उसका साहित्य हमें नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजाद जी अपना पीजन होल देख लें उसमें रखा होगा।

श्री राम विशुन आजाद–

नहीं रखा है मैं वहीं से आ रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

24 घंटे पूर्व जिस माननीय सदस्य को कटौती प्रस्ताव रखना है उसे साहित्य प्राप्त हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

एक बार पुनः माननीय आजाद जी देख लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने इनसे स्वयं कहा था, वहां से लौट कर आ रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है, सरकार को इंगित कर दें। बजट साहित्य समय से मिले।

श्री अध्यक्ष–

बजट साहित्य समय से उपलब्ध हो जाना चाहिये। (व्यवधान) मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराने में सहयोग दें। (व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह पत्र लेना बंद करें। माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण चाहा है।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

बजट साहित्य के बारे में पूछा है, बजट साहित्य उपलब्ध करा दिया है, देख लेंगे क्यों नहीं मिला?

गाजियाबाद में गंभीर पेयजल संकट के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना एवं नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

नगर विकास राज्यमंत्री (श्री राम किशोर विन्द)–

गाजियाबाद की समस्या के बारे में वित्तीय संसाधनों के आधार पर बराबर प्रयास किया जा रहा है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मेरे सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं आया। आपने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि गाजियाबाद की पेयजल संकट के समाधान के संबंध में 18.33 करोड़ की योजना स्वीकार की है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष कितनी धनराशि का प्राविधान कर रहे हैं? मैं आशा करता था कि शासन इसकी गंभीरता को देखते हुये एक निश्चित धनराशि इस वर्ष देगा।

श्री राम किशोर विन्द–

मान्यवर, गाजियाबाद नगर में वर्तमान में सांसद कोटे के अंतर्गत 60 हैण्ड पम्प तथा मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत 28 हैण्ड पम्पों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था में सुधार हेतु एक योजना बनाई गयी है जिसकी अनुमानित लागत रु० लगभग 18.33 करोड़ है इस योजना के अंतर्गत 28 नलकूप, 11 जलाशय, 19.5 कि०मी० राइजिंग मेन,. 12.7 किमी० फीडर मेन सम्मिलित है। यह योजना वर्ष 1990–91 में आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत 10 नलकूप एवं 5 जलाशय बनाये गये हैं तथा 1.68 कि०मी० राइजिंग मेन बिछाई गयी है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

इस योजना में वर्तमान वर्ष में कोई घोषणा करेंगे कि कितनी धनराशि खर्च की जायेगी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि जिस योजना को आप बता रहे हैं उसमें इस वित्तीय वर्ष में कितना धन आ रहा है? शेष जब विभागीय बजट आयेगा तो उसमें बता दें?

श्री राम किशोर विन्द–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर इसकी व्यवस्था होगी।

जनपद सिद्धार्थनगर के विस्मोहर कस्बे में पानी की निकासी एवं पेयजल संकट के संबंध में श्री स्वयंवर चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य

नगर विकास राज्यमंत्री (श्री रामकिशोर विन्द)–

प्रत्येक वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय। इस पर श्री स्वयंवर चौधरी जी प्रश्न कर लें।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत मा० सदस्य श्री स्वयंवर चौधरी से निम्न सूचना प्राप्त हुई:–

"मेरे विधान सभा क्षेत्र 171 इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विस्कोहर कस्बा स्थित है। बहुत ही पुराना कस्बा है। इसकी नाली बहुत ही घनी है। सभी रास्ते गली के तरह से हैं इस समय मौजूदा समय में जनसंख्या की भारी बढ़ोत्तरी के कारण गली वाले रास्ते और भी सकरी हो गयी हैं। इस कस्बे की आबादी लगभग 8 हजार की है। बरसात के पानी से इतना जल जमाव हो रहा है कि उसमें कीड़े पैदा होकर कस्बे में भयंकर गंदगी पैदा कर दे रहे हैं। किसी भी समय भारी बीमारी की आशंका है। लोगों को घर से निकल कर दूसरे जगह जाना भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर किसी महिला को निकल कर अस्पताल या और भी कार्य से जाना है तो उसकी अपनी साड़ी भी हाथ से पकड़कर उठानी पड़ रही है। पानी निकासी न होने से लोगों के मकान गिर रहे है इसके बाद पेयजल का भारी संकट है। इतना बड़ा कस्बा होने पर भी अभी तक पानी की टंकी की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस दोनों परेशानियों से जनता के अंदर भयंकर आक्रोश है। जनता के हितों के लिए उनके जीवन रक्षा के लिए यह अतिमहत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न है। विधान सभा में इस पर चर्चा होना आवश्यक है।"

मा० सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि ग्राम विस्कोहर की कुल आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 4293 है। इस ग्राम में नाली का निर्माण नहीं हुआ है। गली के रास्ते संकरे है क्योंकि गली के इर्द-गिर्द मकान बने होने के कारण इसे चौड़ा किया जाना संभव नहीं है। ग्राम के अधिकांश नालियों में खड़न्जे लगे हैं। बुद्धिराम के घर से मुख्य मार्ग तक कच्चे सम्पर्क मार्ग का निर्माण जिला पंचायत द्वारा किया गया है, परन्तु खड़न्जा न होने के कारण इस मार्ग के दोनों ओर कुछ स्थानों पर बरसात का पानी एकत्र हो जाता है, परन्तु वर्तमान में जल भराव की स्थिति नहीं है और न ही कोई मकान गिरने की सूचना है। चिकित्सीय सुविधा हेतु इस ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है जिसके द्वारा वि-संक्रमण कार्य किया जाता है।

2- पेयजल व्यवस्था हेतु इस ग्राम में 15 हैण्डपम्प लगाये गये हैं जिनमें से 10 चालू हालत में हैं तथा 5 हैण्डपम्प कुछ समय पूर्व खराब हो गये थे जिन्हें ठीक कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा इस ग्राम में न तो कोई पाइप लाइन योजना है और न ही कोई पानी की टंकी बनी है।

इस प्रकार शासन जनपद सिद्धार्थनगर के विस्कोहर कस्बे में पानी की निकासी एवं पेयजल समस्या के निदान हेतु सतत प्रयत्नशील है।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

इस पर श्री स्वयंवर चौधरी जी प्रश्न कर लें।

(श्री स्वयंवर चौधरी के खड़े न होने पर प्रश्न नहीं हुए)

पूरे प्रदेश में भयंकर रूप से फैली आन्त्रशोध की जानलेवा बीमारी के संबंध में श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत की गई सूचना पर नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्यमंत्री (श्री प्रवीण सिंह ऐरन)–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं...

श्री अध्यक्ष–

इसे भी पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रत्येक वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक संक्रामक रोग प्रदेश में अपना प्रकोप दिखाते हैं। वर्षा ऋतु में इनका प्रभाव बढ़ जाता है। संक्रामक रोग जल, वायु और भोज्य पदार्थ के माध्यम से फैलते हैं। इनमें आन्त्रशोध (गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस) और पीलिया मुख्य होते हैं।

संक्रामक रोगों का नियन्त्रण तथा शुद्ध जल की उपलब्धता एक-दूसरे के पर्याय है। इसके लिये नगरों की जल सम्पूर्ति व्यवस्था में नगर विकास विभाग क्लोरिनेशन का कार्य करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ब्लीचिंग पाउडर कुओं के जल की शुद्धता और घरेलू उपयोग के जल के लिये क्लोरीन टैबलेट उपलब्ध कराता है।

संक्रामक रोगों की व्यापकता और उनके प्रत्येक वर्ष फैलने के इतिहास को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 13 मार्च, 1995 द्वारा एक संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्य योजना प्रदेश में बनाई गई है और उसके कार्यान्वयन के लिये सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को उत्तरदायी बनाया गया है। प्रदेश स्तर पर प्रत्येक वृहस्पतिवार के राज्य स्तरीय समन्वय समिति संक्रामक रोगों के नियंत्रण की समीक्षा करती है और जिलों में यह कार्य जिला मजिस्ट्रेटों/मण्डलायुक्तों द्वारा किया जाता है।

प्राप्त सूचनानुसार 52 जिलों में संक्रामक रोगों का प्रकोप है। इसके रोकथाम की भरसक कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1994 में 12 हजार से अधिक लोग इससे प्रभावित थे। सापेक्ष्य अवधि में इस वर्ष गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग साढ़े तीन हजार है। लगभग 150 रोगियों की मृत्यु आन्त्रशोध और पीलिया से हुई है जबकि गत वर्ष यह संख्या लगभग सात सौ थी।

अस्पतालों में इन रोगों के उपचार के लिये दवायें उपलब्ध कराई गई हैं ओर यूनीसेफ से भी बीस लाख टेट्रासाक्लिन कैप्सूल और तीन लाख ओ०आर०एस० (ओरल रिहाइड्रेशन साल्यूशन) पैकेट प्राप्त करके क्षेत्रों में उपलब्ध कराये हैं। लगभग 1.25 करोड़ क्लोरीन की गोलियां वितरित की गई हैं।

शिथिलता बरतने पर फैजाबाद के उप मुख्य चिकित्साधिकारी और एक दर्जन से अधिक अन्य चिकित्साधिकारियों को निलम्बित किया गया है। बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी और एक उप मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थानान्तरित कर अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है। इसी प्रकार पैरा मेडिकल स्टाफ के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। महामारी अधिनियम, 1897 की धारा-2 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके मुख्य चिकित्साधिकारियों/ जिलाधिकारियों को सशक्त किया गया है कि वे कानूनी अधिकार से इन रोगों की रोकथाम के लिये सड़े-गले फलों की बिक्री पर रोक लगा सकें और सफाई आदि सुनिश्चित कर सकें।

नोट [ ], यह अश पढ़ा हुआ माना गया

शासन की यह स्पष्ट नीति है कि शासन द्वारा विनिश्चित संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य-योजना को कड़ाई से लागू किया जाये और किसी स्तर पर कोई शिथिलता नहीं होने दी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन स्वास्थ्य विभाग द्वारा और नगरीय क्षेत्रों म नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है और संक्रामक रोग नियन्त्रण में है तथा इनके रोकथाम की पूरी प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।]

जनपद बांदा में व्याप्त पेय-जल संकट के संबंध में श्री राजकुमार शिवहरे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना एवं नगर विकास राज्यमंत्री का वक्तव्य

नगर विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री राम किशोर विन्द)–

उत्तर प्रदेश की विधान सभा की प्रक्रिया...

श्री अध्यक्ष–

इस वक्तव्य को भी पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राम किशोर विन्द–

कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य से निम्न सूचना प्राप्त हुई है:–

"मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बांदा नगर के मुख्य मुहल्ले खिन्नी नाका, छोटी बाजार, निम्नीपार, बन्यौटा, महेश्वरी देवी, गायत्री नगर आदि में व्याप्त पानी के संकट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत दो सालों से यहां के निवासियों को भीषण पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष जब पानी की अत्यन्त कठिनाई हो गयी थी तो इस नगर के मोहल्ले की महिलाओं ने स्थानीय नगर के जल संस्थान कार्यालय का घेराव भी किया था तथा भारी तोड़फोड़ की गयी थी। यह समस्या मुख्य रुप से यहां की पाइप लाइनों के रिसाव होने से, पानी की आपूर्ति की क्षमता कम होने से, जल में फोर्स में कमी होने से, टंकी की क्षमता कम होने से, ट्रांसफार्मर की क्षमता भी कम होने से, उत्पन्न हो गयी है। यदि यहां पर एक अन्य टंकी बनाकर पानी की आपूर्ति बढ़ा दी जाये तो उक्त समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

अत: मैं मांग करता हूं कि बांदा नगर के निवासियों को पानी की समस्या का समाधान करने हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है साथ ही यहां के अधिशाषी अभियन्ता भी इसके प्रति उत्तरदायी है जिन्होंने इस वर्ष की गर्मी में अपने स्तर से कोई प्रयास नहीं किये हैं और पानी की समस्या लगातार इतनी अधिक गर्मी जैसा कि इस वर्ष बांदा जनपद का तापमान 50 डिग्री रहा है, में कोई प्रयास नहीं किया गया है। अत: इस विषयक लापरवाही पर उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।"

माननीय सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि बांदा नगर की पेयजल योजनान्तर्गत बांदा नगर में 11 नलकूपों के माध्यम से व केन नदी पर स्थित रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 12.5 एम०एल०डी० है, पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त 184 हैण्डपम्पों के

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माध्यम से भी पेयजल सुविधा उपलब्ध है। उक्त योजना से लाभान्वित बांदा नगर एवं उसके जुड़े ग्रामीण क्षेत्र को पानी दिया जाता है, जिसकी जनसंख्या लगभग एक लाख दस हजार है। इस प्रकार 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के विरुद्ध जनता को लगभग 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

2- बांदा नगर की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि व नगर के विस्तार होने के कारण मात्र 12.5 एम०एल०डी० पेयजल ही उपलब्ध होने के कारण वहां पेयजल संकट व्याप्त है। विशेष रुप से बांदानगर के मुहल्ले-खिन्नी नाका, छोटी बाजार, निम्नीपार व बन्योटा, महेश्वरी देवी, गायत्रीनगर आदि घनी आबादी वाले हैं, में पेयजल संकट इस कारण से भी अधिक है कि आबादी के घनत्व एवं जल संयोजनों में वृद्धि एवं पाइप लाइन की माप छोटे होने तथा पेयजल उत्पादन व दबाव में कमी होने के फलस्वरुप ही विद्यमान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में तात्कालिक राहत के रुप में सर्वप्रथम पुरानी खराब पम्प/मोटरों को ठीक कराकर पम्पिंग प्लान्ट की स्टेंडबाई व्यवस्था करायी गयी ताकि मोटरों आदि के जल जाने पर उन्हें तत्काल लगाकर जलापूर्ति चालू रखी जा सके। साथ ही 5 नग खुले कुओं पर पम्प सेट लगाकर इन्हें वितरण प्रणाली से इन्टरकनेक्ट कर चालू किये जाने का प्रयास किया गया। जिसमें से निम्नीपार मुहल्ले के कुऐं पर जलापूर्ति चालू कर दी गयी है और इसके चालू होने से क्षेत्रीय जनता को काफी राहत मिली है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में सांसद कोटे के अन्तर्गत बांदा नगर की पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु रुपये 15.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, जिसके विरुद्ध अधिकांश कार्य ग्रीष्म से पूर्व ही करा लिये गये, जिनसे भी जनता को जल आपूर्ति का काफी लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त केन नदी पर इन्टेकवेल से निर्माणाधीन योजना जिससे बांदा नगर को अतिरिक्त पानी मिलेगा, को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए शासन प्रयासरत् है। इसके पूर्ण होने से बांदा नगर वासियों को जलापूर्ति में काफी राहत मिलेगी।

जहां तक अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, बांदा द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने व उनके द्वारा कोई कार्य न कराने का प्रश्न है, के संबंध में यदि कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार शासन बांदा नगर में व्याप्त पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद भी सतत प्रयत्नशील है।

जनपद गोण्डा कि शुगर फैक्ट्री नवाबगंज के वर्तमान सत्र में बंद हो जाने से गन्ना किसानों एवं श्रमिकों की समस्या के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

सर्वश्री रमापति शास्त्री और घनश्याम शुक्ल के अनुरोध पर इसको स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं और कल ग्यारह बजे फिर मिलेंगे।

इसके बाद सदन सायं 7 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ
27 जुलाई, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अता०प्र०सं० 12 का पिछले पृष्ठ—30———पर)

संलग्नक

ऐसे पदों का विवरण जिनकी कोई नियमावली न तो बनी है और न ही प्रस्तावित है।

क्र०सं०	पदों का नाम	वेतनमान	संख्या
1	2	3	4
1.	साहित्यिक सहायक	1600-2600	1
2.	समाज शास्त्री	1400-2600	3
3.(क)	ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक	1400-2600	4
(ख)	सम्प्रेक्षक	1200-2040	7
4.	आर्टिस्ट	1400-2600	5
5.	क्षेत्र अनुसंधान कर्ता	1400-2600	6
6.	भूमि सर्वेक्षण सहायक	1400-2600	1
7.	अनुश्रवण सहायक	1400-2300	1
8.	लाइब्रेरियन	1400-2300	1
9.	प्रदर्शनी सहायक	1350-2200	1
10.(क)	प्रयोगशाला सहायक	1350-2200	6
(ख)	प्रयोगशाला सहायक	950-1500	7
11.	अनुसंधान सहायक	1200-2040 (आय-व्ययक साहित्य खण्ड-6 के अनुसार।)	5
12.	शोध सहायक	1350-2200	11
13.	सिने कैमरामैन	1200-2040	1
14.	फोटो ग्राफर	975-1660	1
15.	स्वागत कर्ता	1200-2040	1
16.	सहायक पार्क अधिकारी	1350-2200	4
17.(क)	वरिष्ठ प्रूफ रीडर	1200-2040	1
(ख)	कनिष्ट प्रूफ रीडर	950 1500	1

1	2	3	4
18.	ट्रेसर (अनुरेखक)	1200–2040 (आय-व्ययक साहित्य खण्ड-6 के अनुसार।)	1
19.(क)	सिल्ट एनासिल्ट	1400–2400	1
(ख)	सहायक सिल्ट एनासिल्ट	1350–2200	2
20.	रिकार्ड कीपर	1200–2040 (आय-व्ययक साहित्य खण्ड-6 के अनुसार।)	1
21.	वायरलेस टेक्नीशियन	975–1660	1
22.	मेकेनिक	975–1660	2
23.	प्रोजेक्ट आपरेटर	950–1500	3
24.	सिनेमा आपरेटर	950–1500	1
25.	जनरेटर आपरेटर	950–1500	1
26.	वायरलेस आपरेटर	950–1500	2
27.	आरामशीन आपरेटर	950–1500	2
28.(क)	रोड रोलर चालक	950–1500	इस पद को वाहन चालक के साथ मानते हुये उसी नियमावली में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये। इसे वाहन चालक के साथ दर्शाया गया है।
(ख)	ट्रेक्टर आपरेटर	950–1500	
29.	पंचिक मशीन परिचालक	950–1500	2
30.	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक	950–1500	1
31.	स्टोर कीपर	950–1500	8
32.	इलेक्ट्रीशियन	950–1500	
33.(क)	फोरमैन	470 - 735 (पुराना वेतनमान)	1
(ख)	सहायक फोरमैन	950 -1500 (आय-व्ययक साहित्य खण्ड-6 के अनुसार।)	1

1	2	3	4	
34.	ट्यूबवेल मैकेनिक	1200–2040	1	
35.	गाइड	950–1500	5	
36.	महावत	820–1200	33	
37.	ट्यूबेल आपरेटर	825–1200 (आय-व्ययक साहित्य खण्ड-6 के अनुसार।)	3	
38.	बढ़ई/लोहार	825–1200	1	
39.	ट्रेक्स	825–1200	6	
40.	टांगिया अध्यापक (प्रशिक्षित)	365– 555 350– 500	20	
41.	कनिष्ठ वनराजिक	1200–2040	7	
42.	अनुरेखक	330– 495	1	
43.	टेलीफोन आपरेटर	330– 495 पुराना वेतनमान	2	
44.(क)	सीनियर सर्वेयर	1400–2600	6	
(ख)	सर्वेयर	1350–2200	146	
(ग)	सीनियर सर्वे अमीन	950–1500	10	190
(घ)	सर्वे अमीन	750–1025	28	
		योग–	368	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्र०सं० 25 का पिछले पृष्ठ–36–––पर)

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन (चील्ह) व लालगंज के ग्रामों की सूची जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया लागू नहीं की गई।

क्रमांक	ग्रामों का नाम	चकबन्दी योजना में शमिल न किये जाने का कारण
1	2	3
विकास खण्ड कोन (चील्ह)		
1–	मुजहरा खुर्द	गंगा नदी की बाढ़/कटाव से प्रभावित है।
2–	अहोपुर	उपरोक्त
3–	कोल्हुआ भोज	,,
4–	कोल्हुआ शाह	,,
5–	धरमधरपुर	,,
6–	चक मझली पट्टी	,,
7–	चक समेरा	,,
8–	मल्लेपुर	,,
9–	मिश्रधाप	,,
10–	पखवैया	,,
11–	सेमरा	,,
12–	मझरा	,,
13–	हरसिंहपुर	,,
14–	चक जगापट्टी	एक तथा दो स्थानों पर संहत वाले काश्तकारों की स्थिति 80प्रतिशत से अधिक है।
15–	चक अनुरुद्धपुर	,,
16–	पटेहरा	,,
17–	चौमुख	,,
18–	मकसूदन पट्टी	,,
19–	हरिवंशपट्टी	,,
20–	अर्जुनपुर मु० मुजेहरा	,,
विकास खण्ड लालगंज		
1–	धेपापुर	यह ग्राम विन्ध्य पर्वत के पश्चिम पठारी, झाड़ी तथा जंगलों से अच्छादित है।
2–	चर्की आराजी	,,
3–	लक्ष्मी	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
4-	मनउर पट्टी	,,
5-	डांगर खरी	,,
6-	जैकर खुर्द	,,
7-	कपरवथआ	,,
8-	चक कोलहा	,,
9-	चक वगरिया	,,
10-	समोगरा ,,	,,
11-	केहुनिया ,,	,,
12-	पपरा ,,	,,
13-	वोकरिया	,,
14-	तुरकहा	,,
15-	रुमौली	,,
16-	गोडरकला	,,
17-	सेमरा आराजी	,,
18-	वेलाही	,,
19-	भूसी पथरहा	,,
20-	पचईखुर्द	,,
21-	चरकहा	,,
22-	महादेव	,,
23-	जहदर	,,
24-	डोरवा	,,
25-	ददरी राजा	,,
26-	आराजी खरिहट	,,
27	वडौली	,,
28-	नौगांव	,,
29-	वभनी	यह ग्राम बिन्ध्य पर्वत के पश्चिम पठारी, झाड़ी तथा जंगलों मे अच्छादित है।
30-	मवडी	,,
31-	पगार	,,
32-	केवलपट्टी	,,
33-	लखनिया	,,
34-	लमौअर	,,
35-	कोलकम कलां	,,
36-	चक बलहा	,,
37-	चकभेडा	,,
38-	डाडी	,,
39	पतार कलां	,,
40-	पतार खुर्द	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
41–	घसडा	,,
42–	नदौली करौदी	,,
43	घूराकाछा	,,
44	मझगवां	,,
45	महुलार	,,
46	मछलरिया	,,
47–	बरकछ	,,
48–	गोडरखुर्द	,,
49–	झेलमपुर	,,
50–	कोलहा	,,
51–	महिरा	,,
52–	धवहा देवघटा	,,
53	नौदा	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अतारांकित प्र०सं० 101 के पिछले पृ०—67———पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के 2सरे गुरु के लिये निर्धारित श्री परशुराम यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर का संलग्नक/सूची।

जनपद फैजाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में वित्तीय वर्ष 1994-95 में नव निर्माण/मरम्मत आदि के जो कार्य कराये गये हैं वे सार्वजनिक निविदा अथवा कोटेशन आधार पर कराये गये हैं। कराये गये कार्यों का विवरण निम्नांकित है:—

कोटेशन से कराये गये कार्य

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम	आदेश का दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5
1-	जिलाधिकारी न्यायालय के कक्ष के दरवाजे/रोशनदान एवं डायस की मरम्मत	जिलाधिकारी	29-4-94	24,900=00
2-	कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड के दक्षिणी बौउन्ड्रीवाल की मरम्मत	,,	27-6-94	57,100=00
3-	कलेक्ट्रेक्ट कम्पाउन्ड, निर्वाचन कार्यालय के बगल व अल्पबचत कार्यालय के पीछे बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत	,,	27-6-94	74,800=00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
4-	कलेक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों के छतों के मरम्मत का कार्य	,,	7-7-94	2475/=, 1190/= 2975/=, 4980/= 3100/=, 1475/= 1975/=, 1000/= 3000/=, 990/=, 298
5-	जिलाधिकारी के विश्राम कक्ष के बगल के कमरे के छत की मरम्मत	अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल)	17-7-94	24,000=00
6-	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सामने बरामदे के छत व कड़ी की मरम्मत	,,	29-10-94	15,900=00
7-	कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन के छत की मरम्मत	,,	29-12-94	5,600=00
8-	कलेक्ट्रेट भवन के दीवालों की मरम्मत का कार्य	,,	18-1-95	10,750=00
9-	अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय व विश्राम कक्ष तथा पुस्तकालय भवन की रंगाई पुताई	,,	16-2-95	5,150=00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निविदा से कराये गये कार्य

क्रमांक	कार्य का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम	आदेश का दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5
1-	कोषागार भवन, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, मनोरंजन अधिकारी कार्यालय, कक्ष के टूटे फूटे प्लास्टर की मरम्मत व रंगाई पुताई	जिलाधिकारी	4-3-95	30,000=00
1-	उप जिलाधिकारी सदर, उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, मनोरंजन अधिकारी कार्यालय, आबकारी कार्यालय के भवनों के ऊपर खपरैल की मरम्मत	जिलाधिकारी	13-3-95	9,670=00
3-	कलेक्ट्रेट मुख्य भवन की दीवालों पर डेडी का कार्य	जिलाधिकारी	21-3-95	28,650=00
4-	पुलिस मालखाना, गार्डरुम, हवालात, चकबन्दी मालखाना, नजारत मालखाना, सीलिंग कार्यालय, बाउन्ड्रीवाल, मुख्य गेट, सेनानी भवन व उसके कैम्पस की रंगाई पुताई	जिलाधिकारी	21-3-95	24,500=00
5-	कलेक्ट्रेट मुख्य बिल्डिंग की रंगाई पुताई का कार्य	जिलाधिकारी	21-3-95	45,700=00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्र०सं० 155 का पिछला पृ०—86———पर)

ग्राम सभा डिडौहा तहसील व ब्लाक सदर जनपद बस्ती की विधवाओं की सूची

वर्ष 88-89

1-	तुलसी देई पत्नी स्व० सीताराम केवट ग्राम डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	720=00	कल्याण शिविर में नकद
2-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सवेरे उर्फ राम सुमेर ग्रा० डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	720=00	उक्त

वर्ष 89-90

1-	तुलसी देई पत्नी स्व० सीताराम केवट ग्राम डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	360=00 360=00	कल्याण शिविर में नकद धनादेश द्वारा मृत्यु के कारण वापस
2-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सवेरे उर्फ राम सुमेर ग्रा० डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	840=00	धनादेश द्वारा जनवरी 90 में दर 60/- से 100/- होने के कारण तीन माह का अवशेष 120 रु० शामिल

वर्ष 90-91

1-	मुरता देवी पत्नी स्वं० राम सवेरे उर्फ राम सुमेर ग्रा० डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	1200=00	धनादेश द्वारा

वर्ष 91-92

1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सवेरे उर्फ राम सुमेर ग्रा० डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	1200=00	कल्याण शिविर में नकद

वर्ष 92-93

1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सवेरे उर्फ राम सुमेर ग्रा० डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	600=00 600=00	धनादेश द्वारा 92-93 के छः माह का बजट 93-94 के अन्त में प्राप्त होने के कारण 600/- दि० 1-8-94 को धनादेश द्वारा भेजा गया

वर्ष 93-94

1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सवेरे उर्फ राम सुमेर ग्रा० डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	600=00 200=00	धनादेश द्वारा चेक द्वारा शिविर में 400=00 धनादेश द्वारा दि० 1-8-94 को भेजा गया

वर्ष 94-95

1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सवेरे उर्फ राम सुमेर ग्रा० डिडौहा पो० पुरानी बस्ती	600=00 600=00	शिविर में चेक द्वारा उक्त